वार्षिक रिपोर्ट

2006—2007

रक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

1.	सुरक्षा परिवेश	1
2.	रक्षा मंत्रालय का गठन तथा कार्य	11
3.	भारतीय सेना	17
4.	भारतीय नौसेना	27
5.	भारतीय वायुसेना	35
6.	तटरक्षक	41
7.	रक्षा उत्पादन	45
8.	रक्षा अनुसंधान तथा विकास	65
9.	अंतर सेवा संगठन	87
10.	भर्ती एवं प्रशिक्षण	99
11.	भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एवं कल्याण	117
12.	सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग	133
13.	राष्ट्रीय कैडेट कोर	141
14.	विदेशों के साथ रक्षा सहयोग	151
15.	समारोह और अन्य कार्यकलाप	157
16.	सतर्कता इकाइयों के क्रियाकलाप	169
17.	महिलाओं का सशक्तीकरण और कल्याण	173

परिशिष्ट

I.	रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची	179
II.	1 अप्रैल, 2006 से रक्षा मंत्रालय में मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव	183
III.	रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट का सारांश	184

1

सुरक्षा परिवेश

सियाचिन में बर्फीली सीमा चौकियों की चौकसी करते हुए सैनिक

भारत की भू-सीमाएं सात देशों, जिनमें बांग्लादेश (4096 कि.मी), चीन (3439 कि.मी.), पाकिस्तान (3325 कि.मी) और म्यांमार (1643 कि.मी.). से मिलती हैं और समुद्री सीमाएं पांच देशों से ।

1.1 भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश इसकी भौगोलिक विशेषताओं, ऐतिहासिक विरासत, और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के साथ ही क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाओं के जटिल पारस्परिक प्रभाव से निर्धारित होता है। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है, जिसका 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का भू-क्षेत्र, 15000 किलोमीटर की भू-सीमा, 7700 किलोमीटर की प्रायद्वीपीय तटरेखा, 600 द्वीपीय राज्यक्षेत्र और 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। पूर्व में द्वीपीय राज्यक्षेत्र मुख्य भूमि से 1300 किलोमीटर परे हैं और वस्तुत: भारत के आसियान पड़ोसी देशों के निकटस्थ हैं। भारत की भू-सीमाएं सात देशों, जिनमें बांग्लादेश (4096 कि.मी), चीन (3439 कि.मी.), पाकिस्तान (3325 कि.मी) और म्यांमार (1643 कि.मी.) से मिलती हैं और समुद्री सीमाएं पांच देशों से ।

1.2 इस देश के आकार और राष्ट्र-समुदाय में इसकी भूमिका को देखते हुए, हमारे सुरक्षा-सरोकार और हित निकटतम पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं हैं। भारत के सुरक्षा हित का क्षेत्र स्पष्टत: दक्षिण एशिया की परम्परागत भौगोलिक परिभाषा के दायरे के पार जाता है। इसके आकार, भौगोलिक अवस्थिति, व्यापार संबंधों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के चलते, भारत का सुरक्षा परिवेश हिंद महासागर के पार फारस की खाड़ी से मलक्का जलडमरूमध्य तक फैला हुआ है, जिसमें उत्तर-पश्चिम में मध्य एशियाई क्षेत्र, उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया में चीन भी शामिल है।

1.3 भू-अर्थशास्त्र को भू-राजनीति से अधिक महत्व मिलने के साथ ही रक्षा सेनाओं के कार्य में विश्व भर में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है। हमारी सशस्त्र सेनाएं राष्ट्र के आर्थिक विकास में सुस्थिर स्थितियां उत्पन्न करने में अब निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। विगत वर्ष में इसकी अर्थव्यवस्था 8% प्रति वर्ष से भी अधिक बढ़ने और आगे उसमें और वृद्धि होने के साथ ही, भारत के एक अरब लोग क्षेत्रीय और वैश्विक विकास एवं समृद्धि को अधिकाधिक आगे बढ़ा रहे हैं । उन क्षेत्रों, जिनमें भारत की भूमिका इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिकाधिक महत्वपूर्ण बन रही है, में से सॉफ्टवेयर, विनिर्माण, कृषि, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, आपदा प्रबंधन, सामुद्रिक कार्य-कलाप, मनोरंजन और संस्कृति कुछेक ही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के सुस्थिर विकास के साथ ही, भारत का स्थिर विश्व में महत्वपूर्ण साझा है।

1.4 इस क्षेत्र के समक्ष गंभीर चुनौतियां हैं। हालांकि भारत और कुछ अन्य समुद्र-तटवर्ती देश एक सतत आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर प्रतीत होते हैं, इस क्षेत्र के अधिकांश भाग में ऊंचे दर्जे की गरीबी व्याप्त है। मोटे आकलन के अनुसार, यह विश्व की 70% प्राकृतिक आपदाओं का स्थान है। परमाणु शस्त्र या परमाणु शस्त्र की क्षमता रखने वाले कई देशों की मौजूदगी से स्थिति और भी गंभीर बन जाती है। वस्तुत: भारत को ऐसे आस-पड़ोस में काम करना पड़ता है, जो असाध्य राजनीतिक अस्थिरता से ग्रस्त है। यह भी आशंका है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रों के बीच संघर्ष के स्रोतों में वृद्धि होगी क्योंकि राष्ट्रों के बीच जल और तेल जैसे गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के लिए कड़ी स्पर्धा होगी। भविष्य में इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने सभी पड़ोसियों के साथ रचनात्मक वार्ता की सकारात्मक नीति अपनानी है।

1.5 विश्व के अन्य प्रमुख महासागरों के विपरीत, हिंद महासागर स्थल-क्षेत्रों से घिरा हुआ है। हिंद महासागर में नौ-परिवहन के

संचालन में कई संवेदनशील अवरोध बिन्दुओं से बाधा पहुंचती है। हिन्द महासागर में पश्चिम से केवल आशा अंतरीप के मार्ग से, उत्तर से होर्मुज जलडमरूमध्य और फारस की खाड़ी के मार्ग से, पूर्व से मलक्का जलडमरूमध्य, सुंडा और लॉम्बोक- जलडमरूमध्य और ओमबई वेटार- जलडमरूमध्य के मार्ग से पहुंचा जा सकता है। यह सुविदित है कि तेल एक राष्ट्र की भू-राजनीतिक योजनाओं को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है और इसकी आपूर्ति में बाधा आने से सुरक्षा संबंधी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत, चीन और जापान अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए तेल के नौपरिवहन पर निर्भर हैं, यह स्वाभाविक है कि ये देश इस क्षेत्र की दूर-संचार की समुद्री-लेनों और अवरोध-बिन्दुओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हैं । विश्व के ऊर्जा-संवहन के प्रमुख मार्ग, जिनसे विश्व का 66% तेल व्यापार होता है, भारत के बहुत निकट से गुजरते हैं, जिससे इस बड़े ऊर्जा प्रवाह की सुरक्षा के प्रति बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। यह उद्देश्य केवल ऐसी प्रत्यक्ष और शक्तिशाली रक्षा सेनाएं रखकर पूरा किया जा सकता है जो किसी राष्ट्र अथवा गैर-राष्ट्रकर्त्ताओं द्वारा व्यापार मार्गों को अस्थिर बनाने के प्रयासों का प्रभावी रूप से निवारण कर सकें। भारत , एशिया का एक प्रमुख सामुद्रिक देश है, जिसके पास इसकी जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं के अनुरूप गहरे समुद्र तक पहुंचने की क्षमता रखने वाली नौसेना है। इस जलडमरूमध्य के भू-सामरिक महत्व के अलावा, समुद्री अपराध की अधिकाधिक घटनाएं, बहुत से क्षेत्रीय और क्षेत्रेतर देशों को सामुद्रिक सुरक्षा सहयोग पर विचार-विमर्श करनेऔर उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

1.6 यह जिन्दगी की सच्चाई है कि शीत युद्ध के समाप्त होने से विश्व अधिक सुरक्षित नहीं हुआ है। जनसंहार के शस्त्रों और प्रक्षेपास्त्रों तथा उनसे सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। डीपीआरके द्वारा अपनी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं का उल्लंघन करते हुए किए गए परमाणु परीक्षण पर भारत को गहरी चिंता है। इस परीक्षण से डीपीआरके को गुप्त

पूर्वोत्तर में नदी–बाधाओं को पार करते हुए इंफैन्ट्री के सिपाही

रूप से किए गए हस्तांतरणों की यथातथ्य सीमा और गहनता की स्पष्ट रूप से अभिपुष्टि होती है। भारत ने ऐसे प्रसार की बाबत निरंतर अपनी चिंता व्यक्त की है। विश्व- स्तर पर भारत को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में व्यापक रूप से मान्यता मिली है और परमाणु खतरों का उन्मूलन करने के लिए भारत के साथ काम करने की इच्छा में वृद्धि हुई है। भारत ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले किसी भी रचनात्मक प्रयास का हिस्सा बनने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की है।

1.7 ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हिंसा, असुरक्षा और तनाव का बोलबाला है, अपने निकटतम पड़ोस में यह देखकर खुशी होती है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए राजनीतिक माहौल बनने के साथ ही राजनीतिक हिंसा और सामाजिक उथल-पुथल में कमी आई है। यह बात उत्साह बढ़ाने वाली है कि सात पार्टियों के गठबंधन और माओवादियों के मध्य सुलाह-समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तथापि, हमारे निकटतम और विस्तारित पड़ोस में समग्र सुरक्षा परिवेश में विगत वर्षों में ह्रास होता गया है और हमारी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली घटनाओं की निरंतर मॉनीटरी और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय और सीमा-पार के आंतकवाद का खतरा, परिमाण और जटिलता दोनों में, विश्व के सभी भागों में तेजी से बढ़ रहा है। इसी तरह, अंतर-राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए विनाशकारी युक्तियों का इस्तेमाल किया जाना जारी है। इन सब बातों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न होती हैं और जिन्हें भारत द्वारा भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिका को निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

विश्व- स्तर पर भारत को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में व्यापक रूप से मान्यता मिली है और परमाणु खतरों का उन्मूलन करने के लिए भारत के साथ काम करने की इच्छा में वृद्धि हुई है। भारत ने, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले किसी भी रचनात्मक प्रयास का हिस्सा बनने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की है।

1.8 हिंसा में वैश्विक वृद्धि का भारत के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पूर्वोत्तर में हिंसा के स्तर में 2006 में मुख्यत: असम और नागालैंड में मामूली-सी वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान वाराणसी, मुंबई, मालेगांव और भारत के अन्य भागों में भी आतंकवादी हिंसा देखी गई, जिसमें बाहर से समर्थित आतंकवादी गुटों की भूमिका अत्यंत स्पष्ट थी। नक्सल आतंकवाद भी एक चिन्ता का विषय है। यद्यपि नक्सल हिंसक घटनाओं में वर्ष , 2006 में मामूली कमी आई है लेकिन सिविलियनों और सुरक्षा कार्मिकों के हताहत होने का स्तर वर्ष 2005 जितना ही रहा है।

1.9 जम्मू तथा कश्मीर के मुद्दे पर, सीमाओं के पुनर्निर्धारण को छोड़कर, भारत विकल्पों पर विचार करने के लिए तैयार है। 24 मार्च, 2006 को और पुन: 20 दिसंबर, 2006 को अमृतसर में, प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए एक व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए भारत की तत्परता की घोषणा की। उन्होंने ऐसी स्थिति की परिकल्पना भी की, जहां जम्मू तथा कश्मीर के दोनों भाग, भारत और पाकिस्तान की सरकारों के सक्रिय प्रोत्साहन से, सहयोगी, परामर्शदात्री तंत्र बनाएं ताकि इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्याओं का हल करने में सहयोग का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

1.10 भारत की चिंता पाकिस्तान के साथ सीमा पार आतंकवाद पर लगातार बनी रही है । आतंकवादी गुट पाकिस्तान में निरंतर निर्बाध रूप से कार्य करते रहे हैं । सीमा/ नियंत्रण रेखा पर कार्यों को अंजाम देने के लिए उन्हें पाकिस्तानी तत्वों से आश्रय, सहयोग तथा प्रशिक्षण मिलता है। कुछ देशों में आतंकवाद तथा आत्मघाती विस्फोटों की हाल की घटनाओं से पाकिस्तान में विकसित लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का पता चलता है । भारत पाकिस्तानी सरकार और उसकी जनता के साथ शांति, मैत्री तथा अच्छे संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य के अनुसरण में भारत ने कई नीतिगत पहलें की हैं । इसने आपसी समझ-बूझ तथा विश्वास कायम करने की दिशा में वृद्धि करने के उद्देश्य से विश्वास उत्पन्न करने वाले कई उपायों का प्रस्ताव किया है। हमने पाकिस्तान से बार-बार दोहराया है कि वह किसी भी रूप

में अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र का आतंकवाद की सहायता करने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने संबंधी 6 जनवरी, 2004 के संयुक्त प्रेस घोषणा पत्र में उल्लिखित अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करे। वस्तुतः संपूर्ण वार्ता प्रक्रिया भय और आतंक से मुक्त विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाने पर निर्भर करती है । घुसपैठ को रोकना होगा तथा पाकिस्तान को आतंकवाद का ढांचा तोड़ने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत है। आतंकवाद का प्रभावकारी अंत करने के लिए आतंकवादी संगठनों के प्रशिक्षण कैंप, आतंकवाद शुरू होने के केन्द्रों तथा संचार तंत्रों का अवश्य सफाया होना चाहिए । आतंक के प्रति पृथक दृष्टिकोण नहीं हो सकता ।

1.11 मुंबई धमाकों के बाद प्रधानमंत्री ने बताया कि मुंबई में 11 जुलाई 2006 को हुई कायरतापूर्ण कार्रवाई के पीछे आतंक के तरीके सीमा पार के तत्वों द्वारा उकसाए, प्रेरित तथा तैयार किए गए थे । भारत ने पाकिस्तान सरकार को यह जताने का प्रयास क्या है कि किसी भी सरकार के लिए शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बहुत कठिन है जब तक कि आतंकवाद की घटनाएं नियंत्रित नहीं होतीं । एक सकारात्मक कदम उठाते हुए भारत और पाकिस्तान ने नवंबर, 2006 में एक संयुक्त आतंकवाद-रोधी तंत्र की स्थापना की है । भारत को यह आशा है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध स्पष्ट कार्रवाई की जाएगी तथा इस तंत्र के कार्य को प्रभावी बनाएगा।

1.12 भारत-चीन संबंध सुधर रहे हैं । एक वर्ष में लगभग 20 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के व्यापार के साथ चीन वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी मित्र है । नवंबर, 2006 में श्रीमान हू जिनताओ का भारत दौरान 10 वर्षों में किसी चीनी राष्ट्रपति का पहला दौरा है। दौरे के दौरान जारी संयुक्त घोषणा पत्र में भारत-चीन की "सामरिक और सहयोगात्मक साझेदारी" का विकास करने के लिए 10 सूत्रीय रणनीति निहित है। इससे पहले अप्रैल, 2005 में प्रधानमंत्री वेन जिआबाओ के भारत दौरे के दौरान सीमा विवाद को हल करने के लिए राजनीतिक मानदंडों और मार्गदर्शी सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण समझौता हुआ । रक्षा मंत्री के 29 मई 2006 के चीन के दौरे के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं तथा रक्षा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के बीच नियमित और संस्थागत संपर्क किए जाने की परिकल्पना है।

रेतीले क्षेत्र में अभ्यास करता हुआ टी-90 टैंक

ऐसी आशा की जाती है कि यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच रक्षा मुद्दों पर नियमित और सतत वार्ता करने में सहायक सिद्ध होगा। सीमा संबंधी मामले की अवधारणा में अंतर होने के बावजूद भारत चीन की लंबी सीमा पर अमन चैन कायम रहा ।

1.13 एक दशक से भी ज्यादा अवधि के लिए चीन द्वारा अपनी रक्षा बजट में सतत और दो-अंकीय विकास के साथ सैन्य आधुनिकीकरण तथा अपनी परमाणु और प्रक्षेपास्त्र सामग्रियों के निरंतर उन्नयन, भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में ढांचे के विकास और भारत के पड़ोसी देशों के साथ चीन के बढ़ते रक्षा संबंधों की गहन मानीटरी की जाती है । चीन द्वारा पाकिस्तान के परमाणु और प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को सहायता देना चिंता का विषय रहा है क्योंकि इसका भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी परिवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमने चीन द्वारा सीधे ही उपग्रह रोधी परीक्षण के जरिए ध्रुवीय कक्ष में अपने उपग्रहों में से एक उपग्रह को नष्ट करने की हाल की घटना को भी नोट किया है ।

1.14 भारत बांग्ला देश के साथ गहन,मैत्रीपूर्ण और परस्पर हित संबंध रखने के प्रति कृत संकल्प है । हालांकि भारत बांग्ला देश की सरकार की इस प्रतिबद्धता और दिए गए आश्वासन की सराहना करता है कि बांग्लादेश की भूमि को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । फिर भी हमें यह देखना है कि यह प्रतिबद्धता ठोस और स्पष्ट कार्रवाई में परिणत हो। बांग्लादेश में कट्टरवादिता का उदय केवल बांग्लादेश के लिए ही नहीं अपितु भारत सहित समस्त क्षेत्र के लिए खतरा है। भारत हाल ही में देश के भीतर आतंकवादी गतिविधियों में बांग्लादेश के आतंकवादी गुटों और नागरिकों के शामिल होने पर काफी चिन्तित है । भारत बांग्लादेश को मजबूत, स्थिर और समृद्ध देखना चाहता है । भारत को बांग्लादेश द्वारा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बांग्लादेश को हर प्रकार की सहायता और सहयोग देने में प्रसन्नता होगी ।

1.15 भारत का नेपाल के साथ नागरिक स्तर पर मजबूत और पारस्परिक संबध रहा है तथा यह संबंध उनकी सशस्त्र सेनाओं तक है । इस संबंध की एक अनूठी विशेषता यह है कि दोनों देशों की सीमाएं खुली हैं तथा कई नेपाली नागरिक भारतीय सशस्त्र सेनाओं में सेवारत हैं । भारत नेपाल की सेनाओं को प्रशिक्षित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है ।

जम्मू-कश्मीर में सीमा-रेखा की बाड़ के साथ-साथ गश्त

1.16 हाल के वर्षों में नेपाल में महत्वपूर्ण विकास हुआ है । नेपाल की जनता ने राजतंत्र के प्रति अपने मोहभंग को प्रकट किया है और उन्होंने एक उदारीकृत प्रजातांत्रिक सरकार अपनाए जाने के लिए अपने अधिकारों की वकालत की है। नेपाल के माओवादियों के नेतृत्व में इस लोकप्रिय आंदोलन के परिणामस्वरूप एक नई सात दलीय गठबंधन सरकार का गठन किया गया है। हम नेपाल की जनता द्वारा अपनी इच्छानुसार भावी राजनीतिक व्यवस्था चुनने में उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं । हम नेपाल को शांतिप्रिय, स्थिर और समृद्ध देखना चाहते हैं । वर्तमान में नेपाल जिन महत्वपूर्ण मुद्दों से जूझ रहा है वे उसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे की पुर्नस्थापना और तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास से संबद्ध हैं । भारत नेपाल की प्रगति में उसके प्रयास में अपने संसाधनों के भीतर आवश्यक मदद मुहैया कराने के लिए इच्छुक है ।

सेना के विमानन हेलीकोप्टर से उतरती हुई सैन्य टुकड़ी

1.17 भारत अफगानिस्तान द्विपक्षीय संबंध साझेदारी की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहे हैं जो हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं । एक सार्वभौमिक, स्थिर, जनतांत्रिक और समृद्ध अफगानिस्तान न केवल भारत के हित में है अपितु यह इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व बनाए रखने के लिए भी जरूरी है । भारत अफगानिस्तान के पुनर्निमाण से सक्रियता से जुड़ा हुआ है । हालांकि भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ के आदेश के बगैर अफगानिस्तान में सैन्य दखल में शामिल नहीं होगा किंतु यह 600 मिलियन अमेरिकी डालर से भी अधिक की सहायता की प्रतिबद्धता के साथ परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा उद्योग के क्षेत्रों में अफगानिस्तान के नागरिक जन जीवन के पुनर्निर्माण में पूरी तरह से लगा हुआ है । हमें अफगानिस्तान के बदलते परिदृश्य पर निकट दृष्टि रखने की जरूरत है क्योंकि इससे इस क्षेत्र का सुरक्षा संबंधी परिवेश प्रभावित होता है। हम एक मजबूत अफगानिस्तान देखना चाहते हैं जो अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा करने में समर्थ हो और वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक प्रजातांत्रिक और आत्मनिर्भर सदस्य बने।

1.18 भारत अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में हाल के महीनों में हिंसा में हुई वृद्धि पर चिंतित है। तालिबान, अल कायदा और हिज्ब-ए-इस्लामी के बचे-खुचे तत्वों का हिंसा में लगातार शामिल होना चिंता का मुख्य स्रोत है । भारत इन कुछ आतंकवादी गुटों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भारत विरोधी बयानबाजी के बारे में विशेष रूप से चिंतित है ।

1.19 पारंपरिक रूप से भारत के अपने दक्षिणी पड़ोसी श्रीलंका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं । हाल ही में इन संबंधों में मज़बूत आर्थिक आयाम आया है । भारत के श्रीलंका की सुरक्षा में चिरस्थायी हित हैं और वह उसकी एकता, संप्रभुत्ता और प्रादेशिक अखंडता के प्रति वचनबद्ध है । जहां तक जातीय मुद्दे का संबंध है, भारत बातचीत के आधार से ऐसे राजनीतिक समाधान का पक्षधर है जो श्रीलंका के सभी समुदायों को स्वीकार्य हो और जिसमें लोकतंत्र, बहुलवाद और मानवाधिकारों का सम्मान हो ।

1.20 भूटान के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक हैं और हमारे संबंध बहुत गहरे हैं । ये संबंध पूर्ण पारस्परिक सूझबूझ और सम्मान की भावना से ओतप्रोत हैं और ठोस नींव पर टिके हुए हैं।

भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण से सक्रियता से जुड़ा हुआ है । हालांकि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश के बगैर अफगानिस्तान में सैन्य दखल में शामिल नहीं होगा । किंतु यह 600 मिलियन अमेरिकी डालर से भी अधिक की सहायता की प्रतिबद्धता के साथ परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा उद्योग के क्षेत्रों में अफगानिस्तान के नागरिक जन जीवन के पुनर्निर्माण में पूरी तरह से लगा हुआ है ।

1.21 म्यांमार हमारे सामरिक हितों के प्रति विशेष महत्व रखता है । म्यांमार की सीमाएं हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से सटी हुई हैं, जो विद्रोहिता से प्रभावित हैं । विगत में म्यांमार सेना ने म्यांमार से संचालित भारतीय विद्रोही गुटों के विरुद्ध अभियान चलाए। उच्च स्तर की यात्राओं का नियमित आदान-प्रदान होता रहता है और रक्षा सहयोग में द्विपक्षीय बातचीत प्रक्रिया बदस्तूर है ।

1.22 भारत-मालदीव संबंध गहन और सौहार्दपूर्ण हैं । दोनों देश मालदीव के राष्ट्रिकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के अलावा आर्थिक और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से मालदीव में अवसंरचना क्षमता निर्माण में लगे हुए हैं ।

1.23 दक्षिण-पूर्व, पूर्व, पश्चिम और मध्य एशिया में भारत के विस्तारित पड़ोस में वर्ष के दौरान बने सुरक्षा परिदृश्य पर बारीकी से नजर रखी गई । इराक के संघर्षों, इज़राइल-फलस्तीन की अनौपचारिक बातचीत, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ पश्चिम के बढ़ते हुए विरोध का भारत की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं

'गुजरात की रक्षा अभ्यास 2006' के दौरान भा.नौ. पोतों द्वारा योधी दक्षता प्रदर्शन

पर बुरा प्रभाव पड़ा । ये घटनाएं हमारे लिए चिंता का विषय हैं क्योंकि इनमें से कुछ देशों के साथ हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक और सभ्यता से जुड़े संबंध हैं ।

1.24 संक्षेप में, भारत के अपने सभी पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण और व्यापक संबंध हैं । फिर भी बढ़ती हुई चिंता के कुछ क्षेत्र इस प्रकार हैं :-

(क) पड़ोस में कट्टरपंथी गुटों द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देना।

(ख) बेहतर आर्थिक और स्थिर जीवन की अपेक्षा में लोगों द्वारा हमारी सीमाओं के पार से भारत में बड़े पैमाने पर लोगों का देशांतरण ।

(ग) सामूहिक जनसंहार के हथियारों और प्रक्षेपास्त्रों का प्रसार विशेष रूप से पाकिस्तान द्वारा सचल और बढ़ते हुए सटीक ठोस ईंधन प्रक्षेपास्त्रों का विकास करना ।

(घ) भारत के पड़ोस में राजनीतिक अस्थिरता का बने रहना ।

1.25 क्षेत्र में मादक पदार्थों और छोटे शस्त्रास्त्रों की तस्करी के अप्रत्याशित प्रसार से क्षेत्र के देशों और समाजों की स्थिरता को खतरा हो गया है । भारत विश्व के प्रमुख मादक पदार्थ उत्पादक और निर्यातक क्षेत्रों अर्थात् एक ओर उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान तथा दूसरी ओर म्यांमार के मध्य अवस्थित है । वैश्विक मादक द्रव्य व्यापार में विद्रोहिता और आपराधिक गुटों का शामिल होना भी चिंता का बड़ा कारण है । अफगानिस्तान में तालिबान नियंत्रित क्षेत्रों में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों के मुख्य स्रोत हैं ।

1.26 आगामी वर्षों में भारत को उम्मीद है कि फ्रांस, इजराइल, रूस अमरीका तथा यू.के. जैसे मुख्य रक्षा सहभागियों सहित सभी मित्र देशों के साथ तेजी से बढ़ते रक्षा सहयोग तथा अनुबंध से न केवल इस क्षेत्र के सुरक्षा परिवेश में बल्कि वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में भी वृद्धि होगी । भारत दक्षिणपूर्व एशिया, पूर्वोत्तर एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी तथा मध्यपूर्व क्षेत्रों के अपने विस्तारित पड़ोस में रक्षा गठबंधन में वृद्धि करने हेतु हर संभव प्रयास कर रहा है । भारत, अपने साधनों तथा संसाधनों के भीतर, अफ्रीका, यूरोप तथा लातीनी अमरीका सहित विश्व के अन्य भागों के देशों के साथ रक्षा मामलों में हमारी बढ़ती विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करके उनके साथ गठबंधन में विस्तार करना चाहता है ।

भारत को उम्मीद है कि फ्रांस, इजराइल, रूस अमरीका तथा यू.के. जैसे मुख्य रक्षा सहभागियों सहित सभी मित्र देशों के साथ तेजी से बढ़ते रक्षा सहयोग तथा अनुबंध से न केवल इस क्षेत्र के सुरक्षा परिवेश में बल्कि वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में भी वृद्धि होगी ।

1.27 चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है इसलिए इसका सुरक्षित तथा टिकाऊ पड़ोस में अपना हित है । भारत इस क्षेत्र तथा विश्व में शांति, समृद्धि तथा स्थायित्व लाने के क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी प्रयास में शामिल होने के लिए तैयार है । भारत में शांतिप्रिय, बहु-संस्कृति समाज, कार्यशील लोकतंत्र तथा एक सशक्त आर्थिक शक्ति बनने हेतु गज़ब की क्षमता है । भारत में यह समझ बलवती होती जा रही है कि समृद्धि केवल सुविधाभोगियों के लिए है, बेमानी है । भारत इस क्षेत्र में अन्य के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए तैयार है तथा इसने अपनी अर्थव्यवस्था में सहभागी होने तथा विकसित होते बाजार के लाभ उठाने हेतु पड़ोसियों को आमंत्रित किया है ।

1.28 हम यह समझते हैं कि एक शक्तिशाली रक्षा, प्रगति तथा स्थायित्व हेतु अनिवार्य पूर्वापेक्षा है । वास्तव में, भारत अपने रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के प्रति पूर्ण रूप से संजीदा है तथा बाहर से उत्पन्न किसी संभावित खतरे का प्रतिकार करने के लिए अपने रक्षा तैयारी के स्तर को ऊंचा उठाने हेतु कटिबद्ध है । अपने विश्वसनीय न्यूनतम निवारण के परमाणु सिद्धांत के निर्माण में भारत ने रक्षात्मक रुख, संयम तथा उत्तरदायित्व का परिचय दिया है। भारत ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले न करने की अपनी नीति तथा जनसंहार के बड़े आक्रमण की अवस्था को छोड़कर, गैर-परमाणु हथियार वाले राज्यों के विरुद्ध परमाणु हथियारों के

इस्तेमाल से बचने के प्रति वचनबद्धता की घोषणा की है। भारत, द्विपक्षीय करार करके तथा विश्व में परमाणु हथियार का पहले इस्तेमाल न करने के संबंध में वार्ताएं शुरू करके इन हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने के संबंध में अपनी वचनबद्धता को और अधिक मजबूत करने की इच्छा रखता है । भारत का मानना है कि परमाणु हथियारों को अवैध ठहराने की दिशा में वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने संबंधी करार प्रथम कदम होगा । भेदभाव रहित परमाणु निरस्त्रीकरण की भारत की विश्व के प्रति वचनबद्धता, जिससे भारत की सुरक्षा तथा अन्य राज्यों की सुरक्षा में वृद्धि होगी, बदली नहीं है। हाल ही के घटनाक्रम के संबंध में, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह नए परमाणु हथियार सम्पन्न राज्यों की हिमायत नहीं करता ।

2

रक्षा मंत्रालय का गठन तथा कार्य

समापन समारोह

मंत्रालय का प्रमुख कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार के नीति-निर्देश प्राप्त करना और उन्हें कार्यान्वित किए जाने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान एवं विकास संगठनों को सूचित करना है।

संगठनात्मक गठन और कार्य

2.1 स्वतंत्रता के बाद रक्षा मंत्रालय का गठन एक कैबिनेट मंत्री के अधीन किया गया था और प्रत्येक सेना को उसके अपने कमांडर-इन-चीफ के अधीन रखा गया। 1955 में, कमांडर-इन-चीफ का सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष तथा वायुसेनाध्यक्ष के रूप में पुनः नामकरण किया गया था । नवंबर, 1962 में रक्षा उपस्करों के अनुसंधान, विकास तथा उत्पादन संबंधी कार्य के लिए रक्षा उत्पादन विभाग का गठन किया गया था। नवंबर, 1965 में, रक्षा आवश्यकताओं के आयात प्रतिस्थापन के लिए योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए रक्षा पूर्ति विभाग बनाया गया था। बाद में, इन दोनों विभागों को मिलाकर रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग बना दिया गया था। वर्ष 2004 में रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग का नाम बदलकर रक्षा उत्पादन विभाग रख दिया गया । 1980 में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग बनाया गया । वर्ष 2004 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया गया।

2.2 रक्षा सचिव, रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, और इसके अलावा, मंत्रालय के चारों विभागों के कार्यों मे समन्वय बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं।

विभाग

2.3 इस मंत्रालय का मुख्य काम रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में नीति बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है। मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के नीति-निर्देशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए और आबंटित संसाधनों के अंतर्गत अनुमोदित कार्यक्रमों का निष्पादन किया जाए।

2.4 इन विभागों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:-

(i) रक्षा विभाग तीनों सेनाओं और विभिन्न अंतर सेवा संगठनों से संबंधित कार्य करता है । यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना मामलों, रक्षा नीति, संसदीय मामलों, अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग और रक्षा संबंधी इन सभी कार्यकलापों के समन्वय संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी है।

(ii) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं और यह विभाग रक्षा उत्पादन कार्यों, आयात किए जाने वाले सामान, उपस्करों और कलपुर्जों के देशीकरण, आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की विभागीय उत्पादन इकाइयों के बारे में योजना तैयार करने तथा उस पर नियंत्रण रखने से संबंधित कार्य करता है।

(iii) रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं जो रक्षा मत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। इनका कार्य सैन्य उपस्करों और संभारतंत्र से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देना और तीनों सेनाओं द्वारा अपेक्षित साज-समान के अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यों के लिए योजनाएं तैयार करना है।

(iv) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रमुख विशेष सचिव हैं और यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के सभी पुनर्वास, कल्याण तथा पेंशन संबंधी मामलों को देखता है।

2.5 रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा निपटाई जाने वाली मदों की सूची इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-I में दी गई है।

2.6 तीनों सेना मुख्यालयों अर्थात सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय और वायुसेना मुख्यालय क्रमशः सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष के अधीन कार्य करते हैं । संबंधित सेना मुख्यालयों के प्रधान स्टाफ अफसर उनकी सहायता करते हैं। रक्षा विभाग के अधीनस्थ अंतर सेवा संगठन, तीनों सेनाओं की सामान्य जरूरतों जैसे चिकित्सा सुविधा, जनसंपर्क, सेना मुख्यालयों में रक्षा सिविलियनों का कार्मिक प्रबंध, आदि को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

2.7 रक्षा संबंधी क्रियाकलापों से जुड़ी कई समितियां रक्षा मंत्री की सहायता करती हैं। सेना अध्यक्षों के लिए सेना अध्यक्षों की समिति सेनाओं के क्रियाकलापों संबंधी मामलों पर चर्चा करने और मंत्रालय को सलाह देने के लिए भी एक मंच है। सेना अध्यक्षों की समिति के प्रमुख का पद, सेना अध्यक्ष की सबसे लंबी सेवा पर निर्भर करता है और परिणामस्वरूप यह तीनों सेनाओं को बारी-बारी से मिलता है। सेना अध्यक्षों की समिति के कार्य को सुविधा प्रदान करने के लिए कई समितियों की स्थापना की गई है।

रक्षा सौदों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना पूंजीगत अर्जन के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया और राजस्व अधिप्राप्तियों के लिए रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल को 2006 में संशोधित किया गया है।

2.8 पहली अप्रैल, 2006 से रक्षा मंत्रालय के मंत्रियों, सेनाध्यक्षों, और मंत्रालयों के विभागों के सचिवों और सचिव रक्षा (वित्त)/वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं) के पदों पर कार्यरत अधिकारियों से संबंधित सूचना इस रिपोर्ट की परिशिष्ट-II में दी गई है।

रक्षा (वित्त)

2.9 रक्षा मंत्रालय में वित्त प्रभाग, वित्तीय प्रभाव के सभी मामलों का कार्य देखता है। इस प्रभाग के प्रमुख सचिव (रक्षा वित्त) हैं और यह रक्षा मंत्रालय के साथ पूर्णतः एकीकृत है तथा एक सलाहकार की भूमिका भी निभाता है।

2.10 प्रशासन में अधिक दक्षता लाने तथा मामलों को शीघ्रता से निपटाने की दृष्टि से रक्षा मंत्रालय वित्त प्रभाग के परामर्श से बढ़ाई गई प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करता है। इन शक्तियों के प्रयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा निर्धारित नीति मार्ग-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया और रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल 2005 में जारी किए गए । जबकि रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया का वास्ता पूंजीगत अर्जन से है, रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल राजस्व अधिप्राप्ति से संबंधित है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया और रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल को वर्ष 2005 से प्राप्त हुए अनुभवों को शामिल करने के लिए वर्ष 2006 में संशोधित किया गया ।

2.11 रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2006 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:-

(क) अर्जन हेतु समय-सीमा को कम करने के लिए साथ-साथ लिए जाने वाले सभी निर्णय;

(ख) रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर सामान्य आवश्यकताओं को दर्शाकर और इंटरनेट के द्वारा विक्रेता पंजीकरण दिखा कर पारदर्शिता में वृद्धि करना;

(ग) फील्ड परीक्षणों में पारदर्शिता में वृद्धि करना;

(घ) 100 करोड़ रुपए से अधिक के सभी संविदाओं के लिए 'सत्यनिष्ठा समझौता' अनिवार्य किया गया ; और

(ङ) 300 करोड़ रु0 से अधिक की सभी संविदाओं के लिए क्षतिपूर्ति बाध्यता।

2.12 रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 2006 में 'बनाओ' श्रेणी के लिए त्वरित कार्रवाई प्रक्रिया 2006 के साथ ही रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया भी अंतर्विष्ट हैं।

वित्त प्रभाग के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य रक्षा सेवा प्राक्कलन, रक्षा मंत्रालय के सिविल प्राक्कलन, और रक्षा पेंशनों के लिए प्राक्कलन तैयार करना और उनकी मॉनीटरी करना है।

2.13 रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल 2006 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(क) सीमित निविदा पूछताछ, नकद खरीद सीमा, सांपतिक अनुच्छेद प्रमाण-पत्र के माध्यम से खरीद, कीमत परिवर्तन खंड और अग्रिम भुगतान की सीमाओं से संबंधित जी एफ आर -2005 प्रावधानों को समाविष्ट करना;

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, जब एल-1 के पास आर एफ पी की अपेक्षाओं के अनुसार आपूर्ति करने की क्षमता न हो तो एल-। की दर पर एल2 और एल 3 को मात्रा का संविभाजन करना;

(ग) जब निविदा मूल्यांकन समिति, प्रतियोगी बोली सुनिश्चित करने के लिए सेनाओं की गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं को पुनःतैयार करने के बाद केवल एक विक्रेता को छांटती है तो निविदाएं पुनः आमंत्रित करना;

(घ) स्वदेशी विक्रेताओं की उत्पाद शुल्क, विक्रय कर और स्थानीय उगाही रहित पेशकश को सी आई एफ कीमत से तुलना-योग्य बनाकर स्वदेशी विक्रेताओं को विदेशी विक्रेताओं के मुकाबले में समान अवसर उपलब्ध कराना;

(ङ) कीमते घटने की स्थिति में गिरावट-खंड और अल्पकालिक समापन जैसे सुरक्षा उपाय उपलब्ध करवाकर सामान्य प्रयोक्ता मदों के लिए तीन वर्ष तक की दर संविदा ताकि उत्पादन की किफायती मात्रा सुनिश्चित की जा सके;

(च) फिर से दिए गए क्रयादेश की मात्रा में 50% की कमी करना और कीमतों में घटोत्तरी का कोई रुख न होने को प्रमाणित करते हुए ऐसे क्रयादेश छह माह के भीतर दिए जाना।

2.14 वित्तीय शक्तियां सेनाओं में विभिन्न सोपानकों को और आगे प्रत्यायोजित की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः नामोदिष्ट एकीकृत वित्तीय सलाहकारों के परामर्श एवं सहमति से सामान्य नामोदिष्ट सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। जुलाई, 2006 में शक्तियां सभी तीनों सेनाओं में और अधिक वित्तीय प्रत्यायोजित की गई थीं। इनमें 10 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत योजनाओं के लिए शक्तियां शामिल हैं।

2.15 वित्त प्रभाग रक्षा सेवाओं के लिए प्राक्कलन तैयार करता है तथा उन पर निगरानी रखता है, रक्षा मंत्रालय के लिए सिविल प्राक्कलन तैयार करता है और रक्षा पेंशन के बारे में प्राक्कलन तैयार करता है । वर्ष 2004-05 और वर्ष 2005-06 के लिए वास्तविक व्यय के साथ-साथ वर्ष 2006-07 के लिए संशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2007-08 के लिए बजट प्राक्कलन का ब्यौरा इस खंड के अंत में सारणी तथा चार्ट के रूप में दर्शाया गया है।

2.16 रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अद्यतन रिपोर्ट का सारांश इस वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट- III में दिया गया है।

2.17 रक्षा अर्थव्यवस्था पर एक तीन दिवसीय सेमिनार का आयोजन 13 से 15 नवंबर, 2006 तक विज्ञान भवन में किया गया था। भारत से 300 से भी अधिक प्रतिनिधियों और आमंत्रित व्यक्तियों के अलावा 26 देशों से 72 प्रतिनिधियों ने सेमिनार में

वित्त प्रभाग ने रक्षा अर्थशास्त्र में अनुशासन को प्रोत्साहन देने के लिए एक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जिसमें 26 देशों के 72 प्रतिनिधियों और भारत से 300 प्रतिनिधियों और आमंत्रितों ने भाग लिया

भाग लिया । इस सेमिनार में अनेक अग्रणी विचारकों और विश्व की निरीक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस सेमिनार का उद्घाटन श्री प्रणव मुखर्जी ने किया और श्री ए.के.एंटनी ने विदाई-भाषण दिया।

सारणी 2.1

रक्षा व्यय का सेना/विभाग-वार ब्यौरा

(करोड़ रु0 में)

सेना/विभाग		2004-2005	2005-2006	संशोधित आकलन 2006-2007	बजट आकलन 2007-2008
सेना		35252.40	39458.03	41730.28	45316.54
नौसेना		13529.29	13966.99	15794.37	17529.44
वायुसेना		23035.91	21703.91	22874.01	27021.74
रक्षा	आयुध निर्माणी महानिदे.	-69.24	-208.35	-238.10	-202.41
उत्पादन	गुणता आश्वासन महानिदे.	392.29	345.04	382.07	447.47
विभाग	योग	323.05	136.69	143.97	245.06
रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग		3715.27	5283.36	5457.37	5887.22
योग		75855.92	80548.98	86000.00	96000.00

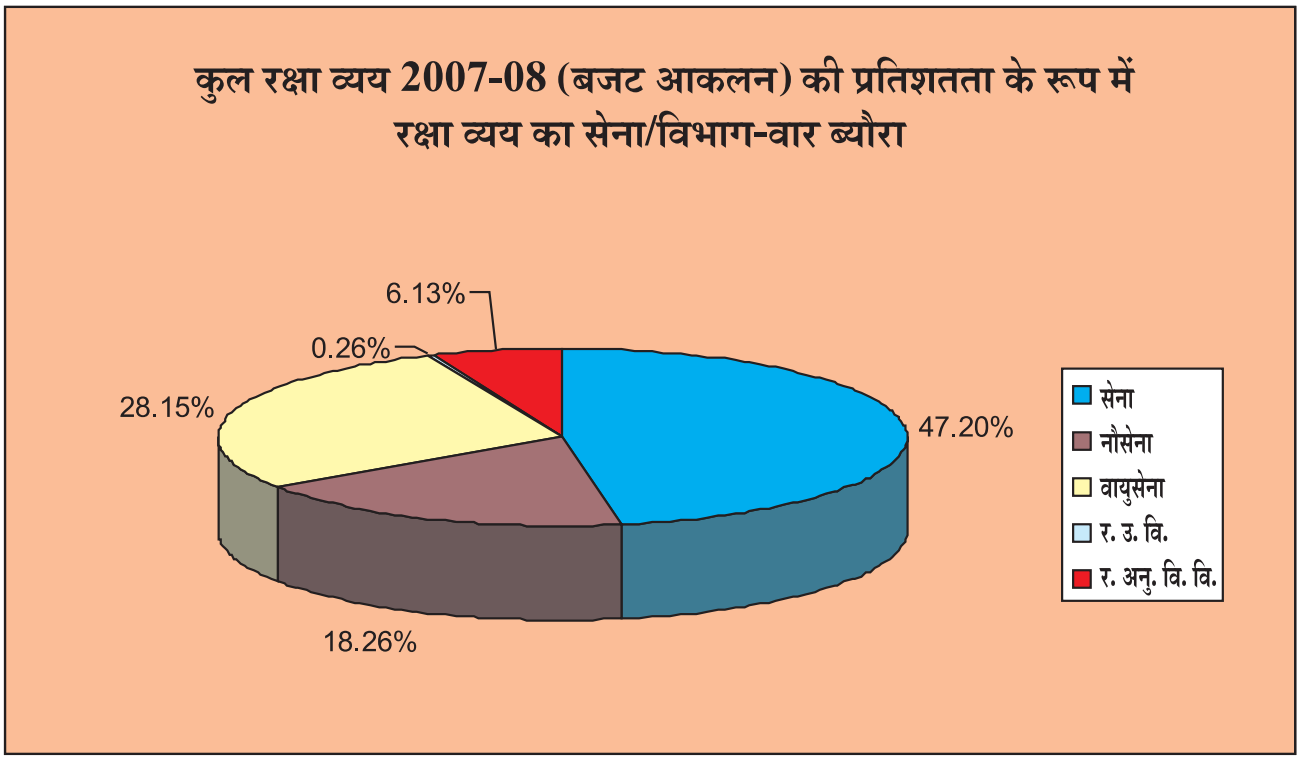

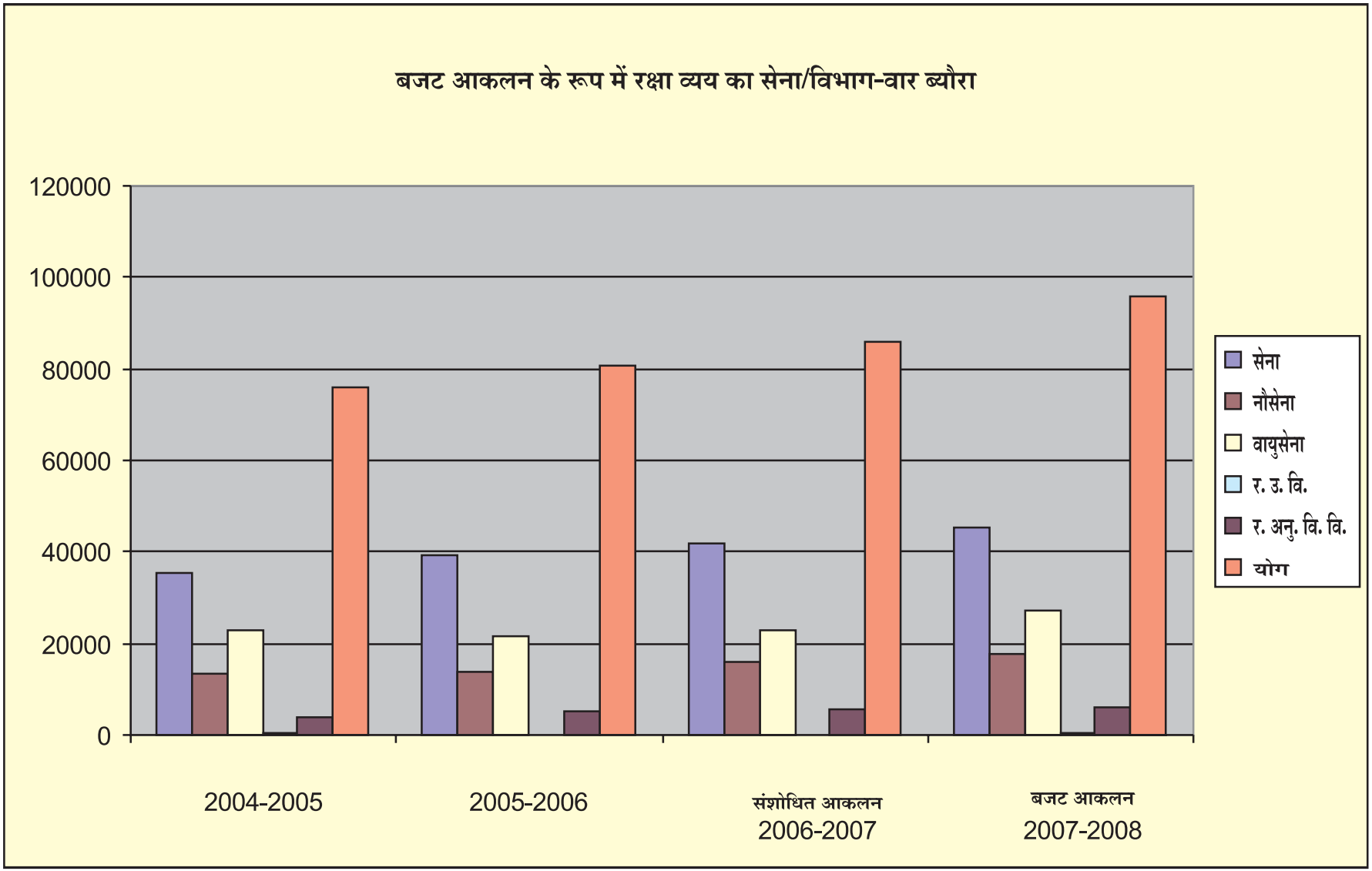
बजट आकलन के रूप में रक्षा व्यय का सेना/विभाग-वार ब्यौरा
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2004-2005
2005-2006
संशोधित आकलन
2006-2007
बजट आकलन
2007-2008
सेना
नौसेना
वायुसेना
र. उ. वि.
र. अनु. वि. वि.
योग

3

भारतीय सेना

ग्रैड बैलस्टिक प्रक्षेपास्त्र 21 मल्टी बैरल राकेट लांचर

भारतीय सेना को सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपेक्षित आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं उपस्करों से लैस किया गया है ।

3.1 भारत की सुरक्षा को अलग-अलग कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है । अनसुलझे सीमा विवाद, जम्मू-कश्मीर में चल रहे परोक्ष युद्ध की चुनौतियों, उत्तर-पूर्व में सिर उठाती बगावत और मध्य भारत में बढते नक्सलवाद के खतरे के कारण सेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और अब लगातार बढ़ते आतंकवाद तथा हमारी सुरक्षा को होने वाले अनेक असैनिक खतरों से सेना की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं । सशस्त्र सेनाएं इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी तैयारी की लगातार समीक्षा करती रहती हैं ।

सेना का आधुनिकीकरण

3.2 सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण और उन्हें उन्नत करने के प्रयास चलते रहते हैं । भारतीय सेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए इसे आवश्यक आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपस्करों से लैस किया गया है । आधुनिकीकरण की दिशा में मुख्य ध्यान नेटवर्क सेंटर युद्धपद्धति, एन बी सी सुरक्षा, संचलन क्षमता बढ़ाने, गोला-बारी की क्षमता बेहतर करने, निगरानी क्षमता और रात में युद्ध करने की क्षमता बढ़ाने पर दिया गया है ।

कार्यरत बीएमपी-।।

3.3 **मैकेनाइज्ड सेना** : रात में देखने की क्षमता बढ़ानें वाले तरह-तरह के यंत्र खरीद कर मैकेनाइज्ड सेना की रात में काम करने की क्षमता बढ़ाने पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जा रहा है । टी-72 टैंकों का पॉवर पैक और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जी पी एस और एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम ए एल एन एस उन्नत करके इन टैंकों की संचलन और मार्ग-निर्देशी क्षमताओं को बेहतर बनाया जा रहा है ।

3.4 **तोपखाना** : गन फायर/रॉकेट और मिसाइलें खरीदने और इनकी मदद से तोपखाने की दूर तक निशाना लगाने और संचलन क्षमता बढ़ाने पर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है । तोपखाने के आधुनिकीकरण की योजना में दूर तक मार करने वाली गनें और मिसाइलें तथा हर मौसम में उपयुक्त निगरानी यंत्र खरीदना शामिल है ।

प्रादेशिक सेना, नियमित सेना को उनकी स्थैतिक ड्यूटियों से राहत दिलाने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं से निपटने एवं अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने में सिविल प्राधिकारियों की मदद करती है ।

3.5 **सेना हवाई सुरक्षा** : सेना हवाई सुरक्षा के लिए नई-नई गनें (स्टैटिक स्वचालित) खरीदी जा रही हैं, साथ ही मौजूदा हथियार प्रणालियों को भी उन्नत बनाया जा रहा है। स्वचालित नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली निर्धारित समय से पहले ही तैयार कर ली गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आजकल सेना हवाई रक्षा के लिए इन उपस्करों का इस्तेमाल किया जा रहा है - रडार फ्ले कैचर, स्ट्रेला 10एम, (इस्ता) (आई एस पीटी ए) लक्ष्य, जैड यू-23 एम एन-2 बी गन, इग्ला 1 एम मिसाइल और क्वाडरैंट मिसाइल सिस्टम।

3.6 **सेना विमानन** : आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हेलीकॉप्टरों की जगह अधिक क्षमता वाले हेलिकाप्टरों का इस्तेमाल करके और विशेष कार्रवाईयों के लिए हथियारबंद हेलिकाप्टर और सामरिक युद्ध सहायक हेलीकाप्टर प्राप्त करके सेना विमानन की क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं ।

3.7 **इंजीनियर** : अत्याधुनिक माइन मार्क-।। खरीद कर हमारे सुरंग क्षेत्रों की निवारक क्षमता बढ़ाई गई है। सेना ने रेडियोलॉजी, रासायनिक और जैव-वैज्ञानिक संदूषण का पता लगाने और उनकी मात्रा का आकलन करने की क्षमता भी हासिल कर ली है, ताकि सैन्य टुकड़ियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जा सके ।

3.8 **सिगनल** : संचार व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए देश भर में निम्नलिखित संचार नेटवर्क बिछाए गए हैं ताकि रणनीतिक, संक्रियात्मक और सामरिक स्तर पर संचार व्यवस्था को मजबूत किया जा सके :-

(क) सेना वाइड एरिया नेटवर्क

(ख) मोबाइल सेटेलाइट स्टेशन हब

उच्च तुंगता स्थितियों में संक्रिया हेतु तैयार चीता हैलीकोप्टर

(ग) लार्ज वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल - पहला चरण

(घ) सेना स्टैटिक स्विच संचार नेटवर्क (एस्कॉन) - तीसरा चरण

3.9 **इंफैंट्री :** भारतीय सेना की आधुनिक इंफैंट्री बटालियन को अधिक घातक, और अधिक रेंज वाली तथा अचूक निशाना लगाने वाली अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों, थर्मल इमेजिंग यंत्रों, बुलेट और माइन-प्रूफ वाहनों तथा सुरक्षित रेडियों सेटों से लैस किया गया है, जिससे इसकी युद्ध करने की क्षमता, निगरानी और बगावत-रोधी क्षमताएं बढ़ गई हैं।

3.10 **गोला-बारूद और विस्फोटकों की डिब्बाबंद पैकिंग :** गोला-बारूद और विस्फोटकों को डिब्बे में पैक करके उन्हें सुरक्षित लाने-लेजाने के लिए, मैसर्स कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (कॉन्कोर) को इसका ठेका दिया गया है। अब गोला-बारूद, विस्फोटक और अन्य संवेदनशील समान को सील बंद डिब्बों में बेहतर सुरक्षा उपाय अपनाकर एक-जगह से दूसरी जगह लाया-ले जाया जा रहा है। सभी अनिवार्य सुविधाओं से लैस बख्तरबंद एस्कॉर्ट इन ज्वलनशील सामान के डिब्बों के साथ चलते हैं। शुरू में, मैसर्स कॉन्कोर ने इन डिब्बों की व्यवस्था के लिए चार सर्विंग टर्मिनल बनाए हैं।

पर्यटन में हो रही बढ़ोतरी और स्थानीय नागरिक निकायों के चुनावों में आम जनता का बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना इस बात का संकेत देता है कि आम कश्मीरी केवल शांति चाहता है ।

प्रादेशिक सेना

3.11 प्रादेशिक सेना (टी.ए.), स्वैच्छिक और अंशकालिक सेना है, जिसमें उन भारतीय नागरिकों को उपयोगी ढंग से तैनात किया जाता है, जो राष्ट्रीय संकट की अवस्था में देश की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, इससे नियमित सेना को उनकी स्थायी ड्यूटी से कुछ राहत मिल जाती है, साथ ही वे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान स्थिति को संभालने और अनिवार्य सेवाएं बनाए रखने में सिविल प्राधिकारियों की मदद करने को भी तत्पर रहते हैं। यह जरूरत पड़ने पर यूनिटों को नियमित सेना भी मुहैया कराती है। देश में हर तरह की प्रादेशिक सेना की कुल मिलाकर 66 यूनिटें है जिनमें से 42 गैर विभागीय इंफैंट्री बटालियन/यूनिटें और 24 विभागीय बटालियन हैं। विभागीय प्रादेशिक सेना यूनिटें चार प्रकार की हैं:- इको बटालियन, रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट, जनरल अस्पताल और ऑयल सेक्टर यूनिटें।

3.12 **रोजगार बटालियन (होम एंड हर्थ)** : प्रादेशिक सेना के अधीन सात रोजगार बटालियन (गैर-विभागीय) भी गठित की गई हैं, जो सीमांत इलाकों में वहां के रहने वाले नवयुवकों को लाभप्रद रोजगार के अवसर मुहैया कराती हैं।

बगावत रोधी कार्रवाइयां

3.13 देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए बुलाए जाने पर और सरकार के निदेश पर सेना, सिविल प्राधिकारियों की भरपूर सहायता करती है।

3.14 **जम्मू-कश्मीर** : गत वर्षों की तुलना में, जम्मू-कश्मीर में परोक्ष युद्ध की मौजूदा हालत में पहले से बहुत सुधार हुआ है। वहां कुछ ऐसे बाहरी और घरेलू कारण बन गए हैं, जिनसे राज्य में लड़ाई का निर्णायक समाधान निकालने का मौका मिल गया है।

3.15 सीमाओ पर छुट-पुट विवादों के बावजूद युद्ध विराम जारी है। मतभेदों का समाधान ढूंढने और सीमा पर तनाव कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर फ्लैग मीटिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि शरारती तत्वों के दुर्भावना पूर्ण कृत्यों के कारण भारत-पाक शांति प्रक्रिया विफल न हो। परंतु, अभी भी सीमाओं पर आतंकवादियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं के नष्ट होने का कोई संकेत नहीं है।

3.16 गत वर्ष से घुसपैठ में काफी कमी आई है। सरकार घुसपैठ कम करने के उपाय कर रही है। यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि आतंकवादी हिंसा में बहुत तेजी आई है। हालांकि, ठोस आसूचना पर आधारित सर्जिकल और प्रोफेशनल आपरेशन अभी भी जारी हैं, फिर भी स्थानीय आतंकवादियों को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उनके आत्म-समर्पण पर जोर दिया जा रहा है।

3.17 किसी भी प्रकार की कार्रवाइयों को अंजाम देते समय इस बात की पूरी सावधानी बरती जाती है कि वहां के निवासियों को कम से कम असुविधा हो । सेना मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों

के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहती है। इस बारे में मिली किसी भी शिकायत की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाती है।

3.18 कभी-कभार अचानक उग्रवादी घटना घटने के बावजूद वहां पर हिंसात्मक गतिविधियों में कमी आई है, यह परिवर्तन उल्लेखनीय है। आतंकवादी बचावकारी नीति अधिक अपनाने लगे हैं, यह इस बात से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे सुरक्षा बलों का सामना करने में कतराने लगे हैं और अब वे पुलिस संगठनों और नाजुक लक्ष्यों पर हमला करने और शहरी इलाकों में ग्रेनेड फेंकने और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों का सहारा लेने लगे हैं।

3.19 पर्यटन में हो रही बढ़ोत्तरी और स्थानीय नागरिक निकाय के चुनावों में लोगों का बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना इस बात का संकेत देता है कि आम कश्मीरी शांति चाहता है । हाल ही में कश्मीर की घाटी में पर्यटकों पर हुए हमलों का विरोध किया गया । इसके अतिरिक्त, ऐसी घटनाओं से जम्मू अथवा लद्दाख जाने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ कर 2.7 लाख हो गई । आम जनता विभिन्न आतंकवादी तंजीमों द्वारा भर्ती की कोशिशों का विरोध करने लगी है। आतंकवादी गतिविधियों के बारे में स्थानीय लोगों द्वारा दी जा रही जानकारी से कारवाईयों को सफलतापूर्वक अंजाम देने, अहम आतंकवादी सरगनाओं का सफाया करने और हथियार तथा गोला-बारूद बरामद करने में बहुत मदद मिली है। सरकार द्वारा पुंछ-रावलकोट बस सेवा की शुरूआत और आम जनता का विश्वास जीतने के लिए किए गए उपायों का लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया है।

राष्ट्रीय राइफल ने भी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को अंजाम देकर एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्रों में लोगों की भरपूर मदद कर आम जनता के दिल-ओ-दिमाग में अपनी एक खास जगह बना ली है ।

3.20 **असम** : राष्ट्रीय जनतांत्रिक बोडोलैंड मोर्चा (एन डी एफ बी) और यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सालीडेरेटी (यू पी डी एस) के साथ (आपरेशन विराम) संबंधी समझौतों से असम के अधिकांश हिस्सों में अपेक्षाकृत शांति और स्थिरता की शुरूआत हुई है। राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से और बिना किसी गड़बड़ के चुनाव कराए गए जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सुरक्षा बल सुरक्षा का उपयुक्त माहौल बनाने में सफल रहे, जिससे सरकार उल्फा के विरूद्ध (आक्रामक कार्रवाईयां बंद करने) का निर्णय ले सकी । परंतु, उल्फा इन मौकों का फायदा उठाने और

सामरिक युद्ध सहायक सक्रिय हेलिकॉप्टर

सरकार से सीधे बात-चीत करने में नाकाम रही, जिससे मजबूर होकर सरकार को छह हफ्ते बाद उल्फा के विरूद्ध आक्रामक कार्रवाइयां फिर से शुरू करनी पड़ी। परंतु, उल्फा का प्रभाव दिन-प्रति-दिन कम होता जा रहा है। यह असम के केवल कुछ उन ही जिलों में सक्रिय रह गया है, जो शुरू से इसके गढ़ रहे हैं । आम जनता द्वारा फिरौती की राशि देने से इंकार करने और उल्फा द्वारा फैलाई जा रही हिंसा का विरोध करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, यह एक शुभ संकेत है।

3.21 **नागालैंड** सामान्यत: नागालैंड शांतिपूर्ण राज्य है, परंतु एन एस सी एन के दोनों गुट एक-दूसरे का खात्मा करने के लिए लगातार लड़ते रहते हैं, जिससे फैली हिंसा के कारण वहां सुरक्षा का माहौल खराब होता जा रहा है। सेना और असम राइफल इन हालातों को दृढ़ता और होशियारी से काबू में कर रही हैं जिससे (शांति बहाली की प्रक्रिया में) कोई बाधा न आने पाए। आम जनता ने शांति बहाली का संकल्प ले लिया है जो इस दिशा में किया गया सराहनीय प्रयास है। कई बार इन झगड़ों को समाप्त करने के लिए आम जनता बीच में आ जाती है और दोनों गुटों को शहरों और गांवों से मार भगाती है।

हाल ही में, लेबनान में तैनात 4 सिक्ख बटालियन ने इज्राइल-हिजबुल्ला के 34 दिनों के युद्ध के दौरान शानदार जौहर दिखाया । अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा इस बटालियन को अपने अदम्य साहस के प्रदर्शन के सम्मान में एक यूनिट प्रशस्ति पत्र एवं 73 व्यक्तिगत प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया ।

3.22 **मणिपुर** : मणिपुर में सोलह दलों के साथ (आपरेशन विराम) से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अधिक से अधिक दलों को देश की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मणिपुर के दक्षिणी जिलों में इन कार्रवाईयों को सफलतापूर्वक अंजाम देने के फलस्वरूप उन इलाकों में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है। अब इन्हें एकजुट करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आतंकवादियों को आतंक फैलाने का मौका न मिल पाए।

3.23 **त्रिपुरा** : राज्य में कुल मिलाकर शांति का माहौल है । आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों के संक्रियात्मक दबाव के कारण 31 दिसंबर, 2006 तक नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा (बिशन मोहन) (एन एल एफ टी (बी) के 79 काडर और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ) के 30 काडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं।

3.24 **अन्य राज्य** : अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में स्थिति कमोबेश शांतिपूर्ण है। मिजोरम में ब्रू शरणार्थियों के बारे में चल रही खींचातानी का मामला अब सुलझने को है । त्रिपुरा में उपजे ब्रू लिब्रेशन फ्रंट ऑफ मिजोरम (बी एल एफ एम) ने मिजोरम सरकार के विरूद्ध हथियारबंद लड़ाई छेड़ रखी थी, इस फ्रंट ने अंतत: 26 अक्तूबर, 2006 को आत्मसमर्पण कर दिया । इस आत्मसमर्पण से ब्रू शरणार्थी शांतिपूर्ण ढंग से त्रिपुरा से मिजोरम वापिस लौट सकेंगे ।

3.25 **आत्मसमर्पण और पुनर्वास** : उत्तर-पूर्वी राज्यों में अधिकांश आतंकवादी गुटों पर संक्रियात्मक दबाव बना हुआ है, जिससे अधिक से अधिक आतंकवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं । 31 अक्तूबर, 2006 तक इस इलाके में अलग-अलग गुटों के कुल 1357 आतंकवादी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं ।

3.26 **नक्सल हिंसा** : नक्सलवादी हिंसा फिर से पनपने के कारण देश की सुरक्षा के लिए एक और चुनौती पैदा हो गई है । इस चुनौती का सामना करने के लिए सेना, नक्सलवाद रोधी कार्रवाइयों, आई ई डी रोधी कार्रवाईयों का और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए पुलिस बलों और केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को प्रशिक्षित करके अपनी क्षमता बढ़ाने में जुटी हुई है। अब तक 16 कंपनियों और 4800 भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और मई, 2007 तक अतिरिक्त 92 कंपनियां और 5000 भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षित हो जाएंगे । कंकेर में आतंकवाद-रोधी और जंगल युद्ध पद्धति कालेज स्थापित करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर अफसरों को भेजने और भूतपूर्व सैनिकों की विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध कराने का प्रयोग सफल रहा है।

राष्ट्रीय राइफल

3.27 राष्ट्रीय राइफल की स्वीकृत नफरी 63 बटालियन है और इन्हें उत्तर कमान में तैनात किया गया है। आतंकवादी संगठनों पर राष्ट्रीय राइफल का दबाव बना हुआ है, जिससे उनकी एकजुटता खत्म हो गई है और विभिन्न गुट आपस में लड़ते रहते हैं। राष्ट्रीय

राइफल ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों को अंजाम देकर और स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्रों में लोगों की भरपूर मदद कर उनके दिल-ओ-दिमाग में अपनी एक खास जगह बना ली है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के शांति स्थापना मिशन में भाग लेना

3.28 1950 में भारतीय सैन्य टुकड़ियों को कोरिया भेजे जाने पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना कार्रवाइयों में भाग लिया। इस समय चलाए जा रहे शांति स्थापना मिशन है - यू एन एफ आई एल- लेबनान, यू एन एम ई ई-इथियोपिया -इरीटिया, एम ओ एन यू सी-कांगो , यू एन एम आई एस-सूडान, यू एन डी, ओ एफ- गोलन हाइट्स, इजराइल । भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

3.29 भारत ने अब तक विभिन्न यूएन मिशनों में 12 फोर्स कमांडर मुहैया करवाए हैं। संयुक्त राष्ट्र एवं शांति स्थापना मिशन के प्रति किए गए अपने वायदों को निभाने के लिए अब तक 122 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी । विश्व शांति के महान कार्यों को अंजाम देते हुए बहादुरी भरे कारनामों एवं विशिष्ट सेवा की मिसाल कायम करने के लिए भारतीय सेना के इन रणबांकुरों को 1 परमवीर चक्र , 5 महावीर चक्र , 1 कीर्ति चक्र, 19 वीर चक्र, 3 शौर्य चक्र, 4 युद्ध सेवा मेडल, 10 सेना मेडल और 2 विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है।

3.30 हाल ही में, लेबनान में तैनात 4 सिक्ख बटालियन ने इजराइल-हिजबुल्ला के 34 दिनों के दौरान शानदार जौहर दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा इस बटालियन को अपने अदम्य साहस के प्रदर्शन के सम्मान में एक यूनिट प्रशस्ति पत्र एवं 73 व्यक्तिगत प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया।

3.31 विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय एवं सेना मुख्यालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केन्द्र सी यू एन पी के गठित किया गया ताकि विभिन्न शांति स्थापना मिशनों के लिए तैनात की गई भारतीय सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा सके और जानकारी बढ़ाने से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें। केन्द्र, अफसरों एवं जवानों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय/द्विपक्षीय/ अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों /सेमिनारों /शांति स्थापना संबंधी

विश्वशांति हेतु सेवारत हमारी संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापना सेनाओं की विशिष्ट सेवाएं

अभ्यासों और सिविलियन पुलिस अफसरों के लिए एडवांस कोर्सों का आयोजन करता है। पिछले दो वर्षों में सी यू एन पी के ने जिन कार्यक्रमों का आयोजन किया और जितने कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया, उनका विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	कार्यक्रम	भाग लेने वालों की संख्या
2005-06	06	558
2006-07	10	958

सेना के साहसिक अभियान एवं खेल-कूद

3.32 सेना में कार्यरत जवानों से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वे हर खतरनाक परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकें और हर विषम परिस्थिति का डट कर मुकाबला कर सकें । पर्वतारोहण जैसे साहसिक कार्यों में भाग लेने से दृढ़ निश्चय, साहस, संकल्पशक्ति एवं भाइचारे की भावना तो पनपती ही है, इसके साथ अनुशासन, विश्वसनीयता, नम्रता, शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा, पहल शक्ति एवं किसी भी समय अपनी जान पर मंडराने वाले खतरे का सामना करने के लिए स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी होता है । इस वर्ष के दौरान आयोजित कुछ साहसिक कार्यों का विवरण आगे के पैराग्राफों में दिया गया है ।

3.33 **माउंट चो ओयू (8201 मी) तिब्बत, चीन की चोटी पर सैन्य अभियान :** इस अभियान के 19 सदस्यों के दो दलों ने 24 और 26 मई, 2006 को इस चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की ।

3.34 **8वीं मारूति सुजुकी रेड डि हिमालय कार रैली 2006:** 28 सितंबर से 7 अक्तूबर, 2006 तक हिमालयन मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 8वीं मारूति सुजुकी रेड डि हिमालय कार रैली में सेना की छः टीमों ने भाग लिया और इन्हें शिमला से लेह तक जाना था । यह रैली नारकंडा-जलोड़ी पास - मनाली-रोहतांग पास - पासियों-पेंग-लेह-लुकुंग-लेह होते हुए वापिस मनाली आई ।

3.35 **तीसरी ओपन राफ्टिंग चैंपियनशिप** : आर्मी एडवेंचर चैलेंज कप 2006 के सर्वोत्तम आर्मी राफ्टर्स में से चुनी गई सेना की चार टीमों ने तीसरी ओपन नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लिया । इसका आयोजन इंडियन राफ्टिंग फाउंडेशन (आई आर एफ) ने 13-19 नवंबर, 2006 तक ऋषिकेश के नजदीक उत्तराखंड में किया । सेना की टीमों ने इसमें पहले 3 स्थानों पर जीत हासिल की ।

सक्रिय टी-90

मिशन ओलंपिक

3.36 मिशन ओलंपिक विंग एम ओ डब्ल्यू की स्थापना 2001 में सना प्रशिक्षण निदेशालय के अधीन खेलकूद का सर्वांगीण स्तर सुधारने, विशेषकर ओलंपिक खेलों के स्तर में सुधार लाने के लिए किया गया । इसमें दस खेलकूद प्रतियोगिताओं को चुना गया है।

प्रमुख खेल-कूदों में प्रदर्शन

3.37 वर्ष 2006 में मिशन ओलंपिक के अंतर्गत प्रमुख खेल-कूदों में उल्लेखाीय प्रदर्शान इस प्रकार रहा :-

(क) **निशानेबाजी (शूटिंग)**

i) **राष्ट्रमंडल खेल, आस्ट्रेलिया, मार्च 2006 :** सेना के निशानेबाजों ने चार स्वर्ण पदक और दो रजत पदक जीते ।

ii) **आई एस एस एफ विश्व कप, काहिरा, मई 2006:** लेफ्टिनेंट कर्नल आर वी एस राठौर, एवीएसएम ने डबल ट्रेप में स्वर्ण पदक जीता और बीजिंग ओलंपिक 2008 में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया ।

iii) **सैफ खेल, कोलंबो, अगस्त, 2006:** सेना के निशानेबाजों ने नौ स्वर्ण पदक, सात रजत पदक और तीन कांस्य पदक जीते और कुल मिलाकर 19 मेडल जीते ।

iv) **आई एम एस एफ विश्व निशानेबाजी चैंपिय्नशप, जगरेब, क्रोएशिया, अगस्त, 2006:** सेना निशाोबाजी नोड, महू, के हवलदार बापू वाजारे ने आई एस एस एफ विश्व निशाोबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर की एयर पिस्टल प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया ।

v) **एशिया क्ले पिजन शूटिंग चैंपियनशिप, सितंबर 2006:** लेफ्टिनेंट कर्नल आर वी एस राठौर, एवीएसएम ने एकल एवं टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता ।

सियाचिन में हिमखंडों में प्रशिक्षण

vi) **आई एस एस एफ विश्व कप फाइनल, स्पेन, अक्तूबर 2006 :** लेफ्टिनेंट कर्नल आर वी एस राठौर, एवीएसएम ने डबल ट्रेप में कांस्य पदक जीता ।

(ख) **तीरंदाजी - सैफ खेल, कोलंबो, अगस्त, 2006:** नायब सूबेदार तरूणदीप राय, वी एस एम ने इस चैंपियनशिप में व्यक्तिगत रजत पदक जीता और वह स्वर्ण पदक की विजेता टीम के सदस्य भी थे ।

(ग) **मुक्केबाजी**

i) **राष्ट्रमंडल खेल, आस्ट्रेलिया, मार्च 2006:** हवलदार वी जॉनसन सुपर हेवी वेट श्रेणी में कांस्य पदक विजेता रहे ।

ii) **सैफ खेल, कोलंबो, अगस्त 2006 :** ए एस आई, पुणे के मुक्केबाजों ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता ।

(घ) **भारोत्तोलन : राष्ट्रमंडल खेल, आस्ट्रेलिया, मार्च 2006:** पुणे के ए एस आई के हवलदार मोहम्मद ए जाकिर ने 77 किग्रा श्रेणी में रजत पदक जीता ।

(च) **एथलेटिक्स** :

i) **सिंगापुर, हाफ मेराथन, 2006:** भारतीय सेना की हाफ मेरॉथन टीम ने 26 अगस्त, 2006 को आयोजित सिंगापुर हाफ मेरॉथन में बेहतरीन प्रदर्शन किया और विदेशी सेना श्रेणी की 13 टीमों में प्रथम रही ।

ii) **वर्नियर एनुअल अल्ट्रा हाफ मैराथन, स्विटजरलैंड :** दफादार बिनिंग एल ने 15 जुलाई, 2006 को स्विटजरलैंड में आयोजित वर्नियर एनुअल अल्ट्रा हाफ मैराथन जीती ।

iii) **सैफ खेल, कोलंबो, अगस्त 2006 :** सेना के एथलीटों ने तीन स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता ।

(छ) **घुड़सवारी : एशिया पेसिफिक चैलेंज कप, सितंबर 2006:** मेजर राजेश पट्टू, एस जे आर पी, वीएसएम ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक और एशिया पेसिफिक चैलेंज ट्राफी जीती । लेफ्टि. कर्नल दीप अहलावत, वीएसएम ने व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता । भारतीय टीम ने टीम स्वर्ण पदक भी जीता ।

4

भारतीय नौसेना

भारतीय नौसेना–एक बहु आयामी शक्ति

नौ सेना का यह लक्ष्य रहा है कि वह कार्मिकों की दक्षताओं को बेहतरीन बनाने वाली सतर्कतापूर्वक आयोजित संक्रियाओं द्वारा तथा समग्र रूप से मूल्यांकन किए गए अत्यंत उपयुक्त उपकरणों को शामिल कर और कार्मिकों से बेहतरीन सेवा प्राप्त करने के लिए उनके प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर देकर सभी प्रकार की आपात स्थितियों के लिए तैयार रहें ।

4.1 भारतीय नौसेना का महत्व क्षेत्र में स्थिरता और सहायता प्रदान करने के लिए एक आत्मविश्वासी, उच्च रूप से व्यावसायिक और जिम्मेदार बल के रूप में बढ़ा है । आज भारतीय नौसेना में राष्ट्र के बढ़ते हुए आर्थिक, प्रौद्योगिक और कूटनीतिक गौरव की पूरी छवि दिखाई देती है । भारतीय नौसेना की ताकत न केवल उच्च प्रौद्योगिकी वाले पोतों, पनडुब्बियों और वायुयानों में निहित है बल्कि अत्यधिक अनुशासित एवं व्यावसायिक रूप से सक्षम उन कार्मिकों में भी है जो इन मशीनों पर काम करते हैं ।

इस वर्ष भारतीय नौसेना में पहली बार सनराइज प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया । स्वदेशी और आयातित दोनों ही तरह की अत्यंत परिष्कृत पूर्व चेतावनी प्रणालियों से बेड़े की क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई है ।

4.2 **नए निर्मित पोत** : भारतीय नौसेना समुद्री क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार आत्म- निर्भरता पर लगातार जोर दे रही है । इनमें माझगांव डॉक लिमिटेड (एम डी एल), मुंबई के विध्वंसक, स्टेल्थ फ्रिगेट और स्कार्पिन पनडुब्बी परियोजना, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल) , गोवा के अपतट गश्त जलयान, गार्डन रीच शिप इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई) के अवतरण पोत टैंक (बड़ा) पनडुब्बीरोधी युद्ध पद्धति (ए एस डब्ल्यू) कार्वेट द्रुत गति से आक्रमण करने वाला यान और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सी एस एल) कोच्ची के स्वदेशनिर्मित वायुयान वाहक शामिल हैं। फॉलो-आन परियोजना 15 श्रेणी पोतों के पहले पोत का जलावतरण मुंबई में 30 मार्च 2006 को किया गया और तीसरे अवतरण पोत टैंक (बड़ा), यार्ड 3016 (ऐरावत) का जलावरण 27 मार्च 2006 को कोलकाता में किया गया। तीन फॉलो-आन तलवार श्रेणी के स्टेल्थ फ्रिगेटों के लिए रूस के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करना एक महत्वपूर्ण घटना थी । इन पोतों को स्वदेशी (ए एस डब्ल्यू) और संचार सेट तथा भारत-रूस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस किया जाएगा । जनवरी 2007 में भारतीय नौसेना को यू एस एस ट्रेंटन का हस्तांतरण एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी ।

4.3 **नई प्रौद्योगिकी को शामिल करना** : इस वर्ष भारतीय नौसेना में पहली बार सनराइज प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया। स्वदेशी और आयातित दोनों ही तरह की अत्यंत परिष्कृत पूर्व चेतावनी प्रणालियों से बेड़े की क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई है । नेटवर्क केन्द्रित ऑपरेशनों पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है ताकि हमारी समस्त तटीय सुविधाओं को समुद्र में काम आने वाली परिसंपत्तियों के साथ जिनमें पोत, पनडुब्बियां तथा वायुयान शामिल हैं, जोड़ा जा सके । इसे हासिल करने के लिए इसरो द्वारा नौसेना संचार सेटेलाइट को विकसित किया जा रहा है। अत्यंत परिष्कृ त लंबी रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का विकास करने के लिए डी आर डी ओ, इजरायल और भारतीय नौसेना के बीच एक संयुक्त विकास योजना प्रगति पर है ।

4.4 **सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी)** : भारतीय नौसेना ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नेटवर्किंग और ई-समर्थित समाधान जैसे दो विशेष प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है । चालू वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी के अनेक अनुप्रयोगों को प्रारंभ किया गया । इन पहलशक्तियों का उद्देश्य अनुरक्षण, स्वास्थ्य प्रबंधन, मानव संसाधन तथा सामग्री प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाना है जिसका सीधा प्रभाव संसाधन योजना और युद्ध में लड़ने की क्षमता पर पड़ता है ।

4.5 **पोतों को डिकमीशन करना** : इस वर्ष के दौरान भारतीय नौसेना पोतों एस डी बी टी-54 अंबा, एस डी बी टी-57 और माल्पे

को नौसेना में कई दशकों की शानदार सेवा के बाद डिकमीशन किया गया ।

प्रमुख घटनाएं

4.6 **प्रधानमंत्री का समुद्र में बिताया एक दिन** : प्रधानमंत्री भारतीय नौसेना बेड़े के साथ पश्चिमी समुद्री तट से लगे समुद्र में मई 2006 में बेड़े द्वारा किए जा रहें समाघात अभ्यास को देखने के लिए गए । इनमें भा नौ पो गंगा द्वारा फायर की गई सतह से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइल का प्रदर्शन शामिल था जिसमें लो फ्लाइंग सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल को सही-सही मार गिराया ।

4.7 **भा नौ पो शार्दूल को कमीशन करना** : रक्षा मंत्री ने 4 जनवरी 2007 को भा नौ पो शार्दूल नामक एक अवतरण पोत बड़ा (टैंक) (एल एस टी (एल) को कमीशन किया । यह पोत कारवार बेस का है और यह पश्चिमी समुद्र तट के बेस का पहला एल एल टी (एल) होगा । भा नौ पो शार्दूल गार्डन रीच शिप इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित तीन एल एस टी (एल) में से ऐसा पहला पोत है जिसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाना है ।

4.8 रक्षा मंत्री ने पश्चिमी बेड़े पर भी पोतारोहण किया और नौसेना ऑपरेशनों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया । बेड़े के साथ समुद्र में बिताए गए दिन के दौरान रक्षा मंत्री ने बेड़ा अभ्यास समुद्र में वायुयान तथा हेलिकॉप्टर के ऑपरेशनों, नौसेना शस्त्र फायरिंग को देखा जिसमें बराक द्वारा सतह से सतह में मार करनेवाली पोतरोधी मिसाइल को मार गिराना भी शामिल था ।

4.9 **रक्षा राज्य मंत्री का समुद्र में बिताया गया दिन** : रक्षा राज्य मंत्री ने 12 सितम्बर 2006 को विशाखापत्तनम से लगे समुद्र में दिन बिताया जिसमें भा नौ पोत बारातंग और कार्मुक का शस्त्र फायरिंग सहित समाघात मनूवर का प्रदर्शन भी किया गया ।

प्रमुख संक्रियाएं और अभ्यास

4.10 **ट्रॉपेक्स -06 ए** : संयुक्त बेड़ा अभ्यास ट्रापेक्स-06 ए का संचालन 5 अप्रैल से 21 अप्रैल 2006 तक पश्चिमी समुद्र तट से लगे समुद्र में किया गया । इसमें 5 अप्रैल से 11 अप्रैल 2006 तक एक साथ संक्रिया करने वाले दोनों बेड़ों का संयुक्त पोत-परख (वर्क अप) चरण और उसके बाद 12 अप्रैल से 21 अप्रैल 2006 तक तैनाती और सामरिक चरण शामिल था ।

विशाखापट्टणम् के निकट राष्ट्रपति की बेड़ा पुनरीक्षा हेतु समारोह सजे-सजाए भारतीय नौसेना के युद्ध-पोत

सारणी -4.1

पोत	क्षेत्र	अभ्युक्तियां
पनडुब्बी सिंधुघोष	अटलांटिक महासागर और भूमध्यसागर	जनवरी 2006 में रूस में रीफिट पूरा होने पर वापसी के दौरान।
सर्वेक्षण पोत सर्वेक्षक	दक्षिण हिंद महासागर	4 जनवरी 2006 से 4 मार्च 2006 तक एगालिगा द्वीप और पोर्ट लुईस बंदरगाह तथा 10 अप्रैल 2006 तक सेशेल्स के तटवर्ती क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य । **सेशेल्स का पूर्ण चार्ट वहां के उपराष्ट्रपति को 9 अप्रैल 2006 को सौंपा गया ।** इस पोत ने एम वी अलमनारा के दस असहाय भारतीय कर्मीदल को भी कोच्ची तक पहुंचाया ।
मुम्बई	फारस की खाड़ी और अफ्रीका का पूर्वी तट	भारतीय पाल नौका (धाव) भक्ति सागर के अगवा किए जाने के संबंध में 3 से 7 मार्च 2006 तक ओमान के तट से लगे समुद्र में तैनाती और 13 से 16 मार्च 2006 तक सोमालिया तट से लगे समुद्र में पुनः तैनाती की गई ।
दर्शक	दक्षिण हिंद महासागर	इस पोत को इनफैक तिलंचांग से बाहर मालदीव तक लाकर 16 अप्रैल 2006 को रक्षा मंत्री के कर कमलों से मालदीव तटरक्षक को सौंपा जाना था।
सुवर्णा, अपतट गश्ती जलयान	दक्षिण हिंद महासागर	भा नौ पो सुवर्णा नौसेना गोदीबाड़ा (मुम्बई) में अपनी रीफिट पूरी होने के बाद मॉरीशस तटरक्षक पोत गार्डियन को मुम्बई से खींचकर पोर्ट लुईस तक लाया और उसके बाद इसने कार्मिक और संभारिकी आपूर्ति को पोर्ट लुईस से एगालिगा द्वीप (मॉरीशस) तक पहुंचाया ।
तीर, कृष्णा और तरंगिणी	लाल सागर	प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के पोत बहरीन और ओमान के तटीय क्षेत्रों में अप्रैल 2006 में तैनात किए गए थे जिन्होंने भा नौ पाल प्रशिक्षण पोत तरंगिणी के साथ मनामा (बहरीन) और सलाला (ओमान) का दौरा किया । तरंगिणी में सलाला से कोच्ची तक की समुद्री यात्रा के दौरान ओमान, कतर, बांग्लादेश और श्रीलंका नौसेना के एक-एक जूनियर अफसर प्रेक्षक के रूप में सवार होते गए ।
राणा, राजपूत, ज्योति, कृपाण और कुलिश	दक्षिण चीन सागर	फ्लैग अफसर कमांडिंग, पूर्वी बेड़े के कमानाधीन पूर्वी बेड़े को जून, 2006 में दक्षिण चीन सागर में तैनात किया गया । कई नौसेनाओं के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किए गए ।
तबर	दक्षिण हिंद महासागर और प्रशांत महासागर	जुलाई 2006 में अपनी तैनाती के दौरान यह पोत पर्थ, सिडनी ऑकलैंड, नुकुआलोफा (टोंगा) सुवा (फिजी) पोर्ट मार्सबी (पापुआ न्यू गुयाना) और सिंगापुर में थोड़ी-थोड़ी देर के लिए रुका ।

पोत	क्षेत्र	अभ्युक्तियां
मुम्बई, ब्रह्मपुत्र बेतवा और शक्ति	भूमध्य सागर	फ्लैग अफसर कमांडिंग पश्चिम बेड़े के अधीन जून 2006 में पश्चिमी बेड़े को भूमध्य सागर में तैनात किया गया । ये पोत इजरायल, मिस्त्र, यूनान, तुर्की, और लीबिया में थोड़ी देर रुके और इन्होंने विभिन्न नौसेनाओं के साथ द्विपक्षीय अभ्यास किए ।
मुम्बई	दक्षिण हिंद महासागर और केप ऑफ गुड होप से लगे तट पर	इसे 2 सितम्बर 2006 से 18 अक्तूबर 2006 तक दक्षिण अफ्रीका के मोजाम्बिक और केन्या से लगे तट पर तैनात किया गया और साथ ही इसने दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित अफ्रीका एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी में भी भाग लिया। इस पोत ने दक्षिण अफ्रीकी नौसेना पोत इसंडलवाना के साथ अभ्यास किया ।
रणविजय, कार्मुक और गुलदार	अंडमान सागर	भा नौ पोत रणविजय, कार्मुक और गुलदार ने 13 से 16 नवम्बर 2006 तक यांगून का दौरा किया । भा नौ पोत रणविजय और कार्मुक ने 17 नवम्बर 2006 को मर्गुई का दौरा भी किया ।
तीर और सुजाता	श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया से लगे तटीय क्षेत्र	प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के पोतों को 14 अक्तूबर से 04 नवंबर 2006 तक सिंगापुर, बेलवान और कोलम्बो के तटीय क्षेत्रों में तैनात किया गया । कोलंबो में समुद्री उड़ान के लिए 72 कैडेट, आठ मिडशिपमैन और 13 सब लेफ्टिनेटों को पोत पर सवार किया गया ।

4.11 **गुजरात रक्षा अभ्यास** : गुजरात रक्षा अभ्यास (डी जी एक्स 06) 12 से 23 सितम्बर, 2006 तक गुजरात तट से लगे पश्चिमी समुद्री तट पर संचालित किया गया । इस अभ्यास का उद्देश्य कच्छ की खाड़ी में पत्तनों और इन पत्तनों की ओर जाने वाले गहरे जलमार्ग में नौचालन की सुरक्षा के साथ-साथ अपतट परिसम्पतियों की सुरक्षा के लिए योजनाओं का विकास कर मान्यता प्रदान करना था।

विदेशों में ऑपरेशन

4.12 **ऑपरेशनल टर्न अराउंड ओ टी आर** : पोतों और विमानों ने अपने पोतों और विदेशी मित्र राष्ट्रों के पोतों और विमानों के साथ अपनी तैनातियों और अभ्यासों के दौरान ईंधन, राशन और सामग्री के पुनर्भरण के लिए विभिन्न पत्तनों पर ऑपरेशनल टर्न किया । इस वर्ष के दौरान 18 पोतों ने 9 पत्तनों पर ऑपरेशन टर्न अराउंड सुविधाएं लीं और भारतीय नौसेना के 16 वायुयानों ने निगरानी और टोह मिशनों पर हिंद महासागर क्षेत्र (आई ओ आर) में 9 हवाई अड्डों पर ऑपरेशनल टर्न अराउंड सुविधाओं का लाभ उठाया ।

4.13 **संक्रियात्मक तैनाती :** नौसेना बेड़े ने राष्ट्र के समुद्री हितों को बढ़ाने और राजनयिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से विदेशों में कई तैनातियॉ कीं । इन तैनातियों का सारांश सारणी 4.1 में दिया गया है ।

विदेशी नौसेनाओं के साथ अभ्यास

4.14 **आपसी मेल-जोल से काम करके विश्वास कायम करना:** विभिन्न देशों की नौसेनाएं भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास करने को बेहद उत्सुक हैं । ये अभ्यास द्विपक्षीय स्तर के होते हैं और ये व्यावसायिक कौशल विकसित करने, आपसी मेल-जोल से काम करने की इच्छा शक्ति और प्रक्रियाओं को स्थापित करने में अहम् भूमिका निभाते हैं, साथ ही यह पारस्परिक विश्वास बढ़ाने का एक बेहतर तरीका है । गत वर्षों में आपसी मेल-जोल से काम करने की क्षमता अपने दायरे और परिणाम दोनों ही दृष्टि से बढ़ी है । अमेरिका, रूस, फ्रांस, यू के, ओमान, श्रीलंका और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय अभ्यास कर इन्हें संस्थाबद्ध किया गया है एवं इंडोनेशिया और थाइलैंड के साथ संयुक्त गश्त जारी है ।

4.15 **द्विपक्षीय अभ्यास** : इस वर्ष सिंगापुर नौसेना, फ्रांसिसी नौसेना, अमेरिकी नौसेना तथा रॉयल नौसेना के साथ गहन अभ्यास किए गए । बहुत से अभ्यास पहली बार किए गए जिसमें दो विमान-वाहक संयुक्त अभ्यास, फ्रांसिसी और अमेरिकी नौसेना वायुयान के साथ भिन्न वायु समाघात प्रशिक्षण तथा बुनियादी स्तर पर सामरिक समुद्री युद्ध अभ्यास शामिल थे ।

4.16 **मिलन 06: मिलन** एक ऐसा संस्थागत द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो समुद्र और समुद्री बंदरगाह में पारस्परिक सहयोग से बंगाल की खाड़ी और अंडमान के समुद्री क्षेत्र की नौसेना को जोड़ता है । मिलन 06 9 से 14 जनवरी, 2006 तक पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था । इस अभ्यास में आठ देशों - श्रीलंका, बंगलादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाइलैंड, ऑस्ट्रेलिया (केवल प्रतिनिधि-मण्डल) और मलेशिया ने भाग लिया ।

इस वर्ष तीव्र गति से आक्रमण करने वाले वायुयानों बंगारम, बित्रा, बत्ती माल्व और बारातंग; और अवतरण पोत टैंक भा नौ पो शार्दूल को नौसेना में शामिल किया गया ।

आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता

4.17 **ऑपरेशन राहत-2**: ऑपरेशन राहत-2 का निष्पादन 28 मई, 2006 को किया गया था । भा.नौ.पो. राजपूत, जिसे दक्षिण चीन सागर में तैनात किया गया था, को सात टन सहायता सामग्री और केंद्रीय इंडोनेशिया में भूकंप से पीड़ित इंडोनेशियाई लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए एक चिकित्सा टुकड़ी के साथ जकार्ता रवाना किया गया । यह पोत जकार्ता पहुंचने वाला पहला विदेशी पोत था ।

4.18 **ऑपरेशन सुकून:** भूमध्य सागर में तैनाती के बाद वापिस आ रहे भा.नौ. पोतों मुंबई, ब्रह्मपुत्र, बेतवा और शक्ति को इज्राइल-लेबनान युद्ध में फंसे भारतीयों को राहत पहुंचाने का काम सौंपा गया। 2280 भारतीयों, नेपालियों और श्रीलंका के निवासियों को बेरूत से लारनाका सुरक्षित पहुंचाने और लारनाका से बेरूत 65 टन सहायता सप्लाई पहुंचाने के पश्चात् ये पोत अगस्त, 2006 में अपने देश के बंदरगाह पर वापिस पहुंचे ।

शामिल करना और निकालना

4.19 **नए कमीशन** : इस वर्ष तीव्र आक्रमण वायुयान (एफ ए सी) आई.एन.एफ. ए.सी. बंगारम, बित्रा, बत्ती माल्व और बारातंग, और भा.नौ.पो. शार्दूल, एक अवतरण पोत टैंक, जिसका निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जी आर एस ई), कोलकाता में किया गया, को नौसेना में शामिल किया गया ।

एक अभ्यास के दौरान तटवर्ती आक्रमण का प्रदर्शन करते हुए समुद्री कमांडो

प्रशिक्षण

4.20 **विदेशी कार्मिकों/विदेशी प्रशिक्षण प्रतिनिधि-मंडलों को प्रशिक्षण :** वर्ष के दौरान भारतीय नौसेना में प्रशिक्षण के लिए 23 देशों को रिक्तियां आबंटित की गईं । भारत में मित्र राष्ट्रों के कुल 413 अधिकारियों और 217 नौसैनिकों ने विभिन्न प्रशिक्षण कोर्सों में भाग लिया ।

4.21 **विदेशों में कोर्सों के लिए भारतीय नौसेना के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति** : 35 कार्मिकों ने विदेशी नौसेनाओं के साथ प्रशिक्षण कोर्स किए ।

4.22 **सिविलियन कार्मिक** : भारतीय नौसेना ने अपने सिविलियन कार्मिकों के प्रशिक्षण और विकास का निरतंर ध्यान रखा । यह इस संबध में विशेष रूप से संगत है कि नौसेना की कुल नफरी की लगभग 50% नफरी सिविलियन कार्मिकों की है जो ऑपरेशनों, अनुरक्षण और संभारिकी सहायता कार्यों में जुटे हुए हैं।

इस वर्ष नौसैनिकों के कल्याण से संबंधित मामलों पर और अधिक जोर दिया गया । उठाए गए कई नए कदमों में कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा, पदोन्नति के बेहतर अवसर, स्थानांतरण नीतियों और आवास नियमों में परिवर्तन, नौसैनिकों के बच्चों की शिक्षा सुविधाओं में बढ़ोतरी, वर्दियों की क्वालिटी में सुधार, विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर और सेवानिवृत्ति के बाद के अवसरों में सहायता शामिल हैं ।

विविध

4.23 **भारतीय अंटार्कटिक अभियान** : पच्चीसवाँ भारतीय अंटार्कटिक अभियान में एक अधिकारी और दो नौसैनिकों ने भाग लिया । इसके अलावा एक अधिकारी और एक नौसेनिक ने अंटार्कटिका में स्थित नए भारतीय बेस स्टेशन लार्समन हिल के पथप्रदर्शक अभियान में भाग लिया ।

4.24 **भा नौ अ पो पतंजलि** : 26 दिसम्बर 2006 को कारवार, कर्नाटक में 141 बिस्तरों वाले एक अत्याधुनिक नौसेना अस्पताल (भा.नौ. अ. पो. पतंजलि) को पहले चरण में (जिसे दूसरे चरण में 400 बिस्तरों वाला बनाया जाएगा) शुरु किया गया ।

4.25 **नौसैनिक वर्ष:** नौसेनाध्यक्ष ने वर्ष 2006 को नौसैनिक वर्ष (वाई ओ टी एस) घोषित किया । इसीलिए, इस वर्ष नौसैनिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर अधिक जोर दिया गया । जो नए कदम उठाए गए, उनमें कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा, पदोन्नति के अच्छे अवसर, स्थानान्तरण नीतियों और आवास नियमों में परिवर्तन, नौसैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं में वृद्धि, वर्दियों की क्वालिटी में सुधार, विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण के अवसर और एक भारतीय नौसेना प्लेसमेंट एजेंसी की स्थापना के मार्फत सेवानिवृत्ति के पश्चात् नौकरी के अवसर प्रदान करने में सहयोग देना शामिल है ।

4.26 **पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी**: पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी डब्ल्यू पी एन एस पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की नौसेनाओं का एक समूह है जिसमें 18 सदस्य और चार प्रेक्षक देश शामिल हैं । भारत डब्ल्यू पी एन एस का एक प्रेक्षक देश है । बहुपक्षीय नौसेना सहयोग - अतीत और भविष्य विषय पर हुई डब्ल्यू पी एन एस संगोष्ठी जिसमें भविष्य में आपस में मिल जुलकर काम करने और मानव संसाधन प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया था, ऐसी पहली संगोष्ठी थी, जिसकी मेजबानी भारतीय नौसेना ने की । संगोष्ठी का आयोजन 3-6 दिसंबर, 2006 तक किया गया । इस संगोष्ठी में 20 देशों के 47 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

साहसिक कार्य एवं खेलकूद

4.27 **स्काई डाइविंग :** पांच नौसेना कार्मिकों को ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर कोर्स में प्रशिक्षित किया गया है । इसके बाद टीम ने सेना-नौसेना का एक संयुक्त स्काई डाइविंग कोर्स देवलाली में चलाया गया ।

4.28 **दक्षिण ध्रुव की ओर स्काई ट्रैवर्स** : भारतीय नौसेना ने दिसंबर, 2006 से जनवरी 2007 तक एक टीम भौगोलिक दक्षिण ध्रुव में स्काई ट्रैवर्स के लिए भेजी । इस अभियान का शुभारंभ 16 नवंबर, 2006 को नौसेनाध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर किया । विश्व के सभी नौसेना स्काई अभियानों में से दक्षिण ध्रुव को जाने वाला यह सबसे पहला अभियान है ।

4.29 **वर्ल्ड मिलिट्री सेलिंग चैंपियनशिप** : अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेलकूद परिषद् के तत्वावधान में भारतीय नौसेना ने सितंबर, 2006 में मुंबई में 40वीं वर्ल्ड सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया । 15 देशों के सत्तर प्रतियोगियों ने इसमें भाग लिया और इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय टीम ही विजयी रही ।

4.30 **नौसेना के खिलाड़ियों की उपलब्धियां :** नौसेना के खिलाड़ियों की उपलब्धियां सारणी 4.2 में दी गई हैं ।

संरक्षण और वातावरण

4.31 **संरक्षण प्रयास**: सड़कों और गलियों में सोलर लाइटिंग और आवासीय क्षेत्रों में सी एफ एल लाइटिंग व्यवस्था करके ऊर्जा संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है । नौसेना की कई स्थापनाओं में वर्षा जल प्रबंधन किए जा रहे हैं और मुंबई में दो वेस्ट वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट लगाए गए हैं।

4.32 **तटीय साफ-सफाई :** तटीय प्रदूषण के कारण समुद्रों/झीलों की वनस्पति, जीव-जंतु और इकोलॉजी पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 16 सितंबर, 2006 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय साफ-सफाई दिवस के रूप में मनाया गया । कार्मिकों को पर्यावरण पर पॉलिथीन बैगों के दुष्प्रभाव तथा तटीय क्षेत्रों को एक पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र बनाने के संबंध में जानकारी दी गई ।

4.33 **पर्यावरण :** नौसेना गोदीबाड़ा, मुंबई में एक कार्यशाला आयोजित कर जून, 2006 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। जेटियों तथा मुख्य सड़कों पर ऊर्जा की बचत करने वाले लैंप लगाकर नौसेना कमानों ने बिजली बचाने की कार्रवाईयां भी शुरु कर दी हैं । इसके अलावा, नौसेना द्वारा चलाए गए प्लास्टिकरोधी अभियान ने अभी यह सुनिश्चित कर दिया है कि सभी नौसेना बेस पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र हैं ।

सारणी 4.2

क्रम सं.	नाम	रैंक	प्रतिस्पर्धा	उपलब्धि
18 से 28 अगस्त, 2006 तक कोलम्बो में आयोजित किए गए 10वें सैफ खेल				
1.	मनोज कुमार	सी एच ई एल पी	50 एम राइफल प्रोन	स्वर्ण खेलों में रिकार्ड
2.	मनोज कुमार	सी एच ई एल पी	50 एम राइफल 3 पोजीशन	स्वर्ण (टीम) रजत (व्यक्तिगत)
3.	पी टी रघुनाथ	सी एच एम ई	10 एम एयर राइफल	स्वर्ण (टीम) खेलों में रिकार्ड रजत (व्यक्तिगत)
4.	नवीन	पी ओ आर टी ई एल	कबड्डी	स्वर्ण
5.	हरप्रीत सिंह	पी ओ	25 एम रेपिड फायर पिस्टल	रजत (टीम)
6.	ए एल लाकड़ा	सी पी ओ पी टी आई	बॉक्सिंग (फेदर वेट)	रजत
7.	विकास जांगड़ा	पी ओ पी टी आई	स्क्वैश	रजत
8.	बीबू मैथ्यू	पी ओ पी टी आई	ट्रिपल जंप	कांस्य
राष्ट्रमण्डल खेल 2006				
9.	सी पी आर सुधीर कुमार	सी पी ओ पी टी आई	वेट लिफ्टिंग (69 कि.ग्रा)	कांस्य
10.	संजीव राजपूत	पी ओ क्यू ए 3	50 एम राइफल प्रोन	कांस्य
2 से 7 अप्रैल, 2006 तक दुबई यूएई में खेले गए आई एस ए एफ नेशनल कप रीजनल फाइनल्स				
11.	आर महेश	लेफ्टिनेंट कमांडर	यॉच मैच रेसिंग इवेंट	स्वर्ण
12.	जी एल यादव	एमसीपीओ-1	यॉच मैच रेसिंग इवेंट	स्वर्ण
13.	एस एस चौहान	पी ओ	यॉच मैच रेसिंग इवेंट	स्वर्ण
14.	आर एस धुलाजी	पी ओ	यॉच मैच रेसिंग इवेंट	स्वर्ण

5

भारतीय वायुसेना

भा रतीय वायुसेना साथी सेनाओं के साथ और (अधिक) अंतरप्रयोजनीयता बढ़ाने में लगी है और सेनाओं में पैकेजिंग की प्रभावी विधियों का विकास करने, लागत प्रभावी शस्त्र प्रणालियों, गुणवत्ता प्रशिक्षण और तीव्र तैनाती की विधियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से अपने संगठन में लगातार बदलाव ला रही है ।

5.1 भारतीय वायुसेना ने 8 अक्तूबर, 1932 को अपनी स्थापना के बाद से लम्बा सफर तय किया है । इन वर्षों में भारतीय वायुसेना एक सामरिक बल से महासागर के पार पहुंचने वाली सेना बन गई है । युद्धनीतिक क्षमता उड़ान में ईंधन पुनर्भरण वायुयान (एफआरए), मानव रहित वायुयान (यूएवी) एवं विश्वसनीय युद्धनीतिक लिफ्ट क्षमताओं जैसे बल प्रवर्धकों के शामिल करने से विकसित होती है। अधिग्रहण या उन्नयन के जरिए सर्वोत्कृष्ट तकनीक अर्जित करने पर जोर दिया जा रहा है चाहे वह वायुयान हो, प्रणालियां, अचूक मिसाइलें या नेट की केन्द्रीयता हो । सूचना तकनीक एवं नेट संयोजन के एकीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। चूंकि भा वा से अपने प्लैटिनम जुबली वर्ष में प्रवेश कर रही है, अत: यह एक अजेय सेना बनने के पथ पर अग्रसर है ।

शामिल एवं प्राप्त किए गए मुख्य वायुयान

5.2 **नया दो सीट वाला जगुआर वायुयान** : दो सीट वाला जगुआर वायुयान प्रारंभिक संक्रियात्मक अनुमति के चरण में है। सभी वायुयानों को चरणबद्ध तरीके से अंतिम संक्रियात्मक अनुमति (क्लियरेंस) मानक तक शीघ्र ही अपग्रेड किया जाएगा ।

उड़ान भरता हुआ मिराज 2000

5.3 **नया एक सीट वाला जगुआर वायुयान :** नए एक सीट वाले जगुआर वायुयान हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड(एच ए एल), बैंगलोर से प्राप्त किए जा रहे हैं ।

5.4 **हल्का लड़ाकू वायुयान (एल सी ए) :** एल सी ए का सफल डिजाइन एवं विकास एक मुख्य उपलब्धि है जिससे भारत ऐसे देशों के छोटे समूह में शामिल हो गया है, जो आधुनिक लड़ाकू श्रेणी के वायुयान के निर्माण में आत्मनिर्भर हैं । एल सी ए भा वा से में पुराने हो रहे मिग-21 बेड़े का स्थान लेगा । एल सी ए का पहला स्क्वॉड्रन 2010 में बनाने की योजना है ।

एल सी ए का सफल डिजाइन और विकास एक प्रमुख उपलब्धि है जिससे भारत लड़ाकू वर्ग के आधुनिक विमानों के निर्माण में आत्मनिर्भर देशों के चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है ।

5.5 **मध्यवर्ती जेट ट्रेनर (आई जे टी) :** भारतीय वायुसेना में प्रशिक्षण के मध्यवर्ती चरण में उपयोग हो रहे किरण ट्रेनर वायुयान को बदले जाने की आवश्यकता है । इस नये ट्रेनर वायुयान के विकास एवं डिजाइन के लिए एच ए एल को काम सौंपा गया है। सीमित श्रृंखला उत्पाद (एल एस पी) में कुछ वायुयान खरीदने के लिए एच ए एल के साथ अनुबंध किया गया है । वायुयान की आपूर्ति 2008 से किए जाने की उम्मीद है ।

5.6 **उन्नत हल्का हेलिकॉप्टर (ए एल एच) :** भा वा से एच ए एल से चेतक/चीता बेड़े के स्थान पर उपयोगी हेलिकॉप्टर के रूप में ए एल एच खरीद रही है । कुछ ए एल एच पहले ही भा वा से को दिए जा चुके हैं ।

5.7 **हॉक एडवांस जेट ट्रेनर (ए जे टी) :** भा वा से को आपूर्ति किए जाने के लिए हॉक ए जे टी वायुयान का निर्माण यू. के. में शुरू हो गया है एवं सितम्बर, 2007 से सुपुर्दगी किए जाने की योजना है । इसके अतिरिक्त एच ए एल द्वारा लाइसेंस से निर्मित डॉक ए जे टी की सुपुर्दगी 2008 से 2010 तक की जाएगी ।

5.8 **विमानवाहित चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली (अवॉक्स):** विमानवाहित चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली (अवॉक्स) वायुयानों को भा वा से में बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीदा जा रहा है । आई एल-76 आधारित अवॉक्स से हवाई वाहनों/ वायुयानों की निगरानी एवं मॉनीटरिंग महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेगी ।

फाल्कॉन रेडार सहित ए-5 अवाक्स

स्वदेशीकरण

5.9 आत्मनिर्भरता बढ़ाने के प्रयास में अत्यंत महत्वपूर्ण कल-पुर्जों का स्वदेशीकरण किया जा रहा है । बेस मरम्मत डिपुओं में 70,000 से अधिक कल-पुर्जों का स्वदेशीकरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है । स्वदेशीकरण के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं :-

कम ऊंचाई कम हल्के वजन वाले रेडार हाल ही में शामिल और ऑपरेशनों के लिए तैनात किए गए हैं ।

(i) **स्वदेशी ब्लेड निर्माण यूनिट** : हेलिकॉप्टरों एवं परिवहन वायुयान के हवाई इंजनों के लिए एच ए एल में एक ब्लेड निर्माण की यूनिट स्थापित की जा रही है ।

(ii) **एल सी ए :** हल्का लड़ाकू वायुयान (एल सी ए) का पहला स्क्वॉड्रन 2010 तक गठित किए जाने की योजना है।

(iii) **मिग-27 को अपग्रेड करना :** उन्नत वैमानिकी, नेविगेशन एवं लक्ष्यबेधन प्रणाली लगाकर मिग-27 वायुयान को हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अपग्रेड किया जा रहा है।

हवाई रक्षा

5.10 **टी एच डी - 1955 रेडार :** चालू वर्ष के दौरान टी एच डी रेडारों के ट्रांसमीटरों एवं रिसीवरों को अपग्रेड किए जाने की संभावना है । जिससे उनकी विश्वसनीयता एवं मियाद में वृद्धि हो सके।

5.11 **कम ऊंचाई वाला हल्का रेडार (एल एल एल डब्ल्यू आर) :** कम ऊंचाई वाले हल्के रेडारों को हाल ही में शामिल कर प्रचालन के लिए लगाया गया है ।

5.12 **परिशुद्धता एवं निगरानी उपगमन रेडार प्रणालियां :** खराब मौसम/अल्प दृश्यता के दौरान वायुयानों के अवतरण में मार्गदर्शन सहायता देने के लिए कई परिशुद्धता एवं निगरानी उपगमन रेडार प्रणालियां ख़रीदी जा रही हैं ।

प्रशिक्षण एवं अभ्यास

5.13 **'सिन्डेक्स-06' :** रॉयल सिंगापुर वायुसेना एवं भारतीय

एम आई-35 आक्रामक हेलीकोप्टर

वायुसेना के बीच कलाईकुण्डा में जून 2006 में हमारी क्षमताओं को दिखाने का अवसर प्रदान करते हुए एक संयुक्त अभ्यास किया गया ।

5.14 **आई ए एफ-आर ए एफ संयुक्त अभ्यास-इन्द्रधनुष 06:** आई ए एफ और आर ए एफ के बीच इन्द्रधनुष-06 नामक एक संयुक्त अभ्यास 2 से 13 अक्तूबर 2006 तक ग्वालियर और आगरा स्थित वायुसेना स्टेशनों में आयोजित किया गया ।

5.15 **हॉक उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान (ए जे टी) पर उड़ान प्रशिक्षण :** हॉक उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान (ए जे टी) के लिए एक अनुबंध पर 26 मार्च 2004 को हस्ताक्षर किए गए । अनुबंध के अनुसार लगभग तीन वर्ष की अवधि के दौरान यू.के. में हॉक विमान पर लगभग 75 अफसरों को अंतरिम प्रशिक्षण लेना था। अब तक 39 पायलटों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और 17 यू. के. में प्रशिक्षणाधीन हैं । पायलटों के आखरी बैच के जनवरी, 2008 तक प्रशिक्षण पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है ।

उड़ान संरक्षा

5.16 भारतीय वायुसेना की दुर्घटना दर में सर्वाधिक कमी पिछले दो वर्षों के दौरान आई है । वायुसेना ने वर्ष 2005-06 में प्रति 10,000 घंटे पर 0.44 की अब तक की सबसे कम दुर्घटना दर दर्ज की है । चालू वित्त वर्ष के दौरान (10 फरवरी, 2007 तक) दुर्घटना दर प्रति 10,000 घंटे पर 0.35 है । भारतीय वायुसेना दुर्घटना दर में कमी लाने की ओर लगातार प्रयासरत है।

प्लैटिनम जयंती से संबंधित कार्यक्रम

5.17 भारतीय वायुसेना के प्लैटिनम जयंती समारोह 8 अक्तूबर, 2006 को वायुसेना दिवस परेड के साथ वायुसेना स्टेशन हिंडन में आरम्भ हुए । हिंडन हवाई मैदान में वायुसेनाध्यक्ष के पैराशूट से उतरने के बाद 66 विमानों द्वारा एक शानदार हवाई प्रदर्शन किया गया जो परेड एवं अलंकरण समारोह का मुख्य आकर्षण था। वायुसेना

कांगो में डाक्टरी सहायता देते हुए भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र शांति संरक्षक

की सभी कमानों में 8 अक्तूबर, 2007 को समाप्त हो रही प्लैटिनम जयंती को मनाने के लिए पूरे वर्ष के दौरान बहुविध गतिविधियों की योजना बनाई गई है।

5.18 **पश्चिम पूर्व पावर हैंग ग्लाइडिंग (पी एच जी) अभियान :** पावर हैंग ग्लाइडिंग (पी एच जी) अभियान 3700 किलो मीटर के रास्ते में 21 एयर बेसों से होते हुए नवम्बर, 2006 में वायुसेना स्टेशन झबुआ में समाप्त हुआ । स्कूली छात्रों/सिविलियनों को 307 जॉय राइडरों में शामिल किया गया । इन उड़ान आंकड़ों को सबसे लम्बे पी एच जी क्रॉस-कंट्री अभियान के रूप में लिमका बुक ऑफ रिकार्ड्स में शामिल करने के लिए भेजा गया है।

प्लैटिनम जयंती को मनाने के लिए वायुसेना की सभी कमानों में पूरे वर्ष बहुविध गतिविधियों के आयोजन की योजना बनाई गई है जो अंततः 8 अक्तूबर, 2007 को समाप्त होंगी ।

महत्वपूर्ण मील के पत्थर/उपलब्धियां

5.19 **राष्ट्रपति द्वारा सुखोई-30 मार्क 1 को उड़ाया जानाः** 08 जून, 2006 को भारत के राष्ट्रपति डा. ए. पी .जे. अब्दुल कलाम सबसे अधिक उम्र के भारतीय सह-पायलट के रूप में लड़ाकू जेट विमान को उड़ाने वाले पहले राष्ट्रपति बने ।

5.20 **नं. 20 स्क्वाड्रन की स्वर्ण जयंती :-** नं. 20 स्क्वाड्रन (द लाइटनिंग्स) ने 31 मई, 2006 को सेवा के 50 वर्ष पूरे किए । अपने गठन के समय (वैम्पायर) विमान उड़ाने वाली यह स्क्वाड्रन अब सुखोई-30 मार्क 1 विमान उड़ा रही है जो तकनीकी रूप से विश्व का सबसे उन्नत शस्त्र प्लेटफॉर्म है ।

5.21 **मिग-25 को चरणबद्ध प्रक्रिया में हटाया जाना :** मिग-25 विमान को चरणबद्ध रूप से जून, 2006 में हटा दिया गया। इस सामरिक शक्ति को हटाए जाने का समारोह मई, 2006 में बरेली में आयोजित किया गया ।

5.22 **नं. 37 और नं. 48 स्क्वाड्रनों को राष्ट्रपति ध्वज :** भारत के राष्ट्रपति ने 15 फरवरी, 2007 को वायुसेना स्टेशन भुज (गुजरात) में नं. 37 और नं. 48 स्क्वाड्रनों को दशकों से उनके अथक प्रयासों के सम्मान में राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया।

5.23 **संयुक्त राष्ट्र मिशन :** भारतीय वायुसेना ने अपनी दो विमानन टुकड़ियों को कांगों लोकतांत्रिक गणराज्य में, एक विमानन टुकड़ी को सूडान में और एक हवाई क्षेत्र सेवा यूनिट को कांगों लोकतांत्रिक गणराज्य में तैनात किया और इन संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा ऑपरेशनों में भा वा से ने अपने अनुकरणीय योगदान के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुदाय में उल्लेखनीय ख्याति अर्जित की ।

5.24 **हेलिकॉप्टर प्रदर्शन टीम :** उन्नत हल्का हेलिकॉप्टर (ए एल एच) प्रदर्शन टीम 'सारंग' भारतीय वायुसेना की व्यावसायिकता और स्वदेश निर्मित ए एल एच की क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए देश के भीतर और विदेशों में विभिन्न हवाई प्रदर्शनों और आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लेती रही है । अप्रैल, 2006 से 15 नवम्बर, 2006 तक टीम ने 11 हवाई प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है ।

5.25 **वायुसेना संग्रहालय :** भारत में विमानन के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए 30 नवम्बर, 2006 को दिल्ली में एक विश्वस्तरीय अत्याधुनिक वायुसेना संग्रहालय की नींव रखी गयी । पूरा होने के बाद यह संग्रहालय भारत में समाघात विमानन के विकास के विभिन्न चरणों और ऐतिहासिक रूचि एवं महत्व के वैमानिक उपस्करों को दिखाने वाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन जाएगा ।

5.26 **हवाई क्षेत्र (एरो स्पेस) चिकित्सा-शास्त्र पर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस :-** विमानन चिकित्सा संस्थान(इंस्टिट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन) द्वारा बैंगलोर में 10 से 14 दिसम्बर, 2006 तक विमानन और एरो स्पेस चिकित्सा-शास्त्र के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया ।

6

तटरक्षक

मालदीव की सेनाओं के साथ अभ्यास करते हुए भारतीय तटरक्षक के पोत

तटरक्षक भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में नियमित चौकसी रखने के लिए उत्तरदायी है ।

6.1 भारतीय तटरक्षक का एक स्वतंत्र बल के रूप में 19 अगस्त, 1978 को तटरक्षक अधिनियम, 1978 के तहत कमीशन हुआ था, हालांकि, नौसेना मुख्यालय के अधीन 01 फरवरी, 1977 से ही यह एक अंतरिम तटरक्षक संगठन के तौर पर विद्यमान था । तटरक्षक ने शुरु से ही जमीनी तथा हवाई, दोनों ही क्षमताओं में कामयाबी हासिल की है, ताकि शांति काल में इसको सौंपी गई ड्यूटियों को तथा युद्धकाल में भारतीय नौसेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सके ।

संगठन

6.2 तटरक्षक की कमान तथा नियंत्रण तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली से महानिदेशक द्वारा संभाली जाती है । इसकी तीन क्षेत्रीय कमानें हैं, जिनके क्षेत्रीय मुख्यालय, मुंबई, चेन्नई तथा पोर्टब्लेयर में स्थित हैं । तीनों ही क्षेत्रीय मुख्यालय भारत की संपूर्ण तटीय रेखा की कमान 11 जिला मुख्यालयों के माध्यम से करते हैं ।

कार्य तथा प्रकार्य

6.3 तटरक्षक को निम्नलिखित ड्यूटियां सौंपी गई हैं:-

(क) समुद्री क्षेत्रों में द्वीपों, अपतटीय टर्मिनलों, संस्थापनों तथा दूसरी अवसंरचनाओं और साधनों की सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करना ।

(ख) समुद्र में संकट के दौरान मछुआरों की सहायता के साथ उनको संरक्षण उपलब्ध कराना ।

तटरक्षक का हेलिकॉप्टर रत्नागिरी के निकट वाणिज्यिक जलयान की निगरानी करते हुए

(ग) ऐसे उपाय करना जो कि समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक हों तथा समद्री प्रदूषण का नियंत्रण करना ।

(घ) तस्करी-रोधी अभियानों के दौरान सीमा शुल्क तथा दूसरे प्राधिकारियों की सहायता करना ।

(च) समुद्री क्षेत्रों में ऐसे अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करना जो कि फिलहाल में प्रवृत्त किए गए हों ।

(छ) समुद्र में जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए उपायों सहित ऐसे दूसरे कार्यों को करना तथा वैज्ञानिक आंकड़ों, जैसा कि निर्धारित किया गया हो, को एकत्र करना ।

विद्यमान बलस्तर

6.4 भारतीय तटरक्षक के बेड़े में भारत के समुद्री क्षेत्रों तथा लाभ के क्षेत्रों की नियमित निगरानी के लिए 42 पोत, 24 नौकाएं/क्राफ्ट तथा 45 वायुयान और हेलिकॉप्टर विद्यमान हैं । वर्ष 2006 के दौरान चार तीव्रगामी गश्ती-पोत - अरुणा आसफ अली, सुभद्रा कुमारी चौहान, सावित्रीबाई फुले तथा मीरा बेन, कमीशन किए गए । तीन तटरक्षक स्टेशन, काकीनाड़ा, बेपूर तथा पांडिचेरी को भी वर्ष 2006 के दौरान कमीशन किया गया । कुल 20 पोत तथा नौकाएं विभिन्न चरणों में भारतीय शिपयार्डों में निर्माणाधीन हैं ।

2006 के दौरान चार तीव्रगामी गश्ती पोत तथा तीन तटरक्षक स्टेशन कमीशन किए गए ।

अभियान तथा अभ्यास

6.5 **श्रीलंका के पास प्रदूषण नियंत्रण ऑपरेशन:** श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर दो भारतीय तटरक्षक पोतों (एकीकृत हेलिकॉप्टरों वाले अपतटीय गश्ती पोत) को गाले बंदरगाह के पास तैनात किया गया, ताकि डोंड्रा हेड के पास यातायात विलंगण योजना की पश्चिमी सीमा में एक वाणिज्यिक पोत के डूबने से फैले प्रदूषण नियंत्रण ऑपरेशन का संचालन किया जा सके । पोत ने संयुक्त रूप से आधार रेखा के आस-पास जमीनी तथा हवाई निगरानी की तथा तेल के थक्कों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया ।

6.6 **स्वापक जब्ती के लिए अभियान क्रियान्वित:** भारतीय तटरक्षक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ संयुक्त ऑपरेशनों में वर्ष 2006 के दौरान 05 स्वापक जब्ती अभियानों में भागीदारी की । संयुक्त अभियानों के दौरान गिरफ्तारियों/जब्तियों का ब्यौरा तालिका 6.1 पर दिया गया है ।

6.7 भारतीय तटरक्षक द्वारा वर्ष 2006 के दौरान निम्नलिखित अभियान चलाए गए:-

(क) **खोज एवं बचाव अभ्यास (एस ए आर एक्स) 2006:** 11 जनवरी, 2006 को मुम्बई के पास खोज एवं बचाव अभियान (एस ए आर एक्स) 2006 चलाया गया । भारतीय तटरक्षक

तालिका 6.1

क्र.सं.	तारीख	मात्रा	मूल्य (रुपयों में)	गिरफ्तारी/जब्ती का स्थान
1.	07.01.2006	4.34 कि.ग्रा. हेरोइन	4.3 करोड़	तूतीकोरिन
2.	09.02.2006	17.3 कि. ग्रा. ब्राउन शूगर	17.3 करोड़	ग्राम-पुडुमडम, मंडपम राजमार्ग
3.	20.02.2006	6.95 कि.ग्रा. हेरोइन	7.00 करोड़	मन्नार की खाड़ी में त्रिचेंदूर तट
4.	02.06.2006	200 कि.ग्रा. कोकीन	200 करोड़	मुंबई बंदरगाह के पास
5.	10.10.2006	10 कि.ग्रा. हेरोइन	10 करोड़	त्रिचेन्दूर

पोत सागर तथा कमलादेवी, तटरक्षक वायु स्टेशन दमन तथा 842 स्क्वाड्रन (तटरक्षक) ने अभ्यास में भाग लिया ।

(ख) **अभियान सुरक्षा:** 12 से 15 जनवरी, 2006 तक गंगा सागर मेले के दौरान तीर्थ यात्रियों को समुद्रगामी सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अभियान सुरक्षा चलाया गया । सुचेता कृपलानी, एच-182 तथा 700 स्क्वाड्रन (तटरक्षक) ने अभियान में भाग लिया ।

(ग) **ट्रोपिकल अभ्यास (ट्रॉपेक्स) 2006:** पश्चिमी क्षेत्र में 05 से 26 अप्रैल 2006 तक ट्रॉपेक्स 2006 चलाया गया।

(घ) **अभियान प्रदूषण 01/06:** 22 अप्रैल 2006 को भारतीय नौसेना पोत राजीव गांधी के साथ टकराने से डूब जाने के कारण गोवा के पास अभियान प्रदूषण चलाया गया ताकि तेल प्रदूषण को मॉनीटर तथा निष्क्रिय किया जा सके।

(च) **आपरेशन स्मोग:** भारत के ड्रेजिग कॉरपोरेशन का टग-VI के कैलीमीर प्वाइंट के पास डूब जाने के बाद पूर्वी क्षेत्र में 9 से 12 मई 2006 तक आपरेशन स्मोग चलाया गया।

(छ) **सहयोग 06:** 3 से 7 जुलाई 2006 तक कोरियन तटरक्षक पोत तेप्यांगयांग के दौरे के दौरान चेन्नई के पास भारत-कोरियन संयुक्त अभ्यास किया गया।

(ज) **सहयोग कैजिन 2006:** 24 नवम्बर, 2006 की खोज एवं बचाव, समुद्री डकैती तथा हथियार बंद डकैती को रोकने के लिए मुम्बई के पास भारत-जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास "सहयोग-कैजिन 06" आयोजित किया गया। भारतीय तटरक्षक पोतों तथा वायुयानों के साथ जापानी तटरक्षक पोत शिकिशिमा, वायुयान सी-डक 1/सी-डक 2 तथा भारतीय पोत परिवहन निगम के एक पोत ने भी अभ्यास में भाग लिया ।

6.8 **अंतर्राष्ट्रीय तटीय साफ-सफाई अभियान 2006:** भारतीय तटरक्षक प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय तटीय साफ-सफाई अभियान को चलाने में अग्रणी एजेंसी है । इस वर्ष तटरक्षक ने भारत में 18 सितम्बर, 2006 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय साफ-सफाई कार्यक्रम 2006 का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम - दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय तटीय साफ-सफाई दिवस मनाना था । तटरक्षक कार्मिकों तथा उनके परिवारों, सैन्य/अर्द्ध-सैनिक सेवाओं, पुलिस, स्कूल, कालेज, शैक्षिक संस्थाओं, केंद्रीय/राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों के कुल 14,738 कार्मिकों ने पश्चिमी, पूर्वी तथा अंडमान द्वीप तटों के सभी क्षेत्रों में भाग लेकर 105.75 किलोमीटर के क्षेत्र से कुल 54,088 किलोग्राम कूड़ा इकट्ठा करके इस कार्यक्रम को पूर्ण सफल बनाया ।

7

रक्षा उत्पादन

एयरो इंडिया 2007 के दौरान सूर्य किरण एयरोबेटिक टीम (एस के ए टी) का प्रदर्शन

रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा तथा निजी-दोनों क्षेत्रों में रक्षा उपस्करों के स्वदेशीकरण, विकास तथा उत्पादन संबंधी कार्य करता है ।

7.1 रक्षा उत्पादन विभाग सार्वजनिक तथा निजी-दोनों क्षेत्रों में रक्षा उपकरणों के स्वेशीकरण, विकास तथा उत्पादन का कार्य करता है। इस विभाग में व्यापक उत्पादन वाले 8 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम तथा 39 आयुध निर्माणियां हैं । इनके उत्पादों में विमान, हेलिकाप्टर, युद्धपोत, पनडुब्बी, भारी वाहन तथा अर्थ मूवर्स, प्रक्षेपास्त्र रक्षा क्षेत्र के लिए विभिन्न इलेक्ट्रानिक यंत्रों तथा संघटकों और मिश्रधातु तथा विशेष प्रयोजन वाले इस्पात और अन्य मिश्र धातु शामिल हैं ।

7.2 रक्षा उत्पादन विभाग के सीधे अधीन प्रमुख संगठन इस प्रकार हैं :-

- आयुध निर्माणी बोर्ड
- हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड
- भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
- भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
- माझगांव डॉक लिमिटेड
- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
- भारत डायनामिक्स लिमिटेड
- मिश्र धातु निगम लिमिटेड
- गुणता आश्वासन महानिदेशालय
- वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय
- मानकीकरण निदेशालय
- रक्षा प्रदर्शनी संगठन

7.3 आजकल के रक्षा उपकरण बहुत ही प्रौद्योगिकी प्रधान तथा उच्च गुणता के स्तरों की मांग वाले हैं । इन गुणता स्तरों को सुनिश्चित करने के लिए गुणता आश्वासन महानिदेशालय और वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय तथा मानकीकरण निदेशालय की स्थापना की गई है ।

7.4 सरकार ने नई रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2005 लागू करके 300 करोड़ रुपए से अधिक की संविदाओं के लिए 30 प्रतिशत ऑफसेट निर्धारित किया है । संबंधित विक्रेताओं को इस सीमा तक सामान अथवा सेवाएं भारतीय रक्षा उद्योग से प्राप्त करनी होगी । इससे उद्योग को निर्यात तथा विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा ।

7.5 रक्षा प्रदर्शनी संगठन 1996 से दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों नामतः "डेफएक्सपो" तथा "एयरो इंडिया" का नियमित रूप से आयोजन करता रहा है । इस "डेफएक्सपो" प्रदर्शनी का आयोजन दो वर्ष में एक बार किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में विनिर्माता, सहभागी देश और व्यवसायी भाग लेते हैं । इसका ध्यान भू और नौसेना प्रणाली पर होता है । दूसरी और एयरो इंडिया नौ चालन क्षेत्र तथा एयरोस्पेस के लिए है । पिछले कुछ वर्षों में दोनों प्रदर्शनियों को पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है तथा इन प्रदर्शनियों में भारी संख्या में भागीदार आए तथा इनका आयोजन व्यापक क्षेत्र में किया गया ।

आयुध निर्माणियां

7.6 आयुध निर्माणी संगठन देश में विभागीय रूप से चलाया जाने वाला सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना उत्पादन संगठन है । यह

मुख्यत: सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा साजो-सामान के विनिर्माण में लगा हुआ है । आयुध निर्माणियां रक्षा साजो-सामान के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थीं।

7.7 आयुध निर्माणी संगठन कुछ पुरानी तथा कुछ अत्याधुनिक निर्माणियों का एक अच्छा सम्मिश्रण है । पहली आयुध निर्माणी वर्ष 1801 में कोलकाता के निकट काशीपुर में स्थापित की गई थी । भौगोलिक रूप से समूचे देश में फैली हुई 39 आयुध निर्माणियां, 24 भिन्न-भिन्न स्थानों पर अवस्थित हैं । 155 मि0मी0 गोलाबारूद के लिए अपेक्षित बाई मॉड्यूलर चार्ज के उत्पादन के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाली 40 वीं आयुध निर्माणी की स्थापना नालंदा, बिहार में की जा रही है ।

7.8 **संगठन ढांचा** : आयुध निर्माणी बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा 9 कार्यात्मक सदस्य हैं । इनमें से पांच सदस्य प्रचालन डिवीजनों के अध्यक्ष हैं तथा चार सदस्य स्टॉफ कार्यों के लिए हैं । प्रचालन डिवीजन प्रमुख उत्पादों अथवा उत्पाद समूहों पर आधारित है । पांच प्रचालन डिवीजन इस प्रकार हैं :-

- गोलाबारूद और विस्फोटक
- कवचित वाहन
- सामग्री तथा संघटक
- आयुध उपस्कर समूह की निर्माणियां
- शस्त्र वाहन तथा उपस्कर

स्टाफ कार्य इस प्रकार हैं :-

- वित्त
- योजना तथा सामग्री प्रबंधन
- कार्मिक
- परियोजना तथा इंजीनियरी और तकनीकी सेवाएं

7.9 इसके अतिरिक्त, सरकार ने संसाधन आयोजना, उत्पादों तथा प्रक्रियाओं की प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा आयुध निर्माणी बोर्ड के कुशलतापूर्ण कार्य संचालन के लिए आवश्यक अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में उपयुक्त जानकारी मुहैया कराने के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया है जिसमें रक्षा मंत्रालय, सेना तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रतिनिधित्व है ।

7.10 **मानव संसाधन** : आयुध निर्माणियों में बड़ी संख्या में योग्य तथा अनुभवी कार्मिक हैं । 1 अप्रैल, 2006 की स्थिति के अनुसार आयुध निर्माणियों के कार्मिकों की कुल संख्या 1,16,911 थी । आयुध निर्माणियां प्रमुख मांगकर्त्ताओं की नियोजित संदर्शी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्मिकों की संख्या इष्टतम करने की योजना बनाती हैं । एक अग्रणी प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी (एन ए डी पी), नागपुर समूह "क" अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करती है ; 8 आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान (ओ एफ, आई ओ एल) समूह "ख" अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं । सभी 39 आयुध निर्माणियों में औद्योगिक कर्मचारियों तथा ट्रेड प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान हैं ।

7.11 **उत्पाद प्रोफाइल** : आयुध निर्माणियों की उत्पाद श्रृंखला इस प्रकार है :-

शस्त्र मदें - लघु शस्त्र (राइफल, पिस्तौल, कार्बाइन, मशीन गन), टैंक तोपें, टैंक-रोधी तोपें, फील्ड हाविट्जर, आर्टिलरी तोपें, मोर्टार, वायु रक्षा तोपे तथा रॉकेट लाउंचर ।

गोलाबारूद मदें - उपर्युक्त सभी शस्त्र प्रणालियों के लिए गोलाबारूद, रॉकेट, प्रक्षेपास्त्र, मुखास्त्र, मोर्टार बम, पायरो तकनीक (धुआं, प्रदीप्ति, संकेत), वायुसेना के लिए ग्रेनेड तथा बम, नौसेना गोलाबारूद, प्रणोदक तथा फ्यूज ।

कवचित तथा परिवहन वाहन - टैंक टी-72, अजेय टैंक, टी-90, भीष्म इंफैट्री युद्धक वाहन, कवचित एम्बुलेंस, गोली-रोधी तथा सुरंग-रोधी वाहन, विशेष परिवहन वाहन तथा उनके रूपांतरण ।

सैन्य सुविधा मदें - सेना तथा नौसेना के लिए पैराशूट, उच्च तुंगता तथा युद्धक वस्त्र, विभिन्न प्रकार के टैंट, वर्दी तथा वस्त्र मदें, हल्के आक्रमण पुलों के लिए फ्लोट ।

आप्टो इलेक्ट्रानिकी - आर्टिलरी प्रणालियों के लिए ऑप्टिकल उपकरण, ऑप्टो इलेक्ट्रानिक यंत्र कवचित वाहनों इंफैट्री तथा आर्टिलरी प्रणालियों के लिए अग्नि नियंत्रण उपकरण ।

अन्य - विमानन तथा अंतरिक्ष उद्योग के लिए विशेष एल्यूमीनियम मिश्रधातुएं, फील्ड, केबल,जल बाउजर ।

7.12 **कार्य-निष्पादन-** पिछले कई वर्षों से आयुध निर्माणियों की बिक्री में लगातार वृद्धि हुई है तथा 2005-06 के दौरान 6891.68 करोड़ रुपए की बिक्री की गई । वर्ष 2006-07 में आयुध निर्माणियों की बिक्री लगभग 7200 करोड़ रुपए होने की संभावना है ।

आयुध निर्माणी अम्बाझरी, देश में वह प्रथम यूनिट बन गयी जिसने ए एम एस 2630 बी श्रेणी "क" की कड़ी पराध्वनिक गुणता को पूरा करते हुए एल्यूमीनियम एलॉय (ए ए 2014) के बड़े आकार के कास्ट बिलेट्स का उत्पादन किया

7.13 **सिविल ट्रेड तथा निर्यात के क्षेत्र में विविधीकरण** : नीतिगत रूप से, सशस्त्र सेनाओं से अतिरिक्त कार्यभार प्राप्त करने के अलावा गैर-रक्षा ग्राहकों तथा निर्यात के क्षेत्र में विविधीकरण के जरिए सतत प्रयास करके भी क्षमता के इष्टतम उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है ।

7.14 आयुध निर्माणियां सिविल क्षेत्र में उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का उत्पादन करती हैं । वे सिविल क्षेत्र के लिए कपड़े, चमड़े की मदें, स्पोर्टिंग शस्त्र तथा गोलाबारूद की विस्तृत श्रृंखला का भी निर्माण करती हैं । 2005-06 के दौरान गैर-रक्षा ग्राहकों को 1247 करोड़ रुपए मूल्य की मदों (कुल बिक्री का 18.09 प्रतिशत) की बिक्री की गई थी ।

7.15 आयुध निर्माणियों ने निर्यात बढ़ाने के लिए सशक्त प्रयास किए हैं । इन प्रयासों के दौरान निर्यात किए गए उल्लेखनीय उत्पाद इस प्रकार हैं :-

(क) 40 मि0 मी0 एल-70 तोप तथा इसके हिस्से-पुर्जे ।

(ख) सुखोई-30 तथा जगुआर वायुयान के लिए ब्रेक पैराशूट।

(ग) सुरंग सुरक्षित वाहन

(घ) बोल्ट एक्शन राइफल तथा 14.5 मिमी0 कारतूस

7.16 **प्रमुख उपलब्धियां** : चालू वित्त वर्ष के दौरान आयुध निर्माणियों की कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार रहीं :-

(i) **आयुध निर्माणी, अम्बाझरी** - आयुध निर्माणी अम्बाझरी ए एम एस 2630 बी श्रेणी "क" के कठोर पराध्वनिक गुणता को पूरा करने वाली अल्यूमीनियम मिश्रधातु (ए ए2014) के बड़े आकार की कास्ट छड़ों का विनिर्माण करने वाली देश की पहली यूनिट है। आयुध निर्माणी, अम्बाझरी की पहले से प्राप्त आर्डरों के प्रति एक करोड़ रुपए मूल्य की छड़ों की आपूर्ति करने की योजना है।

(ii) **आयुध केवल निर्माणी, चंडीगढ़** - आयुध केवल निर्माणी, चंडीगढ़ ने अग्नि और विस्फोटक सुरक्षा, दिल्ली केन्द्र के लिए 50 कि0 मी0 के सूक्ष्म तरंग रोधी केबल की आपूर्ति करने का एक आर्डर पूरा किया है । आयुध केबल निर्माणी, चंडीगढ़ ने पहली बार एकल मोड सिक्स फाईबर ऑप्टिक केबल का विकास करके दक्षिण-पश्चिम कमान, सेना मुख्यालय को उसकी आपूर्ति की है ।

(iii) **आयुध वस्त्र निर्माणी, आवडी** - आयुध वस्त्र निर्माणी, आवडी ने सेना के प्रतीक चिह्न वाली नई युद्धक वर्दी के 270 सेटों की प्रथम खेप की सफलतापूर्वक आपूर्ति की है। इसके अलावा, व्यापक प्रयोक्ता परीक्षण के लिए इस वर्दी के 5000 सेटों की सेना को आपूर्ति की गई है ।

7.17 **गुणता प्रबंधन :** सभी आयुध निर्माणियों में पूर्ण गुणता प्रबंधन अवधारणा को लागू करने पर विशेष जोर दिया गया है । सभी 39 आयुध निर्माणियों ने आई एस ओ 9001 :2000 के मानकों के अनुरूप गुणता प्रबंधन प्रणाली को अपना लिया है । 29 आयुध निर्माणियों में सभी 52 प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायित कर दिया गया है तथा उन्होंने आई एस ओ/आई ई सी 17025 मानक अपना लिए हैं । गुणता जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि आयुध निर्माणियों का औसत कार्य निष्पादन स्तर वर्ष 2004-05 में 51 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 73.65 प्रतिशत हो गया है ।

7.18 विनिर्माताओं के उत्पाद गुणता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए विक्रेता विकास और निवेश सामग्री के निरीक्षण का कार्य गुणता आश्वासन महानिदेशालय से हटाकर आयुध निर्माणी बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया गया है ।

7.19 **आधुनिकीकरण** : दसवीं योजना अवधि (2005-06 तक) के दौरान 1167 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश किया गया है तथा वर्ष 2006-07 के दौरान 339 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की योजना है । 11वीं योजना अवधि के दौरान आयुध निर्माणियों के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 4,200 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की योजना बनायी गयी है ।

सभी उन 39 आयुध निर्माणियों ने आई एस ओ-9001;2000 मानकों के अनुरूप गुणता प्रबंधन प्रणाली प्राप्त कर ली है ।

हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड

7.20 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने मौजूदा स्वरूप में रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक रक्षा उपक्रम है जो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 01 अक्तूबर, 1964 को की गई जब तत्कालीन एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड तथा वायुयान विनिर्माण डिपो का हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया । हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्रमुख आपूर्तियां/सेवाएं भारतीय वायुसेना, नौसेना, सेना, तटरक्षक बल तथा सीमा सुरक्षा बल को प्रदान की जाती हैं । अतिरिक्त आपूर्तियों के रूप में परिवहन वायुयानों तथा हेलिकाप्टरों की एयर लाईनों तथा राज्य सरकारों को आपूर्ति की गई है।

7.21 हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का विश्व की श्रेष्ठ 100 रक्षा कंपनियों (रक्षा समाचार-2006) में 45 वां स्थान रहा तथा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान कुल 5,341.50 करोड़ रुपए की बिक्री (120 बिलियन डालर) के साथ 5 हजार करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया । हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की सभी डिवीजनों ने भारतीय मानक संगठन

स्वदेशी हल्का युद्धक वायुयान 'तेजस' उड़ान भरते हुए

9001-2000 प्रत्यायन को प्राप्त कर लिया है तथा 10 डिवीजनों ने 3 भारतीय मानक संगठन 14001-1996 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त कर लिया है ।

7.22 **महत्वपूर्ण उपलब्धियां** :

(i) वर्ष 2005-06 के दौरान 228.62 करोड़ रुपए (38.89 करोड़ रुपए के लाभांश कर सहित) का भुगतान किया गया है ।

(ii) लगभग 4 हजार मदों का स्वदेशीकरण किया गया है जिससे प्रतिवर्ष 25.62 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है । हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से इतर उत्पादित वायुयानों/हेलिकाप्टरों को स्वदेशीकरण सहायता भी मुहैया कराई गई थी ।

(iii) आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा भारतीय एयरोस्पेस उद्योग का विकास करने के लिए, कंपनी वर्ष 2005-06 के दौरान भारतीय उद्योगों से 282 करोड़ रुपए मूल्य के कार्य-पैकेज प्राप्त किए गए ।

(iv) फार्मबोरो में हवाई प्रदर्शन के दौरान मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षक तथा ध्रुव हेलिकाप्टर का प्रदर्शन किया गया ।

(v) वित्त वर्ष 2006-07 (नवंबर 2006 तक) के दौरान 136.25 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया ।

(vi) वर्ष 2006-07 के दौरान हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने एक और नए डिवीजन (एल सी ए-एल एस पी) के लिए आई एस ओ 9001-2000 क्यू एम एस प्रमाणन प्राप्त करने की योजना बनायी है ।

7.23 हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने कार्यनिष्पादन निर्यात में सर्वोतम कार्य-निष्पादन के लिए संस्थागत पुरस्कारों में 9 जून, 2006 को वर्ष 2003-04 का रक्षा मंत्री "उत्कृष्टता पुरस्कार" प्राप्त किया । हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को भारतीय उद्योग इंजीनियरी संस्थान द्वारा 19 मई, 2006 को वित्तीय और प्रचालन क्षमता के लिए (उद्यम उत्कृष्टता पुरस्कार 2004-05) प्रदान किया गया ।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड

7.24 भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड रक्षा सेवाओं, अर्द्ध सैन्य संगठनों और दूर संचार क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने वालों के प्रयोग के लिए परिष्कृत अत्याधुनिक इलेक्ट्रानिकी उपस्करों संघटकों को डिजाइन, विकास और विनिर्माण मे लगी हुई देश की प्रमुख "व्यावसायिक इलेक्ट्रानिकी" कंपनी है ।

7.25 भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड एक (लघु रत्न) श्रेणी-। कंपनी है । समझौता ज्ञापन में कार्य निष्पादन के आधार पर कंपनी को लोक उद्यम विभाग द्वारा विगत आठ वर्षों से लगातार उत्कृष्ट श्रेणी में रखा गया है ।

7.26 देश के सात राज्यों मे फैली हुई अपनी उत्पादन यूनिटों और 31 विनिर्माण डिवीजनों में "अत्याधुनिक" विनिर्माण और परीक्षण सुविधाओं का इस्तेमाल करके व्यापार बढ़ाने पर केंद्रित इस कंपनी को अनुसंधान एवं विकास कार्यों को पूरी तरह से सराहा गया जिससे उसे कई सराहनाएं/पुरस्कार मिले हैं ।

7.27 गुणता आश्वासन के क्षेत्र में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने समग्र गुणता प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाया है । कंपनी में गुणता को बढ़ाने से संबंधित सभी कार्य-कलापों पर नजर रखने के लिए कारपोरेट गुणता समूह-समग्र संगठनात्मक गुणता संवर्धन गठित किया गया है। इस कंपनी के सभी विनिर्माण डिवीजनों ने आई एस ओ-9000 प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है ।

7.28 अपने उत्पादों की गुणता में अभिवृद्धि और समग्र गुणता प्रबंधन के लिए इस कंपनी ने "सिक्स सिग्मा अवधारणा" को अपनाया है । यह अवधारणा विश्व की बड़ी कंपनियों जैसे मोटोरोला, जनरल इलेक्ट्रिक आदि द्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई है ।

7.29 इस कंपनी ने सी आई आई एशियन बैंक उत्कृष्टता मानदंडों द्वारा निर्धारित व्यापार उत्कृष्टता माडल भी अपनाए हैं। यूनिट/एस बी यूनिटों में से 5 ने समग्र गुणता प्रबंधन सिद्धांतों के प्रति अपनी कड़ी वचनबद्धता के लिए मान्यता प्राप्त की है । कंपनी ने वर्ष 2006-07 तक सभी यूनिटों और एस बी यू को

उत्कृष्टता मॉडल के तहत शामिल करने के लिए आंतरिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं ।

7.30 उपग्रह आधारित प्रणाली समाधान (ई-गर्वनेंन्स, टेली-मेडिकल, दूरवर्ती शिक्षा, (एडुसेट-पोलनेट)) स्मार्ट कार्ड आधारित प्रणालिया (पहुंच नियंत्रण एम एन आई सी सुरक्षा एवं रेगुलेटरी अनुप्रयोग), एक्सवे बैगेज और कार्गो निरीक्षण प्रणाली, अंडर कैरीज वाहन निरीक्षण और वाहन अधिप्रमाणन प्रणाली आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कंपनी ने विविधीकरण किया है ।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं :-

- भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने दिल्ली और मुंबई में एम टी एन एल के लिए अत्याधुनिक कॉल डॉटा रिकार्ड आधारित अभिसारी बिलिंग प्रणाली की आपूर्ति, एकीकरण, वार्षिक अनुरक्षण तथा सुविधा प्रबंधन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद संविदा प्राप्त की ।
- कंपनी ने सी डी एम ए-आधारित संचार नेटवर्क के लिए टेस्ट बेड स्थापित करने हेतु सेना से एक आर्डर प्राप्त किया।
- कंपनी को नाइजीरिया में उपग्रह संचार नेटवर्क स्थापित करने हेतु एक ठेका मिला ।
- कर्नाटक, राजस्थान,हरियाणा में "एडुसेट" कार्यक्रम पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है और पश्चिम बंगाल में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है । भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश तथा मेघालय राज्यों तथा गुरू नानक देव विश्वविद्यालय में नेटवर्क स्थापित करने जा रहा है ।
- कंपनी ने त्रिपुरा पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु के दूर-दराज अवस्थित तथा दुर्गम गांवों में सौर ऊर्जा प्रकाश प्रणालियों और सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों की आपूर्ति की तथा राजस्थान के गांवों मे 10 के0 वी0 के सौर ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रो की आपूर्ति की ।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड देश में अर्थ मूविंग तथा विनिर्माण उपस्करों का प्रमुख उत्पादक है ।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी ई एम एल)

7.31 भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना मई 1964 में की गई थी तथा उसने 1965 से कार्य करना शुरू किया । भारत सरकार के पास कंपनी के 61.23 प्रतिशत ईक्विटी शेयर हैं और सरकार प्रमुख शेयरधारक बनी हुई है । शेष ईक्विटी वित्तीय संस्थानों, कर्मचारियों तथा भारतीय जनता के पास है । भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड देश में अर्थमूविंग तथा विनिर्माण उपस्करों की प्रमुख विनिर्माता कंपनी है । भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए कार्मिकों तथा सामान लाने-ले जाने के लिए भू-सहायता उपस्करों का भी विनिर्माण करती है । कंपनी भारतीय रेलवे तथा रक्षा बलों के लिए रेल कोचों और वैगनों का भी निर्माण करती है तथा हाल ही में साउथ कोरिया के मैसर्स रोटेम से एक उप-ठेके के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को कोचों की आपूर्ति के जरिए मेट्रों कोचों के विनिर्माण में अपने कार्य का विविधीकरण किया है । इसके अलावा, कंपनी ने भारतीय तथा विदेशी ग्राहकों के लिए गैर-कंपनी उत्पादों में भी व्यापार करने की शुरूआत की है और ऑटो मोबाइल, वैमानिकी आदि जैसे विशिष्टता वाले क्षेत्रों में ई-इंजीनियरी हल उपलब्ध कराने हेतु एक प्रौद्योगिकी डिवीजन खोली है ।

7.32 भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की तीन स्थानों अर्थात् बेंगलूर, कोलार, गोल्ड फील्ड तथा मैसूर में 3 विनिर्माण यूनिटें अवस्थित हैं। सभी विनिर्माण यूनिटें आई एस ओ- 9001-2000 से प्रत्यायित हैं । भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की एक सहायक इस्पात फाउंड्री, विज्ञान इंडस्ट्रीज लि0 (वी आई एल) तारीकेरी में अवस्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की सभी उत्पादन यूनिटें परिष्कृत कंप्यूटर अंकीय नियंत्रित (सी एन सी) मशीनों और अन्य निर्माण एवं वेल्डिंग सुविधाओं सहित अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं से सुसज्जित हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का अपने के जी एफ काम्पलेक्स में एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र है जो नए उत्पादों के उत्पाद उन्नयन, डिजाइन एवं विकास, प्रौद्योगिकी को खपाने तथा

उसे अनुकूल बनाने और उसका मानकीकरण करने में प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करता है ताकि विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताएं पूरी की जा सकें ।

7.33 भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के उत्पाद विश्व भर में 30 से अधिक देशों- मध्य पूर्व, सीरिया, ट्यूनेशिया, जार्डन, श्रीलंका, बांगलादेश, यू0 के0, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका तथा लैटिन अमरीकी देशों में निर्यात होते हैं । इस वर्ष के दौरान, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने मोरोक्को और चीन से आर्डर प्राप्त करके विश्व में अपनी पहुंच को बढ़ाया है ।

7.34 **प्रमुख उपलब्धियां :**

(i) रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को वित्तीय तथा अन्य मामलों में अधिक स्वायत्तता देते हुए श्रेणी- I लघु रत्न दर्जा प्रदान किया है ।

मांझगांव डॉक लिमिटेड को सितंबर, 2006 में लघु रत्न श्रेणी-। का दर्जा प्रदान किया ।

(ii) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने वर्ष 2005-06 के लिए 100% लाभांश अदा किया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 100 प्रतिशत लाभांश अदा किया है।

(iii) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने 15 वर्ष के बाद वर्ष 2005-06 के लिए उत्कृष्ट समझौता ज्ञापन रेटिंग प्राप्त की है ।

(iv) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को समकक्ष श्रेणी में अधिकतम कारोबार करने के लिए सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी के लिए विनिर्माण विश्व-एन आई सी एम ए आर 2005 पुरस्कार प्राप्त हुआ है ।

(v) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की वित्तीय तथा प्रचालनात्मक सक्षमता को मान्यता देते हुए उसे भारतीय औद्योगिकी इंजीनियरी संस्थान द्वारा 19 मई,2006 को "उद्यम उत्कृष्ट पुरस्कार" 2004-05 प्रदान किया गया ।

(vi) बिजनेस एंड इकानामिक पत्रिका ने कंपनी को जुलाई, 2006 में ओ एन जी सी के बाद "दूसरी सबसे विख्यात कंपनी" का पुरस्कार प्रदान किया ।

(vii) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने दक्षिण कोरिया की मैसर्स रोटेम के साथ तकनीकी सहयोग के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डी एम आर सी) को 180 अत्याधुनिक स्टेनलेस स्टील के मेट्रो कोचों की सफलतापूर्वक आपूर्ति की ।

माझगांव डॉक लिमिटेड (एम डी एल)

7.35 देश में अग्रणी युद्धपोत विनिर्माता यार्ड माझगांव डाक लिमिटेड को भारत सरकार ने मई, 1960 में अपने अधिकार में लिया । इन वर्षों में, इसने अपनी स्वदेशी डिजाइन क्षमताओं का विकास किया तथा अपनी उत्पादन श्रृखंला को रक्षा क्षेत्र में विध्वंसक, फ्रिगेटों, प्रक्षेपास्त्र नौकाओं, कार्वेटों, पनडुब्बियों तथा गश्ती जलयानों तक तथा सिविल क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक जलयानों और ड्रेजरों तक विस्तारित किया। देश में यह एकमात्र शिपयार्ड है जो पनडुब्बियों का विनिर्माण करता है और यह उपलब्धि विश्व भर में कुछेक कंपनियों को ही प्राप्त है ।

7.36 **प्रमुख उपलब्धियां :**

(i) इस समय स्टिल्थ फ्रिगेट तथा प्रक्षेपास्त्र विध्वंसकों का निर्माण किया जा रहा है।

(ii) सिविल मोर्चे पर भारत ड्रेजिंग कारपोरेशन के लिए कटर सक्सन ड्रेजर का निर्माण किया जा रहा है।

(iii) पनडुब्बियों (भारतीय नौसेना पोत शिशुमार) की विशेष मरम्मत मार्च 2006 में पूरी की गई थी तथा आधुनिकीकरण सह वारंटी संबंधी पोस्ट रिफिट भी सितंबर, 2006 में पूरी की गई थी।

(iv) माझगांव डॉक लिमिटेड को सितंबर, 2006 में लघु रत्न श्रेणी -I का दर्जा प्रदान किया गया था।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल)

7.37 गोवा राज्य में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसमें 1652 कार्मिक कार्यरत हैं । यह मोरमुगाव पोर्ट, वास्को रेलवे स्टेशन तथा डाबोलियम एयरपोर्ट के निकट जुवरी नदी के मुहाने पर पश्चिमी तट के मध्य वास्को-द-गामा पर अवस्थित है ।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने आर्डर पर भारतीय तटरक्षक बल को सभी पांच तीव्रगश्ती जलयान सुपुर्द कर दिए हैं और ये सभी सुपुर्दगियां उनकी संविदागत सुपुर्दगी अवधियों से 5-6 महीने पूर्व की गयी हैं ।

7.38 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड मूलत: एक पोत विनिर्माण कंपनी है और इसने अपने कार्यकलापों को स्टर्न गेयर क्षति नियंत्रक सिमुलेटर के डिजाइन ओर विनिर्माण, समुद्र में बचाव प्रशिक्षण सुविधा तथा जी आर पी नौकाओं के क्षेत्र में विविधीकृत किया है । इस शिपयार्ड ने नौसेना, तटरक्षक बल तथा अन्य प्राधिकारियों को 181 यानों का निर्माण करके उन्हें सुपुर्द किए हैं।

7.39 **प्रमुख उपलब्धियां :**

(i) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने प्रौद्योगिकी विकास तथा नवीकरण के लिए 'सोडेफ' स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है ।

(ii) इस यार्ड ने भारतीय तटरक्षक बल से आर्डर प्राप्त होने पर सभी 5 तीव्र गश्ती यानों की सुपुर्दगी प्रत्येक की संविदागत सुपुर्दगी कार्यक्रम से 5-6 महीने पहले की है। इसने तीव्र गश्ती यान (भा0 त0 ब0 सुभद्रा कुमारी चौहान, की कमिशनिंग तथा तीव्र गश्ती यान (भा0 त0ब0 सावित्रीबाई फुले) तथा उन्नत अपतटीय गश्ती यान (भा0 त0 ब0 संकल्प)- सभी को एक दिन 28 अप्रैल, 2006 को जलावतरित किया।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई)

7.40 सरकार द्वारा 1.4.1960 को हाथ में लिए जाने के बाद गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड को विकास एवं विविधीकरण के गतिशील मार्ग की ओर अभिप्रेत किया गया ।

7.41 गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ने अपनी सामुद्रिक आवश्यकताओं विशेषकर नौसेना तथा तटरक्षक बल की आवश्यकताओं के अनुरूप अपना क्रमिक रूप से विस्तार तथा आधुनिकीकरण किया। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड देश में प्रमुख शिपयार्डों में से एक है तथा यह पूर्व में प्रमुख यार्ड है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत युद्धपोतों से लेकर अत्याधुनिक वाणिज्यिक जलयानों तक, छोटे हार्बर यानों से तीव्र तथा शक्तिशाली गश्ती यानों तक पोतों की एक विस्तृत श्रृंखला का विनिर्माण करता है । सूची में अद्यतन नाम होवरक्राफ्ट की नई पीढ़ी है। तथापि, केवल रेंज गार्डर रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड की प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं करता है। आज यह शिपयार्ड विश्व में उन कुछेक शिपयार्डों में से एक है जिसकी अपनी इंजीनियरी तथा इंजन उत्पादक डिवीजनें हैं ।

गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड विश्व के उन कुछ एक शिपयार्डों में से एक है जिनके पास अपनी इंजीनियरी तथा इंजन विनिर्माण डिवीजनें हैं ।

7.42 **प्रमुख उपलब्धियां :**

(i) कंपनी ने वित्त वर्ष 2005-06 में 12.38 करोड़ रुपए का लाभांश अदा किया है ।

(ii) कंपनी के पास तीन लैंडिग शिप टैंकों (बड़े) के आर्डर हैं जिनमें से प्रथम की सुपुर्दगी भारतीय नौसेना को नवंबर, 2006 में की गई थी तथा चार पनडुब्बी रोधी युद्ध पद्धति कार्वेटों की सुपुर्दगी 2008-11 के बीच किए जाने का कार्यक्रम है । उन्हें अनुवर्ती प्रथम प्रहारक यानों के विनिर्माण आदेश भी प्राप्त हुए हैं ।

(iii) भारतीय नौसेना के लिए निर्मित चार प्रथम प्रहारक यानों की सुपुर्दगी संविदागत तारीख के भीतर कर दी गई थी ।

(iv) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड को सितंबर, 2006 में लघु रत्न श्रेणी-I का दर्जा प्राप्त हुआ ।

(v) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भूतल परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड से राजबागान डॉकयार्ड को अधिगृहीत किया है। राजबागान डॉकयार्ड 1 जुलाई, 2006 को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स को हस्तांतरित कर दिया गया है।

मिश्र धातु निगम को सामान्यतः एयरो स्पेस के लिए टिटेनियम तथा इसकी मिश्र धातु तथा उपग्रह अनुप्रयोगों के लिए नियोबियम आधारित मिश्र धातु (नियोभट-101)के विस्तृत विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकीयविद् सोसायटी से प्रौद्योगिकीय के विकास एवं नवीकरण के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है ।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)

7.43 वैमानिकी, अंतरिक्ष, शस्त्रास्त्र, परमाणु ऊर्जा, नौसेना के लिए सुपर मिश्र धातु , टिटेनियम मिश्र धातु तथा विशेष प्रयोजन इस्पातों, मोलिब्डनम तारें तथा प्लेटों, टिटेनियम तथा इस्पात ट्यूबों जैसे विशेष उत्पादों, सॉफ्ट चुंबकीय मिश्र धातुओं, नियंत्रित विस्तार मिश्रधातुओं तथा प्रतिरोधी मिश्र धातु जैसी इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रानिक अनुप्रयोगों के लिए मिश्र धातु के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मिश्रधातु निगम लिमिटेड को 1973 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में निगमित किया गया था ।

7.44 **प्रमुख उपलब्धियां**

(i) कंपनी को सामान्यतः एयरोस्पेस के लिए टिटेनियम तथा उसकी मिश्रधातुओं के गहन विकास तथा विशेषतया उपग्रह अनुप्रयोगों के लिए नियोबियम आधारित (नियोभट-101) के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सोसाइटी ऑफ डिफेंस टेक्नालॉजिस्ट्स से प्रौद्योगिकी विकास तथा नवीकरण हेतु पुरस्कार प्राप्त हुआ है ।

(ii) कंपनी ने कावेरी एयरो इंजन/वेन अनुप्रयोगों (लक्षण निर्धारण प्रगति पर है) के लिए अपेक्षित सुपरकास्ट 247 ए के ट्रायल हीट्स का सफलतापूर्वक विकास किया है ।

- वी एस एस सी द्वारा प्रयुक्त टाइटन-31 के भविष्य में प्रतिस्थापन के लिए बीटा मिश्रधातु (टाइटन-42) तथा जो प्रथम बार फोर्ज्ड स्लैबों के रूप में आपूर्ति किए गए, का भी विकास किया गया है।
- फील्ड गन निर्माणी, कानपुर के लिए आवश्यक एम डी एन-155 ग्रेड बैरल, जो सभी विनिर्दिष्टि संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, का भी विकास किया गया है ।
- एल पी एस सी द्वारा महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए अपेक्षित सुपर्णी- 718 रोटर फोर्जिंग की सभी विनिर्दिष्टि संबंधी आवश्यकताएं पूरी करके पहली बार आपूर्ति की गई।
- टी आई-600 (आई एम आई-831के समकक्ष) टिटेनियम मिश्रधातु पहली बार विकसित की गई जिसने टाइप परीक्षण के दौरान सभी विनिर्दिष्टि संबंधी आवश्यताएं पूरी कीं ।
- मिधानि को अंतरिक्ष विभाग से 51.35 करोड़ रुपए, हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड से 20.56 करोड़ रुपए, आयुध निर्माणियों से 19.20 करोड़ रुपए के प्रतिष्ठित आर्डर प्राप्त हुए जिसमें "कंचन आर्मर" के 94 सेटों की आपूर्ति शामिल है ।
- कंपनी ने अंतरिक्ष विभाग को 47 करोड़ रुपए, ए टी वी पी को 15.36 करोड़ रुपए तथा परमाणु ऊर्जा विभाग को 11.19 करोड़ रुपए के अपने उत्पादों की आपूर्ति की ।

7.45 मिधानि को कारोबार निष्पादन, ग्राहक संतुष्टि प्रबंधन, गुणता प्रबंधन, नए उत्पाद विकास, प्रणाली तथा रणनीति, इत्यादि के क्षेत्रों में उसके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए विशेष संस्थागत श्रेणी (टर्नएराउंड) के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के लिए "सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में श्रेष्ठ तथा उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कोप (सार्वजनिक उद्यम संबंधी स्थायी समिति) पुरस्कार" प्रदान किया गया ।

7.46 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र के लिए 31 ग्रेड छड़ें तथा रिंग के 4.41 करोड़ रुपए के आर्डर पूरे किए गए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार को विद्युत उत्पादन अनुप्रयोगों

के लिए 2.19 करोड़ रुपए के सुपर्णी 80 ए रिंगों की आपूर्ति की गई ।

7.47 मिधानि को नवंबर, 2006 में अगले पांच वर्षों के दौरान आपूर्ति किए जाने के लिए ए टी वी पी से लो एलॉय स्टील तथा स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग इलेक्ट्राड का 156 करोड़ रुपए की रिकार्ड धनराशि का एकल आर्डर प्राप्त हुआ ।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने बी एम पी-II और अभय इन्फ्रेट्री वाहनों पर लगाए जाने के लिए द्विप्रक्षेपास्त्र लांचर सफलतापूर्वक विकसित किया है इसका आंतरिक मूल्यांकन सफलतापूर्वक क्या गया था ।

7.48 **उन्नयन तथा आधुनिकीकरण** : कंपनी अपने बड़े ग्राहकों जैसे अंतरिक्ष विभाग, रक्षा आयुध निर्माणियां, हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लि0, आदि के सक्रिय सहयोग एवं सहायता से अपने संयंत्र और उपस्कर के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए नई धनराशि लगाने में सफल हुई ।

7.49 अंतरिक्ष विभाग ने पूर्णत: अपने विशिष्ट अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इस्तेमाल के लिए मिधानि में सुविधाएं स्थापित करने हेतु 30 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण करके तथा उन्नयन कार्यक्रम के लिए नए उपस्कर एवं नई सुविधाएं लगाने हेतु और 35 करोड़ रुपए की धनराशि देकर अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया था।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल)

7.50 भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना निर्देशित प्रक्षेपास्त्रों के विनिर्माण हेतु 1970 में की गई थी । यह विश्व में कुछेक सामरिक उद्योगों में से एक है और उन्नत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों के उत्पादन की क्षमता रखता है। इस कंपनी की दो यूनिटें हैं । भारत डायनामिक्स लिमिटेड के उत्पाद एक बार दागे जाने वाले शस्त्र हैं जिनमें अधिक मारक संभाव्यता सुनिश्चित करने हेतु अति उच्च स्तर की विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है। इस तरह इनमें गुणता को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। प्रक्षेपास्त्र डिजाइन तथा इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी डिवीजनों के पास आई0 एस0 ओ0, 9001 :2000 प्रमाणन प्राप्त है ।

7.51 **प्रमुख उपलब्धियां**

(i) **3 यू बी के- 20 (इनवार) :** मै0 रोसोब्रोनएक्सपोर्ट से उनकी विनिर्माण यूनिट में मरम्मत किए जाने के बाद 910 पूरी तरह के खुली किटों की प्रूफ फायरिंग सफल रही है तथा चालू वित्त वर्ष के अंत तक प्रयोक्ताओं को उनकी सुपुर्दगी किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ii) **प्रक्षेपास्त्रों के उपयोग काल में विस्तार :** टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र के उपयोगिता काल में विस्तार किए जाने का कार्य चल रहा है।

(iii) **ड्रिल तथा अभ्यास तारपीडो :** नौसेना के आर्डरों के प्रति ड्रिल तथा अभ्यास तारपीडो का उत्पादन करके उनकी सुपुर्दगी कर दी गई है ।

(iv) **टी ए एल (उन्नत हल्के वजन का तारपीडो) :** गुणता परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं तथा 25 सेटों की आवश्यकता के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध की प्रतीक्षा है ।

(v) **वरुणास्त्र (भारी वजन का तारपीडो) :**नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम एक स्वदेशी तीव्र गति का भारी तारपीडो का विकास कर रही है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सहयोग से समवर्ती इंजीनियरी मोड के अंतर्गत इस तारपीडो का उत्पादन करना चाहती है । समवर्ती इंजीनियरी मोड के अंतर्गत विकास तथा उत्पादन के लिए, जैसाकि नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला द्वारा परिकल्पित है, इस प्रयोगशाला के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए गए हैं ।

(vi) **काउंटर मेजर डिसर्पेसिंग सिस्टम (सी.एम.डी.एस.) :** भारत डायनामिक्स लिमिटेड को उसकी कंचनबाग यूनिट की डिजाइन और इंजीनियरी डिवीजन द्वारा सी एम डी एस के डिजाइन तथा विकास के लिए स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया था । इस प्रणाली का जून, 2006 में ए एस टी ई,

बेंगलूर में जगुआर प्लेटफार्म के लिए उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था । अन्य प्लेटफार्म जैसे हल्का लड़ाकू विमान, उन्नत हल्का हेलिकाप्टर तथा ए ई डब्ल्यू एंड सी के संबंध में सी एम डी एस का विकास कार्य प्रगति पर है ।

(vii) **3 किमी0 टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम) :** मिलन प्रक्षेपास्त्र की मौजूदा रेंज केवल 2 किमी0 है । भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अब 3 किमी0 दूरी तक कवर करने वाला प्रक्षेपास्त्र विकसित किया है । इसे शमीरपेट फील्ड फायरिंग रेंज में 3 किमी0 की दूरी पर से लक्ष्य के प्रति फायर करने का सफल परीक्षण किया गया है ।

(viii) **द्विप्रक्षेपास्त्र लाउंचर :** भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने बी एम पी-।। तथा अभय इंफैट्री वाहनों पर लगाए जाने के लिए द्वि-प्रक्षेपास्त्र लाउंचर विकसित किए हैं । आंतरिक मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा किया गया था ।

7.52 **आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री :** आयुध निर्माणियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विगत तीन वर्षों के दौरान बिक्री/जारी सामान इस प्रकार रहा :-

उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर एयरोबेटिक टीम 'सारंग' अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए।

(करोड़ रु0 में)

वर्ष	आयुध निर्माणियां कुल बिक्री	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कुल बिक्री	सकल जोड़
2004-05	6186.65	11248.59	17435.24
2005-06	6891.68	13025.07	19916.75
2006-07 (नव, 06 तक)	3574.26	6232.73	9806.99

7.53 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम तथा आयुध निर्माणियों ने वर्ष 2006-07 (नवंबर, 2006 तक) के दौरान 256.88 करोड़ रुपए की मदों का निर्यात किया हे ।

7.54 अधिग्रहण प्रक्रिया में परिवर्तन की जांच तथा सिफारिश करने हेतु गठित डा0 विजय केलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की है तथा रिपोर्ट के भाग-। में 40 सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने संबंधी मुद्दों का उल्लेख किया गया है ताकि सभी उपलब्ध संसाधनों का रक्षा तैयारी को और बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सके । 40 सिफारिशों में से 26 को पूर्णत: तथा 8 को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है और शेष पर अभी और विचार-विमर्श किया जाना है । 23 सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है तथा एक सिफारिश को छोड़ दिया गया है । रिपोर्ट के भाग II की जांच की जा रही है ।

7.55 **रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी :** रक्षा उद्योग क्षेत्र, जो इस समय तक सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित था, को मई,2001 में 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए शत-प्रतिशत खोल दिया गया था जिसमें उक्त दोनों कार्य लाइसेंस के अंतर्गत किए जाने थे। औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग ने जनवरी, 2002 में शस्त्र तथा गोलाबारूद के लाइसेंस के अंतर्गत उत्पादन हेतु विस्तृत मार्ग-निर्देश अधिसूचित किए थे ।

7.56 औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग से शस्त्र तथा गोलाबारूद के उत्पादन हेतु औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने के लिए प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर विचार करने तथा उस विभाग को रक्षा मंत्रालय की सिफारिश सूचित करने के लिए संयुक्त सचिव (आपूर्ति) की अध्यक्षता में रक्षा उत्पादन विभाग में एक स्थायी समिति गठित की गई है। यह समिति रक्षा उपस्करों के निजी उत्पादन संबंधी सभी मामलों जैसे स्व-प्रमाणन हेतु आवेदनों, लाइसेंस के अंतर्गत उत्पादों के निर्यात हेतु अनुमति तथा लाइसेंस की शर्तों अथवा सुरक्षा प्रावधानों आदि के उल्लघंन के कारण लाइसेंस रद्द करने संबंधी विषयों आदि पर भी विचार करती है। औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग ने रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर रक्षा उपस्करों की व्यापक रेंज के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को 37 आशय-पत्र/ औद्योगिक लाइसेंस जारी किए हैं ।

7.57 **रक्षा उद्योग रत्न :** श्री प्रबीर सेनगुप्ता, निदेशक, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की अध्यक्षता में रक्षा उद्योग रत्नों के चयन के लिए एक चयन समिति गठित की गई है। सरकार का विचार ऐसे टियर-1 उद्योगों की पहचान करने का है जिनकी उत्कृष्टता सुस्थापित हो तथा जो अपनी तकनीकी, प्रबंधकीय तथा वित्तीय क्षमता के आधार पर रक्षा उत्पादन में योगदान करने में सक्षम हों । ऐसी फर्मों को रक्षा 'उद्योग रत्न' के रूप में प्राधिकृत किया जाएगा तथा उन्हें रक्षा उत्पादन में योगदान करने के लिए क्रमिक रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे रक्षा सेनाओं की आवश्यकता की वृहत शस्त्र प्रणालियों के प्रणाली एकीकरणकर्त्ता तथा प्लेटफार्मों के उत्पादकों की भूमिका का उत्तरदायित्व ले सकें । समिति में स्वतंत्र तकनीकी, प्रबंधन और वित्तीय विशेषज्ञ हैं और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को समिति को तकनीकी सहायता मुहैया कराने का कार्य सौंपा गया है । "रक्षा उद्योग रत्न" को प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और विदेशी स्रोतों से प्रौद्योगिकी अंतरण के जरिए लाइसेंसकृत उत्पादन आरंभ करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के समतुल्य समझा जाएगा ।

7.58 उद्योग "रक्षा उद्योग रत्न" का चयन करने के लिए 9 मई, 2005 को विस्तृत दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए थे जिन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर भी दिखाया गया था। चयन समिति 31 मार्च,

2007तक अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर देगी। चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकृति हेतु रक्षा अर्जन परिषद के समक्ष रखा जाएगा। "रक्षा उद्योग रत्न" के रूप में चयन का अनुमोदन मिल जाने के बाद कंपनी का "रक्षा उद्योग रत्न" का दर्जा 5 वर्ष की अवधि के लिए रहेगा जिसे आगे नवीकृत किया जा सकता है। "रक्षा उद्योग रत्न" को सर्वश्रेष्ठ परिपाटी संहिता का अनुपालन करना होगा तथा उन्हें इस संबंध में मंत्रालय के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा ।

रक्षा उत्पादन विभाग में अन्य संगठन

वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय

7.59 वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय को सैन्य नौचालन में वैमानिक गुणता आश्वासन का विनियामक कार्य सौंपा गया है । निदेशालय की भारत में विभिन्न स्थानों पर 34 स्थापनाएं हैं। वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय तीन भिन्न क्षेत्रों नामतः वैमानिक, वायुशस्त्र तथा प्रक्षेपास्त्रों के क्षेत्र में गुणता आश्वासन कवरेज मुहैया कराता है । यह कवरेज सैन्य उत्पादों और उपस्करों के अभिकल्पन/विकास उत्पादन/विनिर्माण और मरम्मत/ओवरहॉल चरणों के दौरान मुहैया कराया जाता है। वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय के पास जटिल वैमानिक उद्योगों की गुणता आश्वासन संबंधी क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करने की विशेषज्ञता है तथा यह एयरो मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है ।

गुणता आश्वासन महानिदेशालय उपस्करों के संकल्पना चरण से लेकर उनको सेवा से हटाए जाने तक उनके गुणता आश्वासन प्रबंधन संबंधी सभी पहलुओं पर कार्य करता है ।

7.60 वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय प्रक्षेपास्त्र प्रणाली गुणता आश्वासन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में गुणता आश्वासन कवरेज भी मुहैया करा रहा है । वर्ष के दौरान (नवंबर, 2006 तक) वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय ने 2150 करोड़ रुपए के वैमानिक मदों का निरीक्षण किया है ।

गुणता आश्वासन महानिदेशालय

7.61 गुणता आश्वासन महानिदेशालय उपस्करों के अवधारणागत चरणों से लेकर उनके निपटान तक गुणता आश्वासन प्रबंधन के सभी पहलुओं को देखने वाला एक अंतर सेवा संगठन है। यह सशस्त्र सेनाओं (प्रयोक्ताओं) को सेना के लिए उपस्करों के समग्र रेंज के लिए, नौसेना के लिए समुद्र इंजीनियरी,शस्त्रों, सेंसरों तथा सहायता प्रणालियों के लिए तथा वायुसेना के लिए सामान्य प्रयोक्ता मदों के लिए परामर्श देता है । गुणता आश्वासन महानिदेशालय उपस्करों के इस्तेमाल के दौरान प्रयोक्ताओं से बातचीत करता है। यह अभिकल्पन एवं विनिर्माता एजेंसियों के साथ परामर्श करके दोषों की जांच करता है तथा परिवर्तनों को शामिल करता है।

7.62 **संगठनात्मक ढांचा :** गुणता आश्वासन महानिदेशालय का संगठन सिविल और सेना कार्मिकों दोनों को मिलाकर तीन स्तरीय पैटर्न अर्थात तकनीकी निदेशालय, गुणता आश्वासन नियंत्रक और गुणता आश्वासन स्थापना/विंग से किया गया है । दस तकनीकी निदेशालय हैं जिनमें से प्रत्येक उपस्करों के एक पृथक रेंज के लिए जिम्मेवार है। गुणता आश्वासन नियंत्रकों की संख्या 29 है तथा ये मुहरबंद विवरण को धारण करने वाले प्राधिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं और ढांचे में दूसरे स्तर का गठन करते हैं । उनके पास अपनी विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का तकनीकी ज्ञान, विनिर्दिष्टियां, आरेख और सभी भंडारों की अन्य जानकारियां होती हैं । तीसरे स्तर में देश भर में फैली हुई 79 गुणता आश्वासन स्थापनाएं/विंग शामिल हैं । ये बुनियादी फील्ड यूनिटें सिविल उद्योग के साथ कार्य करने के लिए लघु शस्त्र रेंजों के अलावा 45 परीक्षण प्रयोगशालाओं और 2 प्रूफ परीक्षण रेंजों के सहयोग से संबद्ध आयुध निर्माणियों,सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा यूनिटों और सभी पांच मेट्रो के साथ अवस्थित हैं ।

मानकीकरण निदेशालय का मूल उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच उपस्करों और संघटकों में समानता स्थापित करना है ताकि रक्षा सेनाओं की समग्र माल सूची न्यूनतम रहे ।

गुणता आश्वासन निदेशालय की उपलब्धियां :

7.63 विगत पांच वर्षों के दौरान मदों की सुनिश्चित गुणता का मूल्य निम्नलिखित है :-

वर्ष	**मदों का मूल्य सुनिश्चित गुणता (करोड़ रुपए में)**
2004-05	16,906.70
2005-06	16,397.14
2006-07 (30 नवंबर, 2006तक)	7732.56

7.64 सबसे पहले फीडबैक प्राप्त करने और तकनीकी सलाह देने के लिए प्रयोक्ताओं के साथ कमान स्तर और फील्ड यूनिट स्तर पर नियमित वार्ता शुरू की जाती है ।

7.65 गुणता आश्वासन निदेशालय गुणता के प्रति जागरूक उन फर्मों/विनिर्माताओं को स्व-प्रमाणन दर्जा प्रदान करता है जिनके पास सुस्थापित गुणता प्रबंधन प्रणालियां हैं तथा जिन्होंने सतत् रक्षा आपूर्ति आदेशों के निष्पादन के दौरान अनुकूल उत्पाद गुणता प्रदर्शित की हो। वर्ष के दौरान पांच विनिर्माताओं को स्व-प्रमाणन प्रदान किया गया तथा ऐसे विनिर्माताओं की कुल संचयी संख्या 57 हो गई।

मानकीकरण निदेशालय

7.66 रक्षा सेनाओं के भीतर मदों के प्रसार पर नियंत्रण करने के लिए वर्ष 1962 में मानकीकरण निदेशालय का गठन किया गया था। इसके नौ मानकीकरण एकक और छह डिटेचमैंट हैं । मानकीकरण निदेशालय का मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच उपस्करों और संघटकों के बीच समानता स्थापित करना है ताकि रक्षा सेनाओं की समग्र सामान-सूची को कम किया जा सके। निम्नलिखित के माध्यम से इस उद्देश्य को प्राप्त किया जाना अपेक्षित है:-

(क) संयुक्त सेना विनिर्दिशों , संयुक्त सेना अधिमानित रेंजों, संयुक्त सेना युक्तियुक्त सूचियों, संयुक्त सेना दिशा-निर्देशों, संयुक्त सेना नीति विवरणों और संयुक्त सेना गुणात्मक आवश्यकताओं जैसे मानकीकरण दस्तावेज तैयार करना ;

(ख) रक्षा से संबंधित सामान सूची को कूटबद्ध करना और सूची बनाना ;

(ग) प्रवेश नियंत्रण;

7.67 मानकीकरण संबंधी कार्यकलाप 13 मानकीकरण उप समितियों के तहत पैनलों/कार्यदलों, अनेक विशेषज्ञ तकनीकी पैनलों और रक्षा उपस्कर कूटकरण समिति के माध्यम से किए जाते हैं ।

7.68 **चालू वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है :-**

(क) पंचवर्षीय - रोल - ऑन - प्लान (2006-11) का शुरू करना ।

(ख) मार्च, 2006 तक 227,408 मदों को कूटकृत किया गया। वर्ष 2006-07 के लिए 17,610 मदों को कूटकृत किए जाने का लक्ष्य है जिसमें से 30 नवंबर, 2006 तक 11,642 मदों को

योजना एवं समन्वय निदेशालय रक्षा अधिग्रहण परिषद, रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आयुध निर्माणी बोर्ड में कवचित वाहनों तथा शस्त्रास्त्रों के विकास तथा उत्पादन संबंधी परियोजनाओं, महत्वपूर्ण संचार तथा पोत विनिर्माण परियोजनाओं तथा रक्षा अधिप्राप्ति में ऑफसेटों जैसे कार्यकलापों के लिए नोडल बिन्दु है ।

कूटकृत किया गया है, इस प्रकार आज तक कूटकृत की गई मदों की कुल संख्या 2,40,511 हो जाती है ।

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान 685 मानक दस्तावेजों को तैयार करने का लक्ष्य है जिसमें से नवंबर, 2006 तक 460 मानक दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं ।

7.69 **प्रवेश नियंत्रण**

(i) 30 नवंबर, 2006 तक पुरानी मदों का पता लगाने, मात्रा निर्धारित करने और घोषणा करने संबंधी 210 मामलों के विवरण को निपटाया गया है ।

(ii) 267 विभागीय विनिर्दिष्टियां वेबसाइट पर डाली गई थीं, इस प्रकार नंवबर, 2006 तक वेबसाइट पर डाली गई विनिर्दिष्टियों की कुल संख्या 2814 हो जाती है ।

योजना एवं समन्वय निदेशालय आयुध निर्माणियों की मुख्य परियोजनाओं जैसे मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन और टी- 90(भीष्म), विभिन्न आर्टिलरी तोपों एवं कवचित वाहनों के उत्पाद में सुधार तथा टैंकों की ओवरहालिंग क्षमता में वृद्धि करने की मॉनीटरी एवं कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार है ।

(iii) 30 नवंबर, 2006 तक अंतर सेवा उपस्कर नीति समिति की दो बैठकें तथा अंतर सेवा कार्यकारी समूह की चौदह बैठकें आयोजित की गई हैं । वर्ष 2006-07 के दौरान आठ जे एस क्यू आर को अंतिम रूप दिया गया है ।

योजना एवं समन्वय निदेशालय

7.70 योजना एवं समन्वय निदेशालय को देश में रक्षा उपस्करों के उत्पादन के लिए समग्र योजनाएं तैयार करने के मुख्य उद्देश्य से वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था । यह रक्षा उत्पादन विभाग के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है तथा विभाग की विभिन्न शाखाओं को तकनीकी सहायता मुहैया

एयरो इंडिया 2007 के उद्घाटन दिवस पर रक्षा मंत्री प्रेस कांफ्रेंस करते हुए

कराता है । यह रक्षा अर्जन परिषद, रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कवचित वाहनों तथा आयुध निर्माणी बोर्ड में शस्त्रों के विकास और उत्पादन से संबद्ध प्रमुख कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं, रक्षा अधिप्राप्ति में महत्वपूर्ण संचार और पोत निर्माण परियोजनाओं तथा आफसेट से संबद्ध गतिविधियों के लिए नोडल बिन्दु है ।

7.71 यह निदेशालय तीनों सेनाओं, रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास बोर्ड अपनी पूंजीगत अधिप्राप्ति योजनाओं के श्रेणीकरण के संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग में समन्वय करता है तथा एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के साथ बातचीत करता है । यह निदेशालय रक्षा उत्पादन बोर्ड के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है जो रक्षा अर्जन परिषद द्वारा लिए गए "बनाओ" निर्णयों से संबद्ध मानीटरी प्रगति के कार्य का प्रभारी है ।

7.72 यह निदेशालय मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन तथा टी-90 (भीष्म) जैसी आयुध निर्माणियों की प्रमुख योजनाओं की मॉनीटरी और क्रियान्वयन विविध आर्टिलरी तोपों और कवचित वाहनों के उत्पाद सुधार और टैंकों की ओवरहालिंग क्षमता बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है । शस्त्रों का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास तथा स्वदेशीकरण कार्यक्रम इस निदेशालय की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं । यह निदेशालय तीनों सेनाओं के लिए भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की विभिन्न सामरिक और रणनीतिक संचार परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं और तीनों रक्षा शिपयार्डों की पोत निर्माण की परियोजनाओं की भी मॉनीटरी करता है ।

7.73 यह निदेशालय रक्षा उत्पादन विभाग में रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए नोडल बिंदु है । यह निदेशालय अन्य देशों के साथ विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा नीति समूहों एवं संयुक्त कार्यकारी समूहों के साथ बातचीत के दौरान निर्यात शाखा की सहायता करता है । यह निदेशालय रक्षा आफसेट सुविधा एजेंसी के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है ।

रक्षा प्रदर्शनी संगठन भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा विकसित तथा विनिर्मित रक्षा मूल के उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक हिस्से के रूप में देश विदेश में रक्षा प्रदर्शनियों को आयोजित एवं समन्वित करने के लिए जिम्मेवार है ।

रक्षा प्रदर्शनी संगठन

7.74 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में रक्षा प्रदर्शनी संगठन का गठन 1981 में किया गया था । यह भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा विकसित और विनिर्मित रक्षोन्मुखी उत्पादों और सेवाओं के लिए निर्यात को संवर्धन देने के एक हिस्से के रूप में मुख्यत: देश और विदेश में रक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन और समन्वय करता है ।

7.75 **स्थायी रक्षा प्रदर्शनी :** विशिष्ट मेहमानों, विदेशी हस्तियों, प्रतिनिधिमंडलों और क्रय मिशनों के लाभ के लिए रक्षा प्रदर्शनी संगठन रक्षा पंडाल, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में पूरे वर्ष स्थायी रक्षा प्रदर्शनी लगाए रखता है जो उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा मुहैया कराए गए उत्पादों और सेवाओं की रेंज की एक झलक देती है । चालू वर्ष के दौरान पहली बार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणता आश्वासन महानिदेशालय और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय ने रक्षा पंडाल में स्थायी रूप से प्रदर्शनी लगायी है ।

7.76 **भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी** : प्रतिवर्ष 14-27 नवंबर तक आयोजित किए जाने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रक्षा पंडाल लगाया जाता है । सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, आयुध निर्माणी बोर्ड तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विनिर्मित/विकसित उत्पादों को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान पंडाल में प्रदर्शित किया जाता है । रक्षा पंडाल को पिछले 25 वर्षों के दौरान 8 स्वर्ण, 3 रजत, 3 कांस्य और एक विशेष प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है जो शायद किसी केंद्रीय अथवा राज्य स्तरीय पंडाल के लिए सर्वाधिक है । मौजूदा वर्ष के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (14 से 27 नवंबर, 2006) के लिए पंडाल को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार श्रेणी में "रजत पदक" प्रदान किया गया था ।

7.77 एयरो इंडिया की छठी प्रदर्शनी 7-11 फरवरी, 2007 से वायुसेना स्टेशन येलहंका में लगायी गई थी । एयरो इंडिया 2007

की प्रमुख विशेषताओं में भाग लेने वाले देशों भारतीय और विदेशी कंपनियों की संख्या में वृद्धि तथा वायुयान के वर्धित प्रदर्शन के अलावा विशिष्ट व्यापार क्षेत्र, सिविल नौचालन क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय नौचालन सेमिनार और एयर इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट शामिल करने के लिए दायरे का विस्तार शामिल हैं । एयरो इंडिया 2007 प्रदर्शनी भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ चैंबर्स तथा फार्म बोरो अंतर्राष्ट्रीय लिमिटेड द्वारा घटना प्रबंधक के रूप में सहआयोजित की गई थी ।

7.78 **डेफएक्सपो इंडिया :** डेफेक्सो इंडिया की शुरूआत वर्ष 1999 में की गई थी । डेफएक्सपो इंडिया की चौथी प्रदर्शनी भारतीय उद्योग संघ के सहयोग से 31 जनवरी से 3 फरवरी, 2006 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी । इस प्रदर्शनी में 30 देशों की 410 कंपनियों ने अभूतपूर्व रूप से भाग लिया जिनमें 198 भारतीय कंपनियां थीं तथा यह न केवल प्रदर्शकों की संख्या के संदर्भ में अपितु क्षेत्र के संदर्भ में भी जो 16400 वर्गमीटर पिछली प्रदर्शनी से 25 प्रतिशत ज्यादा के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी थी । सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों, आयुध निर्माणी बोर्ड तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया । इस प्रदर्शनी में मुख्य जोर लघु उद्योग श्रेणी मे भारतीय उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर दिया गया था । 36 देशों के 42 उच्च शिष्टमंडलों ने इस प्रदर्शनी का दौरा किया ।

7.79 **विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी :** निर्यात प्रयास को बढ़ावा देने के लिए डी ई ओ सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों/आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा विनिर्मित किए जा रहे रक्षा उत्पादों के लिए संभावित बाजार का काम करने के लिए विदेश में आयोजित रक्षा प्रदर्शनियों में "भारत पंडाल" लगाता है। यह रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में "भारत में निर्मित" ब्रांड को बढ़ावा देने के प्रयास का एक हिस्सा है। भारत अब प्रतिवर्ष विदेश में आयोजित होने वाली ऐसी तीन प्रदर्शनियों में भाग लेता है ।

7.80 वर्ष 2006-07 के लिए भारतीय पंडाल 17-20 मई, 2006 से कुआलालंपुर, मलेशिया में रक्षा सेवा एशिया 2006 में तथा अफ्रीका एयरो स्पेस एवं रक्षा 2006 20-24 सितंबर, 2006 से केपटाउन दक्षिण अफ्रीका तथा भारत रक्षा 2006 एक्सपो एवं फोरम 22-25 नवंबर, 2006 से जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था।

निवेश

(करोड़ रुपए में)

सार्वजनकि क्षेत्र के	2003-04		2004-05		2005-06	
उपक्रम का नाम	इक्विटी	सरकारी ऋण	इक्विटी	सरकारी ऋण	इक्विटी	सरकारी ऋण
एच ए एल	120.50	-	120.50	-	120.50	-
बी ई एल	80.00	-	80.00	-	80.00	-
बी ई एम एल	36.87	-	36.87	-	36.87	-
एम डी एल	199.20	-	199.20	-	199.20	-
जी आर एस ई	123.84	-	123.84	-	123.84	-
जी एस एल	19.40	-	19.40	-	29.10	-
बी डी एल	115.00	-	115.00	-	115.00	-
मिधानि	137.34	-	137.34	-	137.34	-
कुल	**832.15**	**-**	**832.15**	**-**	**841.85**	**-**

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के कार्यकारी परिणाम
उत्पादन और बिक्री मूल्य

(करोड़ रुपए में)

सार्वजनकि क्षेत्र के उपक्रम का नाम	2003-2004		2004-2005		2005-06	
	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
एच ए एल	3756.14	3799.78	4984.55	4533.80	5916.62	5341.50
बी ई एल	2807.83	2798.59	3234.97	3212.09	3449.74	3535.99
बी ई एम एल	1691.86	1765.75	1885.95	1856.01	2179.57	2205.84
एम डी एल	495.77	191.00	540.63	99.54	518.37	164.29
जी आर एस ई	486.90	390.76	470.28	881.41	662.18	985.99
जी एस एल	200.83	296.92	141.83	83.49	249.78	106.96
बी डी एल	522.47	524.80	465.79	450.98	534.28	531.53
मिधानि	116.42	125.13	141.67	131.27	177.60	152.97
कुल	**10078.22**	**9892.73**	**11865.67**	**11248.59**	**13688.14**	**13025.07**

कर पश्चात लाभ

(करोड़ रुपए में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	**2004-05**	**2005-06**
एच ए एल	501.06	771.14
बी ई एल	446.32	582.01
बी ई एम एल	175.28	186.93
एम डी एल	69.14	60.10
जी आर एस ई	27.53	65.53
जी एस एल	9.92	11.50
बी डी एल	27.43	73.49
मिधानि	6.85	12.03
कुल	**1263.53**	**1762.73**

आयुध निर्माणी बोर्ड के कार्यकारी परिणाम

उत्पादन एवं बिक्री मूल्य

(करोड़ रुपए में)

2003-2004		2004-2005		2005-2006	
उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
8259.68	6523.87	8332.00	6186.65	8811.59	6891.68

8

रक्षा अनुसंधान तथा विकास

डीआरडीओ द्वारा विकसित उभयचर तैरता पुल

डीआरडीओ देश में मौजूद मुख्य वैज्ञानिक तथा प्रौद्यगिकीय संगठनों में से एक के रूप में उभर कर आया है जिसका मिशन अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों, प्लेटफार्मों तथा संबद्ध उपकरणों का डिजाइन, विकास तथा उत्पादन करना और सशस्त्र सेनाओं की मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें युद्धक सहायता देना है।

8.1 रक्षा मंत्रालय ने अपनी सभी गतिविधियों में ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को शामिल करने और अपनी मौजूदा हथियार प्रणालियों व अन्य आयातित उपस्करों की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित क्षमता में सुधार करने तथा उन्हें पुराना न पड़ने देने के लिए स्थानीय क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से 1958 के प्रारम्भ में ही रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) का गठन किया गया था । बाद में 1970 के दशक में इसने आयुध और गोलाबारूद के विकास में प्रवेश किया । 1980 के दशक के दौरान इसने निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास इलैक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां, विमान, संचार प्रणालियां, रेडार तथा सोनार आदि जैसे मुख्य कार्यक्रमों पर जोर दिया । 1980 में ही रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग अस्तित्व में आया तथा पिछले वर्षों में इसका बहुदिशिक विकास हुआ है । अब डीआरडीओ देश में मौजूद मुख्य वैज्ञानिक तथा प्रौद्यगिकीय संगठनों में से एक के रूप में उभर कर आया है जिसका मिशन अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों, प्लेटफार्मों तथा संबद्ध उपकरणों का डिजाइन, विकास तथा उत्पादन करना और सशस्त्र सेनाओं की मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें युद्धक सहायता देना है। डीआरडीओ रक्षा नीतियों में सहायता के लिए रक्षा मंत्रालय को वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय परामर्श देने, सेना की संक्रियात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा उपकरणों के मूल्यांकन के रूप में तथा रक्षा उद्योगों द्वारा अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के विकास के लिए हस्तांतरित करने हेतु नए प्रौद्योगिकीय ज्ञान उत्पन्न करने जैसे क्षेत्रों मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । यह संगठन सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का तकनीकी मूल्यांकन करने तथा मौजूदा व आपातकाल दोनों के समय अपनी सैन्य क्षमताओं का तकनीकी मूल्यांकन करने में भी सलाह देता है ।

संगठनात्मक ढांचा

8.2 डीआरडीओ की एक मिशन मोड संरचना है और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार (एसएटूआरएम) इसके अध्यक्ष हैं जो रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के सचिव और अनुसंधान तथा विकास के महानिदेशक भी हैं । मुख्यालय स्तर पर उनकी सहायता करने के लिए मुख्य नियंत्रक नौसेना प्रणालियां तथा हथियार व युद्ध इंजीनियरिंग प्रक्षेपास्त्र एवं रणनीति प्रणालियां, वैमानिकी एवं सामग्री विज्ञान, सैन्य संबंध, जैव विज्ञान तथा मानव संसाधन, इलैक्ट्रॉनिक तथा कंप्यूटर विज्ञान और संसाधन एवं प्रबंधन भी है; इस संगठन में दो स्तरीय व्यवस्था है अर्थात् नई दिल्ली स्थित तकनीकी व कार्पोरेट मुख्यालय और देश भर में भिन्न स्थानों पर स्थित स्थापना/ प्रयोगशाला, क्षेत्रीय केन्द्र, फील्ड स्टेशन आदि ।

8.3 **डीआरडीओ मुख्यालय :** रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के अंतर्गत डीआरडीओ मुख्यालय दो अलग-अलग प्रकार के निदेशालयों में व्यवस्थित है - तकनीकी निदेशालय और कार्पोरेट निदेशालय । तकनीकी निदेशालयों में वैमानिकी, आयुध सामग्री निदेशालय, संग्राम वाहन और इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मिसाइल, नौसेना अनुसंधान तथा विकास, जैव विज्ञान, सिविल निर्माण एवं सम्पदा और तकनीकी परीक्षण सेल आते हैं । ये निदेशालय नई परियोजाओं के अनुमोदनों, चालू परियोजनाओं की मानिटरिंग और समीक्षा तथा अन्य प्रयोगशालाओं और निदेशालयों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए प्रयोगशालाओं और स्थापनाओं को सुविधा प्रदान करने में 'एकल विंडो' के रूप में कार्य करते हैं । इनके अलावा सेना, वायुसेना, नौसेना अध्यक्षों के वैज्ञानिक सलाहकारों और एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख भी अपने संबंधी प्रमुखों को सेवाएं प्रदान करने के

लिए तकनीकी निदेशकों के रूप में काम करते हैं । कार्पोरेट निदेशालय, जैसे कार्मिक निदेशालय, मानव संसाधन विकास, सामग्री प्रबंध, योजना एवं समन्वय, प्रबंध सेवा, राजभाषा तथा संगठन पद्धति, बजट, वित्त एवं लेखा, सुरक्षा एवं सतर्कता तथा विश्वविद्यालयेतर अनुसंधान तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रयोगशालाओं को उनकी अवसंरचना में सुधार करने, नई सुविधाओं का सृजन करने, जनशक्ति बढ़ाने आदि में सहायता करते हैं । भर्ती एवं मूल्यांकन केन्द्र और कार्मिक मूल्यांकन केन्द्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा (डीआरडीएस) और रक्षा अनुसंधान तकनीकी काडर (डीआरटीसी) के अंतर्गत डीआरडीओ की सभी प्रयोगशालाओं और मुख्यालय के लिए वैज्ञानिकों की पदोन्नतियों के लिए आवधिक आधार पर मूल्यांकन और नई भर्तियों का स्वागत कार्य करता है ।

पचास प्रयोगशालाओं/ स्थापनाओं, फील्ड स्टेशनों, सैन्य उड़ान योग्यता के क्षेत्रीय केन्द्रों (आरसीएमए) के नेटवर्क के माध्यम से यह संगठन विभिन्न कार्यक्रमों/ परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।

8.4 डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं/

स्थापनाएं : पचास प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं, फील्ड स्टेशनों, सैन्य उड़ान योग्यता के क्षेत्रीय केन्द्रों (आरसीएमए) के नेटवर्क के माध्यम से यह संगठन विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जो वैमानिकी, शस्त्रास्त्र, मिसाइल, संग्राम वाहन, आधुनिक कंप्युटिंग तथा नेटवर्किंग, इलैक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति, जैव विज्ञान, उन्नत सामग्रियां, संयुक्त व अंतर्जलीय संवदेकों/शस्त्रों और युद्धपद्धति प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्यों में लगा है। डीआरडीओ की दो सोसायटी हैं - वैमानिकी विकास एजेंसी (एडीए) और एकीकृत प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग तथा अनुसंधान (एसआईटीएआर) सोसायटी । एडीए की स्थापना 1983 में बेंगलूर में हुई और इसका मिशन है उन्नत प्रौद्योगिकी वायुयान का डिजाइन और विकास करना । एसआईटीएआर उच्च निष्पादन कंप्युटिंग सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए अपेक्षित डिजिटल घटकों और यंत्रों को डिजाइन करता है । उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान (डीआईएटी), पहले डीआरडीओ की स्थापना को 2005 में मानद

भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपात्र

विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल हुआ । यह संस्थान सामान्यतः रक्षा जरूरतों और खासकर हथियार प्रणालियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए भर्ती किए गए वैज्ञानिकों के लिए नियमित दीर्घ व अल्पावधि के पाठ्यक्रमों तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों सहित काफी बड़ी मात्रा में प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम आयोजित करता है । इन सभी का संचालन डीआरडीओ करता है और इन्हें निधियां भी डीआरडीओ द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । हैदराबाद में गैलियम आर्सनाइड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी सेंटर (GAETEC) एक कारखाना है जो डीआरडीओ तथा अंतरिक्ष विभाग द्वारा हाथ में लिए गए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण माइक्रोवेव घटकों के डिजाइन, विकास व विनिर्माण के लिए स्थापित किया गया है ।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

8.5 डीआरडीओ ने बहुत ही गतिशील व योजनाबद्ध मानव संसाधन विकास की नीति अपनाई है । इस संगठनात्मक ढांचे में मानव संसाधन विकास से संबंधित नीतियां और कौशल विकसित करने के लिए समेकित पहल करने हेतु एक मानव संसाधन परामर्श बॉडी का गठन किया गया है और यहां एक जनशक्ति आयोजना बोर्ड है जो वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य संबद्ध संवर्गों का प्रबंधन करता है । यहां विभिन्न परियोजानाओं के लिए अपेक्षित सभी श्रेणियों की जनशक्ति की जरूरतों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है । संवर्ग संरचना को युक्तिसंगत बनाना, प्रोत्साहन योजनाएं, प्रशिक्षण नीतियां, बढ़ाए गए पदोन्नति के अवसर, मौके पर साक्षात्कार जैसी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे इस संगठन में देश में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने व उन्हें बनाए रखने के अलावा मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है । इस संगठन में उन सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीकी तथा प्रशासनिक कार्मिकों को पुरस्कृत करने की अनेक योजनाएं हैं जिन्होंने कोई लीक से हटकर असाधारण अनुसंधान किया है और उनकी कार्यकुशलता उत्कृष्ट रही हैं ।

संवर्ग संरचना को युक्तियुक्त बनाना, प्रोत्साहन योजनाएं, प्रशिक्षण नीतियां, बढ़े हुए प्रोन्नति के अवसर तथा तत्काल साक्षात्कार आदि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से यह संगठन देश में सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के अलावा मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है ।

8.6 हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एक वार्षिक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से वैज्ञानिकों की भर्ती की जाती है जिसे वैज्ञानिक प्रवेश परीक्षा कहा जाता है । इसके अलावा कैंपस साक्षात्कार वैमानिकीय अनुसंधान तथा विकास बोर्ड की छात्रवृत्ति योजनाओं तथा शैक्षिक अभिरुचि वाले छात्रों के पंजीकरण के अंतर्गत पीएचडी प्रतिभाओं की खोज जैसे माध्यमों से भी प्रतिभाओं की तलाश की जाती है ।

8.7 **जनशक्ति नफरी :** डीआरडीओं परियोजना आधारित संगठन है और जनशक्ति योजना की बहुत ही सक्रिय प्रणाली का अनुसरण करता है । प्रयोगशालाओं द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाओं और कार्यभार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संभावित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राधिकृत नियमित स्थापना (आरई) की हर दो वर्ष के बाद समीक्षा की जाती है । वर्तमान में कुल जनशक्ति संख्या लगभग 29,000 है जिसमें विभिन्न काडरों के लगभग 7,500 इंजीनियर और वैज्ञानिक तथा 11,500 वैज्ञानिक और तकनीकी स्टाफ व 10,000 सहायक स्टाफ है । हर वर्ष लगभग 700 नए इंजीनियर और वैज्ञानिक भर्ती किए जाते हैं ।

8.8 **ज्ञान और कुशलता अपग्रेड करना :** डीआरडीओ विभिन्न विषयक क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास का कार्य करता है । विश्व स्तर पर तेजी से बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए देश भर में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । निरंतर शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों में डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं द्वारा 165 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए । अनुसंधान तथा प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कुल 88 कार्मिकों को आईआईटी, आईआईएस तथा अन्य प्रख्यात इंजीनियरिंग संस्थानों में विभिन्न विषयों में एमई/एम टैक कोर्स करने के लिए प्रायोजित किया गया है। रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान (डीआईएटी) पुणे, आयुध के क्षेत्रों में आवश्यक उन्नत प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देता है; प्रौद्योगिकी प्रबंध संस्थान (आईटीएम), मसूरी जो

वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविद, प्रबंधकीय स्टाफ और सैन्य कार्मिकों को उन्नत प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान करता है। जोधपुर में स्थित दूसरा केंद्र प्रशासनिक और संबद्ध काडरों को प्रशिक्षण देता है । वैज्ञानिकों तथा तकनीकी स्टाफ को विशिष्ट विषयों में इन-हाउस प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक प्रयोगशाला और स्थापना में एचआरडी सेल की स्थापना भी की गई है ।

निरंतर शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों में डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं द्वारा 165 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए । अनुसंधान तथा प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कुल 88 कार्मिकों को आईआईटी, आईआईएस तथा अन्य प्रख्यात इंजीनियरिंग संस्थानों में विभिन्न विषयों में एमई/एम टैक कोर्स करने के लिए प्रायोजित किया गया है।

परियोजना मानिटरिंग और समीक्षा प्रक्रिया

8.9 डीआरडीओ मिशन मोड परियोजनाएं चलाता है जिनमें तीनों सेनाओं को सौंपी जाने वाली मदें, प्रौद्योगिकी प्रदर्शक विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं, उभरती प्रौद्योगिकियों और ढांचागत परियोजनाओं हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाएं शामिल हैं। परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए डीआरडीओ देश में उपलब्ध सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा एवं विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों, अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं, गैर-सरकारी उद्यमियों आदि के साथ मिल कर कार्य करता है । परियोजनाओं को पूरा करने के लिए गहन प्रौद्योगिकी वाली परियोजनाओं में 'कान्करेंट इंजीनियरिंग' दृष्टिकोण को अपनाया गया है ताकि प्रणालियों के विकास और उत्पादनीकरण के बीच होने वाले विलंब को कम किया जा सके ।

8.10 कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को नियमित रूप से मानीटर करने के लिए डीआरडीओ ने कई समीक्षा प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। सभी

एमबीटी अर्जुन पर ब्रिज लेयर टैंक

प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं की प्रमुख चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक इन-हाउस (घरेलू) शीर्षस्थ स्तर का निकाय है जिसे "डीआरडीओ अनुसंधान परिषद" (डीआरसी) कहा जाता है जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार करते हैं । इसके अलावा प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति द्वारा टेक्नो-मैनेजीरियल पहलुओं के बारे में कार्पोरेट रिव्यू भी किए जाते हैं । सेना उपाध्यक्ष द्वारा स्टाफ परियोजनाओं की वर्ष में दो बार समीक्षा की जाती है । सभी बड़े कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए मल्टी टीयर "कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड" होते हैं जिसमें तीनों सेनाओं, डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं और कुछ मामलों में शैक्षणिक संस्थानों और अन्य राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं का प्रतिनिधित्व होता है । ये बोर्ड समय-समय पर कार्यक्रमों को मानिटर करते हैं और उनकी समीक्षा करते हैं और आने वाली बाधाओं का जल्द पता लगाने में मदद करते हैं तथा कार्य के दौरान ही सुधार के सुझाव देते हैं।

सभी स्थापनाओं/प्रयोगशालाओं में चल रही मुख्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए यहां एक घरेलू शीर्षस्थ स्तरीय निकाय है जिसे डीआरडीओ अनुसंधान परिषद कहा जाता है और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार इसके अध्यक्ष हैं । सभी मुख्य कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए यहां बहुस्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड हैं जिसमें तीनों सेनाओं, डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं और कुछ मामलों में तो शैक्षिक संस्थानों तथा अन्य राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधि भी होते हैं ।

कार्यक्रम और परियोजनाएं

8.11 डीआरडीओ ने सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में देश को आत्म-निर्भर बनाने में बड़ी सफलता हासिल की है । पिछले दिनों कई प्रणालियों और उपस्करों का विकास, उत्पादन कर उसे सेना में शामिल किया गया । ये विस्तृत रूप से मिसाइल, एयरो प्रणालियों, इलैक्ट्रॉनिक्स प्रणालियों, युद्धक वाहन, शस्त्रास्त्र, नौसेना प्रणालियों, उन्नत सामग्री और जैव विज्ञान जैसे विषयों में श्रेणीबद्ध है । चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ प्रमुख कार्यक्रमों और परियोजनाओं की प्रगति नीचे के पैराग्राफों में दी गई है ।

डीआरडीओ ने सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काफी सफलता हासिल की है । पिछले कई दशकों में इसने अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के विकास के माध्यम से हमारी सशस्त्र सेनाओं की युद्धक प्रभावकारिता में लगातार बढ़ोतरी की है।

(क) मिसाइल कार्यक्रम: इस उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न अत्याधुकि मिसाइलों के डिजाइन, विकास और उत्पदान के लिए वर्ष 1983 में एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) मंजूर किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रौद्योगिकीय लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रणालियां इनके सेना में शामिल किए जाने के समय समसामायिक होंगी । इस कार्यक्रम में पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइल प्रणालियों का डिजाइन और विकास कार्य शामिल है । इसके अलावा धनुष, अग्नि, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों की शृंखला के विकास का कार्य भी हाथ में लिया गया है । विभिन्न मिसाइलों की स्थिति निम्नलिखित है :-

(क) **पृथ्वी मिसाइल :** जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी एक सामरिक युद्ध क्षेत्र मिसाइल है जिसके 150 कि.मी. और 250 कि.मी. के दो रूपांतर हैं जिसका पे लोड क्रमशः 1 टन और 500 कि.ग्रा. है । पृथ्वी के सेना रूपांतर को पहले ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है । पृथ्वी मिसाइल के वायुसेना रूपांतर को सेना में शामिल करने का कार्य चल रहा है । पूर्व खंडित दाहक, विस्फोट तथा भू-प्रघात युद्ध सामग्री वाली पृथ्वी मिसाइल के लिए संयुक्त वारहैडों का डिजाइन और विकास का कार्य पूरा हो गया है । इन वारहैडों का उत्पादन आर्डर महानिदेशक आयुध निर्माणियों (डीजीओएफ) को दे दिया गया है ।

(ख) **अग्नि-I मिसाइल :** 700 कि.मी. रेंज की जमीन से जमीन पर मार करने वाली अग्नि-I मिसाइल में एकल स्तर वाला ठोस रॉकेट मोटर होता है जो 1 टन वारहैड उठा सकता है । इसे सड़क/मोबाइल लांचर से फायर करने के लिए संरूपित किया जा सकता है । अग्नि-I के विकास से पृथ्वी-II अग्नि-II के बीच का अंतर समाप्त हो गया है । अग्नि-I को सेना में शामिल कर लिया गया है ।

एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) के अंतर्गत मिसाइल प्रणालियों पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश तथा नाग के डिजाइन व विकास का कार्य हुआ है । इसके अलावा धनुष, अग्नि, ब्रह्मोस तथा अस्त्र शृंखला की मिसाइलों के विकास को भी हाथ में लिया गया है ।

(ग) **अग्नि-II मिसाइल :** अग्नि-II मिसाइल की रेंज 2000 कि.मी. से अधिक है। इसकी जांच फायरिंग की मुख्य विशेषता उन्नत संचार व्यवस्था सहित मोबाइल लांच क्षमता, विविध स्तरीयता, अत्याधुनिक नियंत्रण और निर्देशन पुनः प्रवेश प्रौद्योगिकी और परिष्कृत ऑन-बोर्ड पैकेज है । अग्नि-II को भी सेना में शामिल कर लिया गया है ।

(घ) **धनुष मिसाइल :** यह पृथ्वी मिसाइल का नौसेना वर्जन है जिसकी रेंज 250 कि.मी. तथा पे लोड क्षमता करीब 500 कि.ग्रा. है । यह पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक दोनों वारहैडों को उठा सकता है । भारतीय नौसेना ने अपने ऑफ शोर पैट्रोल वेसल (ओपीवी) पर इसे लगाने की मंजूरी दे दी है । आई एन एस सुवर्ण का धनुष मिसाइल के साथ शस्त्रीकरण का कार्य अब पूरा हो गया है ।

(च) **आकाश मिसाइल :** मध्यम रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल में डिजिटल कोडेड कमान निर्देशन प्रणाली सहित एक साथ कई टार्गेटों से निपटने की क्षमता है । इसका इलैक्ट्रॉनिक वारफेयर परीक्षण का

पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लांचर

मूल्यांकन पूरा हो गया है । टी-73 चेसिस पर बैटरी लेवल रडार-III का निर्माण विभिन्न चरणों में है । आकाश शस्त्र प्रणाली का विकास अब पूरा हो गया है । गुणता शर्तों सहित प्रौद्योगिकी स्थानांतरण दस्तावेज भी तैयार हैं और प्रयोक्ता परीक्षणों और सेना में शामिल करने की कार्रवाई के बाद इस शस्त्र प्रणाली का उत्पादन किया जाएगा ।

(छ) **त्रिशूल मिसाइल :** यह भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए निम्न स्तर पर शीघ्र प्रतिक्रिया करने वाली जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है । अब तक इसके 82 सफल विकासात्मक उड़ान परीक्षण किए जा चुके हैं जिसमें चालू वर्ष के दौरान वारहैड निष्पादनता, पुनरावृत्त निर्देशन निष्पादन क्षमता और साल्वो फायरिंग क्षमता उपलब्ध कराने वाले 3 परीक्षण शामिल हैं । उपरोक्त उड़ान परीक्षणों के साथ ही त्रिशूल मिसाइल का डिजाइन और विकास का कार्य भी पूरा हो गया है ।

(ज) **नाग मिसाइल :** नाग एक तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल है जिसमें 'टॉप अटैक' और 'दागो और भूलो' क्षमता है । वर्ष 2006 के दौरान किए गए 5 उड़ान परीक्षणों सहित अब तक 62 विकासात्मक उड़ान परीक्षण किए जा चुके हैं । प्रयोक्ता की सहायता से किए गए अंतिम चार उड़ान परीक्षण 4 कि.मी. और 2 कि.मी. रेंज पर वास्तविक टार्गेट पर (डरलिक्ट विजयंत टैंक) दिन और रात में मिसाइल की क्षमता दर्शाने के लिए पोखरण रेंज से किए गए थे ।

ब्रह्मोस (रूस के साथ का संयुक्त उपक्रम) क्रूज मिसाइलों की श्रेणी की सबसे बढ़िया मिसाइल है । इस प्रणाली को भारतीय नौसेना द्वारा उनके जहाजों में लगाने की मंजूरी दे दी गई है । 30 नवंबर, 2005 और 31 मई, 2006 को सैन्य रूपांतर की सफलतापूर्वक उड़ान जांच की गई ।

(झ) **ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल :** ब्रह्मोस (रूस के साथ का संयुक्त उपक्रम) क्रूज मिसाइलों की श्रेणी की सबसे बढ़िया मिसाइल है । इसकी 290 कि.मी. रेंज सहित सुपरसॉनिक गति है और उच्च स्तरीय निष्पादनता है । वर्ष 2001 से जमीनी और समुद्री टार्गेटों के खिलाफ भू-मोबाइल कॉम्पलेक्स और नौसेना वारशिप से मिसाइल प्रणाली की जांच करने के लिए कई उड़ान परीक्षण किए जा चुके हैं । अब तक 11 उड़ान परीक्षण किए जा चुके हैं और सभी उड़ान परीक्षण सफल रहे हैं । जीवित वारहैड सहित सशस्त्र मिसाइल से लक्ष्य पर सटीक समाघात करने से उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है । उड़ान में स्वदेशी रूप से विकसित फायर नियंत्रण प्रणाली को भी प्रदर्शित किया गया । इस प्रणाली को भारतीय नौसेना द्वारा उनके जहाजों में लगाने की मंजूरी दे दी है । 30 नवंबर, 2005 और 31 मई, 2006 को सैन्य रूपांतर की सफलतापूर्वक उड़ान जांच की गई ।

(ञ) **अस्त्र मिसाइल :** अस्त्र दृष्टि रेंज से परे हवा से हवा में मार करने वाली देश में ही डिजाइन तथा विकसित की गई मिसाइल है जिसे उच्च युक्तिचालन, सूपरसॉनिक हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए लगाया जा रहा है । इसकी रेंज करीब 80 कि.मी. है और इसे एल सी ए और अन्य भारतीय वायुसेना के लड़ाकू वायुयानों के लिए मिसाइल प्रयोग के लिए लगाया गया है । 5 सीकरों के कार्य निष्पादन का परीक्षण किया गया है।

(ट) **लम्बी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआरएसएम) :** यह डीआरडीओ, भारतीय नौसेना तथा आई ए आई इजराइल का संयुक्त विकास कार्यक्रम है । इसकी रेंज 70 कि.मी. है और इसमें टर्मिनल फेज में डयूल पल्स रॉकेट नोटर और एक्टिव रडार सीकर तथा निर्देशन के लिए इनर्शियल/मिड कोर्स अपडेट का इस्तेमाल किया जाता है ।

(ख) वैमानिकी प्रणालियां :

(क) हल्के लड़ाकू वायुयान (एलसीए) : तेजस बहुल भूमिका लड़ाकू वायुयान, तेजस एयरोनॉटिकल विकास एजेंसी (एडीए), बंगलौर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है । एलसीए आधुनिक शस्त्रों और ऑन बोर्ड एवियोनिक्स प्रणाली सहित 12,000 कि.ग्रा. का ऑल-अप भार (एलयूडब्ल्यू) वाला हल्की श्रेणी के वायुयानों की श्रेणी से

संबंधित है । इसमें भारतीय वायुसेना (आईएएफ) द्वारा विर्निदिष्ट लंबी अवधि की संक्रियात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च एजिलिटी, डिजिटल फ्लाई बाय वायर उड़ान नियंत्रण प्रणाली, उन्नत एवियनिक्स मल्टीमोड रडार और कम्पोजिट सामग्रियों जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियां शामिल हैं । भारतीय वायुसेना ने अपनी उड़ान फोर्स की एक स्क्वाड्रन तैयार करने के लिए 20 एलसीए की अधिप्राप्ति के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को 3,000 करोड़ रुपए का आर्डर दिया है।

बहुल भूमिका लड़ाकू वायुयान, तेजस एयरोनॉटिकल विकास एजेंसी (एडीए), बंगलौर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है । एलसीए आधुनिक शस्त्रों और ऑन बोर्ड एवियोनिक्स प्रणाली सहित 12,000 कि.ग्रा. का ऑल-अप भार (एलयूडब्ल्यू) वाला हल्की श्रेणी के वायुयानों की श्रेणी से संबंधित है ।

(ख) **नौसेना के लिए हल्के लड़ाकू वायुयान (एलसीए) :** एलसीए तेजस के विकास ने भारतीय नौसेना के लिए परिष्करण सहित समान प्रकार के वायुयानों के लिए स्पिन ऑफ दिया है । नौसेना के लिए एलसीए विकसित करने की परियोजना को वर्ष 2003 में मंजूरी प्रदान की गई थी जो कि मार्च 2010 में पूरी की जानी है । इसकी परियोजना लागत 948.90 करोड़ रुपए है जिसमें डीआरडीओ का 561.67 करोड़ रुपये और नौसेना का हिस्सा 387.23 करोड़ रुपए है । एलसीए के नौसेना रूपांतर में लैंडिंग गियरों का परिष्कृत रूपांतर और 4 डिग्री के एंगल पर नोज ड्रॉपिंग डाउन शामिल होगा ।

(ग) **एलसीए के लिए कावेरी इंजन :** इस परियोजना के विषयक्षेत्र में एलसीए की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कावेरी इंजन का डिजाइन, विकास जांच और टाइप प्रमाणित करना है । इंजन, उप-प्रणालियों और घटकों के डिजाइन का कार्य

ब्रह्मोस सुपरस्पेनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र

पूरा हो गया है और 16 कावेरी इंजन और समान सेट तैयार कर लिए गए हैं । काबिनी की (कावेरी कोर इंजन) रूस के उच्च तुंगता टेस्ट बेड पर जांच की जा चुकी है जहां यह स्थापित किया गया था कि प्रणोद और ईंधन खपत निष्पादनता जिस उद्देश्य से इसे डिजाइन किया गया, उसके समीप थी । अब तक प्रोटोटाइप इंजनों पर 1500 घंटों की जांच पूरी की जा चुकी है । कावेरी इंजन चालू करने के लिए जेट फ्यूल स्टार्टर (जेएफएस) प्रणाली गैस टरबाइन अनुसंधान संथापना (जीटीआरई), बंगलौर की सहायता से एचएएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और इसे जीटीआरई, बंगलौर में कावेरी इंजन के साथ एकीकृत किया जा चुका है ।

(घ) **नौसेना जहाजों के लिए कावेरी इंजन :** कावेरी मरीन गैस टरबाइन (केएमजीटी) का परीक्षण विशाखापतनम् स्थित नौसेना सुविधा केन्द्र से किया गया तथा इसके इंजन ने वांछित वातावरण में संतोषजनक प्रदर्शन किया । अब टरबाइन ब्लेड तथा इंजन वोल्यूट को परिवर्तित किया जा रहा है ताकि 19.5 एम डब्ल्यू का वांछित परिणाम प्राप्त किया जाए ।

(च) **अरेस्टर बैरियर :** डीआरडीओ ने 20 टन अरेस्टर बैरियरों को विकसित किया है जिन्हें विभिन्न वायुसेना बेसों में स्थापित किया गया है । अभी आईआईएएफ द्वारा 40 टन क्लास के अरेस्टर की मांग का आदेश वायु वाहित अनुसंधान एवं विकास स्थापना (एडीआरडीई), आगरा को किया गया है । इन अरेस्टर बैरियरों की स्थापना 6 आईएएफ बेसों में की जाएगी जिससे संवेदनशील एयरक्राफ्ट-एसयू 30 एमकेआई का संचालन किया जाएगा ।

(छ) **काम्बैट फ्री फाल (सीएसएफ) पैराशूट :** युद्ध तथा शांति के दौरान किसी प्रकार की आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए इनका विकास शत्रु क्षेत्र में सैन्य दलों की तैनाती के लिए किया गया है । इस प्रणाली में बचाव कपड़े तथा पैराशूट शामिल है जो 30000 फुट तक की ऊंचाई वाली परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं । इस प्रणाली को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए प्रयोक्ता परीक्षण पूरा कर लिया गया है ।

(ज) **रिमोट से संचालित पायलट वाहन (आरपीवी), निशांत:** इसका विकास बुनियादी रूप से निगरानी करने, टोह लेने, तोपखाना फायर द्वारा रियल-टाइम टार्गेट इंगेज करने, लेजर डेजिगनेटर तथा सीमित इलैक्ट्रॉनिक आसूचना के लिए किया गया है । यह परियोजना भारतीय सेना द्वारा निर्दिष्ट की गई गुणात्मक जरूरतों (क्यूआर) पर सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है । इस वाहन के उत्पादन के लिए 280 करोड़ रुपए मूल्य का आदेश डीआरडीओ को दिया गया है जिसका उत्पादन एचएएल के सहयोग से किया जाएगा ।

इसका विकास बुनियादी रूप से निगरानी करने, टोह लेने, तोपखाना फायर द्वारा रियल-टाइम टार्गेट इंगेज करने, लेजर डेजिगनेटर तथा सीमित इलैक्ट्रॉनिक आसूचना के लिए किया गया है । इस वाहन के उत्पादन के लिए 280 करोड़ रुपए मूल्य का आदेश डीआरडीओ को दिया गया है जिसका उत्पादन एचएएल के सहयोग से किया जाएगा ।

(झ) **लड़ाकू वायुयान (ईडब्ल्यूएसएफए) के लिए प्रारंभिक चेतावनी सूट :** इसमें एक संघटित चेतावनी प्रणाली तथा एक जैमर शामिल हैं जिसे विमान के अन्दर संघटित और माउंट किया गया है । इस प्रणाली का आधारभूत उद्देश्य उड़ान के दौरान पायलट को जमीन या आकाश में किसी प्रकार के खतरे की चेतावनी देने तथा पहचाने गए खतरे को जाम करने का अनुरोध करना है । इस प्रणाली का समाकलन मिग 27 अपग्रेड तथा एलसीए विमानों में किया जा रहा है। मिग 27 वाहनों से संबंधित प्रमुख गतिविधियों को पूरा कर लिया गया है जिसमें उत्पादन विमानों में लूम लाना शामिल है ।

(ञ) **मिग 27 विमानों को अपग्रेड करना:** डीआरडीओं ने एचएल के साथ मिग 27 विमानों की वैमानिकी को अपग्रेड करने का बीड़ा उठाया है तथा इस वर्ष के दौरान विमानों के दो परीक्षण जांचों का समाकलन सफलतापूर्वक पूरा किया गया है । लाइन रिप्लेसेबल यूनिट (एलआरयू) जैसे कोर वैमानिकी कंप्यूटर (सीएसी) तथा बैकअप कोर वैमानिकी कंप्यूटर (बीसीएसी), लेजर डेजिगनेशन पाड (एलडीपी) इत्यादि को साफ्टवेयर में अपेक्षित अपग्रेड को समाकलित कर लिया गया है ।

(च) **वायुवाहित प्रारंभिक चेतावनी तथा नियंत्रण (एडब्ल्यूई एंड सी) प्रणालियां :** इस कार्यक्रम की मंजूरी सरकार ने 6 अक्तूबर, 2006 को 1800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ दी थी । इसके प्रयोक्ता परीक्षणों की शुरूआत 78 महीनों की समय सीमा में करनी है। 1 आदि प्रारूप तथा 2 आपरेशनल एक्जिक्यूटिव नेट आधारित एईडब्ल्यू एंड सी प्रणालियों के विकास पर भी विचार किया गया है ।

(ठ) **हाइपरसॉनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन (एचएसटीडीबी):** डीआरडीओ द्वारा हाथ में लिए गए हाइपरसॉनिक क्षेत्र में एचएसटीडीवी एक प्रथम प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना है । संपूर्ण एचएसटीडीवी प्रणाली डिजाइन की समीक्षा को पूरा कर लिया गया है । वायुगतिकी संरूपण विकसित कर लिया गया है । स्क्रैमजेट इंजन जांच सुविधा स्थापित कर ली गई है तथा वायु ढांचे के संरचनात्मक डिजाइन को भी पूरा कर लिया गया है ।

(ग) इलैक्ट्रॉनिक प्रणालियां :

(क) **समाकलित इलैक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति कार्यक्रम, संयुक्त:** यह डीआरडीओ तथा भारतीय सेना का संयुक्त कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सॉफ्टवेयर तथा समाकलन तीव्रताबोधक है जिसका उद्देश्य एक समाकलित ई डब्ल्यू प्रणाली 1.5 मेगा हर्टज़ - 40 गागा हर्टज़ का स्वदेश में विकास करना है। इसमें संचार (कॉम) तथा गैर-संचार (नॉन-कॉम) खंड हैं । इस प्रणाली में निगरानी, अवरोधन, मानिटरिंग, विश्लेषण तथा सभी संचार तथा रडार सिगनलों को अवरुद्ध करने की क्षमता रखने वाले वाहन आते हैं ।

संचार खंड : कोर प्रणाली का भारतीय सेना के समक्ष सफल प्रदर्शन किया गया है जिसने कुल 425 करोड़ रुपए लागत के जान कॉम कंट्रोल सेंटर (सीसी) ब्लाकों के उत्पादन के लिए भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मांग का आदेश दिया गया है । दो संचार नियंत्रण केंद्र ब्लाकों का उत्पादन

पोत में प्रायोगिक रूपांतरण पर ब्रह्मोस-सार्वभौमिक उर्ध्वाधर लॉचिंग प्रणाली

कर दिया गया और उसके सफल प्रदर्शन तथा प्रयोक्ता परीक्षणों के उपरांत प्रयोक्ताओं को सौंप दिया गया ।

गैर संचार खंड : कोर प्रणाली प्रदर्शन में शामिल नियंत्रण केन्द्र (गैर-संचार) इलैक्ट्रॉनिक सहयोग उपाय, इलैक्ट्रॉनिक प्रत्युपाय-निम्न तथा उच्च आवृत्ति तत्वों का सफल प्रदर्शन भारतीय सेना के लिए किया गया । इसके परिणामस्वरूप, सेना ने 430 करोड़ रुपए लागत के दो गैर संचार नियंत्रण केन्द्र ब्लाकों के उत्पादन के लिए भारती इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को आदेश दिया है ।

(ख) **इलैक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति (ईडब्ल्यू) कार्यक्रम, संग्रह :** यह भारतीय नौसेना के लिए एक समाकलित ईडब्ल्यू प्रणाली है जिसमें विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे कैमोव तथा चेतक हेलीकॉप्टरों के लिए काइट, डोर्नियर वायुयान तथा उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) के लिए ईगल (एएलएच), टी यू -142 वायुयान के लिए होगी, ईकेएम पनडुब्बी के लिए पोरप्वाइज तथा फ्रिगेट के लिए एलोरा पांच ईडब्ल्यू प्रणालियां हैं ।

(ग) **सुजव :** यह एक सघन संचार इलैक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति सूट है । इस प्रणाली में दिशा का पता लगाने, सर्च तथा मॉनिटर करने की क्षमता 30-1000 मेगा हर्टज तथा जाम करने की क्षमता 30-500 मेगा हर्टज की रेंज तक है । इस प्रणाली की तैनाती जम्मू-कश्मीर में सेना द्वारा की गई है तथा राजस्थान सेक्टरों में संतोषजनक प्रदर्शन रहा है । अपतटीय तथा तटीय अनुप्रयोगों के लिए भारतीय नौसेना ने ऐसी प्रणालियों (दृष्टि) की मांग के आदेश भी दिए हैं । भारतीय सेना ने 7 सुजव समूहों की मांग का आदेश दिया है जिसमें तीन इलैक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेजर (ईसीएम) स्टेशन शामिल हैं । एक सुजव समूह प्रणाली का उत्तर पूर्व तथा जम्मू क्षेत्र में सफल मूल्यांकन किया गया है ।

(घ) **निम्न स्तरीय हल्के भार वाले रडार भरणी :** यह बैटरी से संचालित काम्पेक्ट रडार है जो सेना हवाई रक्षा शस्त्र प्रणालियों मुख्यतः पहाड़ी भू-भाग में शत्रु के हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध जैसे मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी), दूरस्थ चालित वाहों (आरपीवी), हेलीकॉप्टरों तथा निम्न तथा मध्यम तुंगता पर उड़ने वाले स्थिर विंग वाले वायुयानों में 2 डी निगरानी समाधान उपलब्ध कराता है । इस रडार को वाहनों, खच्चरों या मनुष्यों द्वारा ढोया जा सकता है । यह हवाई रक्षा शस्त्र प्रणाली में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है । इस प्रणाली का प्रयोक्ता मूल्यांकन चल रहा है ।

(च) **शस्त्र खोजी रडार (डब्ल्यू एल आर) :** शस्त्रों का पता लगाने वाले रडार का विकास प्रमाणित राजेन्द्र रडार प्रौद्योगिकी पर आधारित है । इसकी मुख्य भूमिका शत्रु की गनों, मोर्टरों तथा रॉकेट लांचरों की स्थिति तथा अपनी फायर की दिशा का निर्धारण करना है । इस प्रणाली का विकास डीआरडीओ तथा भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच संयुक्त सहयोग के रूप में हुआ है । इसकी उप प्रणालियों का निर्माण बीईएल द्वारा डीआरडीओ के डिजाइन पर आधारित है । इसके समाकलन के लिए डीआरडीओ को सुपुर्द कर दिया गया है । इस प्रणाली का प्रयोक्ता सहयोगी परीक्षण चल रहा है ।

(छ) **त्रि-विमीय (थ्री-डी) निगरानी रडार प्रणाली, रेवती :** यह मध्यम रेंज की 3 डी निगरानी रडार एएसडब्ल्यू कोर्विट वर्ग के पोतों में लगी होती है जो हवाई तथा समुद्री सतह के टार्गेटों का पता लगाती है । यह रडार प्रमाणित 3 आयामी केंद्रीय अधिग्रहण रडार (3 डी-सीएआर) प्रौद्योगिकी पर आधारित है । इसका मूलभूत उद्देश्य उत्पादन सुलभ 3 आयामी रडार को नौसेना की जरूरतों के लिए प्राप्त करना है । इस प्रणाली का कार्यान्वनय त्रि-पक्षीय समझौते के माध्यम से हुआ है जिसमें भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उत्पादन एजेंसी के रूप में, लार्सन एंड टब्रो एंटीना स्थिरीकरण तथा अन्य यांत्रिकी उप-प्रणालियों के लिए एवं डीआरडीओ को डिजाइनर एवं प्रणाली समाकलक के रूप में शामिल किया गया है ।

(ज) **विविध प्रकार्य फेज का अरे रडार, राजेन्द्र :** इसका विकास विविध वायुयान लक्ष्यों, ट्रैकों का पता लगाने तथा ट्रैकिंग उपलब्ध कराने, आकाश मिसाइलों को कमान निर्देश प्रदान करने के लिए किया गया है । इस रडार के तीन वर्जनों को

विकसित किया गया है । राजेन्द्र-I को परिवर्तित बीएमपी वाहन पर नियत एंटीना के साथ माउंट किया गया है । राजेन्द्र-II को परिवर्तित बीएमपी वाहन पर घुमावदार एंटीना के साथ तथा राजेन्द्र-III को टी-72 वाहन पर लगाया गया है ।

(झ) **कवचित लड़ाकू वाहन (एएफवी) के लिए कॉम्बैट नेट रेडियो :** सेना ने 500 रेडियो के लिए मांग का आदेश दिया था जिसकी भारत इलैक्ट्रॉनिक्स द्वारा मई/जून 2006 में लगभग 34.0 करोड़ रुपए की लागत से सुपुर्दगी कर दी गई थी ।

(ट) **कमान सूचना निर्णय सपोर्ट प्रणाली (सीआईडीएसएस), संवाहक :** यह कोर बटालियन स्तर पर निर्णय सपोर्ट प्रणाली है जो सूचना एकत्र करने, उसे मिलाने, उसे प्रोसेस करने तथा विभिन्न फार्मेशनों के कमांडरों के बीच प्रचारित करने का कार्य करती है । परियोजना को 31 दिसम्बर, 2006 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है । प्रौद्योगिकी को भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है जो प्रणाली को निर्धारित सेना फार्मेशनों पर पोर्ट कर रही है ।

(ठ) **सम्राट :** खोज, मानीटरिंग, दिशा खोजी (एकल तथा बहु चैनल) उच्च फ्रीक्वेंसी, अति उच्च फ्रीक्वेंसी तथा अल्ट्रा उच्च फ्रीक्वेंसी में और संबद्ध प्रणाली नियंत्रण तथा एफएलआई जैनिरिक साफ्टवेयर के साथ विश्लेषण और डी कोडिंग के लिए स्वदेशी संचार इलैक्ट्रॉनिक्स युद्धक रिसीवर्स के डिजाइन तथा विकास के लिए यह एक प्रौद्योगिकी विकास परियोजना है । काम्पेक्ट निम्न शोर उच्च डायनेमिक रेंज एच एफ (0.5-30 मेगा हर्टज) तथा वी/यूएचएफ (20-3000 मेगा हर्टज) कोमिन्ट के लिए खोज तथा मानीटरिंग रिसीवर्स के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर ली गई है । अत्याधुनिक नैरो बैंड सिग्नल क्लासीफायर, डीमोड्यूलेटर तथा डेकोडर उप प्रणाली का सफलतापूर्वक विकास कर लिया गया है।

ब्रिज लेयर टैंक तथा उभयचर तैरता पुल तथा फेरी प्रणाली

(ड) **पोर्टेबल नान लैथल डैज़लर (पीएनएलडी) :** प्रतिविद्रोहिता संक्रियाओं के लिए पीएनएलडी के दो वर्जन उपयुक्त हैं । इन दो वर्जनों की अधिकतम कार्य रेंज 50 मी. हस्तचालित के लिए और 500 मी. हथियार पर माउंट प्रणाली के लिए है । दोनों वर्जनों में धुंधलके और अंधेरे में निशाना लगाने के लिए एक एकीकृत निम्न शक्ति रेड लेजर बीम है । हथियार युक्त रूपान्तरण पर भी एक एकीकृत दिन दृष्टि है। सभी वेरिएंट पूरी तरह अ-घातक हैं और अस्थाई चकाचौंध पैदा करने के लिए कभी-कभी टिमटिमाती हरी लेजर पैदा करेगा और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें अन्दरूनी सुरक्षा इंटरलॉक है ।

देश में यह पहला मौका है जब मिसाइल के अनुप्रयोग के लिए एमईएमएस प्रेशर सेंसरों तथा एक्सिलेटर मीटरों का विकास किया गया है ।

(ढ़) **एमईएमएस आधारित दबाव सेंसर और त्वरणमापी :** 10 और 30 बार के दबाव के लिए माइक्रो इलैक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम (एमईएमएस) आधारित सेंसरों का विकास किया गया है, पैकेज किया गया है और मिसाइल अनुप्रयोगों के योग्य बनाया गया है । इसी प्रकार 10 और 30 जी स्तर त्वरण के लिए एमईएमएस आधारित त्वरणमापी को तैयार किया गया और निष्पादन का प्रदर्शन किया गया । देश में पहली बार मिसाइल में अनुप्रयोग के लिए एमईएमएस दबाव सेंसरों और त्वरणमापी का विकास किया गया । एमईएमएस आधारित 10 डिग्री/प्रति घंटा ग्रेड के रेट जायरों का उत्पादन 2007 के मध्य तक किया जाएगा ।

(त) **रिंग लेजर जायरोस्कोप (आरएलजी):** रिंग लेजर जायरोस्कोप के डिजाइन और विकास की सुविधाएं स्थापित कर ली गई हैं और प्रोटोटाइप को तैयार और क्वालीफाई कर दिया गया है ।

(थ) **इलैक्ट्रॉनिक हाइड्रो सर्वो वाल्व (ईएचएसवी) :** पृथ्वी, जीएसएलवी तथा एलसीए के लिए सर्वो वाल्व तैयार करने के लिए सर्वो वाल्व उत्पादन सुविधाएं स्थापित कर ली गई हैं। ये वाल्व अमरीका और यूरोप से प्रतिबंधित मदें हैं ।

अत्याधुनिक एमबीटी अर्जुन के उत्पादन को युक्तियुक्त बनाया गया है । सेना की मौजूदा मांग के लिए डीआरडीओ से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मोड के अंतर्गत सभी 124 टैंकों के विनिर्माण के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) की भारी वाहन विनिर्माणी को पूरी तरह क्रियाशील कर दिया गया है ।

(द) **फाइबर आप्टिक जायरोस्कोप (एफओजी) :** 10 डिग्री/प्रति घंटे का जायरोस्कोप विकसित किया गया है और यह सफल रहा है। एमबीटी अर्जुन में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

(घ) **युद्धक वाहन तथा इंजीनियरिंग :**

(क) **मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) अर्जुन:** अत्याधुनिक एमबीटी अर्जुन के उत्पादन को कारगर बना दिया गया है । सेना से प्राप्त 124 टैंकों की मांग को पूरा करने के लिए डीआरडीओ से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मोड के अंतर्गत ओएफबी (आर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड) की भारी वाहन निर्माणी इसके उत्पादन के लिए पूरी तरह तैयार है । वर्ष 2006 की गर्मियों के दौरान इसके प्रयोक्ता पुष्टिकरण के सफल परीक्षणों के बाद जून 2006 में पांच टैंक सेना को सौंप दिए गए हैं । एमबीटी अर्जुन के लिए सहायक वाहन के तौर पर, डीआरडीओ द्वारा विकसित, यूनिट वाहन (यूएमबी) तथा यूनिट मरम्मत वाहन (यूआरवी) को सेना में शामिल करने के लिए मंजूर कर लिया गया है ।

(ख) **काम्बेट इंप्रूव्ड अजेय (सीआईए) :** सीआईए की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भारी वाहन निर्माणी (एचवीएफ), आवडी को पूरी तरह से कर दिया गया है । अभी तक 268 सीआईए टैंको का उत्पादन किया गया है । इन टैंकों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए विस्फोटक प्रतिक्रियात्मक कवच (इआरए), टैंक के मार्ग निर्देशन के लिए अचूक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और पुनः संरूपित स्मोक ग्रेनेड डिस्चार्जर लगाए गए हैं ।

(ग) **कवचित एम्बुलैंस :** एम्बुलैंस के विकास के बाद भारतीय सेना ने आयुध निर्माणी, मेडक को 50 एम्बुलैंसों के उत्पादन की मांग दी है । और इनका उत्पादन हो रहा है ।

(घ) **ब्रिज लेयर टैंक (बीएलटी) टी-72 :** 12 बीएलटी टी-72 टैंकों का उत्पादन भारी वाहन निर्माणी, आवडी में किया जा रहा है। 04 टैंक सेना को सौंप दिए गए हैं और शेष का 2007 के मध्य तक पूरा होने की आशा है ।

(ड.) **कैरियर मोर्टार ट्रैक्ड (सीएमटी) वाहन:** सीएमटी वाहन को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इस पर 81 एमएम मोर्टार को लगाया और वाहन के भीतर से ही दागा जा सके । भारतीय सेना ने 284.54 करोड़ रुपए की लागत से 198 वाहनों की मांग आयुध निर्माणी, मेडक को दी है । सभी वाहनों का उत्पादन कर दिया गया है और सेना को सुपुर्द कर दिए गए हैं।

एईआरवी एक सभी भूभागों सभी मौसम में इंजीनियर टोही प्लेटफार्म है जो विभिन्न संग्राम इंजीनियरिंग कार्यों जैसे ब्रिजिंग, ब्रीचिंग और ट्रेक निर्माण के लिए सही डाटा प्राप्त करने में सक्षम है। भारतीय सेना ने 16 वाहनों की आपूर्ति के लिए मांग आदेश दिया है।

(च) **इन्फैंट्री युद्धक वाहन (आईसीवी), अभय** : बहु अनुशासनिक, बहु प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत अभय का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है । इसकी स्वचालिता और आयुध उप-प्रणालियों को साबित करने के लिए इसके व्यापक चलनशीलता और फायरिंग परीक्षण किए गए । विकास कार्यक्रम की सफलता ने रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है । विकसित प्रौद्योगिकी जैसे फायर नियंत्रण प्रणाली, संयुक्त आयुध हाइड्रो न्यूमैटिक संस्पेंशन और अन्य आटोमोटिव तथा कवच उप-प्रणालियों को भविष्य की आईसीवी और हल्के ट्रैक्ड वाहन परियोजनाओं के लिए अपनाया जा सकता है ।

(छ) **कवचित इंजीनियरिंग टोही वाहन (एईआरवी) :** एईआरवी एक सभी भूभागों सभी मौसम में इंजीनियर टोही प्लेटफार्म है जो विभिन्न संग्राम इंजीनियरिंग कार्यों जैसे ब्रिजिंग, ब्रीचिंग और ट्रेक निर्माण के लिए सही डाटा प्राप्त करने में सक्षम है। यह वाहन अत्याधुनिक उपकरण प्रणाली से लैस है जो हैच-डाउन स्थितियों में स्थलीय तथा पानी के नीचे सर्वेक्षण कार्य को समर्थ बनाता है । भारतीय सेना ने 16 वाहनों की आपूर्ति के लिए मांग आदेश दिया है । आयुध निर्माण (ओएफ), मेडक तथा बीईएम प्रमुख उत्पादन एजेंसियां हैं । अभी तक छः एईआरवी की आपूर्ति की जा चुकी है और 2007 के मध्य तक सुपुर्दगी करने की योजना है ।

(ज) **कवचित जल-स्थलीय डोज़र (एडीडी)** : इसे युद्ध के वातावरण में बलों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए मिट्टी हटाने के कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। सेना ने छः वाहनों की मांग का आदेश दिया है । पायलट वाहन आयुध निर्माणी, मेडक में निर्माणाधीन है ।

(झ) **एनवीसी टोह वाहन** : वीएमपी-II पर आधारित एनबीसी टोह वाहन का विकास रेडियोधर्मिता व रासायनिक संदूषण से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए किया गया है । इस उपस्कर को सेना में शामिल कराने के लिए अनुमोदन मिल गया है । सेना ने आठ वाहनों की मांग की है।

(ञ) **प्रणोदित सुरंग बरियर** : स्वदेशी प्रभावकारी सुरंग अदृश्य मेक - I, अदृश्य मेक - II एनडीएमके - I तथा एचपीडी एफ / टैंक रोधी सुरंगों को बिछाने के लिए उच्च गतिशीलता वाले वाहक वाहन पर स्वतः प्रणोदित सुरंग बरियर को विकसित करने की परियोजना हाथ में ली गई थी । प्रणाली का इंजीनियरीकृत प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया है जो चार प्रकार की टैंकरोधी सुरंगे बिछा सकता है ।

(त) **बहुउद्देशीय पेलोड के लिए स्वचालित चल प्लेटफार्म** : इस परियोजना में ऐसे रिमोट नियंत्रित वाहन का विकास करना है जो 500 मीटर रेंज की दर्श रेखा के साथ क्षेत्र पार और शहरी वातावरण दोनों में चलाया जा सके । सीढ़ी से चढ़ने की सुविधा, स्लेविंग रिंग बीयरिंग द्वारा चालित 6 डिग्री तक स्वतंत्रता से घूमने वाले आर्म और आरओवी पर एकीकृत पेलोडों वाले रिमोट से चलने वाले वाहन (आरओवी) का सफलतापूर्वक विकास कर लिया गया है। इसके 2 प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं और यह परियोजना तकनीकी परीक्षणों के बाद सफलतापूर्वक पूरी हो गई है ।

(थ) **मोड्यूलर ब्रिज, साकव** : इस परियोजना में टाट्रा वाहन पर आधारित यांत्रिक रूप से चालित सिंगल स्पेन मोड्यूलर ब्रिजिंग प्रणाली का विकास करने का विचार है जिसे सभी तरह के भूभागों में तैनात किया जा सके । इस पुल की लंबाई 14 मीटर से 46 मीटर तक होगी । इसकी 20 मीटर की प्रणाली तैयार की गई है जिसके डिजाइन की जांच पड़ताल के परीक्षण किए गए हैं । इस प्रणाली के 46 मीटर लंबे पुल का सुपर स्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है और अनुकूल लोड स्थिति के अंतर्गत इसका परीक्षण पूरा हो गया है।

(द) **टी-72 टैंक पर सुरंग रोधी फ्लेल** : इस परियोजना में सुरंग क्षेत्रों को नष्ट करने और वाहन के लिए चार मीटर चौड़ा रास्ता बनाने हेतु टी-72 टैंक की चैसिस पर फ्लेल प्रणाली विकसित करने का विचार है और टैंक आधारित सिम्यूलेटर पर इसकी पहली प्रणाली तैयार की गई है जिसके तकनीकी परीक्षण भी सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं ।

(ध) **पर्वतीय मौसम पूर्वानुमान** : मौसम प्रणाली को भौगोलिक तथा वास्तविक समय के आधार पर नियत करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर, सियाचिन तथा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सेक्टरों में मौसम संबंधी प्रेक्षण तथा स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्युएस) स्थापित किया गया है । मौसम संबंधी प्रेक्षण नेटवर्क द्वारा मुहैया कराए गए डाटा के आधार पर सियाचिन सहित समस्त पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लिए तीन दिवसीय मौसम संबंधी पूर्वानुमान जारी किया गया है । कश्मीर घाटी क्षेत्र के लिए सेना को सात दिवसीय पूर्वानुमान दिया गया है । मौसम के स्थानीय तौर पर विश्लेषण करने एवं दूरस्थ प्रयोक्ताओं तक पूर्वानुमान के प्रचार-प्रसार के लिए श्रीनगर (कश्मीर) एवं ससोमा (सियाचिन) में दो पर्वतीय मौसम संबंधी केंद्र स्थापित किए गए हैं ।

(न) **स्वचालित पिट प्रोफाइलिंग** : स्थानीय जलवायु तथा स्थलाकृत्ति में भिन्नता होने के कारण हिम आच्छादन सहज ही अलग-अलग होता है । अवधाव रचना तंत्र को समझने के लिए अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग हिम आच्छादान तथा इस आच्छादन में निहित कमजोरियों का ज्ञान आवश्यक है । हिम तथा अवधाव अध्ययन संस्थान (सासे) ने आंतरिक स्नो पैक संरचना तथा इसके स्थान और उच्च विभेदन स्नामाइक्रोपेन के आउटपुट से अस्थायी परिवर्तनशीलता संबंधी सूचना को प्राप्त करने के लिए स्नोपैक प्रो सॉफ्टवेयर विकसित किया है ।

(च) आयुध :

(क) **बहु बैरल रॉकेट प्रणाली (एमबीआरएस), पिनाक :** प्रणाली में लांचर, लोडर-कम-रिप्लेनिशमेंट वाहन तथा कोलोस टाट्रा 8x8 (उच्च गतिमान वाहन) पर आरोपित फायर नियंत्रण कंप्यूटर के साथ कमांड पोस्ट भी है । शूट एवं स्कूट क्षमता वाली इस प्रणाली की मारक दर बहुत तेज है । यह 40 सेकंड में 12 रॉकेटों के साल्वो को फायर कर सकती है । यह 37.5 कि.मी. का एक अधिकतम रेंज वाला युद्ध क्षेत्र सुरक्षा हथियार है और विश्व में उपलब्ध इस श्रेणी की प्रणालियों की तुलना में काफी बेहतर है । इसके सामान्य स्टाफ मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया है । सेना ने पिनाक शस्त्र प्रणाली को शुरूआत में 2 रेजिमेंटों में शामिल करने की योजना बनाई है जिनकी उत्पादन लागत लगभग 1300 करोड़ रु. है ।

(ख) **अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर (यूबीजीएल)** : डीआरडीओ ने 5.56 एमएम इनसास तथा एके 47 राइफल के अनुरूप यूबीजीएल का विकास किया है । इसके प्रयोक्ता परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं तथा इस वर्ष के दौरान तीन भू-भागों पर ट्रूप परीक्षण भी सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं । इनमें से आखिरी परीक्षण रेगिस्तानी भू-भाग में पूरा कर लिया गया था।

(ग) **इन्फ्लुऐंस माइन एम के II** : अत्याधुनिक एन्फ्लुऐंस माइन एम के I जोकि वर्तमान युद्ध टैंक को अस्थिर करने में पूरी तरह सहायक है, का विकास डीआरडीओ द्वारा पहले ही कर लिया गया था । यह सक्रिय इन्फ्लुऐंस फ्यूज एमके II संयोगी प्रभावकारी टैंक रोधी सुरंग है, जो विरोधी युद्धक टैंक की बढ़ती चुनौतियों को भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब है । उच्च प्रभावकारिता वाली इस सुरंग के एमके II

वर्जन के डिजाइन और विकास का कार्य पूरा हो गया है । प्रौद्योगिकी के पूर्ण हस्तांतरण (टी ओ टी) दस्तावेज पूरे कर लिए गए हैं । सेना ने 96.76 करोड़ रुपए की लागत की 20,000 सुरंगों की मांग प्रस्तुत की है।

(घ) **आधुनिक सब-मशीन कारबाइन (एमएसएमसी)** : एमएसएमसी, जोकि भारतीय लघु शस्त्र प्रणाली (इनसास) का एक हिस्सा है, के विकास का कार्य डीआरडीओ द्वारा किया गया था। इसके विभिन्न पहलुओं जैसे - कार्य करना, अचूकता, लक्ष्य भेदन आदि प्रयोक्ताओं के सामने प्रदर्शित किए गए थे । प्रयोक्ता परीक्षण जून, 2006 में सफलतापूर्वक पूरे किए गए।

प्रारंभ में सेना द्वारा अपने दो रेजिमेंटों में पिनाक हथियार प्रणाली को शामिल करने की योजना है जिसका उत्पादन मूल्य लगभग 1300 करोड़ रुपए है और इसके लिए व्यापार को वाहन लांचरों के आर्डर दिए गए हैं ।

(च) **गन नोदन के मूल्यांकन के लिए हाई प्रेशर क्लोज्ड वैसल प्रणाली :** 800 एमपीए तक के दबाव के रिकार्डिंग के लिए बंद वैसल एवं यंत्रीकरण निहित प्रणाली का सफलतापूर्वक डिजाइन एवं विकास किया गया है । 0.45 ग्राम/मि.ली. के भरे हुए घनत्व तक की बंद वैसल फायरिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है ।

(छ) **मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड** : एकाकार वितरण प्राप्त करने के लिए बेलनाकार मृदुल स्टील विखंडन में इस्तेमाल किए जाने वाले हैंड ग्रेनेड को विकसित कर लिया गया है । प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित 95% से अधिक की सफलता की दर को प्राप्त कर लिया गया था । इसके ट्रूप परीक्षण भी सफलतापूर्वक कर लिए गए हैं ।

(ज) **बंड ब्लास्टिंग डिवाइस (बीबीडी)** : सेना की आगे बढ़ने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए डीआरडीओ ने मानव पोर्टेबल डिवाइस जिसे बीबीडी कहा जाता है का सफलतापूर्वक विकास कर लिया गया है । सेना ने 240 सेटों (1440 इकाइयों) की आपूर्ति हेतु मांग-पत्र प्रस्तुत किया है ।

(झ) **पिच आधारित सक्रिय कार्बन स्फीरोइडस** : विषैली युद्ध पद्धति गैसों के अधिशोषण के लिए पिच आधारित सक्रिय कार्बन स्फीरोइड का विकास किया गया है । सक्रिय कार्बन स्फीरोइड युद्धनीतिक अधिशोषक सामग्री है तथा रासायनिक युद्ध होने पर सशस्त्र बलों के बचाव के लिए आवश्यक है ।

(छ) नौसेना प्रणालियां :

(क) **वितरित कंप्यूटिंग, दर्पण का प्रयोग करते हुए प्रणाली अभिकलन** :दर्पण परियोजना के अंतर्गत वितरित कंप्यूटिंग वातावरण पर सोनार प्रणाली तथा इसके वातावरण के लिए प्रणाली स्तरीय अभिकलन सामर्थ्यता स्थापित की गई है। विकसित अभिकलन मॉडलों को अनुक्रमिक या समानांतर कार्यक्रमों के तौर पर चलाया जा सकता है । पोर्टेड मॉडलों को लाइब्रेरी के घटकों के रूप में इकट्ठा किया जाता है और प्रणाली स्तरीय अभिकलन के लिए उपलब्ध कराया जाता है ।

(ख) **फायर नियंत्रण प्रणाली** : प्लेटफार्म से 6000 राकेटों और टारपीडों की फायरिंग करने की क्षमता वाली यह अत्याधुनिक मॉड्युलर प्रणाली है जो जहाज की रूसी प्रणाली का प्रतिस्थापन्न है । 30 करोड़ रुपए की विदेशी प्रणाली की तुलना में स्वदेशी प्रणाली की लागत केवल 4 करोड़ रुपए है । हेलीकॉप्टर फायर कंट्रोल प्रणाली (एच एफ सी एस) का भी विकास किया गया है तथा नौसेना के हल्के हेलीकॉप्टर में शामिल करने हेतु इसे एच ए एल के सुपुर्द किया गया है। 300 लाख रुपए की आयातित प्रणाली की तुलना में स्वदेशी एच एफ सी एस प्रणाली की अनुमानित लागत 40 लाख रुपए है ।

(ग) **हल्के भार वाली सुरंग** : उथले (तटीय) जल अनुप्रयोगों के लिए हल्के भार वाली सुरंगों के डिजाइन एवं विकास का कार्य हाथ में लिया गया है । हल्के भार वाली सुरंगों की उप प्रणालियों का विकास कार्य पूरा कर लिया गया है । बंदरगाह तथा समुद्री परीक्षण में मूल्यांकन के लिए प्रणाली समाकलन किया जा रहा है ।

(घ) **ध्वनिक रव-शामक** : 500 किलो वाट डीजल अल्टरनेटर के लिए ध्वनिक अवरोधक को आई एन एस राणा बोर्ड पर

डिजाइन, निर्माण एवं अधिष्ठापित किया गया है । डिजाइन किए जा रहे भावी पोतों का नौसेना मुख्यालय ने मूल्यांकन कर लिया है और अभिपूर्ति हेतु इसकी सिफारिश की है । इंजन कक्ष ब्लोअर के लिए ध्वनिक रव-शामक का डिजाइन निर्माण किया गया है तथा रव-क्षीणन के लिए इसे आई एन एस राणा पर फिट किया जा रहा है । नौसेना ने मदों को स्वीकार कर लिया है तथा सभी पोतों में लगाने हेतु सिफारिश की है ।

(ज) उन्नत सामग्रियां :

(क) **पॉलीमरिक रबिंग फेन्डर :** इन फेंडरों को सागवान की लकड़ी के बेहतर स्थानापन्न के रूप में विकसित किया गया है ताकि समाघात से समावरक संरचना को बचाया जा सके। सामग्री में पॉलीमरों का समिश्रण है तथा इसमें कठोरता व लचीलापन दोनों हैं। भारतीय नौसेना ने इसे नौसेना में शामिल कर लिया है।

(ख) **थिक्सोट्रोपिक पिग्मेंटेड पेंट** : जब इस पेंट को निमज्जित परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो यह 3 घंटे में सूख जाता है और इसके बाद लगाई जाने वाली परत 4 घंटे बाद लगाई जा सकती है । पेंट को लगाने के लए पोर्टेबल हैंड हेल्ड एप्लीकेटर डिवाइस का विकास किया गया है ।

(ग) **डायनामिक सील तथा रबड़ होल्डर :** कावेरी इंजन नोजल हाइड्रोलिक असेंबली के लिए 12 प्रकार के डायनामिक सीलों का विकास किया गया है । जिन्होंने 10,000 साइकिलों के लिए रिग ट्रायल परीक्षण संतोषजनक रूप से पूरे कर लिए हैं ।

(घ) **आर्थोपेडिक इम्प्लांट एप्लिकेशन के लिए बी टिटैनियम मिश्र धातु :** टिटैनियम मिश्र धातु (जिसमें नियोबियम, टैंटालूम तथा जिर्कोनियम शामिल है) को उच्च शक्ति एवं निम्न मॉड्यूल्स पर सफलतापूर्वक पिघलाया गया है । इम्प्लांट एप्लिकेशन के लिए मिश्र धातु Ti_6Al_4V से अधिक बेहतर बायो संगतता प्राप्त होने की उम्मीद की जाती है ।

(च) **एक्टिव मेटल ब्रेजिंग मिश्र धातु :** कई रक्षा तथा अन्य युद्धनीतिक अनुप्रयोगों में मेटल में सिरेमिक बोंडिंग महत्वपूर्ण आवश्यकता है । टिटैनियम वाली एक्टिव मेटल ब्रेजिंग मिश्र धातु का प्रयोग करते हुए बोंडिंग को प्राप्त किया जा सकता है । डीआरडीओ ने सिल्वर, कॉपर तथा टिटैनियम को मिलाकर इस तरह का एक मिश्रण तैयार किया है । गरम तथा शीत रोलिंग के संयोजन से 0.1 मि.मी. मोटाई वाले फॉयल्स का उत्पादन किया गया है ।

(छ) **इलैक्ट्रो मैग्नेटिक एबजार्बर कोटिंग तथा पेनल्स** : डीआरडीओ ने 3-3.5 मि.मी. की मोटाई वाली एबजार्बर कोटिंग विकसित की है जिसकी परावर्तन हानि 8-18 गेगा हर्टज में 20 डीबी तथा 6.5-8.0 गेगा हर्टज फ्रीक्वेंसी रीजन में 10 डीबी है और 12.5 मि.मी. मोटाई के एबजार्बर पैनल की परावर्तन हानि गेगा हर्टज रीजन में कम से कम 15 डीबी है । 25 मि.मी. मोटाई के पेनल में न्यूनतम परावर्तन हानि 7-18 गेगा हर्टज में 20 डीबी तथा 2-7 गेगा हर्टज फ्रीक्वेंसी रिजन में 10 डीबी हासिल की गई है ।

(ज) **94 गेगा हर्टज रेडार के लिए निकल कोटेड ग्लास फाइबर चैफ :** 20 ओएचएम/सीएम से कम विद्युत प्रतिरोधकता वाले निकल सहित ग्लास फाइबर की कोटिंग करने हेतु कम लागत वाली स्वदेशी विधि विकसित की गई है। इस प्रकार के मैटल–कोटेड फाइन ग्लास फाइबर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध अत्यधिक उन्नत शॉफ सामग्री है। इस समय, वायुसेना और नौसेना सामग्री का आयात कर रही हैं।

(झ) **रनवे की शीघ्र मरम्मत :** वायुसेना स्टेशन लोहगांव, पुणे में रनवे की शीघ्र मरम्मत का उपभोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिए गए थे। इसका उद्देश्य रनवे की तीव्रता से मरम्मत और एएलजी के लिए आसपास के तापमान की परिस्थितियों के अंतर्गत फास्ट सेटिंग एण्ड हाई स्ट्रेंथ रेसिन सिस्टम की व्यावहारिकता की जांच करने के लिए परीक्षण स्थल पर तैयार किए गए मानक क्यूबों तथा बीमों का परीक्षण करना तथा मरम्मत किए गए परीक्षण स्लेब के पेवमैंट क्लासीफिकेशन नंबर (पीसीएन-वायुसेना की विनिर्दिष्ट) का मूल्यांकन करना था ।

(ट) **द्विआयामी (2-डी) इमेजिंग थर्मल टार्गेट** : टी-72 टैंक के द्विआयामी इमेजिंग थर्मल टार्गेट का वास्तविक आकार (1:1) पहली बार भारत में विकसित किया गया । यह वास्तविक टैंक के थर्मल प्रोफाइल को दर्शाता है । तीसरी

पीढ़ी की उष्मा प्राप्त वाली नाग मिसाइलों के फील्ड परीक्षण के दौरान ऐसे 4 लक्ष्य सप्लाई किए गए थे और उनका सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया था ।

(ठ) **सिंथेटिक लाइफ जैकेट एमके-1** : 15000 सिंथेटिक लाइफ जैकेट एमके-1 बनाने के लिए भारतीय सेना से प्राप्त हुए आदेश को पूरा किया गया है ।

(ड) **न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम :** सीमित सीरीज उत्पादन (एलएसपी) 47.44 करोड़ रुपए की लागत से 8 एनबीसी रैकी वाहनों तथा 7.63 लाख रुपए की लागत से 16306 रेडियक मीटर पर्सनल लॉकेट डोसीमीटर व रेडियक मीटर पर्सनल लॉकेट डोसीमीटरों के लिए 135 के उत्पादन का आदेश उपभोक्ताओं से प्राप्त हो गया है तथा इन्हें विभिन्न स्तरों पर पूरा किया जा रहा है ।

(झ) जैव विज्ञान प्रणालियां/उत्पाद :

(क) **उच्च तुंगता पॉलमोनरी ओडिमा (हेपो) बैग** : यह हैपो बैग 2700 मीटर से ऊंचे उच्च तुंगता वाले स्थानों पर लगातार चढ़ाई के खतरे से जुड़ा है । उच्च तुंगता वाले स्थानों पर काम करने वाले सैनिकों को आपातकालीन उपचार देने के लिए डीआरडीओ द्वारा हैपो बैग का विकास किया गया है । इसके अपग्रेडेड वर्जन का हाल ही में सफलतापूर्वक एचएएमआरसी, लेह तथा खारदूंगला में सफल परीक्षण किया गया है ।

उच्च तुंगता वाले स्थानों पर काम करने वाले सैनिकों को आपातकालीन उपचार देने के लिए डीआरडीओ द्वारा हैपो बैग का विकास किया गया है । इसके अपग्रेडेड वर्जन का हाल ही में सफलतापूर्वक एचएएमआरसी, लेह तथा खारदूंगला में सफल परीक्षण किया गया है ।

(ख) **कॉम्बेट फ्री फॉल ऑक्सीजन प्रणाली तथा सुरक्षा पोशाक** : यह पैराट्रूपर्स के लिए विकसित किया गया जिसमें प्री-ब्रीदर कनसोल, पोर्टेबल बेलआउट ऑक्सीजन प्रणाली, डिमांड ऑक्सीजन रेगुलेटर तथा ऑक्सीजन मास्क, हेलमेट, जम्पसूट, ग्लव्स, बूट, गोगल तथा जैक-नाइफ है । इस प्रणाली के प्रयोक्ता परीक्षण किए गए हैं तथा अब इसका उत्पादन किया जाएगा ।

(ग) **जल परीक्षण किट :** पीने के पानी के नमूनों के विश्लेषण फील्ड किट विकसित की गई है जिसमें 100 परीक्षणों के लिए रीजेंट उपलब्ध है । ये परीक्षण अर्ध-गुणता वाले हैं और स्वीकार्यता/निरस्तीकरण के आधार पर हैं । इससे पीएच, टर्बीडीटी, सकल कठोरता, क्लोराइड, लौह-अयस्क, फ्लोराइड, नाइट्रेट, क्लोरीन अवशेष तथा कोलीफार्म बैक्टीरिया की जांच की जाती है । ये किट सस्ती हैं और इन्हें पहाड़ी की चोटी पर आसानी से ले जाया जा सकता है तथा इससे अर्ध-कुशल कर्मचारी भी परीक्षण कर सकते हैं ।

(घ) **विमान-कर्मीदल बचाव जैकेट** : इसे सामान्य उड़ान के दौरान भी ऊपरी पोशाक के तौर पर पहना जाता है और इसमें कार्मिक के बचाव का संकेतक लगा रहता है जो पायलट की आपात वाली छलांग के समय स्वत: क्रियाशील हो जाता है/चलाया जा सकता है और यह कूदे हुए पायलट की भू-स्थिति का तेजी से पता लगाने में सहायता करता है। मिराज 2002, जगुआर, किरण मेक-I तथा II, किरण मेक 2ए तथा एचपीटी 32 में इस विमानकर्मी बचाव जैकेट के प्रयोक्ता परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं और इसे सेनाओं में शामिल करने के लिए स्वीकार कर लिया गया है ।

(च) **सशस्त्र सेनाओं का राशन स्केल** : सशस्त्र सेनाओं की तीनों शाखाओं के लिए मौजूदा राशन मानकों की समीक्षा की गई यथा (i) सेना: भाग-I मैदानी क्षेत्र, उच्च तुंगता क्षेत्र (9000 से 15000 फुट) अत्यधिक उच्च तुंगता क्षेत्र (15 हजार फुट से ऊपर) भाग-II - मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए तथा भाग-III - प्राथमिक सैन्य प्रशिक्षण के लिए (ii) नौसेना : नाविकों, पनडुब्बियों, मैरीन कमांडो तथा गोताखोरों के लिए और (iii) वायुसेना।

(छ) **रक्षा सेनाओं द्वारा मानक योग पैकेज अपनाना** : नौसेना की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए योग पैकेज विकसित किया गया है और इसे पश्चिमी तथा पूर्वी नौसेना कमान में शामिल

किया गया है और प्रत्येक फार्मेशन में लगभग 100 कार्मिकों को योग अनुदेशक में प्रशिक्षण दिया गया है ।

(ज) **स्वचालित चपाती बनाने की मशीन** : विभिन्न यूनिटों में चपाती बनाने तथा आटा गूंथने की पांच स्वचालित मशीनें लगाई गई हैं और इन्हें चलाने व इनके रख-रखाव के लिए उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है । ये मशीनें आर.आर. अस्पताल, नई दिल्ली, एएससी परिवहन कं. नई दिल्ली, मुख्यालय 9 कोर, ज्योली, हिमाचल प्रदेश, डीआरडीएल हैदराबाद और डीएफआरएल मैसूर में लगाई गई हैं ।

सेनाओं के साथ सहयोग

8.12 सेनाओं के साथ सहयोग करने और वाणिज्यिक विकास के लिए डीआरडीओ मुख्यालय में मुख्य नियंत्रक अनुसंधान तथा विकास का एक पद सृजित किया गया है और इसका उद्देश्य डीआरडीओ, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालयों सहित तीनों सेनाओं तथा रक्षा मंत्रालय में स्थापित महानिदेशक (अर्जन) के साथ डीआरडीओ की विभिन्न परियोजनाओं व कार्यक्रमों का तीनों सेनाओं की दीर्घावधि की भावी योजनाओं व तात्कालिक अवश्यकताओं के साथ सामंजस्य करते हुए आपसी सहयोग पर और अधिक ध्यान देना है ।

उद्योगों के साथ सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

8.13 डीआरडीओ द्वारा विकसित दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिक दोहन के लिए उद्योगों को हस्तांतरित करने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए डीआरडीओ द्वारा इस वर्ष भी कई प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की गई हैं, जिनमें से कुछ एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां इस प्रकार हैं : एलोवेरा क्रीम (एलोकेल), बहु-उद्देशीय शुष्क रसायन एबीसी पाउडर रिपोर्ट पाउच प्रोसेसिंग टैक्नोलॉजी, एनबीसी फिल्टर-एफएएस आरवी 220 एम, पोलीमरिक रबिंग स्ट्रैक्स एवं पोलीनलेस्ट डॉक ब्लॉक्स, पोलियोक्सी प्रोपलेन ट्राओल तथा ट्राइकथिलिन ग्लाइकोल, डाइमिथाक्रेलेट पोली यूरिथेन सीलेंट, एकाउस्टिक रबड़ टाइल्स, फील्ड वाटर टेस्टिंग किट, पैलाडियम इम्प्रीग्नेटड कार्बन एवं इम्पीग्नेटड कार्बन, दीपा टैक्नीकल तथा दीपा स्प्रे ।

डीओरडीओ प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण द्वारा उद्योग के साथ निकट संपर्क बनाए रखता है । डीआरडीओ द्वारा विकसित दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकियों को उनकी वाणिज्यिक संभावनाओं के लिए हस्तांतरित करने की परंपरा को जारी रखते हुए वर्ष के दौरान कई प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण किया गया है ।

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी

8.14 डीआरडीओ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों में नियमित रूप से भाग लेता रहा है और इस वर्ष इसने एयरोड्रम इण्डिया आईआईटी एफ-2006 आदि जैसी कई प्रदर्शनियों के अलावा डेफ एक्सपो इण्डिया 2006 में भी भाग लिया है । वर्ष 2006 के दौरान डीआरडीओ के उत्पाद जिन मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किए गए, वे हैं - एशियन एयरोस्पेस तथा रक्षा प्रदर्शनी, सिंगापुर, रक्षा सेवा एशिया 2006, क्वालालांपुर और अफ्रीका एयरोस्पेस एवं रक्षा प्रदर्शनी, केपटाउन, साउथ अफ्रीका ।

विदेशी सहयोग

8.15 इस समय डीआरडीओ का रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 33 देशों के साथ समझौता ज्ञापन/समझौता है । डीआरडीओ के मुख्य विदेशी सहभागी हैं रूस, अमरीका, फ्रांस, इजराइल, जर्मनी, यू.के., सिंगापुर, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान और इनके साथ जिन क्षेत्रों में सहयोग हैं, वे हैं प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकियां, वैमानिकी तथा विमान प्रौद्योगिकियां, माइक्रोवेव, लेजर प्रणालियां, नैनो सामग्रियां, गुप्तचरी (स्टील्थ)/खुफिया कार्रवाई, हाइपरसोनिक तथा नौसेना प्रणालियां । दूसरे देशों के साथ सभी प्रकार का सहयोग रक्षा मंत्रालय की संपूर्ण देखरेख के अंतर्गत किया जाता है और डीआरडीओ द्वारा अपने मुख्य विदेशी सहभागियों के साथ संयुक्त कार्यदल गठित किए गए हैं और ऐसे तीन कार्यदलों यथा भारत, अमरीका, संयुक्त प्रौद्योगिकी दल, भारत, रूस अनुसंधान एवं विकास उपसमूह और भारत इजराइल प्रबंधन समिति की वार्षिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं ।

बुनियादी अनुसंधान

8.16 युद्धनीतिक महत्व के क्षेत्रों में मूलभूत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ में चार अनुसंधान बोर्ड कार्य कर रहे हैं । ये हैं : वैमानिकी अनुसंधान तथा विकास बोर्ड (एआरएण्डडीबी); आयुध अनुसंधान बोर्ड (एआरएमआरईबी); नौसेना अनुसंधान बोर्ड (एनआरबी); और जैव विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (एलएसआरबी) ।

8.17 **वैमानिकी अनुसंधान और विकास बोर्ड (एआरएण्डडीबी)** : एआरएण्डडीबी को 1971 में स्थापित किया गया था । यह बोर्ड देश में 21 शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में अपस्ट्रीम क्षेत्र (प्रचलित विषय) में वर्तमान में 95 परियोजनाओं को निधियां प्रदान कर रहा है, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए है । निधियों का वितरण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) को 27%, राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशालाओं (एनएएल) को 38%, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को 10% और अन्य संस्थानों को 25% है । अन्य संगठनों के सहयोग से प्रणाली, डिजाइन और इंजीनियरिंग, समेकित संरचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटेशनल फ्लूड डायनामिक्स के क्षेत्रों में आईआईटी, मुम्बई, एनएएल और आईआईएस बंगलौर में तीन उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं ।

8.18 **आयुध अनुसंधान बोर्ड (एआरएमआरईबी)** : एआरएमआरईबी के अंतर्गत उच्च ऊर्जा सामग्रियों, सेंसरों, बैलिस्टिक कंबस्सन और डेटोनिक्स, मोडलिंग/सिमुलेशन की फील्ड और आयुध की अन्य फील्डों के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आर एण्ड डी संगठनों के लिए 70 परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की गई है । इनमें से 30 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष परियोजनाओं पर कार्रवाई चल रही है ।

8.19 **नौसेना अनुसंधान बोर्ड (एनआरबी)** : एनआरबी नौसेना/मरीन प्रौद्योगिकियों के लिए उपयोगी बुनियादी अनुसंधान में सहायता करने के लिए नियमित किया गया है । वर्ष 1996 में इसके प्रारंभ होने से अब तक शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों को 11.03 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 51 परियोजनाएं दी गई हैं । वर्ष के दौरान 4 करोड़ की लागत वाली 17 और नई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं ।

8.20 **जैव विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (एलएसआरबी) :** एलएसआरबी जीव विज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी जानकारी का विस्तार करने तथा उसे और अधिक गहन बनाने के लिए देश में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान और विकास परियोजनाएं प्रायोजित कर रहा है । वर्ष के दौरान अब तक कुल 19 परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है। तीन पेटेंट फाइल कर लिए गए हैं और एक पर कार्य चल रहा है । कुछ परियोजनाएं जो एलएसआरबी से सहायता प्राप्त हैं, वे एंटी-हाईपोग्लाइसेमिक गतिविधि फ्लाइट सिमुलेशन टास्क पर्फोमेंस, फूड बायोप्रिजर्वेटिव, मॉलिक्यूल (आइडेंटिफिकेशन) कैंसर में मल्टी ड्रग रजिस्टेंस, ड्रग रजिस्टेंस में जीन एक्सप्रेशन आदि के लिए प्राकृतिक उत्पादों के मूल्यांकन से संबंधित है ।

8.21 **विशिष्टता के केंद्र :** डीआरडीओ ने मजबूत डीआरडीओ - शैक्षणिक संपर्क बनाने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों पर विशिष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ष 2005 में सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है जिसे रक्षा अनुप्रयोगों के लिए नवीकृत प्रौद्योगिकीय निदान हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण समझा गया है । ये केंद्र विज्ञान के अति वैशिष्टीकृत क्षेत्रों में डीआरडीओ की सहायता करेंगे । शैक्षणिक संस्थानों के संकाय, अनुसंधान आधारित संरचना और युवा तथा उत्साही वैज्ञानिक जनशक्ति के रूप में उपलब्ध विस्तृत संसाधनों से लाभ प्राप्त करने के लिए इन विशिष्टता केंद्रों को स्थापित किया गया है ।

8.22 **निम्नलिखित केंद्र स्थापित किए गए हैं :-**

(i) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद में विस्फोटकों और प्रणोदकों के रूप में इस्तेमाल के लिए उच्च ऊर्जा सामग्रियों का विज्ञान और सिंथेसिस ।

(ii) भरतियार विश्वविद्यालय (बीयू), कोयम्बटूर में जैव विज्ञान में डीआरडीओ बीयू विशिष्टता केंद्र ।

(iii) कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता में मिलीमीटर वेव और अर्धचालक उपकरण और प्रणाली केंद्र ।

8.23 **अनुसंधान सेवाएं प्राप्त करने के लिए संविदा (सीएआरएस)** : डीआरडीओ ने शैक्षणिक संस्थानों से अनुसंधान

सेवाएं प्राप्त करने हेतु एक संविदा प्रक्रिया शुरू की है । इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए कोई भी प्रयोगशाला विशेषज्ञता हासिल कर सकती है और शैक्षणिक संस्थाओं की सुविधाओं का लाभ उठा सकती है । इस योजना के तहत कोई भी प्रयोगशाला किसी व्यक्ति या संस्थान को 10 लाख रुपए तक की परियोजना सौंपने के लिए प्राधिकृत है । डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं सीएआरएस के तहत लगभग 8 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च कर रही हैं ।

बर्हिविश्वविद्यालयेतर अनुसंधान एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (ईआर/आईपीआर)

8.24 **बर्हिविश्वविद्यालयेतर अनुसंधान (ईआर)** : डीआरडीओ लघु/दीर्घ अवधि के कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में उपलब्ध जानकारी/विशेषज्ञों का उपयोग करने में सक्रिय रूप से जुटा है। अपनी ईआर योजना के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में उपलब्ध बौद्धिक स्रोतों के साथ जुड़े वर्धित बाह्य निधिकरण नई-नई प्रौद्योगिकियों की ओर अभिमुख नए विचारों की उत्पत्ति और विकास को उत्प्रेरित करेंगे ।

8.25 ईआर योजना ने अपनी शैक्षणिक पहुंच बढ़ा दी है और वहां बौद्धिक तथा अवसंरचनात्मक स्रोतों की उपलब्धता के लिए उचित ध्यान दिया जा रहा है । चालू वर्ष के दौरान अभी तक 18 करोड़ रुपए मूल्य की 45 नई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं । ये परियोजनाएं देश की प्रतिष्ठित 28 शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थाओं में फैली हुई है । शैक्षणिक संस्थाओं तथा अनुसंधान एवं विकास द्वारा डीआरडीओ के लिए हितकर विभिन्न विषयों पर 85 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सममेलन आयोजित किए गए जिनपर 89 लाख रुपए की धनराशि खर्च हुई ।

8.26 **बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) :** डीआरडीओ के अनुसंधान क्रियाकलापों से तैयार की गई बौद्धिक संपदा को विशेष कानूनी संरक्षा प्रदान करने के लिए सामग्री, इलैक्ट्रॉनिक, जैव चिकित्सा विज्ञानों तथा खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्पादों/प्रक्रियाओं के लिए 79 बौद्धिक संपदा अधिकार आवेदन पत्र (विदेश में प्रस्तुत 13 आवेदनों सहित) प्रस्तुत किए गए । वर्ष के दौरान 55 पेटेंट दिए गए और 50 पेटेंट देने के लिए स्वीकार किए गए थे । इसके अलावा 3 कापीराइट और 3 डिजाइन भारत में रजिस्टर किए गए थे । बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं में 6 जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं/पेटेंट क्लिनिक आयोजित किए गए ।

9

अंतर सेवा संगठन

एकता के जरिए विजय

अंतर सेवा संगठन संसाधनों और सेवाओं का विकास और अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी हैं जो लागत में किफायत बरतने और बेहतर सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए तीनों सेनाओं के वास्ते समान हैं

9.1 निम्नलिखित अंतर-सेवा संगठन सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं :-

(i) सेना इंजीनियर सेवा

(ii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय

(iii) रक्षा संपदा महानिदेशालय

(iv) मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

(v) जनसंपर्क निदेशालय

(vi) सेना क्रय संगठन

(vii) सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड

(viii) सेना चित्र प्रभाग

(ix) राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय

(x) विदेशी भाषा विद्यालय

(xi) इतिहास प्रभाग

(xii) रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय

(xiii) रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय

(xiv) रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

सेना इंजीनियर सेवा (एमईएस)

9.2 सेना इंजीनियर सेवा देश की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी है जिस पर 6500 करोड़ रुपए से अधिक का मौजूदा वार्षिक कार्यभार है । यह रक्षा सेनाओं की प्रमुख इंजीनियरी शाखा है जो सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, आयुध निर्माणियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा अन्य केंद्रीय एवं राज्य सरकार के उपक्रमों को निर्माण सेवाएं प्रदान करती है ।

एम ई एस इंजीनियर-इन-चीफ के समग्र नियंत्रण में काम करती है जो निर्माण इंजीनियरी में रक्षा मंत्रालय एवं तीनों सेनाओं के सलाहकार हैं ।

9.3 एमईएस इंजीनियर-इन-चीफ के समग्र नियंत्रण में काम करती है जो निर्माण इंजीनियरी में रक्षा मंत्रालय एवं तीन सेनाओं के सलाहकार हैं । इसका गठन ऐसे निर्माण कार्यों को डिजाइन करने के लिए किया गया है जो निर्माण महानिदेशालय के प्रबंधन में किए जाते हैं। इसके पास पारंपरिक भवनों एवं फैक्टरियों से लेकर अत्याधुनिक जटिल प्रयोगशालाओं, समुद्री निर्माण कार्यों, पोतघाटों, गोदीबाड़ों, गोदियों, कर्मशालाओं, जलावतरणों, हवाई अड्डों, सड़कों, ब्लास्ट पेनों से लेकर सभी प्रकार के सिविल निर्माण कार्यों की विशेषज्ञता हासिल है ।

9.4 वर्ष के दौरान एमईएस द्वारा शुरू किए गए बड़े निर्माण कार्य इस प्रकार हैं :-

(क) **परमवीर:** सरकारी कार्यक्रमों के लिए एक सम्मेलन केंद्र, दो सभा भवन, प्रदर्शनी क्षेत्र और बेसमेंट पार्किंग सुविधाओं

सहित दिल्ली में अत्याधुनिक अफसर मैस का इस समय निर्माण जारी है ।

(ख) **विश्व सैन्य खेल :** हैदराबाद तथा मुंबई में 14-21 अक्तूबर 2007 तक होने वाले प्रस्तावित चौथे सैन्य विश्व खेल के लिए आधारभूत ढांचे का सृजन किए जाने का कार्य जारी है ।

9.5 **विवाहित आवास परियोजना (एमएपी) :** 5329.30 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 58,391 रिहायशी इकाइयों के निर्माण हेतु परियोजना के चरण-I का कार्य चल रहा है।

चयन ग्रेड कर्नल के रैंक के सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी) अफसरों की सेवानिवृत्ति की आयु नवम्बर, 2006 में 56 वर्ष से बढ़ाकर 57 वर्ष कर दी गई है ।

9.6 **ऊर्जा संरक्षण** : ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार यह अब सांविधिक आवश्यकता है। तदनुसार, सुविचारित लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर एमईएस शुरू में अस्पतालों, खरीदारी परिसरों और जलापूर्ति अधिष्ठापनों पर केंद्रित रही । इसे ऊर्जा साधकता ब्यूरो की अधिकृत एजेंसी द्वारा ऊर्जा लेखापरीक्षा करके प्राप्त किया जा रहा है । सेना रिसर्च और रेफरल अस्पताल के पहले मामले से लगभग 70 लाख रुपए के बराबर बिजली शुल्क में वार्षिक बचत की गई है । सौर ऊर्जा आधारित तापन और बाह्य प्रकाश-व्यवस्था उपकरणों को अब सभी नई परियोजनाओं में शामिल किया जा रहा है ।

9.7 **वर्षा जल संग्रहण :** कम होते भू जल संसाधनों और केंद्रीय भू जल प्राधिकरण के निदेशों के परिणामस्वरूप यह अनिवार्य कर दिया गया है कि स्थानीय केंद्रीय भू जल प्राधिकरण के साथ परामर्श करके सभी परियोजनओं में वर्षा जल संग्रहण योजनाएं शामिल की जाएं । जामनगर, बेलगाम, चेन्नई और पठानकोट कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहां पहले से ऐसा निर्माण कार्य किया जा रहा है।

9.8 **अपजल पुनरावर्तन :** जल संरक्षण के प्रयास में अब गंदे पानी को कतिपय न्यूनतम उपचार के अधीन फ्लश और बागवानी आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल किए जाने का प्रस्ताव है । तलियामुरा में एक नमूना परियोजना कार्यान्वित की गई है और इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर औरंगाबाद, जामनगर, आगरा और कुछ अन्य स्टेशनों पर इसी तरह की परियोजनाएं चलाए जाने की योजना बनाई जा रही है ।

9.9 **हवा ऊर्जा :** तटीय क्षेत्रों में जहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं, हवा ऊर्जा को विंडमिलों का इस्तेमाल करके उपयोग में लाया जा सकता है । एमईएस ऊर्जा के इस वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने का इरादा रखती है और एक नमूना परियोजना के रूप में 10 कि.वाट क्षमता तक का एक हवा शक्ति जनित्र अधिष्ठापित किए जाने की योजना है ।

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा

9.10 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में सेना, नौसेना और वायुसेना की चिकित्सा सेवाएं और महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा शामिल है । प्रत्येक चिकित्सा सेवा लेफ्टिनेंट जनरल अथवा समतुल्य रैंक में महानिदेशक, चिकित्सा सेवा के अधीन है । महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा रक्षा मंत्रालय का चिकित्सा सलाहकार है और चिकित्सा सेवा सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी है । सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के कार्मिकों में सेना चिकित्सा कोर, सेना चिकित्सा कोर (गैर-तकनीकी) सेना दंत चिकित्सा कोर और सैन्य परिचर्या सेवा के अफसर शामिल हैं । सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा सेवारत सशस्त्र सेना कार्मिकों, उनके परिवारों और आश्रितों की व्यापक स्वास्थ्य देखभाल करती है । इसके अलावा, अर्द्ध सैनिक संगठनों के कार्मिकों, फील्ड में तैनाती के दौरान और देश के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में कार्यरत अन्य केंद्रीय पुलिस/आसूचना बलों के कार्मिकों को सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है । सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा संभव सीमा तक भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करा रही है ।

9.11 **वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए :-**

(क) चयन ग्रेड कर्नल के रैंक के सेना चिकित्सा कोर (गैर-तकनीकी) अफसरों की सेवानिवृत्ति की आयु नवंबर 2006 में 56 वर्ष से बढ़ाकर 57 वर्ष कर दी गई है ।

(ख) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के लिए मानद परामर्शदाताओं के रूप में सशस्त्र सेनाओं से जाने माने डाक्टरों की नियुक्ति किए जाने संबंधी आदेश जून 2006 में जारी किए गए थे ।

9.12 **सशस्त्र सेनाओं में एचआईवी/एड्स रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम** : सशस्त्र सेनाओं में एचआईवी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण का एक अत्यंत व्यापक और प्रभावशाली कार्यक्रम है जिसके कारण सशस्त्र सेनाओं में पिछले 3-4 वर्षों में एचआईवी की घटनाओं में रोक लगी । कार्यक्रम को समेकित करने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप/ उपलब्धियां की गईः-

देश भर में फैली रक्षा भूमि का कुल परिमाण लगभग 17 लाख एकड़ है ।

(क) **स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलाप :** इस कार्यक्रम की रीढ़ गहन जानकारी, शिक्षा और सूचना कार्यकलाप थे जो इस बीमारी के खतरे और इसकी रोकथाम के तरीकों के बारे में सशस्त्र सेनाओं में सामुदायिक स्तर पर जानकारी देने पर केंद्रित थे। इन गहन जानकारी, शिक्षा और सूचना कार्यकलापों में एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूली बच्चों के वास्ते व्याख्यान, सामूहिक चर्चाएं, विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

(ख) **ब्लड बैंक :** इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक सशस्त्र सेना अस्पतालों में ब्लड बैंक संबंधी सेवाओं में वृद्धि होना है । सशस्त्र सेनाओं में स्वैच्छिक रक्तदानदाताओं से एकत्रित सभी रक्त नमूनों की इस विषय पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार एचआईवी, हेपिटाइटिस बी और सी, सिफिलिस के संबंध में जांच की जाती है ।

(ग) सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा स्थापनाओं में सभी चिकित्सा, अर्द्ध चिकित्सा कार्मिकों और सहायक कर्मचारियों को, जो अपनी ड्यूटी करते समय एचआईवी युक्त व्यक्ति के रक्त और रक्त उत्पादों के प्रभाव में रहते हैं, एक माह का रिट्रो वाइरलरोधी उपचार उपलब्ध कराया जाता है और आगे भी जारी रखा जाता है । इस उपाय के बाद उनमें सीरम संबंधी कोई परिवर्तन नहीं पाया गया है ।

(घ) सशस्त्र सेनाओं ने 10 चुनिंदा सैन्य अस्पतालों में इम्यूनो डिफिसियंसी सेंटर बनाए जाने का कार्यक्रम शुरू किया है । ये केंद्र एचआईवी/एड्स के रोगियों का पता लगाने और उनका उपचार करने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सज्जित हैं ।

9.13 **सेवानिवृत्ति पश्चात् पुनर्वास** : सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा अफसरों और अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के सेवानिवृत्ति पश्चात् पुनर्वास में सहायता उपलब्ध कराने के लिए सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक के कार्यालय में एक नियोजन एकक स्थापित किया गया है ।

रक्षा सम्पदा महानिदेशालय (डीजीडीई)

9.14 रक्षा सम्पदा महानिदेशालय भूमि (अर्जन, किराए पर लेने और प्रबंधन) और छावनी बोर्ड संबंधी सभी मामलों पर रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कार्य करता है ।

9.15 रक्षा सम्पदा महानिदेशालय प्रधान निदेशकों/निदेशकों, कमान और छावनी अधिशासी अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न छावनी बोर्डों के कार्य-कलापों की निगरानी करता है । प्रधान निदेशालय और रक्षा संपदा अधिकारी रक्षा भूमि का प्रबधन करते हैं, जिसमें सभी रक्षा भूमि अभिलेखों की अभिरक्षा, अचल संपत्ति की अधिप्राप्ति, मुआवजे का भुगतान और मुकदमे संबंधी मामले

शामिल हैं । देश भर में फैली रक्षा भूमि का कुल परिमाण लगभग 17 लाख एकड़ है । महानिदेशालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालय भूमि के वर्गीकरण और इस्तेमाल के अनुसार उसका अभिलेख रखते हैं । इसमें से 0.68 लाख एकड़ भूमि सीधे महानिदेशालय के प्रबंधन के अंतर्गत है ।

9.16 वर्ष 2006-07 के लिए भूमि के अर्जन के लिए 111.22 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है । मुआवजे की राशि, जिसके लिए भूस्वामी सांविधिक रूप से हकदार हैं, का भुगतान करने के अलावा सरकार ने उन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कदम उठाने का भी निर्णय लिया है जिनकी भूमि के बड़े क्षेत्र का रक्षा प्रयोजनों के लिए अर्जन किया गया है ।

9.17 रक्षा सम्पदा महानिदेशालय छावनी प्रशासन के नियंत्रण, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार है । भारत में 62 छावनियां हैं जो 19 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवस्थित हैं । छावनी बोर्ड छावनी अधिनियम 2006, जिसे 18 दिसंबर, 2006 से प्रभावी बनाया गया है, के अंतर्गत कार्य करने वाले 'निगमित निकाय' हैं । निर्वाचित और अनिर्वाचित सदस्यों के बीच समानता की व्यवस्था करने के अलावा अधिनियम में बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की भी व्यवस्था है । सभी 62 छावनियों में इस समय दिसंबर, 2006 की स्थिति के अनुसार फेरफार किया गया है।

'रक्षा भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण' की दिशा में नवम्बर 2006 में उस समय एक विशेष उपलब्धि हासिल की गई थी जब रक्षा राज्य मंत्री ने रक्षा संपदा महानिदेशालय और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से चलाई गई एक परियोजना के अंतर्गत रक्षा संपदा महानिदेशालय में "रक्षा भूमि साफ्टवेयर" रिलीज किया ।

9.18 छावनी बोर्डों के पास संसाधन अल्प हैं क्योंकि छावनी की बहुतायत अचल संपत्ति सरकारी स्वामित्व में है जिस पर कोई संपत्ति कर नहीं वसूला जाता है । तथापि, बोर्डों को केंद्रीय सरकार की संपत्तियों में सेवा प्रभार प्राप्त होता है । भवन निर्माण कार्यकलापों पर प्रतिबंध होने के कारण छावनी क्षेत्र में न तो उद्योग आगे आ सकते हैं और न ही किसी ट्रेड और कारबार में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त की जा सकती है । केंद्रीय सरकार घाटे वाले बोर्डों के राजस्व की पूर्ति के लिए कुछ हद तक सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान इस खाते में वित्तीय रूप से घाटे वाले विभिन्न छावनी बोर्डों को 30.9825 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

9.19 अधिकांश छावनी बोर्ड छावनी के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों की सिविल आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्पताल और औषधालयों का अनुरक्षण करते हैं । अनुरक्षित अस्पतालों/औषधालयों की कुल संख्या 69 है ।

9.20 'रक्षा भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण' की दिशा में नवंबर 2006 में उस समय एक विशेष उपलब्धि हासिल की गई थी जब रक्षा राज्य मंत्री ने रक्षा संपदा महानिदेशालय और राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से चलाई गई एक परियोजना के अंतर्गत रक्षा संपदा महानिदेशालय में "रक्षा भूमि सॉफ्टवेयर" रिलीज़ किया । यह परियोजना 62 छावनी बोर्डों में लागू की जा रही है और इसे सभी रक्षा संपदा मंडलों में लागू किए जाने का प्रस्ताव है । एक बार डाटाबेस तैयार हो जाने पर इससे भूमि के इष्टतम उपयोग के लिए संपूर्ण देश में भारी भरकम और अद्यतन रक्षा भूमि अभिलेखों तक पहुंच हो जाएगी ।

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

9.21 मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों के मुख्यालयों को सिविलियन जनशक्ति और अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेवार हैं । संयुक्त सचिव (प्रशि.) मुख्य प्रशासन अधिकारी और निदेशक (सुरक्षा) का कार्य भी संभालते हैं ।

9.22 **मु.प्र.अ.कार्यालय के निम्नलिखित छः प्रभाग हैं :-**

(i) प्रशासन प्रभाग

(ii) कार्मिक प्रभाग

(iii) जनशक्ति योजना एवं भर्ती प्रभाग

(iv) प्रशिक्षण, समन्वय एवं कल्याण प्रभाग

(v) वित्त एवं सामग्री प्रभाग

(vi) संपदा एवं निर्माण-कार्य प्रभाग ।

9.23 प्रशासन प्रभाग सेना मुख्यालयों एवं 26 अंतर-सेवा संगठनों में कार्यरत लगभग 10,000 सिविलियन कर्मचारियों से संबंधित प्रशासनिक कार्य देखता है । सशस्त्र सेना मुख्यालयों के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने और उनके त्वरित समाधान के लिए प्रशासन प्रभाग के अंतर्गत एक शिकायत एकक कार्यरत है ।

मुख्य प्रशासन अधिकारी, सेना मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों के मुख्यालयों को सिविलियन जनशक्ति और अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेवार हैं ।

9.24 कार्मिक प्रभाग सेना मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों को सिविलियन जनशक्ति प्रदान करता है और उनकी जनशक्ति के प्रबंधन को देखता है ।

9.25 जनशक्ति योजना एवं भर्ती प्रभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से भर्ती नियम बनाने और निर्धारित माध्यमों से सेना मुख्यालयों एवं अंतर सेवा संगठनों में सभी रिक्त सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए जिम्मेवार है ।

9.26 वित्त एवं सामग्री प्रभाग, अंतर सेवा संगठनों को सामग्री संबंधी सहायता प्रदान करता है, जिसमें कार्यालय उपकरण, भंडार, फर्नीचर एवं लेखन-सामग्री का प्रापण और प्रावधान शामिल है । सेना मुख्यालय के संबंध में ये जिम्मेदारियां बेहतर प्रशासन और वृहतर प्रयोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए 01 जुलाई 2006 से मुख्य प्रशासन अधिकारी के कार्यालय से अपर महानिदेशक (प्रशासन एवं समन्वय), सेना मुख्यालय को अंतरित कर दी गई हैं।

9.27 मु.प्र.अ. के अंतर्गत कार्यरत रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान सेना मुख्यालयों एवं अंतर सेवा संगठनों में तैनात सिविलियन कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है । वर्ष के दौरान 1079 सिविलियन कर्मचारियों का कौशल और दक्षता बढ़ाए जाने के लिए उन्हें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया । इस संस्थान ने यथासंभव मुख्यालय में कार्यप्रणाली से संबंधित क्षेत्रों में सेना अफसरों के प्रशिक्षण की जरूरत भी पूरी की है ।

9.28 संपदा एवं निर्माण प्रभाग सशस्त्र सेना मुख्यालयों में तैनात सैन्य अधिकारियों के रिहायशी आवास से संबंधित संपदा कार्यों को निष्पादित करता है ।

9.29 रक्षा मंत्रालय के अधीन मुख्य सुरक्षा अधिकारी का कार्यालय अपर सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी की देखरेख में कार्य करता है । यह मुख्यतः रक्षा मुख्यालय सुरक्षा क्षेत्र में, वास्तविक सुरक्षा प्रदान करने, प्रवेश पर नियंत्रण रखने और सुरक्षा-भंग न होने देने तथा आग न लगने देने की इसकी जिम्मेदारी है । खतरे की वर्तमान संभावनाओं को देखते हुए रक्षा मुख्यालय सुरक्षा क्षेत्र में किसी दुर्घटना/घटना, आग के खतरे को रोकने के लिए अनेक सुरक्षा उपाय किए गए हैं । अद्यतन और आधुनिक सुरक्षा उपकरण अधिप्राप्त और अधिष्ठापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

जनसंपर्क निदेशालय (डी पी आर)

9.31 जनसंपर्क निदेशालय, मंत्रालय, सशस्त्र सेनाओं तथा रक्षा मंत्रालय के अधीन अंतर सेवा संगठनों की महत्वपूर्ण घटनाओं, उपलब्धियों तथा नीति संबंधी प्रमुख निर्णयों के बारे में मीडिया को सूचना प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है । नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय और देश भर में फैले अपने 25 क्षेत्रीय कार्यालयों

के साथ यह निदेशालय मीडिया सहायता और सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा सूचनाओं का पर्याप्त प्रचार-प्रसार हो । यह नियमित साक्षात्कार, प्रेस सम्मेलनों और प्रेस दौरों का आयोजन करके नेताओं तथा रक्षा मंत्रालय तथा सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीडिया का परस्पर संपर्क भी कराता है ।

जनसंपर्क निदेशालय, मंत्रालय, सशस्त्र सेनाओं तथा रक्षा मंत्रालय के अधीन अंतर सेवा संगठनों की महत्वपूर्ण घटनाओं, उपलब्धियों तथा प्रमुख नीतिगत निर्णयों के बारे में मीडिया को सूचना प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है ।

9.32 निदेशालय ने मीडिया के लोगों के लिए पांच सप्ताह का एक घरक्षा पत्राचार पाठ्यक्रमङ संचालित किया ताकि रक्षा मामलों के बारे में उनकी जानकारी बढ़ सके । इस पाठ्यक्रम में देश भर की प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से तैंतीस पत्रकारों ने भाग लिया ।

9.33 निदेशालय, सशस्त्र सेनाओं के लिए 13 भाषाओं (असमी, बंगाली, अंग्रेजी, गोरखाली, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में एक पाक्षिक पत्रिका सैनिक समाचार निकालता है । इस पत्रिका में सेना चिकित्सा कोर, रक्षा वित्त तथा आर्थिक व्यवस्था के संबंध में अतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, सेना दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, वायुसेना दिवस और नौसेना दिवस के संबंध में विशेष लेख छापे गए ।

9.34 निदेशालय का प्रसारण अनुभाग सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए आकाशवाणी पर प्रतिदिन प्रसारित किए जाने वाले 40 मिनट के एक कार्यक्रम घसैनिकों के लिएङ का समन्वय करता है। निदेशालय का फोटो अनुभाग, प्रिंट मीडिया को रक्षा संबंधी हरेक घटना के फोटोग्राफ उपलब्ध कराता है।

9.35 निदेशालय ने प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण, संयुक्त तथा अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्स्पो 2006 जैसे महत्वपूर्ण उत्सवों का व्यापक प्रचार किया । भा.नौ.पोत शार्दुल का जलावतरण, त्वरित आक्रमण क्राफ्ट का मालदीव को सौंपा जाना, प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री का समुद्री दिवस, पूर्वी बेड़े को ध्वज प्रस्तुति, राष्ट्रपति द्वारा सेना व्यापक क्षेत्र नेटवर्क का उद्घाटन, भारतीय नौसेना के प्रथम यूएवी स्क्वाड्रन का जलावतरण, रक्षा वित्त तथा अर्थ-व्यवस्था पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, ब्रह्मोस, त्रिशूल, पृथ्वी तथा लक्ष्य प्रक्षेपास्त्र आदि की परीक्षण उड़ान, रक्षा मंत्री का जर्मनी, फ्रांस, चीन, जापान तथा मालदीव का ऐतिहासिक दौरा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीस गढ़ राज्यों में बाढ़ तथा भारी वर्षा के दौरान सशस्त्र सेनाओं द्वारा बचाव तथा राहत ऑपरेशनों तथा युद्धग्रस्त लेबनान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु शुरू किए गए ऑपरेशन सुकून को भी व्यापक प्रचार दिया गया था ।

9.36 वर्ष में अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका प्रचार-प्रसार किया गया, वे गणतंत्र दिवस समारोह, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह, सम्मिलित कमांडर सम्मेलन और प्रधान मंत्री द्वारा संबोधित एन सी सी रैली, राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह हैं।

सेना क्रय संगठन (ए पी ओ)

सेना क्रय संगठन को रक्षा सेनाओं के उपभोग के लिए सूखे राशन की अधिप्राप्ति एवं समय पर आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।

9.37 रक्षा मंत्रालय में सेना क्रय संगठन को रक्षा बलों के उपभोग के लिए सूखे राशन की अधिप्राप्ति एवं समय पर आपूर्ति की जिम्मेवारी सौंपी गई है । ए.पी.ओ. चावल व गेहूं, भारतीय खाद्य निगम से खरीदता है । चीनी का आबंटन चीनी निदेशालय द्वारा लेवी कोटे से किया जाता है । दालें, पशु-राशन, खाद्य तेल एवं वनस्पति, चाय एवं दुग्ध उत्पाद जैसे अन्य सामान निविदाएं आमंत्रित करके तथा संविदाएं निष्पादित करके केंद्रीय एवं राज्य सार्वजनिक उपक्रमों एवं राष्ट्रीय/राज्य स्तर के सहकारी उपभोक्त परिसंघों से खरीदे जाते हैं ।

पूर्ण दुग्ध पाउडर, डिब्बाबंद मक्खन एवं घी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी परिसंघ के सदस्यों से मूल्यवार्तागत संविदाओं के माध्यम से खरीदे जाते हैं । डिब्बाबंद सामान जैसे सब्जियों, फल, जैम, दूध, मांस एवं मछली उत्पाद, कॉफी, अंडा पाउडर आदि पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं एवं निजी पार्टियों से खुली निविदा के माध्यम से खरीदे जाते हैं । मांग की गई वस्तुओं को विशेष रूप से प्रचुर मौसम के दौरान ऐसे समय पर खरीदा जाता है जब उनकी उपलब्धता अधिक हो एवं कीमतें कम । चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त वस्तुओं के प्रापण हेतु सेना मुख्यालय को 1011.66 करोड़ रुपए दिए गए ।

सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड

9.38 **सेना चैम्पियनशिप:** सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड (एस.एस.सी.बी.) तीनों सेनाओं में विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का आयोजन एवं समन्वय करता है । कुल चार टीमें (आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, इंडियन नेवी एवं एयर फोर्स) एस.एस.सी.बी. के संरक्षण में 19 सेना चैम्पियनशिपों में भाग लेती हैं । 01 अप्रैल, 2006 से 31 दिसंबर, 2006 की समयावधि के दौरान कुल 19 शिक्षा शाखाओं में से 16 अंतर सेवा चैम्पियनशिपों का आयोजन किया गया है ।

सेनाओं ने गुवाहाटी में आयोजित किए गए 33वें राष्ट्रीय खेलों में 142 मेडल जीतकर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया

9.39 **राष्ट्रीय चैम्पियनशिप:** एस.एस.सी. बी. 28 राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघों से संबद्ध है और 38 राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में भाग लेता है, जिनमें 10 जूनियर सेक्शन भी हैं । वर्ष के दौरान हमारी टीमें बास्केटबाल, भारोत्तोलन, क्याकिंग एवं नौकायन तथा ताइक्वांडो में समग्र चैम्पियनशिप विजेता बनीं तथा खेल-कूद, हैंडबाल, स्क्वॉश, वॉटर पोलो तथा गोताखोरी में रनर-अप रहीं तथा साइकिल दौड़ तथा तैराकी इवेंटों में तृतीय रही ।

9.39.1 **राष्ट्रीय खेल:** सेनाओं ने फरवरी, 2007 में गुवाहाटी में आयोजित 33वें राष्ट्रीय खेलों में एकमात्र संस्थागत टीम के रूप में भाग लिया तथा कुल 142 मेडल (59 स्वर्ण रजत तथा 37 काँस्य) जीतकर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया।

9.40 **अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिप:**

(i) एस ए एफ खेल - 10वें दक्षिण एशियाई खेलों का 18-27 अगस्त, 2006 के दौरान कोलंबो, श्रीलंका में आयोजन किया गया था । उक्त खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु सेनाओं से 58 खिलाड़ियों तथा 4 पदाधिकारियों का चयन किया गया था।

(ii) एशियाई खेल - एशियाई खेलों का 1-15 दिसंबर, 2006 के दौरान दोहा, कतर में आयोजन किया गया था । भारतीय दल में 83 सेना खिलाड़ी/पदाधिकारी शामिल थे तथा 2 स्वर्ण, 4 रजत तथा 9 कांस्य पदक जीते ।

9.41 **सर्वश्रेष्ठ सेना खिलाड़ी:** सेनाओं में प्रदर्शन के आधार पर, भावी वर्षों में, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में, किए गए तीनों सेनाओं से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का चयन किया जाता है । सेना मुक्केबाजी दल के सदस्य तथा एमईजी बेंगलूर के नायब सूबेदार वी जॉनसन को वर्ष 2005-06 के लिए (सर्वश्रेष्ठ सेना खिलाड़ी) घोषित किया गया था तथा 18 अक्तूबर, 2006 को संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दौरान ट्राफी प्रदान की गई थी ।

9.42 **अर्जुन पुरस्कार :** एएसआई, पुणे के नायब सूबेदार तरुणदीप राय को वर्ष 2005-06 के लिए तीरंदाज़ी हेतु अर्जुन पुरस्कार से नवाज़ा गया था ।

9.43 **द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता** :412 वायुसेना स्टेशन के एमडब्ल्युओ बलवान सिंह तथा सीएमई पुणे के सूबेदार इस्माइल बेग - दो सेना कोचों को क्रमश: कबड्डी तथा नौकायन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2005-06 का (द्रोणाचार्य) पुरस्कार प्रदान किया गया था ।

सेना चित्र प्रभाग (ए एफ एफ पी डी)

9.44 सेना चित्र प्रभाग की जिम्मेदारी मुख्यत: सेना मुख्यालयों एवं अन्य रक्षा संगठनों की प्रशिक्षण फिल्मों, फोटोग्राफों एवं आर्ट वर्क, आदि के निर्माण, प्रापण एवं वितरण की जरूरतों को पूरा करना है ताकि प्रशिक्षण, हथियार परीक्षण, सुरक्षा, रक्षा अनुसंधान,

आसूचना तथा अभिलेखों संबंधी आवश्यकता पूरी की जा सके । समारोहों तथा रक्षा मंत्रालय के अन्य महत्वपूर्ण क्रिया-कलापों की फोटो एवं वीडियो कवरेज की भी इसकी जिम्मेदारी है ।

9.45 सेना चित्र प्रभाग के पास दुर्लभ फिल्मों एवं फोटोग्राफों का अत्यंत समृद्ध संग्रह है । अंग्रेजों से उत्तराधिकार में प्राप्त इस सामग्री का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है और यह इस प्रभाग के केंद्रीय रक्षा फिल्म संग्रहालय में अनुरक्षित और संरक्षित है । इन फोटोग्राफों में भारतीय सेनाओं की द्वितीय विश्वयुद्ध के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई, परेडों, रस्मों, उत्सवों, प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं प्रशिक्षण गतिविधियों आदि को दर्शाया गया है । इस संग्रह की कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों में कई अन्य महत्वपूर्ण फिल्मों सहित ब्रिटिश युद्ध, रूसी युद्ध, चीनी युद्ध, डेजर्ट विक्टरी, जापानी आत्मसमर्पण, नाजी हमले, बर्मा अभियान शामिल हैं ।

9.46 इस प्रभाग की केंद्रीय रक्षा फिल्म लाइब्रेरी की जिम्मेदारी विभिन्न यूनिटों/फार्मेशनों/प्रशिक्षण स्थापनाओं/कमानों की विशिष्ट प्रशिक्षण जरूरतें पूरी करने के लिए प्रशिक्षण फिल्में वितरित करने की है । इसमें 35 मिमी आकार के 578, 16 मिमी आकार के 165 टाइटल एवं 260 वीडियो फार्मेट हैं । वर्ष के दौरान सेना स्थापनाओं को 2200 सीडी वितरित की गई हैं । आज की तारीख तक लगभग 15250 नेगेटिव उदभासित कर दिए गए हैं तथा लगभग 10,000 फोटोग्राफ तैयार किए गए हैं।

9.47 वर्तमान में, सेना चित्र प्रभाग के पास निर्माण कार्यक्रम में 36 फिल्में हैं जिसमें से 12 फिल्में पूरी कर ली गई हैं । अंग्रेजी की 10 फिल्में तथा इतनी ही संख्या में हिंदी फिल्में शीघ्र ही पूरी कर ली जाएंगी ।

राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष भारत के चुने हुए वरिष्ठ रक्षा एवं सिविल सेवा अधिकारियों और मित्र देशों के रक्षा अफसरों के लिए 47 सप्ताह का एक पाठ्यक्रम चलाता है ।

9.48 इस वर्ष, मुख्यालय ए एम सी केंद्र एवं स्कूल की 'कम्बैट फस्ट एड सीरीज़' शीर्षक से एक पांच शृंखला फिल्म का दो भाषाओं में निर्माण किया गया है । मुख्यालय ए एम सी केंद्र एवं स्कूल लखनऊ में जारी शृंखला की, सैनिकों के बहुमूल्य जीवन की रक्षा करने में उपयुक्तता हेतु प्रशंसा की गई है ।

9.49 इस प्रभाग की सचल सिनेमा यूनिट अग्रणी क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए दस्तावेजी फिल्मों/समाचार पत्रिकाओं की खरीद/वितरण भी करती है । वर्ष के दौरान एम सी यू ने 35 एमएम फार्मेट पर 48 फिल्में, वीएचएस फार्मेट पर 77 फिल्में तथा सीडी फार्मेट पर 1145 फिल्में रक्षा विस्थापनाओं को उधार दी हैं तथा केंद्रीय रक्षा फिल्म लाइब्रेरी ने भी 35 एमएम फार्मेट में 205 फिल्में, 16 एमएम फार्मेट में 155 फिल्में तथा वीएचएस फार्मेट में 800 फिल्में तथा सीडी फार्मेट में 400 फिल्में विभिन्न रक्षा स्थापनाओं को जारी की हैं।

राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एन डी सी)

9.50 राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय का उद्घाटन 27 अप्रैल, 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया था। दिल्ली के केंद्र में स्थित इस महाविद्यालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सामरिक अध्ययन के मामलों में इसने बहुत नाम कमाया है । यह संस्था एक ऐसा शैक्षिक एवं व्यावसायिक धरातल प्रदान करने का प्रयास करता है जो उच्चतर शिक्षा के लिए अनुकूल हो ।

9.51 एन डी सी प्रत्येक, वर्ष भारत के चुने हुए वरिष्ठ रक्षा एवं सिविल सेवा अधिकारियों और मित्र देशों के रक्षा अफसरों के लिए 47 सप्ताह का एक पाठ्यक्रम चलाता है । यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है कि इसमें सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण, वैश्विक मामले, भारत की रणनीति, निकटतम पड़ोसी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के सैन्य आयाम विषय शामिल हो जाते हैं।

विदेशी भाषा विद्यालय (एस. एफ. एल.)

9.52 विदेशी भाषा विद्यालय 1948 से भारत में विदेशी भाषा अध्यापन में अग्रणी रहा है । इस समय, यह विद्यालय तीनों सशस्त्र

सेनाओं के कार्मिकों को 18 विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दे रहा है । यह भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं विभागों की भी प्रशिक्षण संबंधी जरूरतें पूरी करता है । इसके अलावा, सिविलियन छात्रों को दक्षता प्रमाण-पत्र, एडवांस डिप्लोमा और दुभाषिया पाठ्यक्रमों में भी दाखिला दिया जाता है ।

विदेशी भाषा विद्यालय मुख्यतः तीनों सेनाओं के कार्मिकों के लिए 18 विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देने में कार्यरत है ।

9.53 विदेशी भाषा विद्यालय में अरबी, बहासा, इंडोनेशिया, बर्मी. चीनी, फ्रांसीसी, जर्मन, फारसी, पश्तो, रूसी, स्पेनी, सिंहली, जापानी, थाई, मलय, हिब्रू, वियतनामी भाषाओं का नियमित आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

9.54 विदेशी भाषा विद्यालय अन्य रक्षा संस्थाओं नामतः राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला और सैन्य शिक्षा कोर प्रशिक्षण केन्द्र और कॉलेज, पचमढ़ी का नियंत्रक संगठन है जहां विदेशी भाषाएं सिखाई जाती हैं । यह परीक्षाएं आयोजित करता है और सफल उम्मीदवारों को डिप्लोमा जारी करता है । भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संस्थान द्वारा आयोजित एडवांस डिप्लोमा (आई.एफ.एस.) परीक्षा पास करनी अनिवार्य है। विदेशी भाषा विद्यालय, पूरे देश की विभिन्न सैन्य यूनिटों में रेजीमेंटल भाषा, नेपाली में परिक्षाएं भी आयोजित करता है ।

9.55 इसके अलावा, इस विद्यालय द्वारा नौसेना कार्मिकों के लिए मुम्बई, गोवा, जामनगर, लोनावाला, दिल्ली, विशाखापत्तनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर स्थित अपनी स्थापनाओं में रूसी, फ्रांसीसी और जर्मन भाषाओं में एक तकनीकी गहन पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाया गया है ।

इतिहास प्रभाग

9.56 वर्ष 1963 में स्थापित इतिहास प्रभाग, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के रिकार्ड और संदर्भ कार्यालय के रूप में काम करता है । चालू वर्ष के दौरान सेना मुख्यालयों, और विभिन्न फार्मेशनों/यूनिटों से लगभग 3500 संक्रियात्मक रिकार्ड प्राप्त हुए । 350 से अधिक सैन्य अफसरों तथा विद्वानों ने सैन्य इतिहास से संबंधित अपने शोध कार्य के संबंध में रिकार्ड देखने के लिए विभाग का दौरा किया । प्रभाग ने फार्मेशनों, यूनिटों और भारत तथा विदेश के विभिन्न विद्वानों से प्राप्त 260 से अधिक प्रश्नों के संबंध में सैन्य इतिहास संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है ।

9.57 रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान शोधवृत्ति योजना के अंतर्गत सैन्य इतिहास पर शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रभाग दो शोधवृत्तियाँ प्रदान करता है । इस योजना के तहत अभी तक 17 शोधकर्ताओं ने लाभ उठाया है ।

रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय (र.प्र.म.)

9.58 रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय तीनों सेनाओं की एक श्रेणी (क) की प्रशिक्षण स्थापना है जो अब तीन दसकों से भी अधिक समय से अस्तित्व में रही है । इसे सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ नेतृत्व को समसामयिक प्रबंधन विचार, संकल्पनाओं और पद्धतियों की शिक्षा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है । विकासशील देशों में सम्भवतः यही एक ऐसी संस्था है जो रक्षा प्रबंधन में अनन्य और गुणतापरक प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय, सिकंदराबाद

9.59 उस्मानिया विश्वविद्यालय, प्रबंधन अध्ययन में स्नाकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय. के कोर पाठ्यक्रम अर्थात उच्चतर रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम को मान्यता देता है ।

9.60 रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय, सिकन्दराबाद द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं :-

रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय को सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ नेतृत्व को समसामयिक प्रबंधन विचार, संकल्पनाओं और पद्धतियों की शिक्षा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।

(क) **उच्चतर रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम :** यह 44 सप्ताह की अवधि का पाठ्यक्रम है और इसमें कर्नल/लेफ्टिनेंट कर्नल अथवा समकक्ष रैंक के 90 अफसर भाग लेते हैं ।

(ख) **वरिष्ठ रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम :** यह छह स्पताह की अवधि का पाठ्यक्रम है और इसमें बिग्रेडियर/कर्नल समकक्ष रैंक के 33 अफसर भाग लेते हैं।

रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय का स्टाफ पाठ्यक्रम अंतर सेवा एवं संयुक्त सेवा के परिवेश में संक्रियात्मक एवं स्टाफ संबंधी कार्यों का प्रशिक्षण देने पर केन्द्रित है ।

(ग) **रक्षा प्रबंधन संगोष्ठी :** यह दो सप्ताह की अवधि की है और इसमें मेजर जनरल अथवा समकक्ष रैंक के 20 अफसर भाग लेते हैं ।

(घ) **समनुदेशन-उन्मुख प्रबंध प्रशिक्षण :** रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय, परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, संक्रियात्मक अनुसंधान और प्रणाली विश्लेषण पर एक सप्ताह की अवधि के चार समनुदेशन उन्मुख प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यशालाएं और मध्यम स्तर के अफसरों के लिए निर्णय लेने के लिए मात्रात्मक सहायता पर, दो सप्ताह की अवधि की कार्यशाला चलाता है ।

रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय

9.61 रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय (र.से.स्टा.महा.) भारती की सबसे पुरानी सैन्य संस्थाओं में से है । इसकी स्थापना 1905 मे देवलाली में की गई थी और यह 1950 से विलिंग्टन में काम कर रहा है । रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय तीनों सेनाओं के मध्य स्तर के अधिकारियों को तथा इसके साथ ही कुछ सिविलियन अधिकारियों और मित्र देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है । यह महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष जून-अप्रैल तक 45 हफ्तों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है । रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय का स्टाफ पाठ्यक्रम अंतर सेवा एवं संयुक्त सेवा के परिवेश में संक्रियात्मक एवं स्टाफ संबंधी कार्यों का प्रशिक्षण देने पर केन्द्रित है।

रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

9.62 रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय, रक्षा मंत्रालय, तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठनों एवं दिल्ली में स्थित अन्य सम्बद्ध रक्षा स्थापनाओं के संबध में योजना एवं नीति निर्धारण से संबंधित विषयों पर साहित्य मुहैया करता है । इसमें विशेष रूप से रक्षा एवं उससे संबंधित विषय का साहित्य होता है तथा यह सामान्य पाठकों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है । वर्ष के दौरान पुस्तकालय में 2205 नई पुस्तकें आई, 127 जर्नल/आवधिक पत्रिकाएं और 23 समाचार-पत्र खरीदे गए।

10

भर्ती एवं प्रशिक्षण

एक साथ आगे बढ़ते हुए

सशस्त्र सेनाओं में किसी भी जाति, वर्ग, धर्म एवं संप्रदाय का व्यक्ति भर्ती हो सकता है बशर्ते कि वह शारीरिक, चिकित्सा एवं शैक्षिक कसौटियों पर खरा उतरता है ।

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती

10.1 सशस्त्र सेनाएं सेवा, बलिदान, देशभक्ति और हमारे देश की मिली-जुली संस्कृति का प्रतीक हैं । सशस्त्र सेनाओं में भर्ती स्वैच्छिक है और भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और समुदाय का हो, सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के योग्य है बशर्ते कि वह निर्धारित शारीरिक, चिकित्सा और शैक्षिक मानदंडों पर खरा उतरता हो ।

10.2 **सशस्त्र सेनाओं में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अफसरों की भर्ती :** सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त अफसरों की भर्ती मुख्यत: संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है जो इसके लिए निम्नलिखित दो अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है :

(i) **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) और नौसेना अकादमी (एन ए) :** संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए वर्ष में दो बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है । उम्मीदवार 10+2 परीक्षा पास करने पर या 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए प्रतियोगिता में बैठने के पात्र हैं । सफल उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा नौसेना अकादमी में प्रवेश पाते हैं । पाठ्यक्रम पूरा करने पर उन्हें कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण के लिए संबंधित सेना अकादमियों में भेजा जाता है ।

अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रविष्टि योजना योग्य तकनीकी स्नातकों/परा-स्नातकों को तकनीकी सेनांगों में भर्ती का अवसर प्रदान करती है ।

(ii) **संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सी डी एस ई) :** संघ लोक सेवा आयोग वर्ष में दो बार संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा का आयोजन करता है । विश्वविद्यालयों के स्नातक इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं । सफलताप्राप्त उम्मीदवार नियमित सेवा कमीशन के लिए भारतीय सैन्य अकादमी/वायुसेना अकादमी और नौसेना अकादमी तथा अल्प सेवा कमीशन के लिए अफसर प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश पाते हैं ।

सेना

10.3 संघ लोक सेवा आयोग के जरिए प्रवेश के अलावा नीचे बताए तरीकों से भी कमीशन प्राप्त अफसरों की भर्ती की जाती है :-

(क) **विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) :** अधिसूचित इंजीनियरी शाखाओं के अंतिम/अंतिम वर्ष से पूर्व के विद्यार्थी विश्वविालय प्रवेश योजना के तहत सेना के तकनीकी सेनांगों में कमीशन अफसर के रूप में स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं । पात्र अभ्यर्थियों को सेना मुख्यालय द्वारा तैनात स्क्रीनिंग टीमों द्वारा कैम्पस साक्षात्कार के जरिए चुना जाता है। इन अभ्यर्थियों को एस एस बी और मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना होता है। सफल अभ्यर्थियों को आई एम ए देहरादून में एक वर्षीय कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है । इस प्रवेश के माध्यम से कैडेट कमीशन मिलने पर दो वर्ष की पूर्व दिनांकित वरिष्ठता के भी हकदार होते हैं ।

(ख) **तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) :** इंजीनियरी की अधिसूचित शाखाओं के इंजीनियरी ग्रेजएट/पोस्ट ग्रेजुएट इस प्रवेश के माध्यम से तकनीकी सेनाओं में स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं । सेवा चयन बोर्ड (एस एस बी) और चिकित्सा बोर्ड के पश्चात अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को कमीशन प्रदान किए जाने से पूर्व भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में एक वर्ष का कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है । इस प्रवेश के माध्यम से भी कैडेट कमीशन मिलने पर दो वर्ष की की पूर्व दिनांकित वरिष्ठता के हकदार होते हैं ।

(ग) **अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेश :** अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेश योजना, पात्र तकनीकी स्नातकों/ स्नातकोत्तरों को तकनीकी सेनांगों में भर्ती कराती है। एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड के बाद अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों को ओ टी ए चेन्नई में 11 महीने का कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में प्रवेश दिया जाता है। इस प्रवेश के माध्यम से आए अभ्यर्थी भी कमीशन प्राप्त होने पर दो वर्ष की पूर्व दिनांकित वरिष्ठता के हकदार हैं ।

(घ) **10+2 तकनीकी प्रवेश योजना (टी ई एस) :** जिन उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में कुल मिलाकर न्यूनतम 70% अंकों के साथ 10+2 सी बी एस ई/आई सी एस ई/राज्य बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना के तहत कमीशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं । सेवा चयन बोर्ड (एस एस बी) में सफल रहने और चिकित्सा बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जाने पर वे भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में एक वर्ष का बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं और तत्पश्चात स्थायी कमीशन प्राप्त करने से पूर्व संबंधित शाखाओं में तीन वर्ष

जितना अधिक शांति में परिश्रम करेंगे, युद्ध में उतना कम रक्त बहाएंगे

का इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करते हैं । कमीशन प्रदान किए जाने के बाद उन्हें उस सेनांग/सेवा का एक वर्ष का विशेषीकृत प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उन्हें कमीशन दिया गया है।

(ङ) **महिला विशेष प्रवेश योजना-अफसर :** पात्र महिला उम्मीदवारों को महिला विशेष प्रवेश योजना के माध्यम से सेना में अल्प सेवा कमीशन अफसर के रूप में भर्ती किया जाता है। कमीशन वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर कोर, इंजीनियर्स, सिगनल, सेना शिक्षा कोर, सेना आयुध कोर, सेना आपूर्ति कोर, सैन्य आसूचना कोर, जज एडवोकेट जनरल शाखा और सेना वायु रक्षा में प्रदान किया जाता है। महिलाओं को तीन क्षेत्रों (स्ट्रीम) अर्थात गैर-तकनीकी, तकनीकी और विशेषज्ञ में 10 वर्ष की अवधि के लिए अल्प सेवा कमीशन की पेशकश की जाती है, जिसे पूर्णत: स्वैच्छिक आधार पर और 4 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है । सेवा कार्मिकों की जो विधवाएं पात्रता संबंधी निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं, वे आयु में 4 वर्ष की छूट के लिए पात्र हैं और उनके लिए 5% सीटों का आरक्षण किया जाता है । परन्तु यह प्रवेश समाप्त किया जा रहा है और इसके स्थान पर एक नई प्रवेश योजना अल्प सेवा कमीशन (महिला तकनीकी/गैर तकनीकी) लाई जा रही है। इसके लिए प्रवेश की शर्तों में संशोधन किया जा रहा है और प्रशिक्षण अवधि को 11 महीने बढ़ाया जा रहा है ताकि महिलाएं अपने पुरुष अल्प सेवा कमीशन अफसरों के बराबर आ

सारणी 10.1

(1)	**एन डी ए**	सेना	422
		वायु सेना	128
		नौसेना	74
		कुल	**624**
(2)	**आई एम ए**	आई एम ए (डी ई)	479
		ए सी सी	122
		एस सी ओ	24
		पी सी (एस एल)	60
		कुल	**685**
(3)	**ओ टी ए**	डब्ल्यू एस ई एस (ओ)	151
		एस एस सी (एन टी)	240
		एन सी सी	94
		जे ए जी	8
		कुल	**493**
(4)	**तकनीकी प्रविष्टियां**	यू ई एस	83
		एस एस सी (टेक)	49
		10+2 टी ई एस	177
		टी जी सी	98
		कुल	**407**

सकें। गैर-तकनीकी तथा विशेषज्ञ शाखाओं के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग के जरिए आवेदन करना होगा और लिखित परीक्षा के बाद एस एस बी इंटरव्यू देना होगा, जैसाकि अल्प सेवा कमीशन पुरुष अफसरों के लिए किया जा रहा है। परन्तु सेना कार्मिकों की विधवाओं को लिखित परीक्षाओं से छूट है और उन्हें सीधे अतिरिक्त भर्ती महानिदेशालय/रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) को आवेदन करना होगा ।

(च) **एन सी सी (विशेष) प्रवेश योजना :** न्यूनतम बी ग्रेड का एन सी सी सी प्रमाण-पत्र और स्नातक परीक्षा में 50% अंक पाने वाले विश्वविद्यालय स्नातक इस योजना के माध्यम से अल्प सेवा कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कैडेटों को संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा (सी डी एस ई) में बैठने से छूट दी गई है और वे सीधे ही एस एस बी साक्षात्कार के लिए जाते हैं तथा उसके बाद उनकी डाक्टरी जांच की जाती है। योग्यता संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य स्तर पर विभिन्न एन सी सी निदेशालयों के माध्यम से आवेदन करना होता है। स्क्रीनिंग के बाद संबंधित डी जी एन सी सी निदेशालय योग्य कैडेटों के आवेदन पत्र रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय स्थित भर्ती निदेशालय को भेजता है ।

विशेष कमीशनप्राप्त अफसर प्रवेश योजना के तहत 30-35 साल के आयु वर्ग के जे.सी.ओ./एन सी ओ, जो सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र पास (10+2 शिक्षा पद्धति) हैं, कमीशन एन. एस. बी. और चिकित्सा बोर्ड की स्क्रीनिंग के बाद कमीशन के पात्र हैं ।

10.4 **सैन्य प्रवेश :** अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की अफसर सवंर्ग में भर्ती निम्नलिखित प्रविष्टियों में सेना चयन बोर्ड के माध्यम से की जाती है :-

(क) **सेना कैडेट कॉलेज प्रवेश के माध्यम से कमीशन प्रदान करना :** 10+2 परीक्षा पास किए हुए तीनों सेनाओं के पात्र अन्य रैंक इसके माध्यम से नियमित कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं । रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों की एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्क्रीनिंग होती है जिसमें सफल रहने पर कैडेटों को सेना कैडेट कालेज देहरादून में तीन वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी समाप्ति पर उन्हें स्नातक डिग्री मिलती है। इसके बाद आई एम ए देहरादून में एक वर्ष का कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है । स्थायी कमीशन सभी सेनांगों/सेवाओं में प्रदान किया जाता है।

(ख) **विशेष कमीशनप्राप्त अफसर प्रवेश (एस सी ओ) योजना:** इस प्रवेश योजना के तहत सीनियर स्कूल प्रमाण-पत्र प्राप्त (कक्षा 10+2 पैटर्न) 30-35 वर्ष आयु समूह के जे सी ओ/एन सी ओ/अन्य रैंक एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड की स्क्रीनिंग के बाद कमीशन के लिए पात्र हैं । उन्हें आई एम ए देहरादून में एक वर्ष का कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है। इस प्रकार कमीशन प्राप्त करने वाले अफसर कर्नल रैंक तक पदोन्नति पा सकते हैं । मूल पदोन्नति और कार्यकारी पदोन्नति के नियम नियमित अफसरों के समान ही हैं । इन अफसरों को यूनिटों में सब यूनिट कमांडर/क्वार्टर मास्टर और मेजर रैंक तक विभिन्न अतिरिक्त रेजिमेंटी पदों(ई आर ई) पर नियुक्त किया जाता हे। ये अफसर के रूप में लगभग 20-25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 57 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं । इस योजना से न केवल जे सी ओ/एन सी ओ/अन्य रैंक की कैरियर संभावनाओं में सुधार होता है बल्कि सेना में अफसरों की कमी को पूरा करने में भी काफी हद तक सहायता मिलती है।

(ग) **स्थायी कमीशन (विशेष सूची) संवर्ग के माध्यम से प्रवेश:** एस एस बी द्वारा चयन तथा आई एम ए में चार सप्ताह का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद पात्र पी बी ओ आर को स्थायी कमीशन (विशेष सूची) प्रदान किया जाता है।

10.5 **भर्ती :** वर्ष के दौरान अफसर के रूप में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती का ब्यौरा नीचे सारणी सं0 10.1 में दिया गया है :

10.6 **अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती :** सेना में पी बी ओ आर की भर्ती खुली रैलियों के माध्यम से की जाती है । इसके लिए पहले रैली स्थल पर उम्मीदवारों की प्रारंभिक परीक्षा, संबंधित दस्तावेजों की जांच तथा शारीरिक योग्यता की परख की जाती है और इसके बाद भर्ती मेडिकल अफसरों द्वारा रैली स्थल पर ही चिकित्सा परीक्षा ली जाती है । चिकित्सा परीक्षा में सही पाए गए उम्मीदवार की लिखित परीक्षा ली जाती है । सफल उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों पर भेजा जाता है।

10.7 अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में रैलियों के माध्यम से भर्ती करने के लिए 47 रेजिमेंटी केंद्रों के अलावा 11 जोनल भर्ती कार्यालय, दो गोरखा भर्ती डिपो और एक स्वतंत्र भर्ती कार्यालय है। इस बात के प्रयास किए जाते हैं कि एक भर्ती वर्ष में कम से कम एक बार भर्ती रैलियों के द्वारा देश के हर जिले तक पहुंचा जाए। भर्ती वर्ष 2005-06 के दौरान भर्ती कार्यालयों ने कुल 27911 रंगरूट भर्ती किए।

महिलाओं को कार्यपालक (ए.टी.सी., कानून एवं संभारिकी संवर्गों) एवं शिक्षा शाखा में अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों के रूप में नौसेना में शामिल किया जा रहा है ।

10.8 सेना में अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती के संबंध में हाल में लिए गए निर्णय/महत्वपूर्ण प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(क) **अखिल भारतीय आधार पर लिपिकीय श्रेणियों की भर्ती:** लिपिकीय श्रेणियों में अखिल भारतीय योग्यता क्रम के आधार पर भर्ती की जा रही है । 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक के वर्ष के लिए परीक्षण के तौर पर एक संशोधित प्रक्रिया अपनाई जा रही है । प्राप्त अनुभव के आधार पर इसे जारी रखने पर विचार किया जाएगा।

(ख) **सैनिक (सामान्य ड्यूटी) श्रेणी के लिए संशोधित शैक्षिक योग्यताएं :** सैनिक (सामान्य ड्यूटी) श्रेणी के लिए शिक्षा के मानकों में संशोधन करके 10 वीं कक्षा में प्रत्येक विषय में कम से कम 32% अंक तथा समग्रत: 45% अंक किया गया है । शैक्षिक मानकों में वर्तमान में लागू रियायत आगे भी लागू रहेगी।

भारतीय नौसेना

10.9 **अफसरों की भर्ती :** स्थायी एवं अल्प सेना कमीशन कैडर दोनों के लिए संघ लोक सेवा आयोग के जरिए प्रवेश के अलावा उससे इतर योजनाओं के जरिए भी कमीशन प्राप्त अफसरों की भर्ती की जाती है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) में आवेदन मांगे और छांटे जाते हैं । इसके बाद चुने गए अभ्यर्थियों को एस एस बी साक्षात्कार के लिए भेजा जाता है। फिर रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की योग्यताक्रम सूची तैयार की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग से इतर प्रविष्टियों के लिए भर्ती नौसेना की निम्नलिखित शाखाओं/ संवर्गों में की जाती है :-

(i) **कार्यपालक :** हवाई यातायात नियंत्रण/कानून/संभारिकी/नौसेना आयुध निरीक्षालय (एन ए आई)/ जल संवर्गों के लिए अल्प सेवा कमीशन और कानून/एन ए आई संवर्गों के लिए स्थायी कमीशन भी।

(ii) **इंजीनियरी (नौसेना वास्तुकारों सहित) :** अल्प सेवा कमीशन विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) विशेष नौसेना वास्तुकार प्रवेश योजना और एस एस सी (ई) योजनाओं के माध्यम से तथा स्थायी कमीशन 10+2 (तकनीकी) योजना के माध्यम से।

(iii) **वैद्युत इंजीनियरी :** विश्वविद्यालय प्रवेश योजना और एस एस सी (एल) योजनाओं के माध्यम से अल्प सेवा कमीशन तथा10+2 (तकनीकी) योजना के माध्यम से स्थायी कमीशन में प्रवेश ।

(iv) **शिक्षा शाखा :** इस शाखा के लिए स्थायी कमीशन और अल्प सेवा कमीशन योजनाएं मौजूद हैं ।

(v) **10+2 (तकनीकी) योजना :** यह योजना भारतीय नौसेना की इंजीनियरी और वैद्युत शाखाओं में स्थायी कमीशन के लिए है । इस योजना के तहत 10+2 (भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित में) अर्हता प्राप्त उम्मीदवार सेना चयन बोर्ड के माध्यम से चुने जाने के पश्चात नौसेना अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम के लिए नौसेना अकादमी में भेजे जाते हैं । तत्पश्चात वे भारतीय नौसेना पोत शिवाजी/बालसूरा में चार वर्षीय इंजीनियरी पाठ्यक्रम पूरा करते हैं । इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें नौसेना में वैद्युत और इंजीनियरी शाखाओं में स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है ।

(vi) **विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) :** विश्वविद्यालय प्रवेश योजना को अल्प सेवा कमीशन योजना के रूप में अगस्त 2005 पाठ्यक्रम से पुनरारम्भ किया गया है। अंतिम और अंतिम से पूर्व वर्ष के इंजीनियरी छात्र नौसेना की तकनीकी शाखाओं/संवर्गों में प्रवेश के पात्र हैं । नौसेना चयन दल उम्मीदवारों को छांटने के लिए ए आई सी टी ई द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी कालेजों का दौरा करते हैं । अखिल भारतीय मैरिट के आधार पर छांटे गए उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसके पश्चात सफल उम्मीदवारों की डाक्टरी जांच की जाती है। अंतिम चयन, सेना चयन बोर्ड साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अखिल भारतीय योग्यता क्रम पर आधारित होता है ।

नौसेना में नाविकों की भर्ती भी लिखित परीक्षा, शारीरिक, शारीरिक स्वस्थता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा के बाद की जाती है ।

(vii) **महिला अफसर :** महिलाओं को नौसेना में कार्यपालक (ए टी सी, विधि एवं संभारिकी संवर्ग) और शिक्षा शाखा में अल्प सेवा कमीशन अफसरों के रूप में भर्ती किया जा रहा है ।

(viii) **एन सी सी के माध्यम से भर्ती :** न्यूनतम **बी** ग्रेड का एन सी सी **सी** प्रमाण-पत्र और स्नातक उपाधि परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों को नौसेना में नियमित कमीशन प्राप्त अफसरों के रूप में भर्ती किया जाता है। इन स्नातकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में बैठने से छूट दी गई है और उनका चयन केवल सेना चयन बोर्ड के साक्षात्कार के माध्यम से ही किया जाता है। वे सी डी एस ई कैडेटों के साथ ही नौसेना अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम के लिए नौसेना अकादमी में प्रवेश लेते हैं ।

(ix) **विशेष नौसेना वास्तु-शिल्प प्रवेश योजना :** सरकार ने एक विशेष योजना विशेष नौसेना वास्तु-शिल्प प्रवेश योजना के तहत भारतीय नौसेना की इंजीनियरी शाखा के नौसेना वास्तुकार संवर्ग में अल्प सेवा कमीशन अफसरों के रूप में 45 नौसेना वास्तुकार अफसरों की भर्ती किए जाने के लिए हाल ही में अनुमोदन प्रदान किया है। कैम्पस साक्षात्कारों के माध्यम से उम्मीदवारों के चयन के लिए एक अधिकृत नौसेना दल आई आई टी खड़गपुर, आई आई टी, चेन्नै, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और आंध्र विश्वविद्यालय का दौरा करता है जहां बी टेक नौसेना वास्तुशिल्प पाठ्यक्रम चलाया जाता है । चुने गए उम्मीदवारों की निकटतम सैन्य अस्पताल में डाक्टरी जांच की जाती है और यदि वे योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है ।

10.10 **नाविकों की भर्ती :** नौसेना में नाविकों की भर्ती भी लिखित परीक्षा, शारीरिक स्वस्थता एवं चिकित्सा जांच प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है ।

10.11 **भर्ती की किस्में :** नाविकों की भर्ती की विभिन्न प्रविष्टियां इस प्रकार हैं :-

(i) आर्टिफिसर अप्रेंटिस (ए ए) 10+2 (पी सी एम)

(ii) सीधी भर्ती (डिप्लोमा धारी) [डी ई (डी एच)]- यांत्रिक/वैद्युतीय/इलैक्ट्रानिकी/उत्पादन/वैमानिकी/धातु विज्ञान/पोत निर्माण में डिप्लोमा।

(iii) मैट्रिक प्रवेश एंट्री रंगरूट - मैट्रिकुलेशन

(iv) नॉन-मैट्रिक एंट्री रंगरूट- मैट्रिक से नीचे

(v) सीधी भर्ती पेटी ऑफिसर (उत्कृष्ट खिलाड़ी)

भारतीय वायुसेना

10.12 **भारतीय वायुसेना में अफसरों का चयन :** भारतीय वायुसेना में संघ लोक सेवा आयोग के जरिए प्रवेश केवल उड़ान शाखा के लिए है । वायुसेना मुख्यालय द्वारा तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शाखाओं के लिए भर्ती कई सीधी भर्ती योजनाओं के माध्यम से की जाती है। इन प्रविष्टियों/योजनाओं का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है :-

भारतीय वायुसेना में सं.लो.से.आ. के जरिए प्रविष्टि फलाइंग शाखा तक ही सीमित है । तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शाखाओं के लिए भर्ती वायुसेना मुख्यालय द्वारा विभिन्न सीधी प्रविष्टियों के माध्यम से की जाती है ।

10.13 इच्छुक पुरुष एवं महिला इंजीनियरिंग स्नातकों को विभिन्न वायुसेना स्टेशनों पर इंजीनियरी ज्ञान परीक्षा (ई के टी) एवं इसके पश्चात वायुसेना चयन बोर्डों द्वारा आयोजित चयन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। वैमानिकी इंजीनियरिंग शाखाओं के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को वायुसेना अकादमी (ए एफ ए) में आधारभूत प्रशिक्षण के पश्चात वायुसेना तकनीकी कालेज (ए एफ टी सी) बंगलौर में विशेषीकृत प्रशिक्षण दिया जाता है । 74 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें इलैक्ट्रानिकी एवं यांत्रिकी शाखाओं में शामिल कर लिया जाता है। निर्दिष्ट इंजीनियरिंग शाखाओं में अंतिम/अंतिम से पूर्व वर्ष के विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना (यू ई एस) के माध्यम से प्रवेश के पात्र हैं ।

तटरक्षक संगठन में अधिकारियों की भर्ती दो मुख्य शाखाओं में होती है-सामान्य ड्यूटी और तकनीकी ड्यूटी । सामान्य ड्यूटी की दो उप-शाखाएं हैं अर्थात सामान्य सेवा एवं सामान्य ड्यूटी (पायलट नेविगेटर) ।

10.14 प्रशासन संभारिकी, लेखा, शिक्षा एवं मौसम विज्ञान जैसी गैर तकनीकी शाखाओं में भर्ती के इच्छुक स्नातकोत्तर एवं स्नातक पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों को विभिन्न वायुसेना स्टेशनों पर वर्ष में दो बार आयोजित होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा (सी ई टी) एवं तत्पश्चात वायुसेना चयन बोर्डों द्वारा आयोजित चयन परीक्षा से गुजरना होता है । चयनित अभ्यर्थियों को 52 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है।

10.15 **सेवा प्रविष्टि आयोग (एस ई सी) :** तकनीकी एवं गैर तकनीकी, दोनों शाखाओं के लिए पहले की शाखा कमीशनिंग प्रविष्टि एवं सीनियर गैर-कमीशंड अफसर (एस एन सी ओ) कमीशनिंग प्रविष्टि का सेवा प्रविष्टि आयोग (एस ई सी) में विलय कर दिया गया ताकि पर्याप्त रूप से अनुभवी एवं योग्य एयरमैन कमीशंड अफसर बन सकें। इस प्रविष्टि के तहत तकनीकी एवं गैर तकनीकी ट्रेडों के न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा (शिक्षा अनुदेशकों के लिए पांच वर्ष) कर चुके सारजेंट एवं इससे ऊपर के रैंक वाले सेवारत एयरमैन जिनकी उम्र 42 साल तक हो और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 हो, कमीशनिंग के लिए आवेदन करने के पात्र हैं । वर्ष में दो बार आयोजित संयुक्त स्क्रीनिंग परीक्षा (सी एस टी) में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को वायुसेना चयन बोर्डों द्वारा आयोजित चयन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को वैमानिकी इंजीनियरिंग शाखाओं/गैर-तकनीकी शाखाओं में कमीशंड अफसर बनाने के लिए 74/52 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

10.16 **एयरमैनों का चयन :** योग्य एयरमैनों का चयन देश भर में स्थित चौदह चयन केन्द्रों की सहायता से नई दिल्ली स्थित केंद्रीय एयरमैन चयन बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्रीकृत चयन पद्धति के माध्यम से किया जाता है । इसके साथ ही समय-समय पर अखिल भारतीय स्तर पर निर्धारित चयन परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं । देश के दूरदराज क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान कराने के लिए भर्ती रैलियां भी आयोजित की जाती हैं ।

तटरक्षक

10.17 **अफसरों की भर्ती :-** तटरक्षक संगठन में अफसरों की भर्ती दो मुख्य शाखाओं,

अर्थात सामान्य ड्यूटी एवं तकनीकी शाखा में की जाती है। सामान्य ड्यूटी शाखा की दो उप-शाखाएं हैं - सामान्य सेवा एवं सामान्य ड्यूटी (पायलट नेवीगेटर)।

10.18 अफसरों का चयन एक चयन बोर्ड द्वारा होता है। रिक्ति विज्ञापन के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन बोर्ड द्वारा एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा एवं स्क्रीनिंग साक्षात्कार के लिए निर्धारित अनुपात में चयन किया जाता है। प्रारंभिक चयन बोर्ड द्वारा छांटे गए अभ्यर्थियों को नौएडा (उत्तर प्रदेश) में अंतिम चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं, वैयक्तिक साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक एवं ग्रुप टास्क्स से गुजरना पड़ता है। सामान्य ड्यूटी(पायलट/नेवीगेटर) का विकल्प चुनने वाले सफल अभ्यर्थियों को वायुसेना चयन बोर्ड में पायलट अभिरूचि बैटरीपरीक्षा देनी पड़ती है ।

10.19 **अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती :** तटरक्षक संगठन में अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए निम्नलिखित किस्म की प्रविष्टियां हैं :-

(क) सीधी भर्ती डिप्लोमाधारी

प्रविष्टि (3-वर्षीय डिप्लोमा)

(ख) नाविक (सामान्य ड्यूटी)

12 वीं पास (विज्ञान शाखा उत्तीर्ण प्रविष्टि)

(ग) नाविक (घरेलू शाखा) (10 वीं पास)

10.20 भर्ती देशभर में फैले विभिन्न केन्द्रों के माध्यम से की जाती है । उपलब्ध रिक्तियों के लिए लिखित, चिकित्सीय एवं शारीरिक स्वस्थता के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है । अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार उम्र एवं योग्यता में छूट दी जाती है।

10.21 **महिलाओं की भर्ती :** महिलाओं की भर्ती केवल अफसरों के रूप में की जाती है। महिला अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया पुरुषों के समान ही है। महिला अफसरों को नॉन-सी गोइंग पदों एवं पायलटों के रूप में तैनात किया जाता है ।

10.22 **तटरक्षक कार्मिकों का प्रशिक्षण :** तटरक्षकों का आधारभूत प्रशिक्षण नौसैनिक संस्थानों में होता है । तटरक्षक को खोज एवं बचाव/प्रदूषण नियंत्रण, समुद्री कानून प्रवर्त्तन जैसे विषयों के विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए XI वीं योजना के दौरान एक स्थाई तटरक्षक प्रशिक्षण केंद्र की योजना बनाई जा रही है। वर्तमान में अंतरिम प्रबंध के रूप में तटरक्षक प्रशिक्षण केंद्र, कोच्चि में तटरक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

सैनिक विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य है- पब्लिक स्कूल के स्तर की शिक्षा को आम आदमी की पहुंच में लाना, बच्चों के व्यक्तित्व का चतुर्दिक विकास और सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना ।

रक्षा सेवाओं के लिए प्रशिक्षण

10.23 रक्षा क्षेत्र में कई प्रशिक्षण संस्थान एक-दूसरे से तालमेल के साथ कार्यरत हैं । कुछ प्रमुख संस्थान इस प्रकार हैं :-

सैनिक स्कूल

10.24 सैनिक स्कूल केंद्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित किए गए थे। ये स्कूल सोसायटी के समग्र नियंत्रण में चलते हैं । इस समय कुल 20 सैनिक स्कूल हैं जो नगरोटा (जम्मू एवं कश्मीर) सुजानपुर तीरा (हिमाचल प्रदेश), कपूरथला (पंजाब), कुंजपुरा (हरियाणा), चित्तौड़गढ़ (राजस्थान), घोड़ाखाल (उत्तराखंड), रीवा (मध्य प्रदेश), गोपालगंज एवं नालंदा (बिहार), तिलैया (झारखंड), गोलपारा (आसाम), पुरूलिया (पश्चिम बंगाल), भुवनेश्वर (उड़ीसा), बालाचढ़ी (गुजरात), सतारा (महाराष्ट्र), कोरूकोंडा (आंध्र प्रदेश), इंफाल (मणिपुर), बीजापुर (कर्नाटक), अमरावतीनगर (तमिलनाडु). एवं कंझाकुट्टम (केरल) में स्थित हैं । नागालैंड में पुंगलवा स्थित सैनिक स्कूल अप्रैल, 2007 से प्रारंभ होने वाले शैक्षिक सत्र से 21 वें सैनिक स्कूल के रूप में सूची में जुड़ जाएगा।

10.25 सैनिक स्कूलों का प्रमुख उद्देश्य बेहतर पब्लिक स्कूल शिक्षा को आम आदमी तक पहुंचाना, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण

विकास और सशस्त्र सेनाओं के अफसर सवंर्ग में मौजूद क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना है। सैनिक स्कूल लड़कों का राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) के माध्यम से सशस्त्र सेना में शामिल होने के लिए शैक्षिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार करते हैं।

10.26 सैनिक स्कूलों में लड़कों को कक्षा VI एवं IX में प्रवेश देते हैं । प्रवेश वर्ष की 01 जुलाई कक्षा VI के लिए उनकी उम्र को 10-11 वर्ष एवं कक्षा IX के लिए 13-14 वर्ष होनी चाहिए । प्रवेश प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में आयोजित अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में योग्यताक्रम (मेरिट) के आधार पर दिया जाता है।

10.27 प्रवेश परीक्षा में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार शामिल हैं । प्रवेश आगे अभ्यर्थी के राष्ट्रीय अकादमी में प्रविष्टि के लिए निर्धारित चिकित्सीय मानदंडों पर खरा उतरने पर निर्भर है ।

10.28 उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के इष्टतम उपयोग एवं इच्छुक कैडेटों को और अधिक प्रतियोगी माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से 2006-07 के शैक्षणिक सत्र से कक्षा X की बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर कक्षा XI में प्रवेश की प्रथा प्रारंभ की गई थी ।

10.29 सैनिक स्कूल पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर चलने वाले पूर्णत: आवासीय स्कूल हैं। सभी सैनिक स्कूल अखिल भारतीय स्कूल संघ के सदस्य हैं । इनका सांझा पाठ्यक्रम है । ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्ध हैं एवं 10+2 शिक्षा पद्धति पर आधारित है ।

10.30 सैनिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं, हालांकि यद्यपि अंग्रेजी का ज्ञान प्रवेश के लिए अनिवार्य नहीं है। इन स्कूलों में 10+2 स्तर पर केवल विज्ञान विषय ही पढ़ाए जाते हैं ताकि अभ्यर्थी एन डीए की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार हो सकें।

मिलिट्री स्कूल

10.31 सी बी एस ई से संबद्ध पांच मिलिट्री स्कूल अजमेर, बंगलौर, बेलगांव, धौलपुर एवं चैल में स्थित हैं । मिलिट्री स्कूल अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर कक्षा VI में लड़कों को प्रवेश देते हैं । इनमें 67% सीटें जे सी ओ/अन्य रैंकों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं जिन्हें हकदार श्रेणी कहा जाता है। गैर-हकदार श्रेणी की 33% सीटों में से 20% सीटें सैन्य अफसरों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं ।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए)

10.32 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) देश की प्रमुख अंतर-सेवा प्रशिक्षण संस्था है । इसे सशस्त्र सेनाओं के अफसर कैडेटों को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्व की प्रथम संस्थाओं में एक होने का गौरव प्राप्त है ।

10.33 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीन वर्ष का पाठ्यक्रम छ: सेमेस्टरों में पूरा किया जाता है जिसके दौरान एक-दूसरे की सेवा के लिए मैत्री तथा सम्मान की भावना विकसित होती है । इस प्रशिक्षण के सम्पन्न होने पर, सशस्त्र सेनाओं में अफसरों के रूप में कमीशन प्राप्त करने से पूर्व आगे के प्रशिक्षण हेतु कैडेट अपनी संबंधित सेवा अकादमियों में चले जाते हैं।

राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज (आर आई एम सी)

10.34 राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज (आर आई एम सी) की स्थापना 13 मार्च 1922 को भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अफसर बनने के इच्छुक भारत में जन्मे या अधिवासी लड़कों को आवश्यक आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए एक फीडर संस्थान के रूप में कार्य करता है।

10.35 आर आई एम सी के लिए चयन राज्य सरकारों द्वारा आयोजित एक लिखित-सह-मौखिक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है । संबंधित राज्यों के लिए सीटें जनसंख्या के अधार पर आरक्षित की जाती हैं । आर आई एम सी में प्रवेश वर्ष में दो बार अर्थात जनवरी और जुलाई में होता है । इसकी अधिकतम क्षमता 250 छात्रों की है । कक्षा viii में 11 1/2 से 13 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों को प्रवेश दिया जाता है । कालेज में 10+2 पद्धति के आधार पर विज्ञान विषयों की पढ़ाई होती है ।

भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए), देहरादून

10.36 वर्ष 1932 में स्थापित भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून का उद्देश्य सेना में अफसरों के रूप में शामिल होने वाले कैडेटों के बौद्धिक, नैतिक एवं शारीरिक गुणों का पूर्णत: विकास करना है ।

10.37 भारतीय सैन्य अकादमी में प्रविष्टि के विभिन्न माध्यम इस प्रकार हैं :

(क) एन डी ए से स्नातक होने पर ।

(ख) सेना कैडेट कॉलेज से जो आई एम ए का ही एक विंग है, स्नातक होने पर ।

(ग) सीधी भर्ती स्नातक कैडेट्स जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करके सैन्य चयन बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं ।

(घ) तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के लिए

(च) इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंतिम/अंतिम से पूर्व वर्ष के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना (यू ई एस) के अंतर्गत

(छ) 10+2 तकनीकी प्रविष्टि योजना (टी ई एस) के माध्यम से

10.38 आई एम ए मित्र देशों के जैंटलमैन कैडेटों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए), चेन्नई

10.39 वर्ष 1963 में स्थापित अफसर प्रशिक्षण स्कूल (ओ टी एस) के 25 वर्ष पूरे होने पर 01 जनवरी, 1988 को इसे अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए) का नाम दिया गया । वर्ष 1965 से पहले इसका मुख्य कार्य इमरजेंसी कमीशन प्रदान करने के लिए जैंटलमैन कैडेटों को प्रशिक्षित करना था। 1965 के बाद अकादमी ने अल्प सेवा कमीशन के लिए कैडेटों को प्रशिक्षित करना आरंभ कर दिया ।

10.40 21 सितंबर, 1992 से सेना में महिला अफसरों के प्रवेश के पश्चात् ओ टी ए से हर वर्ष लगभग 100 महिला अफसर सेना सर्विस कोर, सेना शिक्षा कोर,जज एडवोकेट जनरल विभाग,इंजीनियर्स कोर, सिग्नल तथा इलेक्ट्रिक्ल एवं मैकेनिकल कोर में कमीशन प्राप्त करती हैं ।

10.41 ओ टी ए निम्नलिखित के लिए कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करती है :-

(क) स्नातकों के लिए अल्प सेवा कमीशन (गैर तकनीकी)

(ख) स्नातकों के लिए अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी)

(ग) स्नातक/स्नातकोत्तर महिला कैडेटों के लिए अल्प सेवा कमीशन (महिला)

सेना युद्ध कॉलेज, महू

सेना युद्ध महाविद्यालय अधिकारियों के लिए एक प्रमुख सर्व सेनांग सामरिक प्रशिक्षण संस्थान है जो रणनीति एवं संभारिकी के क्षेत्रों में नई संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों के प्रतिपादन का महत्वपूर्ण कार्य करता है ।

10.42 15 जनवरी, 2003 से पहले समाघात कॉलेज के नाम से जाना जाने वाला सेना युद्ध कॉलेज इंफेन्ट्री स्कूल से बनाया गया था और 01 अप्रैल 1971 को इसे स्वतंत्र संस्थान के रूप में स्थापित क्या गया था । एक अग्रणी संस्थान के रूप में अफसरों को सामरिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ सेना युद्ध कॉलेज सामरिकी एवं संभारिकी के क्षेत्रों में नई संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है ।

पाठ्यक्रम :

(क) **उच्चतर कमान पाठ्यक्रम** : इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य डिवीजन के विशेष संदर्भ में उच्चतर कमानों की कमान संभालने तथा डिवीजन स्तर पर विशिष्टि स्टाफ पद धारण करने हेतु अफसरों को प्रशिक्षित करना है। 40 सप्ताहों की अवधि वाले इस पाठ्यक्रम को केवल तीनों सेनाओं के भारतीय अधिकारियों के लिए चलाया जाता है तथा प्रतिवर्ष 55 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

(ख) **वरिष्ठ कमान पाठ्यक्रम** : इसका उद्देश्य सभी सेनांगों और सेनाओं के चुने हुए मेजर/लेफ्टिनेंट कर्नल तथा समतुल्य रैंक के अफसरों को वायु और अन्य सेनांगों तथा सेनाओं के साथ मिलकर ब्रिगेड या समाघात कमान के हिस्से के रूप में बटालियन/समाघात समूह के सामरिक नियोजन में तथा युद्ध और शांति में यूनिट के प्रशिक्षण और प्रशासन में प्रशिक्षित करना है । प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि 13 सप्ताह की है । करीबन 10 प्रतिशत रिक्तियां मित्र देशों, अर्ध सैनिक बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के लिए रखी जाती हैं । प्रति वर्ष ऐसे 3 पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं ।

(ग) **कनिष्ठ कमान पाठ्यक्रम** : इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य वायु और अन्य सेनांगों तथा सेनाओं के साथ मिलकर बटालियन समूह या समाघात समूह के हिस्से के रूप में रायफल कंपनी/ समाघात दल के सामरिक नियोजन में और साथ ही युद्ध और शांति में उप-यूनिटों के प्रशिक्षण और प्रशासन में सभी सेनांगों और सेनाओं के अफसरों को प्रशिक्षित करना है । पाठ्यक्रम की अवधि 10 सप्ताह होती है तथा इसमें 400 अफसरो को प्रशिक्षित किया जाता है । करीबन 10 प्रतिशत रिक्तियां मित्र राष्ट्रों, अर्ध सैनिक बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के लिए रखी जाती हैं । प्रत्येक वर्ष ऐसे चार पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं ।

(घ) **फार्मेशन कमांडरों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम (एफ सी ओ पी)** : इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य फार्मेशनों की कमान संभालने के लिए सक्षम डिवीजनल कमांडर तैयार करना है । यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष चार सप्ताह के लिए चलाया जाता है तथा केवल भारतीय अफसरों के लिए हैं ।

उच्च तुंगता युद्धपद्धति स्कूल का उद्देश्य है- उच्च तुंगता पर्वतीय युद्धपद्धति के सभी पहलुओं में चयनित कार्मिकों को प्रशिक्षित करना और ऐसे क्षेत्रों में लड़ने के लिए तकनीक विकसित करना ।

जूनियर लीडर्स विंग (जे एल डब्ल्यू), बेलगांव

10.43 बेलगांव स्थित जूनियर लीडर्स विंग कनिष्ठ अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ को सब-यूनिट स्तर की सामरिक तथा विशेष मिशन की तकनीकों में प्रशिक्षित करता है जिससे वे विभिन्न भौतिक दशाओं में काफी दबाव व कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी सौंपे गए संक्रियात्मक मिशनों को पूरा कर सकें तथा युद्ध तथा शांति काल के समय अपनी सब-यूनिटों की कमान एवं प्रशासन प्रभावी ढंग से सभाल सकें । यह सेना, अर्ध सैनिक बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों तथा विदेशाी मित्र राष्ट्रों तथा एम सी ओ को कमांडों किस्म की संक्रियाओं में प्रशिक्षित करता है तथा उन्हें इस योग्य बनाता है कि वे विशेष मिशन समूहों का हिस्सा बन सकें तथा सभी प्रकार के क्षेत्रीय एवं संक्रियात्मक परिवेश में स्वतंत्र मिशनों का नेतृत्व कर सकें

जूनियर लीडर्स अकादमी (जे एल ए), बरेली

10.44 जूनियर लीडर्स अकादमी की स्थापना 1998 में जूनियर लीडरों अर्थात सभी सेनांगों एवं सेनाओं के जे सी ओ तथा वरिष्ठ एन सी ओ नेतृत्व तथा इससे संबंधित विषयों पर संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी जिससे वे अधिक प्रभावी बन सकें ।

10.45 **पाठ्यक्रम** : सभी सेनांगों एवं सेनाओं के जे सी ओ/एन सी ओ के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं :-

(क) **जूनियर लीडर्स पाठ्यक्रम (जे एल सी)** : यह नए पदोन्नत जे सी ओ तथा वरिष्ठ एन सी ओ (जिन्हें जे सी ओ के पद पर पदोन्नत करने के लिए अनुमोदित किया गया है) के लिए 6 सप्ताह का पाठ्यक्रम है । 3,240 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष में ऐसे 6 पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं ।

(ख) **सक्षम सूबेदार मेजर (पी एस एम) अभिविन्यास पाठ्यक्रम** : यह 108 नए पदोन्नत सूबेदार मेजरों अथवा वरिष्ठ सूबेदारों (सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नति के लिए अनुमोदित) के लिए चार सप्ताह का पाठ्यक्रम है । एक वर्ष में 640 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए छह पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं ।

जूनियर लीडर्स अकादमी (जे एल ए), रामगढ़

10.46 प्रशिक्षण के लिए और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिहार के रामगढ़ में 2001 में एक और जे एल ए की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था । जे एल ए रामगढ जे एल ए बरेली के अनुरूप ही संगठित किया गया है । यह संस्था फरवरी, 2003 से प्रतिवर्ष 648 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है ।

उच्च तुंगता युद्ध पद्धति स्कूल (एच ए डब्ल्यु एस),गुलमर्ग

10.47 इस विद्यालय का उद्देश्य उच्च तुंगता (एच ए) की पर्वतीय युद्ध पद्धति से जुड़े सभी पहलुओ में चुने गए कामिकों को प्रशिक्षित करना तथा ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों में युद्ध तकनीक विकसित करना है । एच ए डब्ल्यु एस अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ के लिए पाठ्यक्रमों की 2 शृंखलाएं-पर्वतीय युद्ध पद्धति (एम डब्ल्यु) तथा शीतकालीन युद्ध पद्धति (डब्ल्यु डब्ल्यु), क्रमशः सोनमर्ग तथा गुलमर्ग में चलाता है । प्रशिक्षण की अवधि शीतकालीन युद्ध पद्धति के लिए सामान्यतः जनवरी से अप्रैल तक तथा पर्वतीय युद्ध पद्धति के लिए मई से अक्तूबर तक होती है । इस स्कूल से प्रशिक्षित कार्मिकों ने माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा तथा सं रा अमरीका की माउंट मैकिनले जैसी विश्व की कुछ प्रमुख चोटियों पर चढ़ने में सफलता पाई है ।

प्रतिविद्रोहिता तथा जंगल युद्ध पद्धति स्कूल (सी आई जे डब्ल्यु), वीरांगटे

10.48 सी आई जे डब्ल्यु अधिकारियों तथा जे सी ओ/एन सी ओ के लिए प्रतिविद्रोहिता तकनीको तथा असमिया, बोडो नागामीज मणिपुरी/तंगखुल भाषाओं के पाठ्यक्रम आयोजित करता है तथा विद्रोह पूर्ण क्षेत्रों में भेजने से पहले सभी यूनिटों के लिए तैनाती पूर्व प्रशिक्षण भी आयोजित करता है ।

प्रतिविद्रोहिता तैनाती-पूर्व प्रशिक्षण युद्ध स्कूल

10.49 सी आई जे डब्ल्यु स्कूल की सीमित क्षमता तथा विशिष्ट संक्रियात्मक परिस्थितियों व यूनिटों के संचलन में आने वाली प्रशासनिक समस्याओं के कारण यह आवश्यक समझा गया कि यूनिटों को उनके संक्रिया क्षेत्रों के निकट ही प्रशिक्षण दिया जाए । सेना के संसाधनों में से ही उत्तरी कमान कमान की ओर जाने वाली यूनिटों के लिए खेरू, सरोल एवं भालरा में तथा असम और मेघालय की ओर संचलन करने वाली यूनिटों के लिए ठाकुरबाड़ी में और कोर युद्ध स्कूल स्थापित किए गए हैं । प्रतिविद्रोहिता प्रशिक्षण के साथ-साथ ये स्कूल विशेषकर उत्तरी कमान में यूनिटों को नियंत्रण रेखा तथा उच्च तुंगता के संबंध में उनकी भूमिका के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

इन्फैंट्री स्कूल, महू

10.50 इन्फैंट्री स्कूल भारतीय सेना का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है । इन्फैंट्री स्कूल में यंग आफिसर्स पाठ्यक्रम, प्लैटून वेपन पाठ्यक्रम, मोर्टार पाठ्यक्रम, एंटी टैंक एंड गाइडेड मिसाइल पाठ्यक्रम मीडियम मशीन गन एवं आटोमैटिक ग्रिनेड लांचर (जे/एन) पाठ्यक्रम, सेक्शन कमांडर्स पाठ्यक्रम ऑटोमैटिक डेटा प्रोसेसिंग पाठ्यक्रम, स्नाइपर पाठ्यक्रम तथा सपोर्ट वेपन पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं । यह संस्थान केवल इंफैंट्री के ही नहीं बल्कि अर्ध सैनिक बलों एवं सिविल पुलिस संगठनों के साथ-साथ अन्य सेनांगों एवं सेनाओं के अफसरों, जे सी ओ एवं अन्य रैंकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है । संस्थान इस समय एक वर्ष में 7000 से भी अधिक अफसरों, जे सी ओ एवं एन सी ओ को प्रशिक्षित कर रहा है ।

सामग्री प्रबंधन कॉलेज

10.51 यह कॉलेज अक्तूबर, 1925 में किरकी में स्थापित भारतीय सेना आयुध कोर (आई ए ओ सी) अनुदेश स्कूल की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है । बाद में फरवरी, 1939 में इस स्कूल को दोबारा आई ए ओ सी प्रशिक्षण केंद्र नाम दिया गया और इसे जबलपुर में इसके मौजूदा स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया । जनवरी, 1950 में आई ए ओ सी स्कूल का नाम सेना आयुध कोर (ए ओ सी) स्कूल कर दिया गया। ए ओ सी स्कूल का नाम फिर से बदलकर सामग्री प्रबंधन कॉलेज (सी एम एम) रख दिया गया और 1987 में

इसे जबलपुर विश्वविद्यालय (रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय) से संबद्ध कर दिया गया । 1990 में सी एम एम स्वायत्तशासी हो गया । यह कॉलेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सरकारी कॉलेज के रूप में भी पंजीकृत है । इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) का अनुमोदन भी प्राप्त है ।

10.52 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के तहत गठित नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल (एन ए सी सी) ने कॉलेज को पांच सितारा (उच्चतम) मान्यता प्रदान की है । कॉलेज, भारतीय सेना में आयुय सपोर्ट प्रबंधन संबंधी कार्यो में लगे ए ओ सी के सभी रैंकों और सिविलियनों को आवश्यक संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करता है । यह सभी सेनांगों तथा सेवाओं के चयनित अफसरों, जे सी ओ तथा अन्य रैंकों को भी यूनिट प्रशासन और सामग्री प्रबंधन संबंधी नियंत्रण का प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

तोपखाना स्कूल, देवलाली

10.53 तोपखाना स्कूल, देवलाली विज्ञान की विविध उप-शाखाओं और तोपखाना युद्ध-पद्धति सिखाने वाला शैक्षणिक केंद्र है जो हवाई प्रेक्षण चौकी ड्यूटी के लिए पायलटों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ को तोपखाना हथियारों और प्रणाली का तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त भारतीय तथा विदेशी तोपखाना उपस्कर सिद्धांतों की समीक्षा, अध्ययन और परीक्षण भी किया जाता है ।

10.54 स्कूल ने भारतीय सेना के कई अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ के साथ-साथ वर्ष के दौरान मित्र देशों के कई अफसरों और कार्मिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया है ।

सेना हवाई रक्षा कॉलेज, गोपालपुर

10.55 सेना हवाई रक्षा कॉलेज (ए ए डी सी) ने पहले अक्तूबर, 1989 तक तोपखाना स्कूल देवलाली के एक विंग के रूप में कार्य किया, जब इसे तोपखाने की मुख्य शाखा से हवाई रक्षा तोपखाना के अलग होने से पूर्व गोपालपुर लाया गया । यह कॉलेज वायु रक्षा तोपखाना के कार्मिकों, अन्य सेनांगों और मित्र देशों के सशस्त्र बलों के कार्मिकों को वायु रक्षा संबंधी विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

10.56 सेना हवाई रक्षा कॉलेज अनेक पाठ्यक्रम चलाता है । इनमें से कुछ है - लांग गनरी स्टाफ कोर्स (अफसर), युवा अफसर कोर्स , इलेक्ट्रानिक युद्ध पद्धति कोर्स, वरिष्ठ कमान हवाई रक्षा कोर्स, लांग गनरी स्टाफ कोर्स, जूनियर कमीशंड अफसर/नॉन कमीशंड अफसर, तकनीकी अनुदेशक फायर नियंत्रण कोर्स, वायुयान पहचान कोर्स यूनिट अनुदेशक और चालक दल आधारित प्रशिक्षण और ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग कोर्स ।

सेना सेवा कोर (ए एस सी) केंद्र एवं कॉलेज, बंगलौर

10.57 बंगलौर में सेना सेवा कोर (ए एस सी) केंद्र एवं कॉलेज की स्थापना के लिए 01 मई, 1999 को सेना सेवा कोर केंद्र (दक्षिण) और सेना यांत्रिक परिवहन स्कूल को बंगलौर में ए एस सी केंद्र के साथ मिला दिया गया । यह विविध विषयों जैसे संभारिकी प्रबंधन, परिवहन प्रबंधन, भोजन, ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग इत्यादि में अफसरों, जूनियर कमीशंड अफसरों, अन्य रैंकों और अन्य सेनांगों और सेवाओं, सेना सेवा कोर के रंगरूटों को मूलभूत और उन्नत प्रशिक्षण देने वाला एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है ।

10.58 1992 से ए एस सी कॉलेज संभारिकी एवं संसाधन प्रबंधन में डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से संबद्ध किया गया है ।

सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण कॉलेज एवं केंद्र, पचमढ़ी

10.59 सेना शिक्षा कोर (ए ई सी) प्रशिक्षण कॉलेज एवं केंद्र पचमढ़ी सशस्त्र सेनाओं में शैक्षणिक प्रशिक्षण देने वाला एक उत्कृष्ट रक्षा संस्थान है । यह अपनी किस्म की एकमात्र श्रेणी ए स्थापना और श्रेणी ए रेजिमेंटल केंद्र है । यह बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध एक स्वायत्तशासी कॉलेज भी है जिसे अपने कोर्सों और डिग्रियों की रूपरेखा तैयार करने, उनको संचालित करने, परीक्षा लेने और डिग्री प्रदान करने की शैक्षणिक और प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं ।

10.60 मानचित्र शिल्प विभाग ए ई सी अफसरों और भारतीय सेना के सभी सेनांगों और सेवाओं के अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों (पी बी ओ आर), अर्ध सैनिक बलों ओर मित्र देशों के कार्मिकों के लिए 10 सप्ताह का मैप रीडिंग अनुदेशक कोर्स चलाता है ।

10.61 12-सप्ताह लंबा यूनिट शिक्षा अनुदेशक पाठ्यक्रम भारतीय सेना के सभी सेनांगों और सेवाओं के अन्य रैंकों को अपनी यूनिटों में सक्षम शिक्षा अनुदेशक बनने के लिए प्रशिक्षित करता है ।

10.62 विदेशी भाषा विंग (एफ एल डब्ल्यू), जो ए ई सी प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र के तीन प्रभागों में से एक है, न केवल सशस्त्र सेनाओं में अपितु राष्ट्रीय शैक्षणिक परिवेश में भी विदेशी भाषा प्रशिक्षण का एक अग्रणी संस्थान है । इसके दो डिजिटाइज्ड भाषा प्रयोगशालाएं हैं जो 20-20 छात्रों को प्रशिक्षण देती हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के लिए संभावित पदक विजेता तैयार करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न स्थानों में चुनिंदा खेलों में सैन्य खेलकूद संकेंद्रों के साथ-साथ सैन्य खेल संस्थान, पुणे स्थापित किया गया है ।

मिलिट्री संगीत विंग, पचमढ़ी

10.63 मिलिट्री संगीत विंग की स्थापना ए ई सी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पचमढ़ी के एक भाग के रूप में अक्तूबर, 1950 में तत्कालीन कमांडर-इन-चीफ (बाद में फील्ड मार्शल) जनरल के एम करियप्पा, ओ बी ई के संरक्षण में की गई थी । इसके पास 200 से भी अधिक सेन्य संगीत रचनाओं का समृद्ध खजाना है । इसमें नए भर्ती हुए बैंडमैनों, पाइपरों या ड्रमरों को प्रशिक्षण देने के लिए भिन्न-भिन्न श्रेणियों के पाठ्यक्रमों के माध्यम से भारत मे मिलिट्री संगीत का उच्च स्तर बनाए रखने मे विशिष्टता हासिल की है ।

रिमाउंट और पशुचिकित्सा कोर केंद्र तथा स्कूल, मेरठ

10.64 मेरठ स्थित रिमाउंट और पशुचिकित्सा कोर (आर वी सी) केन्द्र तथा स्कूल का उद्देश्य सभी सेनांगों ओर सेवाओं के अफसरों और अफसरों से नीचे रैंक के सभी कार्मिकों को पशु प्रबंधन तथा पशुचिकित्सा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के विषय में प्रशिक्षण देना है । संस्थान में अफसरों के लिए ग्यारह कोर्स तथा पी बी ओ आर के लिए छः कोर्स चलाए जाते हैं । यहां कुल 250 छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

सेना खेलकूद संस्थान (ए एस आई), पुणे

10.65 भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता तैयार करने के उद्देश्य से देश में विभिन्न स्थानों पर चुने हुए विषयों में सेना खेलकूल केंद्रों के साथ-साथ पुणे में एक सेना खेलकूद संस्थान की स्थापना की गई है । आधुनिकतम आधारभूत सुविधाओं एवं उपस्कर के साथ-साथ भोजन, रहन-सहन, विदेशी दौरों एवं विदेशी प्रशिक्षकों के अधीन प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त निधि की व्यवस्था की गई है ।

शारीरिक प्रशिक्षण सेना स्कूल, पुणे

10.66 शारीरिक प्रशिक्षण सेना स्कूल (ए एस पी टी) पहला ऐसा संस्थान है जो यूनिटों और सब यूनिटों में शारीरिक प्रशिक्षण देने के संबंध में सेना कार्मिकों को सुव्यवस्थित तथा व्यापक प्रशिक्षण दे रहा है । यह सेना में खेलकूद का स्तर सुधारने और शारीरिक प्रशिक्षण में मनोरंजन को शामिल करके उसे अधिक पूर्ण बनाने की दृष्टि से खेलकूद का बुनियादी प्रशिक्षण भी देता है । इन पाठ्यक्रमों में सैन्य और अर्ध सैनिक बलों के और अफसर, जे सी ओ और अन्य रैंक तथा मित्र देशों के सेना कार्मिक भाग लेते हें । ए एस पी टी ने राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान के सहयोग से बॉक्सिंग, बॉलीबाल, बॉस्केटबाल, तैराकी और जीवनरक्षा, जूडो और योग पाठ्यक्रमों में छह संबद्ध खेलकूद पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं ।

समाघात सेना विमानन प्रशिक्षण स्कूल (सी ए ए टी एस) नासिक रोड

10.67 समाघात सेना विमानन प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना मई, 2003 में नासिक रोड में की गई थी । इसका उद्देश्य विमान चालकों को विमानन कौशल तथा विभिन्न युद्ध संक्रियाओं में विमानन यूनिटों

के रख-रखाव में प्रशिक्षित करना, विमानन अनुदेशकों को मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के विकास में प्रशिक्षित करना तथा जमीनी बलों के सहयोग से विमानन सामनिकी सिद्धांत के विकास में सेना प्रशिक्षण कमान की मदद करना है । स्कूल में चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम हैं - प्री-बेसिक पायलट पाठ्यक्रम,बेसिक सेना विमानन पाठ्यक्रम, प्री-क्वालिफाइड उड़ान अनुदेशक पाठ्यक्रम, विमानन अनुदेशक हेलिकॉप्टर पाठ्यक्रम, हेलिकॉप्टर कंवर्शन ऑन-टाइप, उडान कमांडर्स पाठ्यक्रम तथा नव उपस्कर पाठ्यक्रम ।

मिलिट्री इंजीनियरी कॉलेज (सी एम ई), पुणे

10.68 पुणे स्थित मिलिट्री इंजीनियरी कॉलेज (सी एम ई), एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है जहां इंजीनियरी कोर, अन्य सेनांगों और सेवाओं, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बलों व पुलिस कार्मिकों और सिविलियनों को प्रशिक्षण दिया जाता है । इसके अलावा मित्र देशों के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है । यह कॉलेज बी-टेक और एम-टेक डिग्रियाँ देने के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबद्ध है । सी एम ई द्वारा चलाए जाने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) की मान्यता भी प्राप्त है । कॉलेज प्रति वर्ष औसतन 1500 अफसरों और अफसर रैंक से नीचे के 800 कार्मिकों को प्रशिक्षित करता है।

सैन्य इलैक्ट्रानिक्स तथा मैकेनिकल इंजीनियरी कॉलेज (एम सी ई एम ई), सिकंदराबाद

10.69 सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मेकैनिकल इंजीनियरी कॉलेज (एम सी ई एम ई) का कार्य सिविलियनों सहित, ई एम ई के सभी रैंकों को इंजीनियरी, शस्त्र प्रणालियों तथा उपस्कर के विभिन्न विषयों में और खास तौर से उनके रख-रखाव, मरम्मत और जांच के संबंध में तकनीकी शिक्षा देना तथा वरिष्ठ, मध्यम और पर्यवेक्षक स्तरों पर प्रबंध और सामरिक प्रशिक्षण देना है। एम सी ई एम ई में सभी रैंकों के 1760 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। यहां अफसरों के लिए 13 कोर्स और पी बी ओ आर के लिए 61 कोर्स चलाए जाते हैं ।

10.70 प्रशिक्षण के मौजूदा आधारभूत ढांचे के लगातार उन्नयेन के तौर पर प्रशिक्षण वीथियों को नया रूप दिया गया है और उपस्कर की उप प्रणालियों/सब-असेंबलियों के ट्यूबलर मॉडल लगाए गए हैं । प्रशिक्षण के सभी साधनों के साथ उपस्कर के लिए कुछ एकीकृत वीथियां भी स्थापित की गई हैं ।

10.71 कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण पैकेज (सी बी टी) और डिजीटल चार्ट भी विकसित किए गए हैं जिनमें एम सी ई एम ई में पढ़ाए जाने वाले उपस्कर के इलेक्ट्रिकल एवं तकनीकी भाग की कार्य प्रणाली, मरम्मत, रख-रखाव, सर्विसिंग पहलुओं और सही प्रयोग की विस्तृत तकनीकी जानकारी मौजूद है ।

मिलिट्री पुलिस कोर केन्द्र और स्कूल, बंगलौर

10.72 स्कूल का उद्देश्य अफसरों और पी बी आर को कानून जांच-पड़ताल, यातायात नियंत्रण आदि से जुड़ी मिलिट्री और पुलिस ड्यूटियों के बारे मे प्रशिक्षित करना है । वर्तमान में अफसरों के लिए चार और पी बी ओ आर के लिए 14 कोर्स चलाए जा रहे हैं । प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की कुल संख्या 910 है ।

सेना विमानवाहित प्रशिक्षण स्कूल (ए ए टी एस), आगरा

10.73 सेना विमानवाहित प्रशिक्षण स्कूल (ए ए टी एस) पहले सेना हवाई यातायात सहायता स्कूल (ए ए टी एस एस) कहलाता था । सभी विमानवाहित प्रशिक्षण को एक ही एजेंसी के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से सेना वायु परिवहन सहायता स्कूल का नाम बदलकर 15 जनवरी, 1992 से सेना विमानवाहित प्रशिक्षण स्कूल कर दिया गया ।

दूर-संचार इंजीनियरी सैन्य कॉलेज (एम सी टी ई), मऊ

10.74 एम सी टी ई, मऊ सिग्नल अधिकारियों को समाघात संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति, संचार इंजीनियरी, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, रेजीमेंटल सिग्नल संचार एवं गूढ़ भाषा के संबंध में प्रशिक्षित करना है । पांच प्रशिक्षण संकायों एवं विंगों के अलावा, कॉलेज के पास एक प्रशासनिक विभाग है जो स्टाफ एवं विद्यार्थियों

को प्रशासनिक एवं संभारिकी सहायता प्रदान करता है तथा एक अवधारणात्मक अध्ययन प्रकोष्ठ है जो संचार सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का काम कराता है । कॉलेज में एक आधुनिक और पुस्तकों से भरापुरा पुस्तकालय तथा एक खुद का प्रिंटिंग प्रैस भी है । प्रशिक्षणार्थियों को एक औपचारिक परिवेश में अध्ययन एवं प्रशिक्षण का मौका दिया जाता है ताकि वे वर्तमान एवं भावी कार्यों के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं से परिपूर्ण हो सकें ।

सैन्य आसूचना प्रशिक्षण स्कूल और डिपो (एम आई एन टी एस डी), पुणे

10.75 सैन्य आसूचना प्रशिक्षण स्कूल और डिपो (एम आई एन टी एस डी) भारतीय सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों के सभी रैंकों को आसूचना प्राप्ति, जवाबी आसूचना और सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख स्थापना है । स्कूल मित्र देशों की सेनाओं के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है । राजस्व आसूचना विभाग के सिविलियन अफसरों को भी इस स्थापना में प्रशिक्षण दिया जाता है । यह स्कूल एक बार में सभी सेनांगों के 90 अफसरों, 130 जूनियर कमीशनप्राप्त/गैर-कमीशनप्राप्त अफसरों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है । स्कूल प्रतिवर्ष लगभग 350 अफसरों और 1100 जूनियर कमीशंड अफसरों/गैर-कमीशन अफसरों को प्रशिक्षण देता है ।

सैन्य आसूचना प्रशिक्षण विद्यालय एवं डिपो भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों को आसूचना प्राप्ति, प्रति आसूचना एवं सुरक्षा पहलुओं से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

इलेक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक इंजीनियरी स्कूल (ई एम ई), बड़ोदरा

10.76 इलेक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक इंजीनियरी स्कूल अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम तथा पी बी ओ आर के लिए डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र स्तर के पाठ्यक्रम चलाता है । मित्र देशों के अनेक अफसर और पी बी ओ आर ई एम ई स्कूल में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग ले रहे हैं ।

सैन्य विधि संस्थान, कामठी

10.77 सैन्य विधि संस्थान की स्थापना शिमला में की गई थी । 1989 में संस्थान को कामठी स्थानांतरित कर दिया गया । स्कूल की चार्टर ऑफ ड्यूटीज सेना के सभी सेनांगों और सेवाओं के अफसरों को व्यापक विधिक शिक्षा प्रदान करना और सैन्य और सबंद्ध विधि के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और प्रचार का कार्य करना शामिल है ।

कवचित कोर केंद्र एवं स्कूल, अहमदनगर

10.78 देश के विभाजन के पश्चात वर्ष 1948 में प्रशिक्षण विंग, रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र और कवचित कोर डिपो और रिकार्ड कोर अहमदनगर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां पहले से ही लड़ाकू वाहन स्कूल कार्यरत था । यहां इन सभी को मिलाकर कवचित कोर केंद्र एवं स्कूल और कवचित कोर रिकार्ड बना दिया गया । इसमें 6 विंग हैं - कवचित युद्ध-पद्धति स्कूल, तकनीकी प्रशिक्षण स्कूल, बेसिक ट्रेनिंग रेजीमेंट, ड्राइविंग एवं मैंटिनेंस रेजीमेंट, ऑटोमोटिव रेजीमेंट आयुध एवं इलेक्ट्रॉनिकी रेजीमेंट हैं जो इन विषयों में विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ।

विदेशी प्रशिक्षण

10.79 भारतीय सैन्य स्थापनाओं में प्रशिक्षण पाने के लिए विदेशी सेनाओं की बढ़ती हुई दिलचस्पी के चलते पड़ोसी देशों, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशियाई गणतंत्र (सी ए आर), अफ्रीकी महाद्वीप और कुछ विकसित देशों के सेना कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

10.80 विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार विकासशील और अल्पविकसित देशों को सहायता उपलब्ध कराती है । रक्षा मंत्रालय के विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत नेपाल और भूटान

द्वारा भी कोर्सों का लाभ उठाया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील देशों के कार्मिक सैन्य स्थापनाओं में निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । विकसित पश्चिमी देश भी अपने अफसरों को पारस्परिक आधार और प्रशिक्षण और अन्य संबद्ध प्रभारों की लागत के भुगतान के आधार पर हमारे संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं ।

11

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एवं कल्याण

भोपाल में आयोजित रक्षा पेंशन अदालत

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग देश में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न नीतियाँ बनाता है ।

11.1 भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग देश के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए विभिन्न नीतियां बनाता है । इस विभाग में दो प्रभाग हैं, पुनर्वास प्रभाग और पेंशन प्रभाग । इस विभाग को दो अंतर सेवा संगठनों अर्थात् पुनर्वास महानिदेशालय और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा सहायता दी जाती है । जबकि रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण और कल्याण कोषों के इस्तेमाल के लिए सामान्य नीतियां निर्धारित करता है । पुनर्वास महानिदेशालय सरकार द्वारा अपनाए गई विभिन्न नीतियों/स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है । पुनर्वास महानिदेशालय के पास पांच सेना कमानों में पांच पुनर्वास निदेशक जोन हैं ।

11.2 केन्द्रीय सैनिक बोर्ड/पुनर्वास महानिदेशालय को उनके इस कार्य में संबद्ध राज्य सरकार के प्रशासनाधीन विभिन्न राज्य सैनिक बोर्डों/जिला सैनिक बोर्डों द्वारा सहायता दी जाती है । चूंकि भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है इसलिए राज्य सैनिक बोर्डों के संगठन पर होने वाले व्यय का 50% केन्द्र सरकार उठाती है और शेष 50% व्यय संबद्ध राज्य सरकारें उठाती हैं ।

पुनर्वास महानिदेशालय, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों का मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों का सम्मानपूर्वक पुनर्वास सुनिश्चित करना है ।

11.3 रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 28 जून, 2006 को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की 26वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी । अन्य लोगों के अतिरिक्त, गोवा, पंजाब और चण्डीगढ़(संघ राज्य क्षेत्र) के राज्यपाल, अंडमान निकोबार और पांडिचेरी के उप राज्यपाल, हरियाणा, झारखण्ड और दिल्ली के मुख्य मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया । बैठक का मुख्य विचार भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों को पुनर्वास और कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले सामूहिक प्रयासों पर था ।

पुनर्वास

11.4 पुनर्वास महानिदेशालय, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों का मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों का सम्मानपूर्वक पुनर्वास सुनिश्चित करना है। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के विभिन्न अवसरों का पता लगाने के प्रयास किए जाते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास/ पुनः नियोजन के लिए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(क) सेवानिवृत हो रहे रक्षा कार्मिकों को सिविल रोजगार हेतु तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(ख) सरकारी/अर्ध सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पदों का आरक्षण और कॉर्पोरेट जगत में रोजगार में सहायता करना;

(ग) स्वरोजगार योजनाएं; और

(घ) उद्यम लगाने में सहायता और लघु उद्योग की स्थापना करना ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

11.5 पुनर्वास महानिदेशालय का मुख्य कार्य भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवानिवृत्त हो रहे सैन्य कार्मिकों को सिविल जीवन में उनके पुनर्वास के लिए तैयार करने का प्रशिक्षण देना है। इस वर्ष पुनर्वास महानिदेशालय ने कुछ नए

पाठ्यक्रम शुरू किए हैं जो देश के भीतर/बाहर शीघ्र रोजगार प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त व्यक्तियों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत प्रमाणन उपलब्ध कराएंगे । इस कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधकीय विज्ञान, तकनीकी कौशल एवं कृषि पर आधारित उद्योगों से संबद्ध पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है।

11.6 **अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण** :- पुनर्वास महानिदेशालय अधिकारियों के लिए रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है ताकि उनकी योग्यता में वृद्धि हो और सेवानिवृत्ति के पश्चात् वे उपयुक्त रोजगार पा सकें । पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तीन महीने की अवधि के व्यावसायिक पाठ्यक्रम और सुदूर शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से एक वर्ष तक की अवधि के डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शामिल हैं । इन पाठ्यक्रमों को सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा सेवा, उद्यम विकास, व्यवसाय, प्रशासन, कार्मिक प्रबंधन, होटल प्रबंधन, पर्यटन, मानव संसाधन विकास कानून, बीमा और विविध क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है । हाल ही में प्रबंधन विकास संस्थान गुडगांव और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, इंदौर, बेंगलूर और कोलकाता में छह माह की अवधि के प्रबंधकीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं । इन पाठ्यक्रमों पर अफसरों से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है तथा इसके परिणामस्वरूप कॉरपोरेट क्षेत्र में बेहतर तैनातियां हुई हैं । छह माह की अवधि के कम्प्यूटर डिप्लोमा पाठ्यक्रम देश भर के विभिन्न संस्थानों में शुरू किए गए हैं । इसके अतिरिक्त कारपोरेट/स्व-उद्यम के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक नए कैरियर की तलाश करने वाले प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, आपदा प्रबन्धन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में विशेष रूप से तैयार किए गए बारह सप्ताह के कार्यक्रम भी अधिकारियों के लिए लागू किए हैं । पुनर्वास महानिदेशालय ने ब्रिगेडियर के समतुल्य और उससे बड़े रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को पुनर्वास के अवसर उपलब्ध कराने के क्रम में एस.पी. जैन प्रबन्धन एवं अनुसंधान संस्थान के साथ संयुक्त रूप से एम डी आई गुड़गांव और बाम्बे चार्टेड एकाउन्टेंट सोसायटी, मुम्बई में स्वतंत्र निदेशक पाठ्यक्रम भी लागू किया गया है । एम डी आई में हाल ही में आयोजित स्वतंत्र निदेशक पाठ्यक्रम में कुल 11 लेफ्टिनेंट जनरलों और 12 मेजर जनरलों ने भाग लिया था ।

भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षण योजना मुख्यत: ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए है जो सेवा के दौरान पुनर्वास प्रशिक्षण की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते । भूतपूर्व सैनिकों के लिए पाठ्यक्रम नि:शुल्क है और प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए वृत्तिका दी जाती है जिसे वर्ष 2006-07 से 700/- रुपए से बढ़ाकर 1000/- कर दिया गया है ।

11.7 **जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों के समतुल्य अफसरों का प्रशिक्षण** :- जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों तथा उनके समतुल्य रैंक के अफसरों हेतु दो अलग शीर्षो के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण और आई टी आई नामक दो पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं । सरकारी, अर्ध सरकारी तथा देश भर में फैले निजी संस्थानों में एक वर्ष की अवधि के विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं । इसमें शामिल किए गए विशिष्ट क्षेत्र सुरक्षा सेवा, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, यात्रा एवं पर्यटन सहित साहसिक पर्यटन, उद्यम एवं लघु व्यवसाय प्रबंधन, तकनीकी (चिकित्सा सहित) तकनीकी ट्रेड, गैर तकनीकी ट्रेड, सचिवालयी सहायक सेवाएं, कृषि आधारित उद्योग तथा कई अन्य विविध ट्रेड शामिल हैं । वर्ष 2007-08 के लिए विख्यात प्रबन्धन संस्थानों में अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के लिए देश में और विदेशों में उनके रोजगार के अवसरों में सुधार करने के लिए 24 सप्ताह के प्रबंधन पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं । सिविल बाजार में दूसरे कैरियर के लिए निर्बाध रूप से कार्य करने हेतु पर्याप्त सूचना से सुसज्जित करने के लिए सेवानिवृत होने वाले अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के लिए सैंकड कैरियर ट्रांजीशन/प्रिप्रेशन पर तीन दिवसीय कैप्स्यूल पाठ्यक्रम भी देश भर के रेजिमेंटल सेंटरों में शुरू किए गए हैं । यह पाठ्यक्रम अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के लिए नि:शुल्क आधार पर संचालित किए जाते हैं तथा पाठ्यक्रम के शुल्क का भुगतान पुनर्वास महानिदेशालय बजट से सीधे ही संस्थानों को किया जाता है ।

11.8 **भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षण** :- इस योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों के लिए उनके राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

चलाने के लिए राज्य सैनिक बोर्डों को धनराशि आबंटित की जाती है । यह योजना मुख्यत: ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए है जो सेवा के दौरान पुनर्वास प्रशिक्षण की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते । इस योजना का लाभ भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं/ उनके एक आश्रित को भी प्रदान किया गया है चाहे सैनिक की मृत्यु सैन्य सेवा के कारण हुई हो या नहीं । पाठ्यक्रमों की सूची में 67 और विषयों को जोड़ दिया गया है और अधिकांशत: उस प्रत्येक क्षेत्र को शामिल किया गया है जिसके तहत भूतपूर्व सैनिक उपयुक्त कार्य पा सकता है । भूतपूर्व सैनिकों के लिए पाठ्यक्रम निःशुल्क है और प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए वृत्तिका दी जाती है जिसे वर्ष 2006-07 से 700/- रुपए से बढ़ाकर 1000/- रुपए कर दिया गया है।

11.9 विगत तीन वर्षों के दौरान विविध क्षेत्रों में कार्मिकों को दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा सारणी संख्या 11.1 में दिया गया है :-

सारणी संख्या 11.1

योजना	2004-05	2005-06	2006-07 (फरवरी तक)
अधिकारियों का प्रशिक्षण *	679	994	1345
अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों का प्रशिक्षण*	3016	5066	7369

* पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया ।

पुनः रोजगार

11.10 केन्द्र और राज्य सरकारें भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय/ राज्य सरकार के पदों पर पुनः रोजगार दिए जाने के लिए कई रियायतें

विशाखापट्टनम में नौसेना स्थापन प्रकोष्ठ

प्रदान करती हैं । इसमें पदों का आरक्षण/आयु और शैक्षणिक योग्यताओं में छूट, आवेदन/परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिवंगत सैन्य कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता शामिल है ।

भूतपूर्व सैनिकों को पुन: रोजगार उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2007 को भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी देने के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है ।

11.11 भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2007 को भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी देने के वर्ष के रुप में मनाने का निर्णय लिया है । वर्ष के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा । इस अभियान में सम्मेलनों का आयोजन, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उद्योग तथा निजी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करने के लिए उद्यमियों और व्यापारिक घरानों के साथ पारस्परिक बातचीत करना भी शामिल होगा ।

11.12 **सरकारी नौकरियों में आरक्षण** :- केंद्र सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'ग' के पदों में 10 प्रतिशत तथा समूह 'घ' के पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है । केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के समूह 'ग' के पदों में 14.5 प्रतिशत तथा 'घ' के पदों में 24.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। अर्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेट के 10 प्रतिशत पद भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। रक्षा सुरक्षा कोर में शतप्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं । इसके अतिरिक्त, अधिकतर राज्य सरकारें, अपनी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण प्रदान कर रही हैं ।

11.13 **सुरक्षा एजेंसियां :-** पुनर्वास महानिदेशालय (डी जी आर) सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में उद्योगों को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को पंजीकृत/प्रायोजित करता है इस योजना से सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा अधिकारी रैंक से नीचे के भूतपूर्व कार्मिकों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते हैं । इसके अलावा, कुछ राज्यों ने भूतपूर्व सैनिक निगम स्थापित किए हैं वे सुरक्षा सेवाएं भी मुहैया कराते हैं । सार्वजनिक उद्यम विभाग ने संबंधित राज्य अथवा पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों से राज्य भूतपूर्व सैनिक निगमों के माध्यम से सुरक्षा कार्मिक लेने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश जारी कर दिए हैं । इस स्कीम में लगभग 1800 भूतपूर्व सैनिक एजेंसियाँ शामिल की गई हैं तथा लगभग एक लाख तीस हजार से ज्यादा भूतपूर्व सैनिकों ने रोजगार प्राप्त किया है ।

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने संबंधित राज्य अथवा पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों से राज्य भूतपूर्व सैनिक निगमों के माध्यम से सुरक्षा कार्मिक लेने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश जारी कर दिए हैं ।

11.14 **जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों /अन्य रैंकों का नियोजन** :- गत पांच वर्षों के दौरान पुनर्वास महानिदेशालय तथा राज्यों में जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा जिन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान किया गया, उनका ब्यौरा सारणी संख्या 11.2 में दिया गया है :-

सारणी संख्या 11.2

	2002	2003	2004	2005	2006
केन्द्र सरकार	6844	5513	5459	4999	2436
राज्य सरकार	2219	3096	2517	2000	607
निजी क्षेत्र	3064	3079	2963	2937	1014
सुरक्षा एजेंसियां	8679	9543	10939	12110	14000

11.15 **अधिकारियों का नियोजन** :- वर्ष 2006 के दौरान, पुनर्वास महानिदेशालय में रोजगार सहायता के लिए 528 अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है और विभिन्न रोजगार अवसरों के लिए 2376 अधिकारी प्रायोजित किए गए हैं । भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों की क्षमता के बारे में जानकारी देने के लिए नई दिल्ली स्थित चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स में 3 अगस्त, 2006 और कोलकाता में 3 अक्तूबर, 2006 को सम्मेलन आयोजित किए गए थे । निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का पता लगाने के लिए 12 जनवरी, 2007 को पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन में रक्षा-उद्योग की भागीदारी पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत के चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स और उद्योग से जुड़े सुविज्ञ सदस्यों ने भाग लिया था ।

स्व-रोजगार की योजनाएं

11.16 चूंकि सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद सभी भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियां प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है इसलिए सरकार ने लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग लगाने के इच्छुक भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों को बढ़ावा देने तथा ऋण देकर वित्तीय सहायता देने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं । प्रमुख स्व-रोजगार योजनाएं सेम्फेक्स-II, सेम्फेक्स-III और राष्ट्रीय इक्विटी कोष योजना हैं । भूतपूर्व सैनिकों द्वारा ऋण की मंजूरी के लिए आवेदन-पत्र राज्यों के जिला सैनिक बोर्डों में सीधे जमा कराए जाते हैं । इन आवेदनों की जांच की जाती है और पात्रता के मानदंड और अन्य निबंधन और शर्तों को पूरा करने वाले आवेदनों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों एव राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सहायता प्राप्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सहायता प्राप्त राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बैंकों के माध्यम से ऋण मंजूर किए जाने की सिफारिश की जाती है ।

11.17 **सेमफैक्स-II योजना** :- यह योजना राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक की सहायता से कार्यान्वित की गई है । इसकी परिकल्पना लघु सड़क और जल परिवहन आपरेटरों सहित कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण, कुटीर, छोटे और लघु उद्योग लगाने के लिए की गई है । कृषि/खाद्य संस्करण यूनिटों सहित कृषि सेक्टर के अधीन परियोजनाओं के लिए ऋण हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु गैर कृषि क्षेत्र क्रियाकलापों के मामले में एस एस आई सीमा तक वित्तीय सहायता उपलब्ध है । राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) न्यूनतम धन संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंकों को ब्याज मुक्त आसान ऋण सहायता उपलब्ध कराता है । वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इत्यादि मूल ऋणदाता संस्थान हैं । यह स्कीम 1988-89 से चालू है । इस योजना के लागू होने से दिसम्बर, 2006 तक 28,629 भूतपूर्व सैनिकों /विधवाओं को 159.08 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया है ।

11.18 **सेमफेक्स-III योजना** :- यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है । ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग/सेवा क्षेत्र कार्यकलाप लगाने के लिए अलग-अलग उद्यमियों, सहकारी समितियों/संस्थाओं और ट्रस्टों के लिए अधिकतम ऋण सीमा 25 लाख रुपए प्रति परियोजना है । खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा यथा अनुमोदित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, निजी वाणिज्यिक बैंकों और राज्य तथा केन्द्र सरकार के अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । उपांत धनराशि अनुदान (अनुदान) 10 लाख रुपए और अधिक सीमा तक के ऋण के लिए परियोजना लागत के 30% की दर पर उपलब्ध कराया जाता है । किन्तु यह धनराशि परियोजना लागत की 10 प्रतिशत की सीमा तक 25 लाख रुपए तक हो सकती है । ऋण प्राप्तकर्त्ता भूतपूर्व सैनिकों को उपांत धनराशि के रूप में केवल 5% तक ही निवेश करने की आवश्यकता होती है । खादी और ग्रामोद्योग आयोग केन्द्रीय कार्यालय ने वित्तीय बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्तकर्त्ताओं को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों और क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोगों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार उपांत धनराशि अनुदान का आवंटन किया है । यह योजना वर्ष 1992-93 से चालू है। इस योजना के लागू होने की तारीख से दिसम्बर, 2006 तक 1086 भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को 13.29 करोड़ रुपए की धनराशि के ऋण मंजूर किए गए हैं ।

11.19 **राष्ट्रीय इक्विटी फंड योजना**: यह योजना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से प्रारम्भ की गई है। छोटे/लघु उद्योग के क्षेत्र में परियोजनाओं, सेवा उद्यमों की स्थापना करने और लघु उद्योग क्षेत्र में विस्तार, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, आधुनिकीकरण और संभावित बीमार यूनिटों को दोबारा चालू करने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध है । प्रति परियोजना अधिकतम ऋण सीमा 50 लाख रुपए है । आसान ऋण सहायता परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तक उपलब्ध है जो प्रति परियोजना अधिकतम 10 लाख रुपए है । भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक वित्त पोषणकर्त्ता बैंकों को पुनः वित्त पोषण उपलब्ध कराता है । अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, चयनित शहरी सहकारी बैंकों आदि के माध्यम से ऋण उपलब्ध है । ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की स्थिति का ध्यान किए बिना परियोजनाएं लगाई जा सकती हैं । सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर उद्योग में लगे उद्यमियों सहित लघु उद्योग कार्यों में लगे उद्यमियों को समानांतर और/तृतीय पक्ष गारंटी के बिना क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अन्तर्गत 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया गया है । यह योजना वर्ष 200-01 से चालू है। इस योजना के लागू होने की तारीख से दिसम्बर, 2006 तक 46 भूतपूर्व सैनिक/विधवाओं को 2.39 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया है ।

उच्च तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सशस्त्र सेनाओं की युद्ध विधवाओं और भूतपूर्व सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु शैक्षिक वर्ष 2006-07 से प्रधान मंत्री योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम का शुभारंभ किया गया है। लड़कों और लड़कियों को 2 से 5 वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः 1250 रुपए और 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान किया गया है ।

11.20 **हर्बल कृषि योजना :** हर्बल पौधे उगाना कतिपय अनाजों और बागवानी फसलों को उगाने की तुलना में अधिक लाभकारी है। कृषि क्षेत्र में वर्तमान प्रवृत्तियां बदल रही हैं तथा जैविक कृषि तेजी से बढ़ रही है । भारत भी हर्बल वृक्षारोपण विविधता में अत्यधिक समृद्ध है । इसीलिए, भूतपूर्व सैनिकों को हर्बल कृषि में शामिल करने के लिए उन्हें शिक्षित, प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है।

11.21 **सेना अधिशेष वाहनों का आबंटन** : भूतपूर्व सैनिक/सेवा के दौरान मरने वाले रक्षा कार्मिकों की पत्नियां, सेना अधिशेष/सेना से हटाए गए श्रेणी v-बी वाहन के आबंटन के लिए पात्र हैं । वर्ष 2006 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को 1867 सेना अधिशेष वाहन आबंटित किए गए थे ।

11.22 **कोयला परिवहन योजना :** पुनर्वास महानिदेशालय भूतपूर्व सैनिकों की कोयला परिवहन कंपनियों को कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कोयला कंपनियों में कोयले का लदान तथा ढुलाई कार्य करने के लिए प्रायोजित करता है । पुनर्वास महानिदेशालय में पंजीकृत बेरोजगार सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा जूनियर कमीशनप्राप्त अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनियां बनाने के लिए चुना जाता है एवं उन्हें 5 वर्षों के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के लिए प्रायोजित किया जाता है जिसे चार वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है । इस समय ऐसी 97 कंपनियां कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों के अंतर्गत कार्य कर रही हैं । इन कंपनियों की कार्यप्रणाली पर पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा मॉनीटरी की जाती है ।

11.23 **कोयला टिपर योजना :** पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा सेवाकाल के दौरान सैन्य सेवा के कारणों से शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाओं, निशक्त सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनी में अपने नाम से एक टिपर ट्रक चलवाने के लिए प्रायोजित किया जाता है। पात्र विधवा/निशक्त सैनिक को किसी भी नामित कोयला परिवहन कंपनी में 85,000/- रुपए जमा कराने होते हैं । कंपनी 5 वर्ष की अवधि तक 3000/-रुपए प्रतिमाह का भुगतान करती है जिसके बाद विधवा/निशक्त सैनिकों को जमा की गई 85,000 रुपए की राशि लौटा दी जाती है । वर्तमान में 520 विधवा/निशक्त भूतपूर्व सैनिक इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं ।

11.24 **तेल उत्पाद एजेंसियों का आबंटन :** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सैन्य सेवा के कारण शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं तथा आश्रितों तथा सैन्य सेवा के कारण 20% और उससे अधिक निशक्तता वाले निशक्त सैनिकों के लिए तेल उत्पादन एजेंसियों जैसे एल.पी.जी. डीलरशिप, पैट्रोल पम्प, केरोसीन वितरण आदि में 8 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है ।

11.25 **मदर डेयरी दूध तथा फल एवं सब्जी की दुकानें :** जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अन्य रैंकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मदर डेयरी दूध तथा फल व सब्जी की दुकानें आबंटित की जाती हैं। आज की तारीख में, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा 290 दूध की दुकानें तथा 352 फल व सब्जी की दुकानों तथा 31 संयुक्त दुकानें चलाई जा रही हैं । आश्रित पुत्रों (जहां भूतपूर्व सैनिक पात्र नहीं हैं) को भी दिल्ली के आस-पास मदर डेयरी, फल तथा सब्जी बूथ आबंटित किए जाने के लिए विचार किया जाता है ।

11.26 **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सी एन जी स्टेशन का प्रबंधन**: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से संबंधित सीएनजी स्टेशनों के प्रबंधन के लिए यह योजना जुलाई, 2001 में प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरंभ की गई थी, पर योजना का प्रबंधन सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी दिया गया है । फिलहाल यह स्कीम केवल दिल्ली में ही उपलब्ध है ।

11.27 **कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में आरक्षण** : भारतीय कैंटीन स्टोर विभाग ने चुनी हुई 30 सी एस डी मदों के 15% का आरक्षण प्रदान किया है । रक्षा मंत्रालय ने रक्षा खरीद कार्यक्रम के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों द्वारा निर्मित 262 चयनित मदों के 10% का आरक्षण प्रदान किया है जिसके लिए केवल भूतपूर्व सैनिक उत्पादन इकाइयां ही पात्र हैं ।

11.28 **प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना :** प्रधान मंत्री की छात्रवृत्ति योजना नामक नई छात्रवृत्ति योजना का उच्च तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए युद्ध विधवाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक वर्ष 2006-07 से शुभारंभ 14 नवम्बर, 2006 को किया गया है । इस योजना में मान्यता प्राप्त व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठयक्रमों के लिए 2 से 5 वर्ष की अवधि हेतु लड़कों को 1250 रुपए प्रतिमाह तथा लड़कियों को 1500 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है । छात्रवृत्तियों की कुल संख्या 5000 है जिनका वित्त पोषण राष्ट्रीय रक्षा निधि से किया जाएगा तथा जिनमें से 4000 छात्रवृत्तियों सशस्त्र सेनाओं की युद्ध विधवाओं/भूतपूर्व सैनिकों के लिए होंगी और शेष 1000 छात्रवृत्तियां क्रम से गृह मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के प्रबंधाधीन

प्रधानमंत्री एक छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान करते हुए

केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों तथा रेलवे सुरक्षा बल की संतानों के लिए होंगी । 14 नवम्बर 2006 को प्रधान मंत्री द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के 150 चुने हुए बालकों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई ।

प्रचार

11.29 पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं तथा नीतियों का व्यापक प्रचार करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि प्रदर्शनियों/सेमिनारों और भूतपूर्व सैनिक/विधवा तक पहुंच सके । पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा यह लक्ष्य आवधिक पत्रिकाओं च्पुनर्वासछ, विवरणिकाओं, पर्चियों, सैनिक समाचार में लेख और बातचीत के प्रकाशन के जरिए प्राप्त किया जाता है ।

11.30 पुनर्वास महानिदेशालय ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में डेफ एक्सपो 2006 और बेंगलूर में एयरो इंडिया-2007 में भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए एक स्टाल लगाया था । पुनर्वास महानिदेशालय ने मानव संसाधन तक ने मानव संसाधन तक उत्कृष्ट पहुंच शीर्षक पर 09 से 28 जनवरी 2007 तक कोलकाता में आयोजित भारत औद्योगिक ट्रेड मेले में भी भाग लिया ।

कल्याण

11.31 **केंद्रीय सैनिक बोर्ड :** रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य/जिला सैनिक बोर्डों के संपर्क से भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण की देखभाल करने के लिए एक नोडल संस्था है । केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलाप चलाते हैं, जिनका वित्त-पोषण इस निधि से प्राप्त होने वाले ब्याज से किया जाता है । इस समय इस निधि में कुल 125.22 करोड़ रुपए की धनराशि है । अपंग भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों की देखभाल करने के लिए खड़की और मोहाली के पैराप्लेजिक होम, रेडक्रास सोसाइटी, चेशायर होम्स, सैन्य अस्पतालों, सैंट डस्टन ऑफ्टर केयर संगठन तथा ऐसे ही अन्य होम्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । उन भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को भी उनकी

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक

विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो तंगहाली के कारण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। युद्ध विधवा होस्टल चलाने, भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को छात्रवृत्ति देने तथा इसी प्रकार के अन्य मानव कल्याण के कार्यकलापों के लिए भी पुनर्वास महानिदेशालय धन की व्यवस्था करता है । 31 अक्तूबर, 2006 तक सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि से विभिन्न संस्थानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता/कल्याणकारी उपायों के लिए राशि सारणी संख्या 11.3 में दी गई है :-

रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य/जिला सैनिक बोर्डों के संपर्क से भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण की देखभाल करने के लिए एक नोडल संस्था है ।

सारणी संख्या 11.3

(क)	पीआरसी खड़की	17,98,223/- रुपए
(ख)	पीआरसी मोहाली	4,04,068/- रुपए
(ग)	चेशायर होम्स	89,000/- रुपए
(घ)	सैन्य अस्पताल (व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र)	72,000/- रुपए
(ङ)	सेंट डंस्टन आफ्टर केयर	9,00,000/- रुपए
(च)	अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ, देहरादून	4,00,000/- रुपए
(छ)	गंभीर बीमारियां (लाभार्थियों की संख्या 72)	42,90,000/- रुपए

11.32 पैराप्लेजिक पुनर्वास केन्द्र, पुणे, मोहाली स्थित पैराप्लेजिक पुनर्वास केन्द्र तथा क्वीन मेरीज तकनीकी संस्थान, पुणे निशक्त पैराप्लेजिक/टेट्राप्लेजिक युद्ध हताहतों और मिलिट्री ड्यूटियों के दौरान रीढ़ की हड्डी में चोट खाए हुए सिपाहियों का डाक्टरी उपचार करते हैं और उन्हें पुनर्वास प्रशिक्षण देते हैं ।

11.33 **रक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष से सहायता:** सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में एकत्र की गई राशि के एक भाग को रक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष के रूप में अलग रखा जाता है जिससे चिकित्सा उपचार, पुत्रियों का विवाह, मकान की मरम्मत और बच्चों की शिक्षा जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए गरीब और जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । तंगहाली में रह रहे वृद्ध तथा दुर्बल भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को दो वर्ष की अवधि के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। रक्षा मंत्री की विवेकाधीन निधि में वर्ष 2006-07 के लिए आबंटित की गई 1,25,98,246/- रुपए की धन राशि में से 745 मामलों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 98,41,200/- रुपए की राशि 22 नवम्बर 2006 तक मुहैया करा दी गई है।

11.34 **रियायतें एवं सुविधाएं** : पात्र कार्मिकों के लिए निम्नलिखित रियायतें एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं:-

(क) कार्रवाई के दौरान शहीद हुए अथवा अपंग हुए सैन्य कार्मिकों के बच्चों को जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त स्कूलों/कालेजों में पढ़ रहे हों, स्नातक स्तर तक में मुफ्त शैक्षणिक सुविधाएं।

(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से सैन्य कार्मिकों की कई श्रेणियों के आश्रितों/बच्चों के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा एम बी बी एस में 27 सीटें, बी डी एस में एक सीट तथा इंजीनियरिंग में एक सीट उपलब्ध कराई जाती है ।

(ग) सेवारत सैन्य कार्मिकों तथा भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों के बच्चों के लिए सैनिक स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित हैं ।

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में सेवारत सैन्यकार्मिकों तथा सेवानिवृत्त सैन्यकार्मिकों के बच्चों के लिए व्यावसायिक कॉलेजों/आई टी आई/पोलिटेक्नीक में सीटें आरक्षित की गई हैं ।

(ङ) दो शैक्षिक अनुदान यथा (i) युद्ध विधवाओं/युद्ध में निशक्त हुए कार्मिकों और सैन्य सेवा परिस्थितियों की वजह से जिन कार्मिकों की मृत्यु/निशक्तता हुई हो उनकी संतानों के लिए 900/-रु. प्रतिमाह प्रति संतान(कक्षा बारहवीं तक) तथा (ii) निशक्त (सैन्य सेवा के कारण अथवा सैन्य सेवा के

अलावा) तथा शांति के समय हताहतों(सेवाकाल में दिवंगत हुए) के बच्चों को 450/-रुपए प्रतिमाह प्रति संतान (कक्षा बारहवीं तक) मुहैया कराया जाता है । ये अनुदान पूरा करने के लिए 35 युद्धक स्मारक हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों को प्रदान किए जाते हैं । केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में से (31अक्तूबर 2006) तक 155 मामलों के लिए 14,86,800/- रुपए तथा 51 मामलों के लिए 2,62,620/- रुपए की राशि मुहैया कराई गई है ।

सरकार द्वारा अनुमोदित 227 पोलीक्लीनिकों में से 226 पोलीक्लीनिक कार्य कर रहे हैं।

(च) **भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधाएं :** 1 अप्रैल 2003 से भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य तकरीबन 85 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का है जिनमें पेंशनभोगी और उनपर आश्रित भी शामिल हैं तथा इसमें सभी बीमारियों का उपचार किया जाता है ।

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित 227 पोलीक्लीनिकों में से 226 पोलीक्लीनिक कार्य कर रहे हैं। सभी पोलीक्लीनिकों में आधारभूत सुविधाएं जैसे कि ई. सी जी, एक्सरे, डेन्टल कुर्सियां और मूलभूत नैदानिक जांचों के लिए प्रयोगशाला उपलब्ध हैं।

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना की सदस्यता आश्रितों सहित 13 लाख कार्मिकों की है । इस समय 40 पोलीक्लीनिकों की बिल्डिंगों का निर्माण हो चुका है और 24 पोलीक्लीनिक निर्माणाधीन हैं । इसके अलावा, 139 स्टेशनों पर जमीन का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है।

मिलिट्री/सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कालेजों के अलावा पूरे देश में 607 अस्पतालों/निदान केन्द्रों को नामित किया गया है । जहां भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के रोगियों को उपचार के लिए भेजा जा सकता है ।

(छ) **यात्रा रियायतें :** केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा जारी पहचान-पत्र दिखाने पर युद्ध विधवा/शौर्य पदक विजेता निम्नलिखित रियायतों का लाभ उठा सकते हैं :-

(i) **रेल यात्रा रियायत**

(क) आतंकवादियों तथा अतिवादियों के विरूद्ध युद्ध और कार्रवाई में मारे गये रक्षा कार्मिकों की पत्नियां के लिए द्वितीय श्रेणी में रेल यात्रा किराए में 75 प्रतिशत रियायत उपलब्ध है ।

(ख) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र विजेता को एक साथी के साथ श्रेणी 1/ए सी 2 टायर की मुफ्त रेल यात्रा उपलब्ध है। ये पास रेलवे प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं ।

(ग) परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र से सम्मानित कार्मिकों को राजधानी में ए सी 2 टायर/ए सी 3 टायर और शताब्दी/जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलों के चेयर कार में एक साथी के साथ उसी श्रेणी में मुफ्त रेल यात्रा की अनुमति भी है । ये पास रेलवे प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं ।

(ii) **हवाई यात्रा रियायत :**

(क) स्तर । तथा स्तर 2 के वीरता पुरस्कार अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र तथा कीर्ति चक्र, विक्टोरिया क्रॉस, जॉर्ज क्रॉस, उत्कृष्ट सेवा क्रॉस, मिलिट्री क्रॉस, उत्कृष्ट फ्लाइंग क्रॉस तथा जॉर्ज मेडल के विजेताओं को 75% रियायत की अनुमति है ।

(ख) युद्ध में स्थायी रूप से निशक्त अफसर जिन्हें अपंगता के कारण सेवा मुक्त किया गया है तथा, उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए 75% रियायत उपलब्ध है।

(ग) स्वतंत्रता के बाद के समय की युद्ध विधवाओं को 75% रियायत उपलब्ध है ।

(ज) **गृह स्थलों/मकानों का आरक्षण :** अधिकतर राज्यों ने सेवारत/सेवानिवृत्त सशस्त्र सैन्यकार्मिकों के लिए गृह स्थलों/मकानों के आबंटन में आरक्षण किया है ।

(झ) **सैनिक विश्राम घर सुविधाओं** : देश में 252 से अधिक सैनिक विश्राम गृह निर्मित किए गए हैं जो भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मामूली दरों पर ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं । वर्ष 2006-07 में 31 अक्तूबर, 2006 तक सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में से सैनिक विश्राम घरों के निर्माण के लिए मुहैया कराई गई राशि का ब्यौरा सारणी संख्या 11.4 में दिया गया है ।

सारणी सं. 11.4

सैनिक विश्राम घर बागडोगरा	(पश्चिम बंगाल)	35,00,000/-रु.
सैनिक विश्राम घर सोमाजिगुडा	(आंध्र प्रदेश)	50,00,000/-रु.
सैनिक विश्राम घर रीवा	(मध्य प्रदेश)	15,00,000/-रु.
कुल		1,00,00,000/-रु.

(ञ) **वीरता/गैर-वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए जमीन के बदले नकद पुरस्कार/वार्षिक वजीफा/नकद :** राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वीरता/गैर-वीरता पुरस्कार विजेताओं को जमीन के बदले नकद पुरस्कार/वार्षिकी वजीफा/नगदी प्रदान की जाती है ।

सशस्त्र सेना कार्मिकों को पेंशन

11.35 01 अप्रैल, 2006 की स्थिति के अनुसार रक्षा पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 21.5 लाख होने का अनुमान है । पेंशन का संवितरण संपूर्ण भारत में फैले सार्वजाकि क्षेत्र के 27 बैंकों, निजी क्षेत्र के चार बैंकों अर्थात् एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई सी आई बैंक, यू टी आई बैंक और आई डी बी आई बैंक, 640 कोषागारों, 61 रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालयों, 2 डाकघरों तथा 5 वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है । नेपाल में रह रहे सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों के लिए पेंशन का संवितरण नेपाल स्थित तीन पेंशन भुगतान कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है । विभिन्न प्रकार की पेंशनों की पात्रता शर्तों, दरों आदि का ब्यौरा आगामी पैराग्राफों में दिया गया है ।

सशस्त्र सेना कार्मिकों की अपेक्षाकृत कम आयु में सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उन्हें सेवा पेंशन की संगणना के लिए सेवालाभ दिया जाता है। 01 जनवरी, 2006 से सिपाही, नायक तथा हवलदार रैंकों को 30 वर्ष की अधिकतम अर्हक सेवा की शर्त के अध्याधीन क्रमश: 10, 8 तथा 6 वर्ष का सेवालाभ दिया जाता है ।

11.36 पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा पेंशनों पर वार्षिक व्यय का ब्यौरा सारणी संख्या 11.5 में दिया गया है ।

सारणी संख्या 11.5

वर्ष	संवितरित पेंशन (करोड़ रुपए में)
2006-07(वास्तविक)	13806.00
2007-08 (बजट प्राक्कलन)	14649.00

निवृत्तमान/सेवा पेंशन

11.37 कमीशनप्राप्त अफसरों के लिए निवृत्तमान/सेवा पेंशन की गणना पिछले 10 माह के दौरान आहरित औसत गणनीय परिलब्धियों के 50 प्रतिशत पर की जाती है । अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के मामले में इसकी गणना सेवानिवृत्ति से 10 माह पहले धारित रैंक और समूह के वेतनमान के अधिकतम के संदर्भ में की जाती है । निवृत्तमान पेंशन न्यूनतम 1275/- रुपए तथा सशस्त्र सेनाओं के लिए लागू उच्चतम वेतनमान के अधिकतम 50 प्रतिशत तक होगी । 1996 से पहले के पेंशनभोगियों के लिए संशोधित समानता के अधीन तया किए गए सूत्र के अनुसार 1.1.1996 से, पेंशन सेवानिवृत्ति के समय पेंशनभोगियों द्वारा धारित रैंक के संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत (अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के मामले में अधिकतम) से कम नहीं होगी ।

11.38 **सेवालाभ (वेटेज) :** सशस्त्र सेना कार्मिकों की अपेक्षाकृत कम आयु में सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उन्हें सेवा पेंशन की संगणना के लिए सेवालाभ दिया जाता है। कमीशनप्राप्त अफसरों के मामले में, निवृत्तमान पेंशन अर्जित करने के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है । अफसरों को उनके रैंक के आधार पर 3 से 9 वर्ष तक वेटेज का लाभ

दिया जाता है । निवृत्तमान पेंशन अर्जित करने के लिए अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए अर्हक सेवा की न्यूनतम अवधि 15 वर्ष है । उन्हें 5 वर्ष का एक समान सेवालाभ दिया जाता है । तथापि, 01 जनवरी, 2006 से सिपाही, नायक तथा हवलदार रैंकों को 30 वर्ष की अधिकतम अर्हक सेवा की शर्त के अध्याधीन क्रमश: 10, 8 तथा 6 वर्ष का सेवालाभ दिया जाता है । जूनियर प्राप्त अफसरों को 5 वर्ष का एक समान सेवालाभ मिलता रहेगा । केवल सैन्य पेंशन के मामले में ही लाभ दिया जाता है ।

पेंशन का संराशीकरण

11.39 सिविलियनों के लिए 40 प्रतिशत पेंशन के संराशीकरण की तुलना में सशस्त्र सेना के अफसरों के लिए 43 प्रतिशत और अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए 45 प्रतिशत पेंशन का संराशीकरण किया जाता है।

परिवार पेंशन

11.40 01 जनवरी, 1996 से सशस्त्र सेनाओं के उन कार्मिकों के परिवारों को न्यूनतम 1275/- रुपए प्रतिमाह की शर्त के अध्याधीन गणनीय परिलब्धियों के 30 प्रतिशत की एक समान दर पर परिवार पेंशन दी जाती है जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान या पेंशन के साथ सेवानिवृत्ति के बाद हो जाती है । 01 जनवरी 1998 से आश्रित माता-पिता, विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों, जो विहित मानदंड पूरे करती हों, को भी सामान्य परिवार पेंशन स्वीकार्य है ।

युद्ध या युद्ध जैसी संक्रियाओं, विद्रोहरोधी संक्रियाओं, आतंकवादियों, उग्रवादियों आदि के विरुद्ध कार्रवाई में सशस्त्र सेना कार्मिकों की मृत्यु होने पर उनके परिवारों को मृतक कार्मिक द्वारा मृत्यु के समय आहरित अंतिम गणनीय परिलब्धियों के बराबर उदारीकृत परिवार पेंशन मंजूर की जाती है ।

11.41 27 जुलाई, 2001 से पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों के मामले में संगत पेंशन विनिमय के अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन के अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 और परिवार पेंशन योजना, 1971 के अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन की भी अनुमति दे दी गई है ।

निशक्तता पेंशन

11.42 जिस व्यक्ति को सैन्य सेवा के कारण कोई बीमारी होती है या चोट लगती है तथा इसके कारण ही उसमें वृद्धि होती है एवं इनकी वजह से उसे कार्यमुक्त या सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और यदि चिकित्सा बोर्ड द्वारा आंकी गई निशक्तता 20 प्रतिशत या अधिक हो तो वह निशक्तता पेंशन के लिए हकदार है । सैन्य सेवा से या उसकी वजह से उसमें वृद्धि होने के कारण सेवा से अशक्त किए जाने पर, यदि निशक्तता 50 प्रतिशत से कम है तो 50 प्रतिशत पर, यदि निशक्तता 50 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के बीच है तो 75 प्रतिशत पर, यदि निशक्तता 76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है तो 100 प्रतिशत पर निशक्तता अथवा कार्यात्मक अक्षमता निर्धारित की जाती है ।

11.43 निशक्तता पेंशन में दो अंश अर्थात् सेवा अंश और निशक्तता अंश शामिल हैं । सेवा अंश अशक्तता के समय संबंधित व्यक्ति द्वारा की गई सेवा की अवधि से संबंधित है और निशक्तता अंश निशक्तता के लिए मुआवजे के रूप में दिया जाता है तथा निशक्तता की मात्रा पर निर्भर करता है। निशक्तता पेंशन के निशक्तता अंश की दर पर 100 प्रतिशत निशक्तता के लिए कमीशनप्राप्त अफसरों के लिए 2600/- रुपए प्रतिमाह, जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों के लिए 1900/- रुपए प्रतिमाह और अन्य रैंकों के लिए 1550/-रुपए प्रतिमाह है । ऐसे व्यक्ति जो निशक्तता के बावजूद सेवा में बने रहते हैं और सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर या कार्यकाल पूरा करने पर सेवानिवृत्त होते हैं अथवा/और कार्यमुक्त किए जाते हैं उनके मामले में 01 जनवरी, 1996 से यही दरें लागू हैं ।

11.44 30 अगस्त, 2006 से एमरजेंसी कमीशंड अफसर, लघु सेवा नियमित कमीशनप्राप्त अफसर तथा लघु सेवा कमीशनप्राप्त अर्थात् अनियमित अफसरों को 30 अगस्त, 2006 से निशक्तता पेंशन दिए जाने के मामले में नियमित कमीशनप्राप्त अफसरों के समान लाया गया है ।

युद्ध घायल पेंशन

11.45 युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति या उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों आदि के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए युद्ध घायल पेंशन उन कार्मिकों को प्रदान की जाती है जो ऐसे आपॅरेशन के दौरान चोट या निशक्तता झेलते हैं । सेवा अंश उस निवृत्तमान/सेवा अंश के बराबर है जिसके लिए वह अशक्तता की तारीख को अपने वेतन के आधार पर हकदार होता/होती परन्तु सेवा की गणना उस तारीख तक की जाती है जब वह यथा स्वीकार्य वेटेज सहित सामान्य प्रक्रिया में उस रैंक में सेवानिवृत्त हुए होते/होती । शतप्रतिशत निशक्तता में देय युद्ध घायल अंश अंतिम आहरित गणनीय परिलब्धियों के बराबर है । तथापि, किसी भी मामले में सेवा अंश और युद्ध घायल अंश अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगा ।

सतत् परिचर्या भत्ता

11.46 शत प्रतिशत निशक्तता वाले कार्मिकों को चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर 600/- रुपए प्रतिमाह की दर पर सतत् परिचर्या भत्ता दिया जाता है ।

विशेष परिवार पेंशन

11.47 यदि सैन्य कार्मिक की मृत्यु सैन्य सेवा के कारण होती है तो परिवार को 2550/-रुपए प्रतिमाह के न्यूनतम के अध्याधीन मृतक द्वारा आहरित गणनीय परिलब्धियों के 60 प्रतिशत की दर पर विशेष परिवार पेंशन दी जाती है । 01 जनवरी,1996 को या उसके बाद पुनर्विवाह करने वाली विधवाएं भी कतिपय शर्तों के अध्यधीन विशेष परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं ।

उदारीकृत परिवार पेंशन

11.48 युद्ध या युद्ध जैसी संक्रियाओं, विद्रोहरोधी संक्रियाओं, आतंकवादियों, उग्रवादियों आदि के विरुद्ध कार्रवाई में सशस्त्र सेना

पुनर्वास महानिदेशक नेपाल में गोरखा सेनानियों के साथ

कार्मिकों की मृत्यु होने पर उनके परिवारों को मृतक कार्मिक द्वारा मृत्यु के समय आहरित अंतिम गणनीय परिलब्धियों के बराबर परिवार पेंशन मंजूर की जाती है । यदि कार्मिक की विधवा न हो परन्तु बच्चे हों तो वे विहित शर्तें पूरी करने पर मृतक द्वारा आहरित अंतिम गणनीय परिलब्धियों के 60 प्रतिशत के बराबर उदारीकृत परिवार पेंशन के लिए हकदार हैं ।

कैडेटों (सीधे भर्ती) की मृत्यु के मामलों में अनुग्रह राशि देना

11.49 सैन्य प्रशिक्षण के कारण कैडेट की मृत्यु होने की दशा में कतिपय शर्तों के अध्यधीन निम्नलिखित दरों पर अनुग्रह राशि देय है:-

(क) 2.5 लाख रुपए का एक मुश्त अनुग्रह।

(ख) उपर्युक्त (क) के अलावा विवाहित और अविवाहित कार्मिकों के निकटतम संबंधी को 1275/-रुपए प्रतिमाह की अनुग्रह राशि ।

11.50 01 अगस्त, 1997 को या उसके बाद कैडेटों की मृत्यु होने के बाद एक मुश्त अनुग्रह राशि स्वीकार्य है । तथापि, उपर्युक्त (ख) पर यथा उल्लिखित संशोधित मासिक अनुग्रह राशि का लाभ 01 अगस्त, 1997 से पहले के मामलों पर भी लागू है जिसके लिए आर्थिक लाभ 01 अगस्त, 1997 से दिया जाएगा ।

कैडेटों (सीधे भर्ती) की निशक्तता के मामलों में अनुग्रह राशि देना

11.51 सैन्य प्रशिक्षण के कारण चिकित्सा आधार पर कैडेट (सीधे भर्ती) की अशक्तता अथवा उसकी वजह से उसमें वृद्धि होने की दशा में कतिपय शर्तों के अध्यधीन निम्नलिखित अनुग्रह राशि देय है:-

(क) 1275/- रुपए प्रति माह की मासिक अनुग्रह राशि ।

(ख) निशक्तता की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत निशक्तता के लिए 2100/- रुपए प्रति माह की दर पर अनुग्रह निशक्तता राशि । यदि निशक्तता की मात्रा 100 प्रतिशत से कम होती है तो अनुग्रह राशि को समानुपातिक आधार पर कम कर दिया जाता है ।

(ग) अशक्तताकारी चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर 100 प्रतिशत निशक्तता के लिए 600/- रुपए सतत् परिचर्या भत्ता ।

11.52 अनुग्रह निशक्तता राशि 01 अगस्त, 1997 से लागू है तथापि यही लाभ 01 अगस्त, 1997 से पहले के मामलों पर भी स्वीकार्य है जिनको वित्तीय लाभ 01 अगस्त,1997 से प्रभावी है ।

रक्षा पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए उठाए गए कदम

11.53 रक्षा मंत्रालय का सदैव यह प्रयास रहा है कि रक्षा पेंशनभोगियों की शिकायतों का शीघ्र और कारगर ढंग से निवारण करने की कार्यप्रक्रिया को मजबूत किया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हाल ही में अनेक कदम उठाए गए हैं । इस संबंध में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :-

(i) रक्षा पेंशनभोगियों के पेंशन मामलों को देखने वाली कुछ और एजेंसियों ने रिकार्ड को कंप्यूटरीकृत करने की कार्रवाई शुरू कर दी है ।

(ii) प्रधान नियंत्रक, रक्षा लेखा(पेंशन), में पेंशन मंजूरी कार्य को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है । प्रधान नियंत्रक, रक्षा लेखा(पेंशन), इलाहाबाद ने अपनी वेबसाइट (www.pcdapension.nic.in) पर पेंशन से संबंधित संगत आदेश और अनुदेश दिए हैं जिसमें एक केलकुलेटर की व्यवस्था भी की गई है ताकि पेंशनभोगी सही हकदारी पा सकें ।

(iii) सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों की शिकायतें दूर करने के लिए देश के भिन्न-भिन्न भागों में नियमित रक्षा पेंशन अदालतें आयोजित

सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों की शिकायतें दूर करने के लिए देश के भिन्न-भिन्न भागों में नियमित रक्षा पेंशन अदालतें आयोजित की गई हैं । इसके अलावा रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों द्वारा मिनी पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाता है ।

की गई हैं । इसके अलावा रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों द्वारा मिनी पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाता है ।

(iv) डी पी डी ओ में एकल खिड़की प्रणाली शुरू की गई है जिससे पहले भुगतान चैकों को किसी भी कार्यदिवस में निर्बाध और शीघ्र जारी किया जाना सुकर होगा ।

(v) 1989 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले 2 लाख मामलों में परिवार पेंशन का पृष्ठांकन लंबित था । 1989 के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले शेष मामलों में परिवार पेंशन की संयुक्त अधिसूचना के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है ।

(vi) निशक्तता पेंशन दावों का फैसला देने में चिकित्सा परामर्शदाता (पेंशन) की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है । विहित प्राधिकारियों द्वारा यथानुमोदित चिकित्सा बोर्डों की सिफारिश को अंमित माना जाएगा ।

(vii) मार्च, 2006 में, विदेशों में बसे अप्रवासी भारतीय पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को पेंशन/परिवार पेंशन की पहली बार वैयक्तिक उपस्थिति से छूट देने के आदेश जारी किए हैं बशर्ते विदेशों में भारतीय दूतावास/मिशन इस आशय का एक पहचान प्रमाण-पत्र जारी करें।

11.54 **अशक्तता पेंशन** :

(क) **पात्रता शर्तें** : अशक्तता पेंशन ऐसे कार्मिक को स्वीकार्य है जो ऐसी निशक्तता के कारण अशक्त होकर सेवामुक्त हो गए हैं जो न तो सैन्य सेवा के कारण हुई है और न ही सैन्य सेवा के कारण उसमें वृद्धि हुई है, बशर्ते की गई वास्तविक सेवा 10 वर्ष अथवा इससे अधिक हो। निशक्तता उपदान तब दिया जाता है जब की गई सेवा 10 वर्ष से कम हो । यदि अनियमित अफसरों को निम्न चिकित्सा श्रेणी में रिलीज किया जाए तो निशक्तता पेंशन दी जाएगी ।

(ख) **दरें :**

(i) **अशक्तता पेंशन :** अशक्तता पेंशन के उस सेवा अंश की राशि के समान जो सैन्य सेवा के कारण निशक्तता अथवा सैन्य सेवा के कारण उसमें वृद्धि के मामले में स्वीकार्य होती ।

(ii) **अशक्तता उपदान :** अर्हक सेवा की प्रत्येक छह माह की अवधि के लिए आधे महीने की संगणनीय परिलब्धियाँ।

12

सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग

भारतीय नौसेना के पोतों द्वारा बेरुत से कार्मिकों को हटाना

हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने के अतिरिक्त, सशस्त्र सेनाएं कानून व्यवस्था और/अथवा आवश्यक सेवाएं बनाए रखने तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में अपेक्षित फुर्ती और तत्परता के साथ सिविल प्राधिकारियों की सहायता भी करती हैं ।

12.1 हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने के अतिरिक्त, सशस्त्र सेनाएं कानून व्यवस्था और/अथवा आवश्यक सेवाएं बनाए रखने तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में सिविल प्राधिकारियों की सहायता भी करती हैं । सशस्त्र सेनाओं द्वारा इस अवधि में प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा आगामी पैराओं में दिया गया है ।

सेना

12.2 (क) **लेह:** लेह और कारगिल में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कुल 15 टुकड़ियां तैनात की गई थी ।

अगस्त 2006 में सूरत में बाढ़ राहत का कार्य

(ख) **वडोदरा:** वडोदरा में मई 2006 में हुए साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान, माण्डवी, फतेहपुरा और रावपुरा में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वडोदरा और अहमदाबाद से सेना की 4 टुकड़ियां तैनात की गईं ।

(ग) **घरसाना :** सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध न होने के विरुद्ध घरसाना और निकटवर्ती क्षेत्रों के किसानों के आंदोलन के समय, अक्तूबर 2006 में 2 टुकड़ियां तैनात की गईं । कर्फ्यू के दौरान टुकड़ियों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया ।

12.3 **आवश्यक सेवाओं का रखरखाव:** महाराष्ट्र के सरकारी चिकित्सा अधिकारियों की आम हड़ताल के दौरान तात्कालिक चिकित्सा देखरेख की अपेक्षा के गंभीर मामलों को देखने हेतु पुणे के सिविल प्रशासन को सहायता पहुंचाने के लिए पुणे के 20 डाक्टरों का एक दल तैनात किया गया ।

12.4 **बाहरी देशों को सहायता :** भारतीय सेना द्वारा बाहरी देशों को दी गई सहायता के निम्नलिखित उदाहरण भारतीय सेना की अनुक्रिया तथा राहत क्षमता के अंतरराष्ट्रीय आयाम को रेखांकित करते हैं :-

(क) **फिलीपीन का कीचड़ बहाव :** फरवरी 2006 में लीटे (पूर्वी फिलीपीन) में हुए भारी कीचड़ बहाव के बाद आईएल-76 उड़ान में दवा सहित लगभग 30 टन की आपदा राहत सहायता भेजी गई ।

(ख) **इंडोनेशिया भूकम्प** : मई 2006 में जकार्ता (इंडोनेशिया) में आए तेज भूकम्प में दवाई सहित लगभग 86 टन आपदा राहत सहायता 2 आईएल-76 उड़ानों और भा.नौ.पो. तबर में इंडोनेशिया भेजी गई।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुल 77 जत्थे और 114 इंजीनियर कार्य दल तैनात किए गए ।

(ग) **लेबनान :** अगस्त 2006 में, लेबनान के संकट के दौरान 3200 कम्बल और 225 टेंट भेजे गए ।

12.5 **बाढ़ राहत - 2006** : वर्ष 2006 के मानसून के दौरान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत सहायता मुहैया की गई । बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुल 77 जत्थे और 114 इंजीनियर कार्य-दल तैनात किए गए ।

12.6 **गांव मालवा - जिला बाड़मेर** : जिला बाड़मेर के मालवा गांव में पानी निकालने के कार्यों में निम्नानुसार सहायता प्रदान की गई थी :-

(क) पानी निकालने के लिए चौदह पम्पिंग सेट;

(ख) प्रभावित ग्रामीणों के टीकाकरण के लिए दस चिकित्सा दल; और

(ग) टेंट लगाने में सहायतास्वरूप 1500 टेंट ।

12.7 **सड़कों को यातायात योग्य बनाना**: मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त निम्नलिखित सड़कों को पुनः चालू करने के लिए बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के चार जे सी बी, दो डोजर तथा 15 टिप्पर दिए गए:-

(क) बाड़मेर - चौतान

(ख) शिव - हर्सानी

(ग) हर्सानी - मिजियार

(घ) गादरा - मुनाबाऊ मिजियार

(ङ) जोधपुर - रामगढ़

बाढ़ राहत कार्य में जुटे हुए लोग

12.8 **नासिक (महाराष्ट्र) :** नासिक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ में फंसे लगभग 300 गांव वालों के बचाव कार्य हेतु 8 सेना विमानन हेलीकाप्टरों को दो दिन से अधिक तक का समय लगा ।

12.9 **जम्मू और कश्मीर** :

(क) **लेह** : वर्ष के दौरान लेह में अप्रत्याशित वर्षा के कारण भारी तबाही मच गई । सेना ने अन्य कार्यों के साथ-साथ 650 से अधिक गांव वालों को वहां से हटाया ।

(ख) **घाटी** : लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, जल-मार्ग को चौड़ा करने तथा बाढ़ के पानी का मार्ग बदलने के लिए 3 से 6 सितम्बर, 2006 तक कुल नौ टुकड़ियां और 12 इंजीनियर कार्य दलों को उपस्करों सहित कार्य पर लगाया गया । लगभग 1780 गांव वालों को हटाया गया, 167 लोगों को चिकित्सा सहायता दी गई और 1600 खाद्य/पानी के पैकेट बांटे गए ।

ऑपरेशन सद्भावना और ऑपरेशन गुड समारी

12.10 सेना ने संघर्ष रोकने की रणनीति के हिस्से के रूप में जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पूर्वोत्तर में लोगों के दिलोदिमाग जीतने पर केंद्रित अधिकांश नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम चलाए हैं । जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में ये परियोजनाएं ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत और पूर्वोत्तर में भी ऑपरेशन गुड समारी/सैन्य नागरिक कार्रवाइयों के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही हैं ।

12.11 धनराशि का आबंटन : जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के लिए ऑपरेशन सदभावना और ऑपरेशन गुड समारी के लिए आबंटित धन राशि सारणी 12.1 में दी गई है ।

राजस्थान में बाढ़ में फंसे नागरिकों को बचाते हुए भारतीय वायुसेना के एमआई-8 हेलीकॉप्टर

सारणी 12.1

	संक्रिया	जम्मू और कश्मीर	पूर्वोत्तर राज्य
(1)	ऑपरेशन सदभावना (रक्षा मंत्रालय द्वारा)	51.95 करोड़ रुपए	10.00 करोड़ रुपए
(2)	ऑपरेशन गुड समारी (गृह मंत्रालय द्वारा)	_	1.5 करोड़ रुपए

12.12 **मुख्य क्षेत्र** : सेना ने सामाजिक क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, अवसंरचना विकास पहल और प्रयासों जैसे विशिष्ट मुख्य क्षेत्रों का पता लगाकर सुनियोजित ढंग से संघर्ष रोकने की समस्या के प्रति दृष्टिकोण अपनाया । इस उद्देश्य के प्रति किए गए प्रयासों का उन लोगों के मानस पर अत्यंत प्रभाव पड़ा जो आतंकवाद के विरुद्ध आकर खड़े हो गए थे।

अवसंरचना विकास कार्यकलाप

12.13 **जम्मू-कश्मीर**: वर्ष के दौरान सेना द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुछ अवसंरचना परियोजनाएं इस प्रकार हैं :-

(क) 118 गांवों का ग्रामीण विद्युतीकरण ।

(ख) 17 पैदल पुल/पुल और पुलिया बनाना ।

(ग) जम्मू-कश्मीर के तीन क्षेत्रों में बस स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय और सामुदायिक केंद्र/समुदाय भवन बनाना ।

(घ) लद्दाख क्षेत्र में 28 गांवों के लिए हरित गृहों का अनुरक्षण ।

(ङ) पांच गांवों में मस्जिद/मठों का जीर्णोद्धार ।

12.14 प्रधान मंत्री की पुनर्निर्माण योजना :

(क) **माइक्रो हाइडल परियोजनाएं** : जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधान मंत्री की पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत सेना ने जम्मू-कश्मीर में 1000 माइक्रो हाइडल परियोजनाएं बनाने का कार्य अपने हाथ में लिया है । इनमें से कुल 300 माइक्रो हाइडल

भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित 'मुंबई दौड'

सारणी संख्या 12.2

	ऑपरेशन सदभावना			सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम			अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय		
	आबंटित	पूर्ण	शेष	आबंटित	पूर्ण	शेष	आबंटित	पूर्ण	शेष
लद्दाख क्षेत्र	50	50	-	08	02	06	42	03	39
कश्मीर क्षेत्र	150	150	-	197	197	-	203	203	-
जम्मू क्षेत्र	100	100	-	60	60	-	190	131	59
जोड़	**300**	**300**	**-**	**265**	**259**	**06**	**435**	**337**	**98**

परियोजनाएं **ऑपरेशन सदभावना** के तहत योजनाबद्ध हैं। कुल 265 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं की योजना सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत बनाई गई है जिसके लिए गृह मंत्रालय ने 5.3 करोड़ रुपए पहले ही आबंटित कर दिए हैं । अतिरिक्त 435 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं के लिए 8.7 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय द्वारा धनराशि की व्यवस्था की जा रही है । यह धनराशि सेना को दे दी गई है और परियोजना का कार्य पूरे जोरों पर है । पूरी हुई परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दी गई सारणी संख्या 12.2 में दिया गया है :-

भारतीय नौसेना द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन

(ख) **झेलम नदी पर पुल** : धुलंजा गांव को राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए के साथ जोड़ने के लिए 90 मीटर के फैलाव वाली झेलम नदी के ऊपर एक पैदल पुल की योजना बनाई गई है । 50 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना का कार्य शुरू हो गया है और इसके मई 2007 तक पूरा होने की संभावना है ।

12.15 **आदर्श गांव** : जम्मू-कश्मीर के तिथवाल, चुरुंडा और खड़ी-करमाड़ा में तीन आदर्श गांव विकसित किए जा रहे हैं । इन गांवों में बिजली, जलापूर्ति, सरकारी स्कूल की मरम्मत और संवर्द्धन, सामुदायिक विकास केंद्र के प्रावधान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी । तिथवाल आदर्श गांव में सारा कार्य पूरा हो गया है जबकि आदर्श गांव चुरुंडा और खड़ी करमाड़ा में कार्य चल रहा है । योरुब / फेक में 60 लाख रुपए की लागत पर एक आदर्श गांव और थिनगट में एक और नमूना गांव को भी विकसित किया जा रहा है ।

12.16 **खेलकूद अवसंरचना** : मोइरांग/बिशनपुर में विकसित की जा रही खेलकूल सुविधाओं में जलक्रीड़ा के लिए बाह्य स्टेडियम, खिलाड़ियों के लिए आवास, जिमनेज़ियम, रिफरेशमेंट सेंटर और सौर प्रकाश व्यवस्था का निर्माण शामिल है ।

12.17 **अवसंरचना परियोजनाएं** : पूर्वोत्तर राज्यों में सेना द्वारा चलाई जा रही प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में 9 सामुदायिक विकास केंद्र, 28 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, चार पुलों/पुलियों का निर्माण/जीर्णोद्धार, 27 जलापूर्ति योजनाएं और चुनिंदा गांवों में छह शौचालय खंडों का प्रावधान शामिल है ।

सामाजिक क्षेत्र में प्रयास

12.18 **महिला अधिकारिता** : विभिन्न क्षेत्रों में महिला अधिकारिता केंद्र खोले गए हैं जो बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, शाल बुनाई, गब्बा बुनाई, दरी बुनाई इत्यादि में व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया करा रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षा, राष्ट्रीय खुला स्कूल परीक्षाओं के लिए कोचिंग तथा स्वास्थ्य देखभाल में शिक्षा आदि भी महिला अधिकारिता केंद्रों में मुहैया कराई जाती हैं । जम्मू-कश्मीर के तीन क्षेत्रों के 47 गांवों में महिला अधिकारिता केंद्र विद्यमान हैं ।

भारतीय नौसेना के कार्मिक बेरुत में फंसे भारतीयों को सहायता प्रदान करते हुए

12.19 **स्वास्थ्य देखभाल** :जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य देखरेख मुहैया कराने हेतु 46 स्थानों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कृत्रिम अंग केंद्र बनाए गए हैं । 102 पशु चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन किया गया है।

अपूर्व बाढ़ों से प्रभावित लोगों को मानवीय राहत तथा बचाव सहायता मुहैया कराने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में ऑपरेशन सहायता शुरू किया गया था ।

भारतीय नौसेना

12.20 रक्षा सिविल सहयोग के प्रोत्साहन की दिशा में भारतीय नौसेना की पहलों का आगामी पैराग्राफों में व्यापक उल्लेख किया गया है ।

12.21 **ऑपरेशन सहायता :** अप्रत्याशित बाढ़ों से प्रभावित लोगों को मानवीय राहत तथा बचाव सहायता मुहैया कराने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में ऑपरेशन सहायता शुरू किया गया था । महाराष्ट्र में लगभग 600 लोगों को बचाया गया, चिकित्सा दलों ने प्रथम चिकित्सा सहायता मुहैया कराई तथा भोजन के पैकेट वितरित किए थे । गुजरात में हजारिया गैस संयंत्र से 130 लोगों को बचाया गया । भारतीय नौसेना के हेलिकॉप्टरों ने सूरत के आसपास भोजन और पानी के पैकेट गिराने हेतु मुम्बई तथा दमण से उड़ानें भरीं । आंध्र प्रदेश में भद्राचलम तथा कोणावरम में तैनात दो गोताखोर दलों ने 180 लोगों को बचाया। हेलिकॉप्टरों द्वारा दुर्गम क्षेत्र में लोगों के लिए 1900 भोजन के पैकेट वितरित किए गए थे तथा दूरस्थ राहत शिविरों के लिए चिकित्सा दलों को भी स्थानांतरित किया गया था । राजस्थान में, गोताखोर दलों ने बाड़मेर जिले से 66 शव बरामद किए।

बाढ़ राहत ऑपरेशनों के लिए 957 घंटों की 834 उड़ानों द्वारा 519 टन राहत आपूर्तियां की गईं और 2792 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया ।

हमारे समुद्र तटों पर 'श्रमदान'

12.22 कुछ अन्य पहलों में शामिल हैं :-

(क) अपंग लोगों को रोजगार ।

(ख) वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा जांच, प्रकृति सैर आदि जैसे कार्यक्रम ।

(ग) एचआईवी जागरूकता कार्यशालाएं।

(घ) शारीरिक रूप से अपंग बच्चों के लिए स्कूल चलाना तथा अल्प सुविधाप्राप्त बच्चों को दोपहर का भोजन मुहैया कराना।

वायुसेना

12.23 **आपदा राहत** : जून-सितंबर 2006 की अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में हेलिकॉप्टर ने फुर्ती से प्रतिक्रिया करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों को सहायता मुहैया कराने हेतु 957 घंटों की 834 उड़ानों द्वारा 519 टन राहत आपूर्तियां की तथा 2792 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया ।

12.24 चालू वर्ष के दौरान, भारतीय वायुसेना ने अनुकंपा मिशन में 325 उड़ानें भरी तथा गंभीर रूप से घायल तथा बीमार 254 नागरिकों को बचाया । इनमें सर्वाधिक गौरतलब कार्य, श्रीनगर से घायल पर्यटकों को बचाना तथा हरियाणा के छोटे से गांव में एक खाई में गिर गए एक छोटे बच्चे का जीवन बचाने हेतु बचाव दल लाने का था ।

13

राष्ट्रीय कैडेट कोर

रैली के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर विजेताओं के साथ प्रधानमंत्री

एन सी सी ने देश के युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु उनमें समर्पण, कर्त्तव्यपरायणता, स्व-अनुशासन तथा नैतिक मूल्यों के संचार का बीड़ा उठाया है ताकि वे अच्छे नागरिक बनने के साथ-साथ राष्ट्र की सेवा में सुयोग्य नेतृत्व भी प्रदान कर सकें।

13.1 राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना एन.सी.सी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत की गई और इसने अपनी स्थापना के 58 वर्ष पूरे कर लिए हैं । एन सी सी ने देश के युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु उनमें समर्पण, कर्त्तव्यपरायणता, स्व-अनुशासन तथा नैतिक मूल्यों के संचार का बीड़ा उठाया है ताकि वे अच्छे नागरिक बनने के साथ-साथ राष्ट्र की सेवा में सुयोग्य नेतृत्व भी प्रदान कर सकें।

13.2 एन सी सी कैडेटों की कुल प्राधिकृत नफ़री 13 लाख है। एन सी सी के विभिन्न स्कंधों में कैडेट नफ़री का वितरण इस प्रकार है:-

(क)	सेना स्कंध	-	9,71,286
(ख)	वायुसेना स्कंध	-	66,350
(ग)	नौसेना स्कंध	-	67, 912
(घ)	छात्रा स्कंध	-	1,89,008

देश भर में कुल 8410 स्कूलों और 5251 कालेजों के माध्यम से एन सी सी का जाल फैला है।

कैडेटों का प्रशिक्षण

13.3 **प्रशिक्षण शिविर** : शिविर प्रशिक्षण एन सी सी पाठयक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है। भ्रातृभाव, टीम की भावना, परिश्रम का महत्व, आत्मविश्वास तथा एकता व अनुशासन की भावनाओं को उजागर करने में शिविर प्रशिक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। एन सी सी में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शिविर इस प्रकार हैं:-

शिविर प्रशिक्षण एन सी सी पाठयक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है। भ्रातृभाव, टीम की भावना, परिश्रम का महत्व, आत्मविश्वास तथा एकता व अनुशासन की भावनाओं को उजागर करने में शिविर प्रशिक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

(क) **वार्षिक प्रशिक्षण शिविर** : वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन राज्य निदेशालय के स्तर पर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एन सी सी कैडेटों की नामांकित नफरी का कम-से-कम 50% अर्थात् 6.5 लाख कैडेट प्रति वर्ष कम से कम एक शिविर में भाग ले सकें । एक प्रशिक्षण वर्ष के दौरान ऐसे लगभग 900 शिविरों का आयोजन किया जाता है।

(ख) **राष्ट्रीय एकीकरण शिविर (एन आई सी)** : प्रशिक्षण वर्ष 2006-07 के दौरान कुल 37 राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित करने की योजना थी। मौजूदा प्रशिक्षण वर्ष के दौरान सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कुल 23, 240 कैडेटों ने इन शिविरों में भाग लिया। इसके साथ-साथ इन स्थानों पर विशेष राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों का आयोजन किया गया :-

(i) **विशेष एन आई सी लेह** : दिनांक 19 जुलाई से 30 जुलाई, 2006 के दौरान लेह में एक विशेष एन आई सी का आयोजन किया गया जिसमें देशभर से कुल 200 कैडेटों ने भाग लिया ।

(ii) **विशेष एन आई सी नगरौटा** : दिनांक 04 से 15 अक्तूबर, 2006 के दौरान नगरौटा (जम्मू व कश्मीर) में एक विशेष एन आई सी का आयोजन किया गया जिसमें देश भर से 310 कैडेटों ने भाग लिया।

(iii) **विशेष एन आई सी चकाबामा :** दिनांक 28 नवंबर से 09 दिसंबर, 2006 के दौरान पूर्वात्तर क्षेत्र चकाबामा (नागालैंड) में एक विशेष एन आई सी का आयोजन किया गया

जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र से 200 कैडेटों तथा देश के अन्य भागों से 400 कैडेटों ने भाग लिया।

(iv) **विशेष एन आई सी लक्षद्वीप :** दिनांक 13 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2006 के दौरान एक विशेष एन आई सी का आयोजन किया गया जिसमें लक्षद्वीप द्वीपसमूह से 20 कैडेटों सहित देशभर से 200 कैडेटों ने भाग लिया।

(ग) **वायुसैनिक शिविर :** वार्षिक अखिल भारतीय वायुसैनिक शिविर का आयोजन दिनांक 06 से 16 अक्तूबर, 2006 के दौरान वायुसेना स्टेशन जालाहाली (बंगलौर) में किया गया जिसमें 420 वरिष्ठ प्रभाग तथा 180 वरिष्ठ स्कंघ कैडेटों ने भाग लिया।

(घ) **नौसैनिक शिविर :** शिविर का आयोजन दिनांक 04 से 15 नवंबर, 2006 के दौरान विशाखापत्तनम में किया गया जिसमें 17 राज्य एन सी सी निदेशालयों से 405 व.प्र. तथा 163 व.स्क.कैडेटों सहित सिंगापुर से आए एक अफ़सर तथा आठ कैडेटों ने भी भाग लिया।

(च) **थलसैनिक शिविर :** व.प्र./क.प्र. छात्र तथा व.स्क./क.स्क.छात्राओं के लिए प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस परेड ग्राउण्ड, दिल्ली कैंट में दो समवर्ती थल सैनिक शिविरों का आयोजन किया जाता है। 640 छात्र व 640 छात्राएं इन शिविरों में भाग लेते हैं । इस वर्ष इन शिविरों का आयोजन 15 से 26 सितंबर, 2006 के दौरान किया गया ।

(छ) **नेतृत्व शिविर :** इन शिविरों का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है । व.प्र., क.प्र.,व.प्र. नौसेना स्कंध छात्रा तथा व.स्क छात्राओं प्रत्येक के लिए, इस प्रकार चार एडवांस नेतृत्व शिविरों तथा तीन बेसिक नेतृत्व शिविर, व.प्र.छात्र, व.स्क.छात्रा तथा क.स्क. छात्रा प्रत्येक के लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष के लिए 3220 छात्र व छात्रा कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ऐसे शिविरों की श्रृंखला आयोजित की गई।

(ज) **रॉक क्लाइम्बिंग शिविर :** कैडेटों को रॉक क्लांइम्बिंग का आधारभूत प्रशिक्षण देने के लिए तथा रोमांच की भावना

राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा 31 अक्तूबर 2006 को दिल्ली में आयोजित एक रक्तदान शिविर में कैडेट

का संचार करने के लिए प्रतिवर्ष आठ रॉक क्लांइम्बिंग शिविरों का आयोजन किया जाता है। इनमें से चार शिविरों का आयोजन मध्य प्रदेश में ग्वालियर में किया जाता है तथा अन्य चार शिविरों का आयोजन केरल में तिरूवनंतपुरम के नज़दीक नैय्यर बांध में किया जाता है । मई से नवंबर, 2006 के बीच 1080 छात्र व छात्रा कैडेटों ने इन शिविरों में भाग लिया।

सशस्त्र सेना यूनिटों के साथ संलग्न होकर एन सी सी कैडेट अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करते हैं।

(झ) **गणतंत्र दिवस शिविर- 2007** : गणतंत्र दिवस शिविर वर्ष 2007 का आयोजन दिनांक 01 से 29 जनवरी, 2007 तक दिल्ली में किया गया । इस शिविर में पूरे देश से 1850 कैडेटों ने भाग लिया और उनके साथ-साथ एन सी सी के मित्र देशों से आए कैडेटों ने भी भाग लिया। शिविर के दौरान सांस्थानिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं तथा राष्ट्रीय एकीकरण जागरूकता से संबंधित प्रस्तुतीकरण भी आयोजित किए गए। शिविर का उद्घाटन दिनांक 08 जनवरी, 2007 को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया। और पारंपरिक रूप से प्रधानमंत्री रैली का आयोजन दिनांक 27 जनवरी, 2007 को किया गया और शिविर का समापन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय के साथ चयनित कैडेटों की मुलाकात से हुआ।

13.4 **संलग्नता प्रशिक्षण** : सशस्त्र सेना यूनिटों के साथ संलग्न होकर एन सी सी कैडेट अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करते हैं। इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित संलग्नता कार्यक्रम आयोजित किए गए:-

(क) 440 अफसरों तथा 20,000 कैडेटों को नियमित सैन्य यूनिटों के साथ संलग्न किया गया। इनमें महिला अफसर तथा 560 व.स्क. छात्रा कैडेट शामिल हैं।

(ख) 18 से 29 दिसंबर, 2006 के बीच 120 कैडेटों को भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून तथा दिनांक 19 से 30 सितंबर, 2006 के बीच 48 छात्रा कैडेटों को अफ़सर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई के साथ संलग्न किया गया ।

गढ़वाल हिमालय में 17 सितंबर 2006 को जोगिन-3 शिखर (20,180 फुट) के लिए चढ़ाई करते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर बालिका पर्वतारोहण अभियान

(ग) 1000 छात्रा कैडेटों को विभिन्न सैन्य अस्पतालों के साथ संलग्न किया गया।

(घ) वायुसेना स्कंध के 38 व.प्र. तथा 12 व.स्क. कैडेटों को दिनांक 20 जून से 01 जुलाई, 2006 तथा 13 अक्तूबर, से 25 अक्तूबर, 2006 के बीच दो बार वायुसेना अकादमी, दुंदीगल के साथ संलग्न किया गया।

(च) पिछले एक वर्ष के दौरान आठ कैडेटों ने माइक्रोलाइट/ ग्लाइडर में 'एकल' उड़ान भरी है।

(छ) **नौसेना संलग्नता -आई एन एस मांडवी :** दिसंबर तथा जनवरी, 2007 के दौरान 25 नौसेना स्कंध (व.प्र.) कैडेटों के लिए नौसेना अकादमी, आई एन सी मांडवी, गोवा में 12 दिन के संलग्नता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

13.5 **ग्लाइडिंग तथा माइक्रोलाइट फ्लाइंग :** 38 एन सी सी वायुसेना स्क्वाड्रनों में ग्लाइडिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस वर्ष के दौरान एन सी सी वायुसेना स्क्वाड्रनों ने 14,839 लांच किए हैं। एन सी सी वायुसेना स्कंध (व.प्र.) कैडेटों को उड़ान का अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एन सी सी में रोमांचकारी गतिविधियों के रूप में माइक्रोलाइट फ्लाइंग का आयोजन किया जा रहा है । वर्ष के दौरान कुल 7,384 घंटों की माइक्रोलाइट फ्लाइंग की गई।

13.6 **समुद्री प्रशिक्षण :** नौसेना स्कंध के एन सी सी कैडेटों को उनके समुद्री प्रशिक्षण तथा संलग्नता के दौरान नेवीगेशन, कम्यूनिकेशन, गनरी, सीमैनशिप, डैमेज कंट्रोल, शिप सेफ्टी, प्राथमिक चिकित्सा तथा शिप हसबैंडरी जैसे नौ सैनिक विषयों पर गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान कुल 295 कैडेटों को पूर्वी तथा पश्चिमी कमान तथा तटरक्षक पोत के साथ संलग्न किया गया ।

13.7 **विदेशी क्रूज़ :** प्रतिवर्ष निम्नलिखित विदेशी क्रूज़ आयोजित किए जाते हैं:-

(क) **तटरक्षक क्रूज़ :** दिनांक 21 मई से 26 जून, 2006 तक छह नौसेना व.प्र.कैडेट केन्या, सेशल्स तथा मॉरीशस की यात्रा पर गए ।

(ख) **नौसैनिक क्रूज़ :** दिनांक 03 अप्रैल से 28 अप्रैल, 2006 तक छह कैडेट बहरीन तथा ओमान की यात्रा पर गए तथा

स्कूबा गोताखोरी करते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट

दिनांक 06 अक्तूबर से 08 नवंबर, 2006 तक दस कैडेट सिंगापुर, फुकेट तथा कोलंबो की यात्रा पर गए ।

रोमांच प्रशिक्षण

13.8 (क) **पर्वतारोहण पाठ्यक्रम :** नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी, हिमालय पर्वतारोहरण संस्थान, दार्जीलिंग तथा पर्वतारोहण एवं सम्बद्ध खेल निदेशालय, मनाली में विभिन्न पर्वतारोहण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए एन सी सी द्वारा प्रति वर्ष सभी एन सी सी निदेशालयों से 300 छात्र व छात्रा कैडेटों को नामांकित किया जाता है।

(ख) **पर्वतारोहण अभियान** : एन सी सी द्वारा प्रतिवर्ष वरिष्ठ प्रभाग छात्र कैडेटों तथा वरिष्ठ स्कंध छात्रा कैडेटों के लिए दो पर्वतारोहण अभियानों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1970 से लेकर अब तक एन सी सी द्वारा 58 पर्वतारोहण अभियान आयोजित किए गए जिनमें से 31 अभियान छात्रों के लिए थे और 27 छात्राओं के लिए आयोजित किए गए थे। इस वर्ष मई/जून 2006 के दौरान छात्रों के लिए स्वर्गारोहिणी चोटी (6252 मीटर) तथा छात्राओं द्वारा सितंबर/अक्तूबर, 2006 में जोगिन शिखर III (6116 मीटर) पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई।

(ग) **ट्रेकिंग अभियान** : वर्ष के दौरान कुल 10 ट्रेकिंग अभियान आयोजित किए गए जिनमें प्रत्येक ट्रेक में 1000 कैडेटों ने भाग लिया जिसका मुख्य आकर्षण 'वैली आफ फ्लावर ट्रेक' था जिसमें 500 व.प्र. कैडेटों ने भाग लिया।

(घ) **पैरा सेलिंग** : रोमांचक गतिविधि के रूप में ग्रुप स्तर पर एन सी सी छात्र व छात्रा कैडेटों के लिए पैरासेलिंग का आयोजन किया जाता है । वर्ष के दौरान 12,500 कैडेटों को इस गतिविधि में प्रशिक्षित किया गया ।

(च) **पैरा बेसिक पाठ्यक्रम** : प्रतिवर्ष 40 छात्र व 40 छात्रा कैडेटों को 24 दिनों के लिए सेना उड्डयन प्रशिक्षण स्कूल, आगरा में प्रशिक्षित किया जाता है।

(छ) **मरुस्थल कैमल सफ़ारी** : इस रोमांचकारी गतिविधि का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है जिसमें 20 कैडेट भाग लेते हैं। उनके साथ-साथ मित्र देशों से आए कैडेट भी इस गतिविधियों में भाग लेते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में इस गतिविधि का आयोजन किया जाता है।

(ज) **व्हाइट वाटर राफ्टिंग** : राईवाला (हरिद्वार) में व्हाइट राफ्टिंग नोड की स्थापना की गई है।

(झ) **नौकायान अभियान** : 548 व.प्र. छात्र तथा 72 छात्रा कैडेटों ने देश के विभिन्न भागों में आयोजित विभिन्न नौकायन अभियानों में भाग लिया।

राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम

(ट) **हॉट एयर बैलूनिंग :** भोपाल में एक हॉट एयर बैलूनिंग नोड की स्थापना की गई है। बहुत से कैडेटों ने इस फ्लाइट में भाग लिया।

युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (वाई ई पी)

13.9 **बाहर जाने वाले विदेशी दौरे** : वाई ई पी के अंतर्गत निम्नलिखित दौरे आयोजित किए गए :-

(क) दिनांक 29 मई से 11 जून, 2006 के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कैडेट आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक अफसर तथा छह कैडेट (नौसेना स्कंध) सिंगापुर की यात्रा पर गए।

(ख) दिनांक 29 मई से 11 जून, 2006 के बीच अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना कैडेट आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक अफसर तथा चार कैडेट (वायुसेना स्कंध) सिंगापुर की यात्रा पर गए ।

(ग) दिनांक 10 से 13 अगस्त 2006 तक दो अफसर तथा बीस कैडेटों की सिंगापुर यात्रा।

(घ) दिनांक 22 सितंबर से 01 अक्तूबर, 2006 तक दो अफसरों तथा दस कैडेटों की रूस यात्रा।

(च) एक अफसर और छह कैडेटों का 06 अक्तूबर से 14 अक्तूबर, 2006 तक श्रीलंका दौरा।

(छ) दो अफसरों और तेरह कैडेटों का 28 नवंबर से 07 दिसंबर, 2006 तक वियतनाम दौरा।

(ज) दो अफसरों और दस कैडेटों का 04 दिसंबर से 13 दिसंबर, 2006 तक सिंगापुर दौरा।

वर्षों से, एन सी सी कैडेटों ने बाढ़, भूकंप, चक्रवात, रेल दुर्घटना इत्यादि के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं तथा दंगा प्रभवित क्षेत्रों में मानवीय क्षेत्रों में मानवीय संवेदनाएं प्रदर्शित की हैं।

13.10 **वाई ई पी दौरा आगमन** :वर्ष के दौरान विदेशी दलों के निम्नलिखित वाई ई पी आगमन दौरे आयोजित किए गए :-

(क) विशाखापत्तनम में नौसैनिक कैंप के लिए 04 नवंबर से 15 नवंबर, 2006 तक सिंगापुर से एक अफसर और आठ कैडेट।

(ख) जैसलमेर (राजस्थान) में 27 नवंबर से 08 दिसंबर, 2006 तक जैसलमेर (राजस्थान) स्थित डैजर्ट सफारी के लिए सिंगापुर से दो अफसर और दस कैडेट ।

(ग) आठ मित्र देशों अर्थात् बांग्लादेश,नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सिंगापुर, रूस, वियतनाम तथा आस्ट्रेलिया के विभागाध्यक्षों को गणतंत्र दिवस शिविर 2007 के लिए आमंत्रित किया गया।

समाज सेवा तथा सामुदायिक विकास

13.11 कैडेटों में समुदाय के प्रति नि:स्वार्थ सेवा का महत्व, आत्मनिर्भरता, श्रम महिमा, स्वयं सहायता के आदर्श, पर्यावरण की सुरक्षा तथा समाज के कमज़ोर वर्गो के उत्थान जैसी भावनाओं का संचार करने के उद्देश्य से (एन सी सी) ने सामुदायिक विकास के क्रियाकलापों को अपनाया है। एन सी सी कैडेट निम्नलिखित सामुदायिक विकास गतिविधियों में भाग लेते हैं:-

(क) **वृक्षारोपण** : एन सी सी कैडेट पौधारोपण करते हैं तथा संबंधित राज्य विभाग/कॉलेज/स्कूल और गांवों के सहयोग से उनकी देखभाल करते हैं।

(ख) **रक्तदान** : जब भी अस्पतालों/रेडक्रॉस में रक्त की आवश्यकता होती है, कैडेट स्वैच्छिक आधार पर रक्तदान करते हैं। इस वर्ष, एन सी सी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में सभी एन सी सी निदेशालयों द्वारा विभिन्न कस्बों और गांवों में 31 अक्तूबर से 06 नवंबर, 2006 तक "रक्तदान अभियान" का आयोजन किया गया, जिसमें एक सप्ताह में एन सी सी के कैडेटों, अफसर तथा स्टाफ द्वारा 21,357 यूनिट रक्तदान किया गया।

(ग) **वृद्धाश्रम** : एन सी सी कैडेट देश में वृद्धाश्रम का संरक्षण करते हैं और वृद्धों की सहायता करने के लिए नियमित रूप से वृद्धाश्रमों का दौरा करते हैं।

(घ) **प्रौढ़ शिक्षा** : एन सी सी कैडेट शिक्षा की आवश्यकता पर बल देने तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के संचालन में सहायता करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों, गांवों तथा अर्धविकसित क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

(च) **सामुदायिक कार्यक्रम**: एन सी सी कैडेट तथा शहरी सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तथा गांवों में सड़कें बनाने तथा कुओं की सफाई जैसी दूसरी गतिविधियों में भाग लेते हैं।

(छ) **आपदा राहत कार्य :** एन सी सी ने प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं एवं दुर्घटनाओं के समय हमेशा सहायता प्रदान की है । वर्षों से, ए न सी सी कैडेटों ने बाढ़, भूकंप, चक्रवात, रेल दुर्घटना इत्यादि के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं तथा दंगा प्रभवित क्षेत्रों में मानवीय क्षेत्रों में मानवीय संवेदनाएं प्रदर्शित की हैं।

(ज) **कुष्ठ निवारण अभियान** : एन सी सी कैडेटों ने देशभर में कुष्ठ निवारण अभियान की शुरूआत की है तथा वे कई स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता कर रहे हैं।

(झ) **एड्स जागरूकता कार्यक्रम :** एन सी सी एड्स/ एचआईवी जागरूकता कार्यक्रम में बढ़-चढ़ कर भाग लेता है तथा यू एन एड्स तथा सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के संयोजन से एन सी सी देश भर में एड्स जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करने हेतु अग्रदूत के रूप में सभी राज्य निदेशालयों के निदेशकों, चयनित अफसरों तथा डब्ल्यू टी एल ओ के साथ मिलकर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया ।

(i) **कैंसर जागरूकता कार्यक्रम** : एन सी सी कैडेट विभिन्न स्थानों पर आयोजित कैंसर जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेते हैं । एन सी सी ने एक गैर सरकारी संगठन कैंसर केयर इंडिया के साथ मिलकर देश भर में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम (सी ए जी एस) प्रारंभ किया है। अब तक ऐसे 25 कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियां

13.12 एन सी सी कैडेटों ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित निम्नलिखित गतिविधियों में भाग लिया :-

(क) **जवाहर लाल नेहरू कप हॉकी टूर्नामेंट** : प्रत्येक वर्ष अक्तूबर/नवंबर में आयोजित जवाहर लाल नेहरू कप हॉकी टूर्नामेंट में चार एन सी सी टीमें (3 छात्र और एक छात्रा) भाग लेते हैं। इस वर्ष निम्नलिखित टीमों ने भाग लिया :-

(I) जूनियर छात्र वर्ग में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा निदेशालय।

(II) जूनियर छात्रा और सब-जूनियर छात्र वर्ग में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के महिला कैडेटों द्वारा कायाकिंग

(ख) **सुब्रतो कप फुटबाल टूर्नामेंट :** एन सी सी इस टूर्नामेंट में पिछले 27 वर्षों से भाग ले रही है। इस वर्ष 14 सितंबर से 13 अक्तूबर, 2006 तक नई दिल्ली में आयोजित इस टूर्नामेंट में पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम निदेशालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र निदेशालय से एक-एक टीम से भाग लिया ।

(ग) **अखिल भारतीय जी वी मावलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप:** इस वर्ष अखिल भारतीय जी वी मावलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप का आयोजन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 05 नवंबर से 14 नवंबर, 2006 तक आसनसोल (पश्चिम बंगाल) में किया गया इस वर्ष कैडेटों ने पांच स्वर्ण, चार रजत और पांच कांस्य पदक जीते ।

(घ) **नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप प्रतियोगिता:** 50वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप प्रतियोगिता (एन एस सी सी) का आयोजन 12 दिसंबर से 22 दिसंबर, 2006 तक इंदौर में किया गया। जी वी मावलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप के दौरान चुने गए 16 कैडेटों ने इस चैम्पियनशिप में भाग लिया तथा अद्वितीय 11 पदक (8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य) जीते।

स्टाफ का प्रशिक्षण

13.13 एन सी सी की दो प्रशिक्षण अकादमियाँ हैं जिनमें से एक ग्वालियर में है तथा दूसरी कामठी में है जहां प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। वर्षभर में सम्बद्ध एन सी सी अफसरों (ए एन ओ) और स्थायी प्रशिक्षकों (पी आई) स्टाफ के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:-

(क) **ए एन ओ के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम:** अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए) कामठी में प्रतिवर्ष 1135 ए एन ओ के लिए 16 कोर्स संचालित किए जाते हैं।

(ख) **पी आई स्टाफ के लिए ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम** : प्रति वर्ष ओ टी ए कामठी में 2810 पी आई स्टाफ के लिए 26 कोर्स संचालित किए जाते हैं।

(ग) **प्री-कमीशन कोर्स** : ओ टी ए कामठी में 500 ए एन ओ के लिए चार प्री-कमीशन कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

(घ) **लेडी ए एन ओ के लिए रिफ्रेशर कोर्स** : एन सी सी ओ टी ए ग्वालियर में 110 लेडी ए एन ओ के लिए चार कोर्स आयोजित किए जाते हैं।

(च) **लेडी ए एन ओ के लिए प्री-कमीशन कोर्स** : ए एन ओ के लिए एन सी सी ओ टी ए ग्वालियर में दो कोर्स वरिष्ठ प्रभाग और दो कोर्स कनिष्ठ प्रभाग के लिए आयोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर अंलकरण समारोह के दौरान रक्षा मंत्री पुरस्कार प्रदान करते हुए

(छ) **नौसेना ए एन ओ के लिए रिफ्रेशर कोर्स** : 12 वरिष्ठ प्रभाग तथा 39 कनिष्ठ प्रभाग ए एन ओ ने आई एन एस सिरकारस, विशाखापत्तनम में रिफ्रेशर कोर्स में भाग लिया।

(ज) **नौसेना पी आई स्टाफ के लिए रिफ्रेशर कोर्स** : पच्चीस नौसेना पी आई स्टाफ सीमैनशिप स्कूल, कोच्चि में रिफ्रेशर कोर्स में उपस्थित हुए।

(झ) **नौसेना ए एन ओ के लिए प्री-कमीशन कोर्स** : नौसेना वरिष्ठ प्रभाग/कनिष्ठ प्रभाग ए एन ओ ने सीमैनशिप स्कूल, कोच्चि और ओ टी ए कामठी में प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

(ट) **एयर पी आई स्टाफ के लिए ओरिएंटेशन कोर्स** : 40 एयर पी आई स्टाफ प्रतिवर्ष ओ टी ए कामठी में 05 दिन की अवधि का कोर्स करते हैं।

(ठ) **सिविल डिफेंस मैनजमेंट कोर्स** : इस प्रशिक्षण वर्ष के दौरान कुल 30 अफसरों/जे सी ओ/ए एन ओ को नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज (एन सी डी सी), नागपुर में प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया गया ।

देश में एन सी सी गतिविधियों को अत्यधिक प्रेरणा देने के लिए केन्द्र सरकार ने कैंप प्रशिक्षण के लिए अपनी भागीदारी को 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया तथा शिविर की नफरी 1,800 से बढ़ाकर 1,850 कर दी गई है।

नई पहल

13.14 गणतंत्र दिवस शिविर में और अधिक एन सी सी कैडेटों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शिविर की नफरी 1,800 से बढ़ाकर 1,850 कर दी गई है।

13.15 एक प्रमुख पहल के तहत, भारत सरकार ने कैंप प्रशिक्षण के लिए अपनी भागीदारी को 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया । जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कैंप और सांस्थानिक प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार 10% फंड उपलब्ध कराएगी । यह नया फंडिग पैट्रन प्रशिक्षण वर्ष 2006-2007 से प्रभावी होगा तथा इससे देश में एन सी सी गतिविधियों को अत्यधिक प्रेरणा मिलने की आशा है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के साथ रक्षा राज्य मंत्री

14

विदेशों के साथ रक्षा सहयोग

रक्षा सचिव श्री शेखर दत्त के साथ अमरीकी सेनाध्यक्ष जनरल पीटर जे. शूमेकर

किसी देश की विदेश नीति और सुरक्षा संबंधी मामलों, जिनमें रक्षा सेनाओं द्वारा युद्धों को रोकने के लिए की गई सभी कार्रवाइयां, भरोसा पैदा करना, और उसे बनाए रखना तथा संघर्ष को रोकने एवं उसका समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना शामिल है, के संचालन में 'रक्षा सहयोग' अब एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है।

14.1 किसी देश की विदेश नीति और सुरक्षा संबंधी मामलों, जिनमें रक्षा सेनाओं द्वारा युद्धों को रोकने के लिए की गई सभी कार्रवाइयां, भरोसा पैदा करना, और उसे बनाए रखना तथा संघर्ष को रोकने एवं उसका समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना शामिल है, के संचालन में 'रक्षा सहयोग' अब एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। भारत, धुर-पश्चिम में चिली और ब्राजील से लेकर धुर-पूर्व में जापान और कोरिया तक के मित्र देशों के साथ विस्तृत कार्य-कलापों में लगा हुआ है।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भारत के रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण दौरों और एक-दूसरे के दृष्टिकोण की अधिक समझ और आतंकवाद आपदाओं, शस्त्र प्रसार, आदि जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने में सहयोग की आवश्यकता के परिणामस्वरूप, उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है।

14.2 भारत का बहुत से देशों के साथ रक्षा सहयोग का लंबा इतिहास है। रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, युनाइटेड किंग्डम, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी जैसे देशों और भारत के आस-पड़ोस के देशों जिनमें दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पूर्व तथा मध्य एशिया के देश भी शामिल हैं, के साथ रक्षा व सामरिक सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ, रक्षा क्षेत्र सहित, मैत्री संबंधों में भी वृद्धि हो रही है।

14.3 रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ हमारा सहयोग पारस्परिक रूप से लाभदायक है और यह एक क्रेता-विक्रेता संबंध तक ही सीमित नहीं है। इसमें संयुक्त अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और सेना का सेना के साथ सम्पर्क शमिल हैं । इस वर्ष बहुत-से उच्च स्तरीय दौरों का आदान-प्रदान हुआ, जिनमें रक्षा सचिव और सेनाध्यक्षों के रूस के दौरे भी शामिल हैं। सैन्य तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-रूस कार्यकारी समूह और पोत-निर्माण, विमानन तथा भू-प्रणाली संबंधी कार्यकारी समूह की छटी बैठक दिसंबर, 2006 में नई दिल्ली में आयोजित की गई । सैन्य तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक भी 24 जनवरी, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में करारों पर हस्ताक्षर किए गए। रूसी संघ के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे।

14.4 फ्रांस उन प्रमुख यूरोपीय देशों में से एक है जिसने रक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने वहां के रक्षा मंत्री श्रीमती मिशेल एलिऑट मेरी के साथ 19 से 21 फरवरी, 2006 तक भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान दोनों देशों ने रक्षा अधिप्राप्ति, समुद्री-डकैती और आतंकवाद के उन्मूलन, समुद्री निगरानी और संयुक्त अभ्यासों के क्षेत्र में साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय किया। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में एक करार पर भी दोनों देशों के बीच 20 फरवरी, 2006 को हस्ताक्षर किए गए। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री श्रीमती मिशेल एलिऑट मेरी और फ्रांसीसी रक्षा स्टाफ प्रमुख, जनरल हेनरी बेंटागीट के साथ रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए रक्षा मंत्री की अगुवाई में एक रक्षा प्रतिनिधि-मंडल ने 3 से 5 सितंबर, 2006 तक फ्रांस का दौरा किया।

14.5 संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भारत के रक्षा संबंधों में, महत्वपूर्ण दौरों और एक-दूसरे के दृष्टिकोण की अधिक समझ

और आतंकवाद आपदाओं, शस्त्र प्रसार, आदि जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने में सहयोग की आवश्यकता के परिणामस्वरूप, उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के भारत के मार्च, 2006 के युगान्तरकारी दौरे के दौरान भारत के सिविलियन परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राज्य अमरीका के साथ उत्पन्न समझ-बूझ से हमारे समग्र द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। संयुक्त राज्य अमरीका की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी के निदेशक ने द्वितीय भारत-संयुक्त राज्य अमरीका रक्षा अधिप्राप्ति और उत्पादन समूह की बैठक के सिलसिले में 9 -10 मार्च, 2006 को नई दिल्ली का दौरा किया, जबकि अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पोलिसी ने भारत-संयुक्त राज्य अमरीका रक्षा नीति समूह की 15 से 16 नवंबर, 2006 तक हुई बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। वरिष्ठ प्रौद्योगिकी सुरक्षा समूह की बैठक वाशिंगटन, डीसी में 6 से 8 सितंबर, 2006 तक आयोजित की गई। इस आदान प्रदान के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय संबंधों में वृद्धि हुई है।

14.6 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद, ब्रिटेन और भारत ने अपने रिश्ते को आपसी लाभकारी साझेदारी में परिवर्तित कर लिया है। हमारे पास रक्षा सहयोग के लिए एक गठित तंत्र है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, विनिमय तथा उपस्करों की बिक्री होती है। भारत-यू.के. रक्षा परामर्शदात्री समूह की बैठक 28 - 29 नवंबर, 2006 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

14.7 अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के साथ भारत के संबंधों में विगत डेढ़ दशक में बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारे संबंधों का दायरा पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है, जिससे हमारे सुरक्षा परिवेश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारत, इथोपिया, एरीट्रिया, कांगो, सिएरा लिऑन, बुरुन्डी, कोट डी आइबोर और सूडान में शांति-स्थापना के लिए सैनिक उपलब्ध करा रहा है। विभिन्न अफ्रीकी देशों के रक्षा प्रतिनिधि मंडलों ने अपनी राष्ट्रीय रक्षा सेनाओं के प्रशिक्षण में सहायता प्राप्त करने के लिए भारतीय प्रशिक्षण स्थापनाओं का दौरा किया है। मोजाम्बिक के रक्षा मंत्री, एचई जोआक्विम दाइ के मार्च, 2006 में भारत दौरे के दौरान मोजाम्बिक के साथ रक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाना एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी।

सिशली के उपराष्ट्रपति को एक हाइड्रोग्राफिक चार्ट भेंट करते हुए

14.8 रंगभेद के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष में भारत के समर्थन ने दोनों देशों के मध्य स्थायी मैत्री के लिए एक सुदृढ़ आधार उपलब्ध कराया है। वर्ष 2000 में हस्ताक्षरित, एक रक्षा सहयोग करार हमारे रक्षा संबंध के लिए रूपरेखा मुहैया करता है। जुलाई, 2006 में आयोजित भारत-दक्षिण अफ्रीका रक्षा समिति की पांचवी बैठक में रक्षा प्रशिक्षण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा सचिव ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया।

14.9 भारत और जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक-दूसरे को महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में मानते हैं। जर्मनी के साथ भारत के नज़दीकी संबंधों का विकास सितंबर, 2006 में रक्षा मंत्री की जर्मनी की यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने से परिलक्षित होता है।

14.10 रक्षा के क्षेत्र में जापान के साथ भारत के संबंध हाल ही के वर्षों में विकसित हुए हैं। 25-28 मई, 2006 तक रक्षा मंत्री की जापान यात्रा के दौरान भारत-जापान रक्षा और सुरक्षा संबंधों के उद्देश्यों को दर्शाते हुए एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों के तटरक्षकों ने नवंबर, 2006 में मुंबई के क्षेत्र में अपतटीय अपने सातवें दौर का युद्धाभ्यास किया। दोनों देशों के तटरक्षकों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर नवंबर, 2006 में हस्ताक्षर किए गए थे।

14.11 चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है। भारत-चीन संबंध सभी क्षेत्रों में प्रगति पर हैं। 29 मई, 2006 को भारत के रक्षा मंत्री की चीन यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सशस्त्र बलों तथा रक्षा अधिकारियों और दोनों देशों के विशेषज्ञों के बीच संपर्क को ध्यान में रखते हुए चीन-भारत संबंधों की ओर एक और बढ़ता कदम है। इस समझौता ज्ञापन के दोनों देशों के बीच रक्षा मामलों पर नियमित तथा निरंतर वार्ता के लिए एक साधन के रूप में कार्य करने की आशा है। हमारी लंबी सीमा के साथ शांति और अमन

मोरिशस के प्रधानमंत्री को एक हाइड्रोग्राफिक चार्ट भेंट करते हुए

बनाए रखने में हमारी सफलता इस बात का संकेत देती है कि सीमा के मुद्दे के संबंध में दृष्टिकोण में कुछ मतभेदों के बावजूद हमारे बीच कितनी आपसी समझ है। चीन के राष्ट्रपति श्री हू जिन्ताओं ने नवंबर, 2006 में भारत की यात्रा की, जिसने भारत-चीन मित्रता वर्ष समारोहों की पराकाष्ठा को दर्शाया । जनरल क्यिाओ किंगचेन, फिलीस्तीनी लिबरेशन आर्मी की वायुसेना के कमांडर अक्तूबर, 2006 में 'सद्भावना यात्रा' पर थे।

14.12 भारत ने ओमान के साथ मैत्रीपूर्ण रक्षा संबंध बना रखे हैं। मार्च, 2006 में रक्षा मंत्री ने ओमान की यात्रा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा सहयोग करार के प्रावधानों के अनुसार एक संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) का गठन किया गया है। इसकी पहली बैठक अप्रैल, 2006 में दिल्ली में हुई थी। मिस्र के साथ रक्षा संबंधों में सुधार के एक भाग के रूप में अपर सचिव, रक्षा के नेतृत्व में एक भारतीय दल ने अगस्त, 2006 में कैरो का दौरा किया और रक्षा सहयोग पर वार्ताएं की।

29 मई, 2006 को भारत के रक्षा मंत्री की चीन यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सशस्त्र बलों तथा रक्षा अधिकारियों और दोनों देशों के विशेषज्ञों के बीच संपर्क को ध्यान में रखते हुए चीन-भारत संबंधों की ओर एक और बढ़ता कदम है।

14.13 वर्ष 2006 भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा के क्षेत्र में और अधिक आपसी बातचीत को भी दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने 5वीं शंगरीला वार्ता में भाग लेने के लिए 2-4 जून, 2006 तक सिंगापुर का दौरा किया । इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री ने सिंगापुर के रक्षा मंत्री के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठक की । रक्षा मंत्री ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री और सिंगापुर मंत्री मेंटर ली कुआन यू से भी मुलाकात की। भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणतंत्र की नौसेना ने फरवरी, 2006 में विशाखापट्टनम में अपतटीय संयुक्त अभ्यास किए। भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों ने अक्तूबर, 2006 में भारत में तीसरे दौर के संयुक्त आर्टिलरी तथा कवचित अभ्यास किए। भारतीय वायुसेना और सिंगापुर गणराज्य की वायुसेना ने कलाईकुंडा में जनवरी, 2006 और दिसंबर, 2006 में संयुक्त अभ्यास किए।

सीमा कार्मिकों की एक बैठक के लिए चीनी-भारतीय सीमा पर भारत और चीन के राष्ट्रीय ध्वज

14.14 मलेशिया के साथ रक्षा संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। वर्ष 2006 में मलेशिया के उप प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री दातो स्री मोहम्मद नज़ीब बिन तुन हाजी अब्दुल रज़ाक का उच्च स्तरीय दौरा हुआ। दौरे के दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। रक्षा सचिव ने मलेशिया-भारत रक्षा सहयोग की पांचवी बैठक के लिए सितंबर, 2006 में मलेशिया का दौरा किया।

14.15 भारत-वियतनाम के संबंध सदैव असाधारण रूप से मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। वियतनाम के उप रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के राजनीतिक विभाग के महानिदेशक, कर्नल जनरल ली वान डुंग ने फरवरी, 2006 में भारत का दौरा किया। रक्षा सचिव ने भारत वियतनाम सुरक्षा संवाद की द्वितीय बैठक के संबंध में अक्तूबर, 2006 में वियतनाम का दौरान किया।

14.16 भारत ने म्यांमार के साथ परंपरागत रूप से अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। भारतीय सेना और म्यांमार सेना के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में प्रशिक्षण और अन्य क्षेत्रों में हाल ही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सितंबर, 2006 में म्यांमार का दौरा किया और म्यांमार सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठकें कीं। सैन्य सुरक्षा मामलों के प्रमुख, मेजर जनरल यी मिंट ने अक्तूबर, 2006 में भारत का दौरा किया। जनरल स्टाफ प्रमुख, थुरा श्वे मान्न ने दिसंबर,2006 में भारत का दौरा किया।

14.17 भारत और आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल के सदस्यों के रूप में, और लोकतांत्रिक राजनीतिक स्वरूप के ऐसे देशों जिनके यहां समान प्रकार के विधिक, वित्तीय और लोक संस्थान हैं, अच्छे संबंध रहे हैं। सामरिक संवाद तथा रक्षा एसोसिएटेड संयुक्त कार्यकारी समूह के चौथे दौर की वार्ता फरवरी, 2006 में नई दिल्ली में हुई। वर्ष 2006 के मार्च माह में आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान आस्ट्रेलिया के साथ रक्षा सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

14.18 कोरिया गणराज्य के साथ भारत के संबंध मैत्री एवं सौहार्दपूर्ण रहे हैं। दोनों तटरक्षकों के बीच समझौता झापन पर मार्च, 2006 में उस समय हस्ताक्षर किए गए थे जब श्री ली सुयुंग जाई, कमीशनर जनरल, कोरिया तटरक्षक भारत की यात्रा पर थे । एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रक्षा राज्य मंत्री ने अप्रैल/मई, 2006 में कोरिया गणराज्य का दौरा किया। भारतीय तटरक्षक और कोरियाई तटरक्षक के बीच दूसरे दौर का संयुक्त अभ्यास जुलाई, 2006 में चेन्नै के अपतटीय क्षेत्र में किया गया ।

14.19 मंगोलिया के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध अति मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तथा अच्छे रहे हैं। रक्षा सहयोग पर भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्यकारी समूह की पहली बैठक मंगोलिया में मार्च/अप्रैल, 2006 में हुई। रक्षा राज्य मंत्री ने मई, 2006 में मंगोलिया की यात्रा की जहां वे मंगोलिया के रक्षा मंत्री के साथ मिले और मंगोलिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

14.20 वैश्विक सुरक्षा की दृष्टि से मध्य एशियाई क्षेत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारत पारस्परिक लाभ के लिए इन देशों के साथ रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। कजाखस्तान सेना कार्मिकों के साथ भारत में एक संयुक्त पर्वतारोहण अभियान सितंबर-अक्तूबर, 2006 में संचालित किया गया था। भारत-किर्गीस्तान सरकार के साथ रक्षा प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमत हो गया है।

14.21 रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक रक्षा प्रतिनिधि-मंडल ने 7 से 12 जनवरी, 2007 तक चिली का दौरा किया। दौरे के दौरान, शिक्षण और शैक्षिक क्रिया-कलापों, रक्षा उपस्कर और हार्डवेयर, खेल-कूद और साहसिक खेल-कूद क्रिया-कलापों , उत्पादन, सह-उत्पादन, संयुक्त उद्यम आदि के क्षेत्रों में रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर भारत और चिली के बीच एक समझौता झापन पर हस्ताक्षर किए गए।

14.22 मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना कई कार्य करती हैं। भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल, भूटान, लाओस, बोत्सवाना जाम्बिया, लेसोथो, सिशली आदि जैसे बहुत से देशों में इन देशों के सैन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण मुहैया कर रही है। भारतीय रक्षा सेनाएं मित्र देशों की सेनाओं के साथ बहुत से संयुक्त अभ्यासों में भी भाग ले रही है। सिंगापुर, थाइलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका, युनाइटेड किंग्डम, आदि की सेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास संचालित किए गए हैं।

15

समारोह और अन्य कार्यकलाप

स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2006

रक्षा मंत्रालय को गणतंत्र दिवस परेड, समापन समारोह, शहीद दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोहों के आयोजन का उत्तरदायित्व दिया जाता है ।

15.1 रक्षा मंत्रालय स्वायत्त संस्थानों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता देकर अकादमिक तथा साहसिक दोनों प्रकार के कार्यकलापों को प्रोत्साहन देता है । ये संस्थाएं हैं :-

(i) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली ;

(ii) दार्जिलिंग और उत्तरकाशी स्थित पर्वतारोहण संस्थान; और

(iii) अरू, कश्मीर में जवाहर पर्वतारोहण शीत क्रीड़ा संस्थान ।

15.2 चालू वर्ष के दौरान इन संस्थानों के महत्वपूर्ण कार्यकलाप आगे के अनुच्छेदों में दिए जा रहे हैं ।

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आई डी एस ए)

15.3 संगत सुरक्षा और सामरिक मुद्दों संबंधी नीति पर अनुसंधान कार्य जारी रखने के अलावा रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान ने उन अपारंपरिक सुरक्षा मुद्दों के प्रति अधिक ध्यान दिया है जो अंतरराष्ट्रीय रूप से सामने आए हैं । रक्षा अध्ययन एव विश्लेषण संस्थान के शोधकर्ताओं को संस्थान की पत्रिका-सामरिक विश्लेषण में उनके प्रकाशन की तैयारी में वृहतर अवसर प्रदान कराने के उद्देश्य से फेलो संगोष्ठियाँ अब सप्ताह में एक बार की बजाए दो बार आयोजित की जाती हैं ।

स्वतंत्रता दिवस 2006 के अवसर पर नई दिल्ली स्थित लाल किले पर चुस्ती से मार्च करती हुई सेना की टुकड़ी

15.4 रक्षा अनुसंधान एवं विश्लेषण संस्थान ने संस्थान के कार्यकलापों के बारे में तत्काल सुलभ सूचना वाली एक नई वेबसाइट (www.idsa.in) शुरू की है । इससे संस्थान के शोधकर्ताओं को सामयिक विषयों और मुद्दों पर टिप्पणी करने का अवसर भी मिलता है ।

रक्षा अनुसंधान एवं विश्लेषण संस्थान ने संस्थान के कार्यकलापों के बारे में तत्काल सुलभ सूचना वाली एक नई वेबसाइट (www.idsa.in) शुरू की है ।

15.5 **कार्यकलाप** : पड़ोस संबंधी अध्ययन कार्यक्रम को वास्तविक रूप में उन्नत किए जाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में हमारे पड़ोसी देशों में मौजूदा घटनाओं का अध्ययन करने के लिए रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान ने कार्यशालाओं की एक श्रृंखला का आयोजन किया था । सुरक्षा और सामरिक अध्ययन समुदाय द्वारा बेहतर समझ बढ़ाने और ट्रैक-II कार्यकलापों में अधिक मुखर भूमिका निभाने के लिए रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान को सक्षम बनाए जाने की दृष्टि से पड़ोसी देशों के विचारकों के अनुरूप रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के संस्थागत संबंधों को विकसित करने के प्रस्ताव भी शुरू किए गए थे ।

15.6 महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर सभासदों को सुग्राही बनाने के प्रयास में रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान ने सभासदों के एक समूह को जुलाई 2006 में भारत-अमरीकी परमाणु सहयोग पर जानकारी देने की व्यवस्था की ।

15.7 'श्रीलंका में शांति प्रक्रिया' और 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और विकास' पर क्रमशः बेंगलूर और शिलांग में सितंबर 2006 में दो संगोष्ठियां आयोजित की गई थी । इन संगोष्ठियों से रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान को दिल्ली से बाहर के अध्येताओं को नियोजित करने और सुरक्षा तथा सामरिक मामलों से जुड़े संस्थानों और व्यक्तियों के साथ नेटवर्किंग विकसित करने में सहायता मिली।

15.8 इस वर्ष रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान ने भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र के सहयोग से प्रतिष्ठित व्यक्तियों के व्याख्यानों की एक नई शृंखला शुरू की है । इस शृंखला के अधीन 'वैश्वीकरण और सुरक्षा' पर डॉ. अरुण शौरी, 'पर्यावरण और सुरक्षा' पर डॉ. आर.के.पचौरी और 'मानवाधिकार, आतंकवाद और सुरक्षा' पर श्री सोली सोराबजी की वार्ताएं आयोजित की गई थीं ।

सेना कार्मिक व्हाइट वाटर राफ्टिंग करते हुए

पर्वतारोहण संस्थान

15.9 रक्षा मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर तीन पर्वतारोहण संस्थान–पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, उत्तराखंड में उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान तथा जम्मू कश्मीर में अरू स्थित जवाहर पर्वतारोहण संस्थान एवं शीत क्रीड़ा संस्थान (इस समय पहलगाम में अवस्थित) चलाता है । ये संस्थान स्वायत्त पंजीकृत सोसाइटियों के रूप में चलाए जाते हैं । रक्षा मंत्री इन संस्थानों के अध्यक्ष होते हैं । संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री संस्थानों के उपाध्यक्ष होते हैं। इन संस्थानों का प्रशासन पृथक कार्यकारी परिषदों द्वारा चलाया जाता है जिनमें आम सभा द्वारा चुने गए सदस्य, दानदाताओं और/अथवा संस्थान के उद्देश्य को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों में से नामित सदस्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं ।

15.10 हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग की स्थापना नवंबर, 1954 में तत्कालीन प्रधान मंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू द्वारा सर एडमंड हिलेरी के साथ तेनजिंग नोरगे के 29 मई, 1953 को माउंट एवरेस्ट के ऐतिहासिक आरोहण की स्मृति में की गई थी । पर्वतारोहणों को और अधिक बढ़ावा देने और युवाओं में साहसिक भावना उत्पन्न करने के लिए अक्तूबर, 1965 में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और अक्तूबर, 1983 में अरू, जम्मू कश्मीर में जवाहर पर्वतारोहण एवं शीत क्रीड़ा संस्थान की स्थापना की गई थी । जवाहर पर्वतारोहण एवं शीत क्रीड़ा संस्थान का मुख्यालय स्थायी रूप से पहलगाम में अवस्थित किए जाने और इसके दो उप केंद्र भद्रवाह और पटनीटॉप में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

15.11 इन पर्वतारोहण संस्थानों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(i) पर्वतारोहण तथा चट्टानों पर चढ़ने की तकनीकों के विषय में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण देना ;

(ii) पर्वतों तथा अन्वेषण में रुचि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना ; और

सेना के पर्वतारोही हिमालय की एक चोटी पर खुशी मनाते हुए

सारणी संख्या 15.1

संस्थान	आधार-भूत	उन्नत	साहसिक	अनुदेश पद्धति पाठ्यक्रम	खोज व बचाव
हिमालय पर्वतारोहण	05	02	02	01	-
नेहरू पर्वतारोहण	05	03	03	01	01
जवाहर पर्वतारोहण	02	01	15	-	-

सारणी संख्या 15.2

संस्थान (एचएमआई/एनआईएम/जेआईएम)	आधार-भूत	उन्नत	साहसिक पाठ्यक्रम	अनुदेश पद्धति	खोज व बचाव
छात्रों की संख्या	696	180	889	36	30

(iii) शीत-क्रीड़ाओं के प्रति प्रोत्साहित करना तथा उनका प्रशिक्षण देना ।

15.12 ये पर्वतारोहण संस्थान आधार-भूत और उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम, अनुदेश पद्धति पाठ्यक्रम, खोज व बचाव पाठ्यक्रम और साहसिक क्रियाकलाप संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं । सभी संस्थानों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण, उनकी अवधि, सहभागियों की आयु सीमा और ग्रेडिंग पद्धति एक जैसी हैं । जिस समय संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम होती है उस समय संस्थान के अनुदेशक देश में फैले पर्वतारोहण क्लबों/संगठनों के अनुरोध पर, चट्टानों पर चढ़ने संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं । अनुदेशक विभिन्न अभियानों में भी भाग लेते हैं।

साहसिक कार्य – एक नौसेना कार्मिक की स्वतंत्र भावना का प्रदर्शन

15.13 इन पाठ्यक्रमों के लिए देश के सभी भागों से प्रशिक्षणार्थी आते हैं । इनमें सेना, वायुसेना, नौसेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और प्राइवेट विद्यार्थी शामिल होते हैं । इन पाठ्यक्रमों में अब विदेशियों को भी शामिल होने की अनुमति दी जाती है ।

15.14 इन संस्थानों द्वारा अप्रैल 2006 से 30 नवंबर 2006 तक आयोजित पाठ्यक्रमों का ब्यौरा सारणी संख्या 15.1 में दिया गया है ।

15.15 इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित छात्रों की संख्या सारणी सं. 15.2 में दी गई है :-

15.16 हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, जिसने 14-17 अक्तूबर 2006 तक स्वर्ण जयंती मनाई, ने उन्नत, साहसिक और रॉक क्लाईबिंग पाठ्यक्रम वाले 6 विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनमें 211 पुरुषों और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया । नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने वर्ष के दौरान विभिन्न संगठनों के लिए 8 विशेष पाठ्यक्रम भी आयोजित किए, जिनमें 366 पुरुषों को प्रशिक्षण दिया गया।

समारोह, सम्मान व पुरस्कार

15.17 रक्षा मंत्रालय को गणतंत्र दिवस परेड,समापन समारोह, शहीद दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोहों के आयोजन का उत्तरदायित्व दिया जाता है । वीरता तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोहों का आयोजन भी रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति सचिवालय के साथ मिलकर किया जाता है । वर्ष के दौरान आयोजित समारोह संबंधी आयोजनों का ब्यौरा आगामी पैराओं में दिया गया है ।

सारणी संख्या 15.3
वीरता पुरस्कार

कीर्ति चक्र	04	(3 मरणोपरांत)
शौर्य चक्र	43	(17 मरणोपरांत)

सारणी संख्या 15.4
विशिष्ट सेवा पुरस्कार

परम विशिष्ट सेवा मेडल	29
अति विशिष्ट सेवा मेडल-बार	02
अति विशिष्ट सेवा मेडल	52

प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस, 2006 पर दिल्ली स्थित लाल किले पर तीनों सेनाओं के सम्मान गारद का निरीक्षण करते हुए

15.18 **रक्षा अलंकरण समारोह, 2006:** रक्षा अलंकरण समारोह, 2006 का 22 तथा 31 मार्च,2006 को राष्ट्रपति भवन में आयोजन किया गया था जहां पर स्वतंत्रता दिवस 2005 तथा गणतंत्र दिवस 2006 को घोषित सारणी संख्या 15.3 और 15.4 में उल्लिखित वीरता पुरस्कार तथा विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए गए ।

15.19 विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल तथा इन मेडलों के बार जैसे अन्य पुरस्कार, संबंधित सेनाध्यक्षों तथा सीनियर कमांडरों द्वारा अलग-अलग अलंकरण समारोहों में दिए गए थे ।

15.20 **स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2006:** स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारम्भ, 15 अगस्त, 2006 को प्रातः काल किले पर स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में भक्ति गीत गाने के साथ हुआ था । इसके बाद तीनों सेनाओं तथा दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री को गारद सम्मान दिया । तत्पश्चात्, प्रधानमंत्री ने सेनाओं के बैंड द्वारा बजाए गए राष्ट्रीय गान के साथ ही लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया । इस अवसर पर 21 तोपों की सलामी दी गई । प्रधानमंत्री के राष्ट्र संबोधन के बाद समारोह का समापन दिल्ली के स्कूलों से आए बच्चों और एन सी सी कैडेटों द्वारा राष्ट्रीय गान गाने तथा गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ । बाद में

सारणी संख्या 15.5

पुरस्कार	कुल	मरणोपरांत
कीर्ति चक्र	02	02
शौर्च चक्र	16	10
सेना मेडल-बार	02	–
सेना मेडल	81	15
नौसेना मेडल	06	–
वायुसेना मेडल	01	–

शहीदों की याद में विजय दिवस 2006

दिन के दौरान, राष्ट्रपति ने उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर फूल माला चढ़ाई जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे ।

15.21 गणतंत्र दिवस, 2006 को घोषित वीरता पुरस्कारों का ब्यौरा सारणी संख्या 15.5 में दिया गया है :-

15.22 **विजय दिवस** : 16 दिसम्बर, 2006 को विजय दिवस मनाया गया और मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा बैंड बजाया गया ।

15.23 **अमर जवान ज्योति समारोह, 2007 :** प्रधानमंत्री ने प्रातः काल 26 जनवरी, 2007 को इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति पर पुष्प-माला चढ़ाई । उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा जिन्होंने देश की अखण्डता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए थे ।

15.24 **गणतंत्र दिवस समारोह, 2007 :** राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारम्भ हुआ । राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने सेनाओं के बैंडों द्वारा बजाए गए राष्ट्र गान और 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रीय सलामी दी । इस अवसर पर रूसी संघ के राष्ट्रपति श्री ब्लादिमिर पुतिन मुख्य अतिथि थे ।

15.25 61 कैवलरी की सैन्य टुकड़ियां, मैकेनाइज्ड टुकड़ियां जिसमें टी-72 टैंकों, बोफोर्स गन, पिनाक लाँचर, टीसी रिपोर्टर रेडार, गश्ती विसंदूषण वाहन, परिवहनीय सेना व्यापक क्षेत्र नेटवर्क नोड, मानवरहित आकाशीय वाहन, इन्द्र पीसी-II रेडार शामिल हैं । सेना की मार्च करती टुकड़ियां और बैंड, अर्द्ध सैन्य बलों, दिल्ली पुलिस, रेल सुरक्षा बल, एनसीसी और एनएसएस ने इस परेड में भाग लिया । रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के उपस्कर वाले दस्ते में ब्रह्मोस, पुल बनाने वाला टैंक, नामिका आकाश हथियार प्रणाली में नाग और शस्त्र निर्देशन रेडार आदि शामिल थे । हाथियों पर सवार 21 वीरता पुरस्कार विजेता बच्चों ने भी परेड में भाग

समापन समारोह 2007 के अवसर पर विजय चौक नई दिल्ली में सेना के सामूहिक बैंड द्वारा मधुर मार्शल धुन

सारणी संख्या 15.6

पुरस्कार	कुल	मरणोपरांत
कीर्ति चक्र	06	05
शौर्य चक्र	31	13
सेना मेडल/नौसेना मेडल/वायुसेना मेडल (वीरता) - बार	04	-
सेना मेडल/नौसेना मेडल/वायुसेना मेडल (वीरता)	74	11
परम विशिष्ट सेवा मेडल	27	-
अति विशिष्ट सेवा मेडल-बार	01	-
अति विशिष्ट सेवा मेडल	52	-
युद्ध सेवा मेडल	01	-
विशिष्ट सेवा मेडल-बार	04	-
विशिष्ट सेवा मेडल	123	-
सेना मेडल (वीरता) - बार	02	-
सेना मेडल/नौसेना मेडल/वायुसेना मेडल (कर्त्तव्यपरायणता)	68	01

लिया । राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकियां और स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम परेड के अन्य आकर्षण थे । सेना के श्वेत अश्व जांबाज़ों द्वारा मोटर साइकिल पर साहसिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के बाद भारतीय वायुसेना के विमानों की सलामी के साथ परेड का समापन हुआ ।

15.26 गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित वीरता तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कारों का ब्यौरा सारणी सं. 15.6 में दिया गया है ।

15.27 **समापन समारोह, 2007**: समापन समारोह सदियों पुरानी सैन्य परम्परा की याद दिलाता है जब सूर्यास्त होने पर सैनिक युद्ध से वापस लौटते थे । 29 जनवरी 2007 को विजय चौक पर

समापन समारोह, जनवरी 2007 के अवसर पर विजय चौक, नई दिल्ली में नार्थ ब्लाक के पृष्ठपट पर सेना का सामूहिक बैंड

आयोजित समापन समारोह, गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में इकट्ठे हुए सैनिकों के प्रस्थान का द्योतक है । इसी के साथ गणतंत्र दिवस उत्सव का समापन हो गया । इस समारोह में तीनों सेनाओं के बैंड शामिल हुए । समारोह समाप्त होने के साथ ही राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट जगमगा उठे ।

समापन समारोह, गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में इकट्ठे हुए सैनिकों के प्रस्थान का द्योतक है ।

15.28 **शहीद दिवस समारोह, 2007:** 30 जनवरी, 2007 को, राष्ट्रपति ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर फूलमाला चढ़ाई । उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य पदाधिकारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की । इसके बाद 1100 बजे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछवर किए थे ।

राजभाषा प्रभाग

15.29 रक्षा मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग, रक्षा मंत्रालय तथा देश भर में फैले सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ नेमी किस्म के पत्राचार तथा विभिन्न संसदीय समितियों के समक्ष रखे जाने की अपेक्षा वाले दस्तावेजों के अनुवाद (अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी) करने के अलावा, विभिन्न हिंदी समितियों की बैठकों के आयोजन तथा हिंदी प्रगामी प्रयोग के कार्यान्वयन हेतु आकर्षक योजनाएं चलाने के लिए उत्तरदायी है ।

15.30 **प्रशिक्षण** : केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत पात्र अफसरों/कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि तथा हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देने की नीति के मद्देनजर, रक्षा मंत्रालय में उन्हें संगत प्रशिक्षण प्रदान किया गया । रक्षा मंत्रालय के अधीन दिल्ली स्थित कार्यालयों में प्रशिक्षण की मानीटरिंग मंत्रालय की राजभाषा समिति की बैठकों के माध्यम से की गई जबकि अन्य कार्यालयों के संबंध में यह कार्य तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्टों तथा राजभाषायी निरीक्षणों के माध्यम से किया गया ।

15.31 **उच्च स्तरीय हिंदी समितियों की बैठकें** : दो हिंदी सलाहकार समितियों अर्थात् एक रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग तथा भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग तथा दूसरी रक्षा उत्पादन विभाग की बैठकें, रक्षा मंत्री/रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गईं। इसके अलावा, दो विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकें आयोजित की गई । इस वर्ष प्रत्येक हिंदी सलाहकार समिति से एक गैर-सरकारी सदस्य को पर्यवेक्षक के रूप में नामित करके हिंदी सलाहकार समिति के एक महत्वपूर्ण निर्णय को भी कार्यान्वित किया गया।

15.32 **राजभाषा संगोष्ठी (सेमीनार) :** रक्षा मंत्रालय के अधीन तकनीकी एवं वैज्ञानिक किस्म के विभिन्न संगठनों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग तथा भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में पहली बार 09 नवंबर, 2006 को एक राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

15.33 **हिंदी कार्यशालाएं/हिंदी पखवाड़ा** : मंत्रालय में चार हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा निर्धारित विषयों पर व्याख्यानों के अलावा, भाग लेने वाले अफसरों/कर्मचारियों को एक सत्र में हिंदी में नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग का अभ्यास भी कराया गया । इसी प्रकार, 1-15 सितंबर, 2006 तक मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया । पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से मंत्रालय में सभी को अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकतम प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया गया ।

15.34 **प्रोत्साहन स्कीमें** : सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने तथा मूल रूप से हिंदी में लिखने को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा तैयार की गई लगभग सभी प्रोत्साहन स्कीमों के कार्यान्वयन को जारी रखने के अलावा, विभागीय हिंदी पत्रिकाओं तथा रक्षा मंत्रालय के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए जरनलों के प्रकाशन हेतु एक नकद पुरस्कार स्कीम तथा रक्षा से सम्बद्ध विषयों पर हिंदी में पुस्तक लिखन को प्रोत्साहित करने हेतु एक द्विवार्षिक नकद पुरस्कार स्कीम भी क्रियान्वित की गई है ।

15.35 **राजभाषायी निरीक्षण** : तीनों सेनाओं, विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में राजभाषा से संबद्ध क्रियाकलापों की निकटता से मॉनीटरी हेतु राजभाषायी निरीक्षण किए गए । इस प्रयोजनार्थ, 31 दिसंबर 2006 तक 39 कार्यालयों का निरीक्षण कर लिया गया था । इसके अलावा, मंत्रालय के लगभग 25% अनुभागों का भी निरीक्षण किया गया ।

15.36 **विदेश स्थित कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण** : मंत्रालय द्वारा राजभाषा निरीक्षण शृंखला में पहली बार, रूस स्थित रक्षा उपक्रमों के दो कार्यालयों का संयुक्त सचिव द्वारा निरीक्षण किया गया । इन निरीक्षणों के दौरान, कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाया गया तथा समुचित सुझाव दिए गए ।

15.37 **संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण** : चंडीगढ़, शिमला, कावारत्ती, हैदराबाद, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जामनगर, बेंगलोर, लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद आदि में स्थित विभिन्न रक्षा संगठनों का दौरा करके इस समिति ने बड़ी संख्या में राजभाषा निरीक्षण किए ।

निशक्त व्यक्तियों का कल्याण

15.38 **निशक्त व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण** : निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की संरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में यह उल्लेख है कि प्रत्येक स्थापना में कम से कम तीन प्रतिशत रिक्तियां निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी जिनमें से एक प्रतिशत रिक्तियां, प्रत्येक निशक्त व्यक्ति के लिए अभिनिश्चित पदों में, अंधता या कम दिखाई देने, बहरेपन तथा चलने में असमर्थता तथा मानसिक आघात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगी ।

15.39 रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग में समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में निशक्त

शहीदों को श्रद्धांजलि-विजय दिवस 2006

व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सारणी संख्या 15.7 में प्रस्तुत किया गया है ।

15.40 **सशस्त्र सेना** : निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की संरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 तथा 47 के अधीन स्थापित उपबंधों में सेवा में भर्ती तथा बनाए रखने के मामले में निशक्त व्यक्तियों के लिए सुरक्षोपाय निर्धारित किए गए हैं । तथापि, सशस्त्र सेना कार्मिकों द्वारा निष्पादित की जाने वाली ड्यूटियों की किस्म के मद्देनजर, सभी युद्धक कार्मिकों को, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशेष अधिसूचनाओं के कारण, उक्त धाराओं की प्रयोज्यता से छूट दी गई है ।

15.41 **आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू)** : आयुध निर्माणियों में, वर्तमान में, विभिन्न 1514 निशक्त कर्मचारी विभिन्न स्तरों पर कार्यरत हैं । आरक्षण के लाभों का फायदा उठाने हेतु निशक्त व्यक्तियों को सक्षम बनाने के लिए निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की संरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों का अनुपालन करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम भी वचनबद्ध हैं।

सारणी संख्या 15.7

सेवाओं में (01 जनवरी, 2006 तक) निशक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

समूह	कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	चिन्हित पदों में	दृष्टि से निशक्त	बहरेपन से पीड़ित	निशक्तता से पीड़ित
1	2	3	4	5	6
समूह 'क'	15351	3495	1	3	42
समूह 'ख'	36461	2116	8	7	130
समूह 'ग'	220598	7933	200	268	1797
समूह 'घ'	166485	3207	412	486	1093
कुल	438895	16751	621	764	3062

16

सतर्कता इकाइयों के क्रियाकलाप

सतर्कता प्रभाग संवेदनशील स्थानों का नियमित और औचक निरीक्षण करने तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और उन्हें सरल और कारगर बनाने और भ्रष्टाचार का मुकाबला करने हेतु उपाय करने के लिए जिम्मेदार है ।

16.1 रक्षा मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग को रक्षा मंत्रालय तथा इसके अधीन विभिन्न इकाइयों के कर्मचारियों के संबंध में भ्रष्ट आचरण, कदाचार, अनियमितता इत्यादि से संबंधित शिकायतों की सुनवाई का कार्य सौंपा गया है । यह प्रभाग सतर्कता संबंधी मामलों तथा शिकायतों के संबंध में रक्षा मंत्रालय की ओर से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) , केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ कार्रवाई करने हेतु एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है । सतर्कता प्रभाग संवेदनशील स्थलों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण करता है तथा भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कार्य विधियों की समीक्षा करता है तथा उन्हें सरल और कारगर बनाता है । वर्ष 2006 के दौरान 16 समूह 'क' अधिकारियों (एम ई एस-5, नौसेना मुख्यालय-9, सैनिक फार्म-2) पर बड़ी शास्ति तथा एम ई एस के 3 अधिकारियों पर लघु शास्ति लगाई गई थी । केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त नौ शिकायतों की जांच करके उन पर न्यायोचित कार्रवाई की गई ।

वर्ष 2006 के दौरान, समूह 'क' के 16 अधिकारियों पर बड़ी शास्ति लगाई गई (सेना इंजीनियरी सेवा-5, नौसेना मुख्यालय-9, सैनिक फार्म-2) और सेना इंजीनियरी सेवा के 3 अधिकारियों पर छोटी शास्ति लगाई गई । केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त 9 शिकायतों की जांच की गई तथा उनके संबंध में औचित्य पूर्ण निर्णय लिए गए ।

16.2 रक्षा विभाग (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन सहित) तथा रक्षा उत्पादन विभाग के अपने मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे गए मामलों की मानीटरी एक विशेष सेल द्वारा की जाती है ।

रक्षा विभाग

16.3 सेना की सर्वोच्च परंपरा को कायम रखते हुए, भ्रष्ट आचरण के खिलाफ प्रारंभिक प्रशिक्षण चरण से ही नियमित रूप से संपूर्ण सशस्त्र बलों को सभी स्तर पर जागरूक बनाया जाता है। विभिन्न सतर्कता इकाइयां सेना तथा सिविलियन कार्मिकों के गैर-कानूनी तथा भ्रष्ट आचरण की निगरानी अत्यधिक सक्रियता से करता है ।

रक्षा उत्पादन विभाग

16.4 **हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) :** सतर्कता विभाग निरोधक सतर्कता पर अधिक जोर देता रहा है। निरोधक जांच और आकस्मिक जांच उन क्षेत्रों का पता लगाने में सहायता करती है जिनमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रहती है और प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए उनकी गहन जांच की जाती है ।

16.5 **भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी ई एल) :** कंपनी के सतर्कता संबंधी कार्य मुख्य सतर्कता अधिकारी की देख-रेख में किए जाते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने सभी स्तरों पर जागरूकता लाने तथा प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए पहल की है ताकि अच्छा कारपोरेट शासन सुनिश्चित किया जा सके तथा कंपनी के संसाधनों के इस्तेमाल में अनियमितता और दुरूपयोग को रोका जा सके। वर्ष के दौरान सतर्कता यूनिट का कार्य-निष्पादन संतोषप्रद रहा है। अनेक नियमित/ औचक निरीक्षण किए गए। जागरूकता बढ़ाने तथा सतर्कता संबंधी कार्य को और अधिक सशक्तता से करने हेतु कार्यपालकों को सतर्कता जागरुकता कार्यक्रम में शामिल किया गया तथा उन्हें आंतरिक पूछताछ और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के बारे में प्रशिक्षित किया गया।

16.6 **भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी ई एम एल) :** सतर्कता विभाग सतर्कता के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए सुनिर्धारित प्रणाली और प्रक्रिया के जरिए प्रबंधन के कार्य निष्पादन में पारदर्शिता और समानता बढ़ाने के लिए प्रबंधन की मदद करता है ।

16.7 सतर्कता विभाग संगत प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अभिलेखों/दस्तावेजों की चुनिंदा आधार पर जांच करता है। शिकायतों की जांच की जाती है तथा सक्षम प्राधिकारियों को रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र भेज दी जाती है । सतर्कता विभाग चिन्हित संवेदनशील तथा गैर-संवेदनशील बिन्दुओं पर यादृच्छिक/चुनिंदा आधार पर औचक निरीक्षण करता है ।

16.8 उपर्युक्त के अलावा, सतर्कता विभाग पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित अनुदेशों/मार्ग-निर्देशों/प्रक्रियाओं का अधिकतम अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली जांच तथा मुख्य तकनीकी परीक्षक की तरह की जांच करता है ।

16.9 **माझगांव डॉक लिमिटेड (एम डी एल) :** अधिप्राप्ति/बिक्री में पारदर्शिता को बढ़ाने की दृष्टि से निविदा संबंधी कार्य करने वाले विभागों ने निविदाएं माझगांव डॉक लिमिटेड के वेबसाइट पर डालने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। 10 लाख रुपए से अधिक सीमा वाली निविदाओं के मासिक सारांश भी माझगांव डॉक लिमिटेड के वेबसाइट पर डाले जा रहे हैं ।

संगठन की वेबसाइट पर खुली निविदा सूचनाओं को रखे जाने संबंधी केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों को सभी आयुध निर्माणियों द्वारा पूरी तरह से लागू कर दिया गया है ।

16.10 **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल) :** गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में सतर्कता संबंधी कार्य एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी की देखरेख में किया जाता है। एक वरिष्ठ सतर्कता पर्यवेक्षक, एक वरिष्ठ सहायक तथा दो सतर्कता गार्ड इस कार्य में उनकी सहायता करते हैं । इस उद्देश्य से कि व्यक्ति सतर्कता संबंधी सूचना तथा शिकायतें लेकर आगे आएं, छह सतर्कता शिकायत डिब्बे कंपनी के परिसर में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं । ये बक्से प्रत्येक सोमवार को खोले जाते हैं । इसके अलावा, मुद्रित तथा फ्रेम किए हुए सूचना-पट्ट सभी कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए हैं जिनमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों को यह सलाह दी गई है कि यदि भ्रष्टाचार का कोई मामला उनके ध्यान में आता है तो वे सतर्कता विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें ।

16.11 **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई) :** गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड में सतर्कता क्रियाकलापों का उद्देश्य सभी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना है । गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड में 8 नवंबर, 2006 को सतर्कता जागरुकता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अलावा, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सतर्कता संबंधी शिकायत/सुझाव बक्से लगाए गए हैं ।

16.12 **भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल) :** सतर्कता विभाग का मुख्य ध्यान निषेधात्मक सतर्कता तथा कंपनी के हित में सतर्कता विभाग के साथ खुली बातचीत करने पर केन्द्रित है। सतर्कता निरीक्षण के परिणामत: प्रमुख आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ गहन विचार-विमर्श करने के कारण काफी बचत हुई है। सतर्कता संबंधी जागरुकता के परिणामस्वरूप विभाग के दो फर्जी दत्तक पुत्रों के मामलों का पता चला जिन्हें आश्रितों का लाभ प्राप्त करने के लिए आश्रित के रूप में शामिल किया गया था ।

16.13 **मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि) :** वर्ष के दौरान कंपनी में समग्र सतर्कता जागरुकता प्रणाली बनाई गई है । मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्ग-निर्देशों के अंतर्गत अधिकारियों का एक दल प्रणाली और प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है। सतर्कता विभाग ने

कंपनी में प्रणाली में सुधार में योगदान के रूप में क्रय, सिविल कार्य आदि के क्षेत्रों में कई मैनुअलों को प्रकाशित करने में सक्रियता से भाग लिया है। विभिन्न मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों को सही परिदृश्य में कार्यान्वित करने तथा अनुपालन करने के प्रयोजन से प्रबंधकों के हित के लिए कार्यात्मक स्तरों पर कई परिपत्र, दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेश पर, नवंबर, 2006 में मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया ।

16.14 **आयुध निर्माणी बोर्ड :** सार्वजनिक कार्यों में आयुध निर्माणी संगठन की ईमानदारी एवं पारदर्शिता संगठनात्मक मिशन की तरह अलंघ्य मानी जाती है । केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों, सतर्कता संबंधी जागरुकता तथा भ्रष्टाचार-रोधी उपायों से सभी स्तरों पर कर्मचारियों को अवगत कराया जा रहा है तथा इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

16.15 वर्ष के दौरान भावी सतर्कता संबंधी कार्रवाई करने के लिए 80 शिकायतों पर कार्रवाई की गई तथा 31 निषेधात्मक सतर्कता संबंधी निरीक्षण किए गए । संगठन की वेबसाइट पर खुली निविदा की सूचनाओं को जारी करने संबंधी केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों का सभी आयुध निर्माणियों में पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है ।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

16.16 वर्ष के दौरान रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में सतर्कता यूनिटों के मुख्य कार्य-कलापों के विवरण इस प्रकार थे :-

- जन निधि तथा जन संसाधनों का समुचित महत्व, कारगर और ईष्टतम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जागरुकता कार्यक्रम एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना ।
- प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं का औचक सतर्कता निरीक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्थायी अनुदेशों एवं आर्डरों का अनुपालन हो रहा है ।
- कदाचार की गोपनीय जांच करना तथा दोषियों को दंडित करना ।
- सतर्कता मामलों/जांच पड़तालों पर कार्रवाई करना तथा सतर्कता आरोप-पत्रों के लिए दस्तावेज तैयार करना ।
- रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा निर्धारित क्रय प्रबंधन प्रक्रियाओं का प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं के समय-समय पर सतर्कता निरीक्षण के जरिए अनुपालन सुनिश्चित करना ।

17

महिलाओं का सशक्तीकरण और कल्याण

एक महिला पायलट डोर्नियर 228 में

राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है। सशस्त्र सेनाओं की संभारिकी और विधिक जैसी विभिन्न अयोधी शाखाओं में महिलाओं की भर्ती से उनके लिए व्यापक भूमिका की परिकल्पना की गई है।

17.1 राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है । रक्षा उत्पादन यूनिटों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और सशस्त्र सेनाओं में डॉक्टर और नर्सिंग अफसर के रूप में महिलाओं का नियोजन किया जा रहा है । सशस्त्र सेनाओं की संभारिकी और विधिक जैसी विभिन्न अयोधी शाखाओं में महिलाओं की भर्ती से उनके लिए व्यापक भूमिका की परिकल्पना की गई है ।

भारतीय सेना

17.2 **सेना में महिला अफसर:** अधिकाधिक महिलाओं को सेना की ओर आकर्षित किए जाने के एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में अल्पकालीन सेवा कमीशन में महिला अफसरों के कार्यकाल को 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है । इसके अलावा, उनके पदोन्नति अवसरों में भी काफी वृद्धि की गई है । इससे पहले, वे 5 वर्ष की सेवा के बाद केवल एक ही पदोन्नति अर्थात् मेजर रैंक के लिए ही पात्र थीं । सरकार के हाल ही के एक निर्णय के अनुसार, सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन-प्राप्त महिला अफसरों को 2, 6 तथा 13 वर्ष की संगणनीय सेवा के बाद क्रमशः कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टि. कर्नल रैंकों पर निर्धारित समयानुसार निश्चित पदोन्नतियां दी जाती हैं । यह स्थायी कमीशनप्राप्त अफसरों को उपलब्ध पदोन्नतियों के समान है । इसके अलावा, लिंग समानता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन में महिला अफसरों की प्रशिक्षण अवधि को 24 सप्ताह से बढ़ाकर 49 सप्ताह कर दिया गया है जो अल्पकालीन सेवा कमीशन के पुरुष अफसरों के समान है ।

महिलाओं को सेनाओं की विभिन्न शाखाओं में अल्पकालीन सेवा कमीशन में शुरू में दस वर्षों के लिए भर्ती किया जाता है जिसे और चार वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

17.3 सशस्त्र सेनाओं में महिला अफसर लगभग 80 वर्षों से सेवा कर रही हैं, जिन्हें पहली बार इन्हें सैन्य परिचर्या सेवा में 1927 में तथा फिर 1943 में चिकित्सा अफसर संवर्ग में शामिल किया गया था । सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में स्थाई तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन, दोनों प्रकार के अफसर हैं ।

17.4 तोपखाना रेजीमेंट, सिग्नल कोर, इंजीनियरी कोर, वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर कोर, सेना सेवा कोर (खाद्य वैज्ञानिक तथा खान-पान अफसर), सेना आयुध कोर, आसूचना कोर, सेना शिक्षा कोर, जज एडवोकेट जनरल विभाग तथा सेना डाक सेवा में महिला अफसर अल्पकालीन सेवा कमीशन अफसर के रूप में शामिल होती हैं ।

भारतीय नौसेना

17.5 भारतीय नौसेना ने 1992 में महिलाओं की पहली बार भर्ती की थी । नौसेना की विभिन्न यूनिटों में कुल 179 महिला अफसर (58 चिकित्सा अफसरों सहित) कार्यरत हैं । इन अफसरों को पूर्णतः मुख्य धारा में शामिल किया गया है तथा इनकी भावी पदोन्नति, प्रशिक्षण तथा कैरियर प्रोन्नति उनके पुरुष सहकर्मियों के समरूप है।

17.6 नौसेना में महिलाओं को कार्यकारी (एटीसी, विधि एवं संभारिकी संवर्ग) तथा शिक्षा शाखा में अल्पकालीन सेवा कमीशन (एस एस सी) अफसर के रूप में भर्ती किया जा रहा है ।

17.7 **प्रौढ़ कम्प्यूटर साक्षरता तथा शौकिया कक्षाएं:** कढ़ाई, मुलायम खिलौने

बनाना, कला तथा माइक्रो प्रबंधन कौशल को बढ़ाने के लिए शौकिया कक्षाएं आयोजित करके तथा महिलाओं के लिए कम्प्यूटर साक्षरता पर जोर देते हुए नौसेना पत्नी कल्याण संघ (एन.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए) केंद्रों का पुनर्सुधार किया गया है। कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी सीखने के लिए महिलाओं तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी परिसर खोले गए हैं।

17.8 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर केवल नेवल डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम की महिला कर्मचारियों के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया था । 'जीवन जियो खुशी-खुशी' नामक कार्यक्रम, विधिक तथा वित्तीय विषयों के अलावा शिक्षा, वैवाहिक सामंजस्य, विद्यमान विनियमों के महत्व पर केंद्रित था ।

भारतीय वायुसेना

17.9 भारतीय वायुसेना की उड़ान, तकनीकी और गैर-तकनीकी शाखाओं में वर्ष 1982 में, अल्प-सेवा कमीशन के रूप में महिलाओं की भर्ती प्रारंभ की गई थी । 31 दिसंबर, 2006 को, भारतीय वायुसेना में 713 महिला अफसर (मैडिकल और डेंटल अफसर सहित) सेवारत हैं । अभी तक महिला अफसरों (सिवाय मैडिकल शाखा) को स्थायी कमीशन नहीं दिया जा रहा है । तथापि, सरकार ने इन सभी महिला अफसरों का अल्प-सेवा कमीशन कार्यकाल का दूसरी बार विस्तार उनकी मैरिट के आधार पर किए जाने का अनुमोदन दे दिया है ।

तटरक्षक

17.10 अफसर संवर्ग में महिलाएं भर्ती की जा रही हैं । महिला उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया पुरुष उम्मीदवारों के ही समान

भारतीय नौसेना युद्धक वायुयान नियंत्रक बनने के लिए महिला अफसरों को प्रशिक्षण

है। महिला अफसरों को समुद्रवर्ती तैनातियों पर तैनात नहीं किया जाता है और पायलट के रूप में शामिल किया जाता है ।

विशेष परिवार पेंशन योजनाएं

17.11 सैन्य कार्मिकों की विधवाओं के लिए रक्षा मंत्रालय की विशेष पेंशन योजनाएं हैं । युद्ध अथवा युद्ध-समान संक्रियाओं, घुसपैठ-रोधी संक्रियाओं, आतंकवादियों, उग्रवादियों, आदि के खिलाफ कार्रवाई में मारे गए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के परिवारों को दिवंगत कार्मिक की मृत्यु के समय अंतिम आहरित संगणनीय परिलब्धियों के बराबर दर से उदारीकृत परिवार पेंशन दी जाती है ।

17.12 1 जनवरी, 2006 से विधवा के पुनर्विवाह कर लेने पर अन्य विहित शर्तों के अध्यधीन उन्हें पूरी उदारीकृत परिवार पेंशन दी जाती रहेगी । उन विधवाओं, जिनकी उदारीकृत परिवार पेंशन 1 जनवरी, 1996 से पहले दिवंगत सैनिक के सगे भाई के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से पुनर्विवाह करने पर रोक दी गई थी, को अब 24 जून, 2005 से पुन: स्थापित किया गया है ।

17.13 रक्षा मंत्रालय में सेना कार्मिकों की विधवाओं के लिए विशेष पेंशन योजनाएं हैं । यदि सेना-कर्मी की मृत्यु सैन्य सेवा के कारण अथवा सैन्य सेवा की वजह से उसकी बीमारी गंभीर होने के कारण हुई हो तो, परिवार को दिवंगत कार्मिक द्वारा आहरित निर्धारण-योग्य परिलब्धियों की 60 प्रतिशत की दर से विशेष परिवार पेंशन प्रदान की जाती है किंतु वह राशि न्यूनतम 2550/- रुपए प्रतिमाह होगी । वे विधवाएं, जिन्होंने 1 जनवरी, 1996 को अथवा उसके बाद पुनर्विवाह किया है, भी कतिपय शर्तों के अध्यधीन विशेष परिवार पेंशन की पात्र हैं ।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी आर डी ओ)

17.14 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन अपनी महिला कर्मचारियों के सशक्तीकरण तथा कल्याण के प्रति संवेदनशील है । यह सुनिश्चित किया जाता है कि महिला कर्मचारियों को अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने हेतु समान अवसर मिलें । उनकी क्षमता को पूरा करने और संगठनात्मक उद्देश्यों को बढ़ाने का महत्व समझा गया है और प्रबंधन द्वारा उसे सम्यक रूप से मान्यता दी गई है । रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रयोगशालाओं को महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए महिला सेल गठित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं । इस प्रयोजन के लिए इसी तरह का एक सेल रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय में भी गठित किया गया है ।

17.15 इसी तरह से इस संगठन में महिला कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय भी किए गए हैं । पूरे देश में विभिन्न रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में कल्याणकारी उपाय के रूप में शिशु-गृह भी खोले गए हैं ।

सैन्य कार्मिकों की विधवाओं के लिए रक्षा मंत्रालय की विशेष पेंशन योजनाएं हैं । युद्ध अथवा युद्ध-समान संक्रियाओं, घुसपैठ-रोधी संक्रियाओं, आतंकवादियों, उग्रवादियों, आदि के खिलाफ कार्रवाई में मारे गए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के परिवारों को दिवंगत कार्मिक की मृत्यु के समय अंतिम आहरित संगणनीय परिलब्धियों के बराबर दर से उदारीकृत परिवार पेंशन दी जाती है।

रक्षा उत्पादन विभाग (डी डी पी)

17.16 **आयुध निर्माणी बोर्ड:** इस संगठन के विभिन्न कार्य-कलापों में सभी स्तरों पर महिलाएं सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं । इस संगठन में कई महिला अफसर वरिष्ठ पदों पर कार्य कर रही हैं। कई आयुध निर्माणियों में महिलाएं शॉप-फ्लोर लेवल पर अत्याधुनिक कम्प्यूटर अंकीय नियंत्रण (सी.एन.सी.) मशीनों का भी संचालन कर रही हैं।

17.17 **हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) :** हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 30 सितंबर, 2006 की स्थिति के अनुसार महिला कर्मचारियों की संख्या 1697 थी । काफी संख्या में महिला कर्मचारी पर्यवेक्षी और कार्यपालक श्रेणियों में कार्यरत हैं ।

17.18 **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी.ई.एल.) :** भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की विभिन्न यूनिटों और कार्यालयों में 2458 महिला

कर्मचारी कार्यरत हैं और यह अपनी महिला कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं तथा लाभ देता आ रहा है जिसमें विशेष रूप से तैयार आराम कक्ष तथा शिशु-गृह, आदि शामिल हैं । श्रमिक कल्याण कोष के माध्यम से कार्यालय समय के पश्चात् सिलाई की कक्षाएं चलाई जाती हैं । सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं (डब्ल्यू.आई.पी.एस.) नामक संगठन द्वारा आयोजित सभाओं/सम्मेलनों में सहभागिता हेतु महिला कर्मचारियों का नामांकन किया जाता है । गैर-ई.एस.आई. श्रेणी की महिला कर्मचारियों को भी प्रसव-पूर्व देखभाल सहित संपूर्ण प्रसूति लाभ दिए जाते हैं । भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड महिला संगठन, बेंगलूर द्वारा संचालित अक्षय निराश्रित महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराता है ।

17.19 **भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड (बी.ई.एम.एल.) :** कंपनी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, अपनी महिला कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए सभी विनिर्माण यूनिटों तथा कारपोरेट कार्यालय में महिला प्रकोष्ठों का गठन किया है ।

माझगांव डॉक लिमिटेड में महिला कर्मचारियों की क्षमता का पूरा उपयोग करने की दिशा में उनकी प्रगति तथा विकास संबंधी अर्थोपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए, महाप्रबंधक के रैंक के अधिकारी के तहत एक तीन-सदस्यीय महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है ।

17.20 **माझगांव डॉक लिमिटेड (एम.डी.एल.)**: माझगांव डॉक लिमिटेड में महिला कर्मचारियों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की दिशा में उनकी प्रगति तथा विकास संबंधी अर्थोपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक महिला प्रकोष्ठ गठित किया गया है। महिला कर्मचारियों की हैसियत तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए एक अर्थपूर्ण नीति तैयार करने की दृष्टि से महिला कर्मचारियों के प्रोफाइल के बारे में विस्तृत सूचना एकत्र करने के लिए एक डाटाबेस तैयार किया गया है ।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन अपनी महिला कर्मचारियों के सशक्तीकरण के प्रति संवेदनशील होने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करता है कि महिला कर्मचारियों को अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने हेतु समान अवसर मिलें ।

17.21 **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड** : गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में कुल 138 महिला कर्मचारी विभिन्न पदों पर काम कर रही हैं । लिंग समानता के प्रति कंपनी की वचनबद्धता के प्रति कर्मचारियों को जागरूक बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है ।

17.22 **मिश्र धातु निगम लिमिटेड:** कंपनी पर लागू होने वाले विभिन्न कल्याणकारी विधायनों के तहत महिला कर्मचारियों के वास्ते तयशुदा सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं । महिला कर्मचारियों के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया गया है जिसमें वे अपना काम प्रभावशाली रूप से इस तरह से कर सकती हैं जिससे संगठनात्मक लक्ष्यों को पाया जा सके । विभिन्न सेवाकालीन और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला कर्मचारियों को नामित किया जाता है । प्रति वर्ष 8 मार्च को इस संगठन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।

रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची

क. रक्षा विभाग

1. भारत और उसके प्रत्येक विभाग की रक्षा करना, इसमें रक्षात्मक तैयारियां तथा ऐसे सभी काम आते हैं जो युद्ध के समय युद्ध को ठीक ढंग से चलाने तथा युद्ध के बाद सेना को कारगर ढंग से विसंघटित करने के लिए सहायक हैं।
2. संघ की सशस्त्र सेनाएं अर्थात सेना, नौसेना, वायुसेना।
3. रक्षा मंत्रालय के समेकित मुख्यालय जिनमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और रक्षा सेवा मुख्यालय भी शामिल हैं।
4. सेना, नौसेना तथा वायुसेना के रिजर्व।
5. प्रादेशिक सेना।
6. राष्ट्रीय कैडेट कोर।
7. सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित कार्य।
8. रिमाउंट, वेटरनरी और फार्म संगठन।
9. कैंटीन भंडार विभाग (भारत)।
10. रक्षा प्राक्कलनों में वेतनभोगी सिविलियन सेवाएं।
11. हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेवीगेशनल चार्ट बनाना।
12. छावनियों के निर्माण, छावनी क्षेत्रों की हदबंदी और कुछ क्षेत्रों को उसकी सीमा के बाहर निकालना, ऐसे क्षेत्रों के स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों में छावनी बोर्डों का गठन तथा प्राधिकारी और उनकी शक्तियां तथा उनसे आवास संबंधी विनियम (इसमें किराया नियंत्रण भी शामिल है)।
13. रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और उसकी वापसी, अनधिकृत कब्जा करने वालों को रक्षा भूमि और संपत्ति से बेदखल करना।
14. रक्षा लेखा विभाग।
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को जिस खाद्य सामग्री की खरीद का काम सौंपा गया है उसे छोड़कर, सेना की जरूरतों की पूर्ति के लिए खाद्य सामग्री की खरीद और उसका निपटान।
16. तटरक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले जिनमें निम्नांकित भी शामिल हैं :-
    (क) तेल बिखराव पर समुद्री क्षेत्र की निगरानी।
    (ख) बंदरगाहों के पानी और अपतटीय पर्यवेक्षण और उत्पादन प्लेटफार्मों, तटीय रिफाइनरियों और अनुषंगी सुविधाओं जैसे कि सिंगल बॉय मूरिंग (एस बी एम), क्रूड तेल टर्मिनलों (सी ओ टी) और पाइपलाइनों के 500 मीटर के भीतर के सिवाय, विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में तेल बिखरने से बचाना।
    (ग) तटीय तथा विभिन्न समुद्री क्षेत्रों के समुद्री पर्यावरण में तेल प्रदूषण को दूर करने के लिए केन्द्रीय समन्वय एजेंसी।
    (घ) तेल बिखराव विनाश हेतु राष्ट्रीय आकस्मिकता योजना का कार्यान्वयन, और

(ङ) तेल बिखराव संरक्षण और नियंत्रण कार्य हाथ में लेना, देश में जलपोतों और अपतटीय प्लेटफार्मों का निरीक्षण कार्य करना, इसमें वाणिज्य, पोत परिवहन, अधिनियम 1958 (1958 का 44) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बंदरगाहों की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र शामिल नहीं है।

17. देश में गोताखोरी और संबंधित कार्यकलापों से संबद्ध मामले।

18. केवल रक्षा सेवाओं के लिए अधिप्राप्ति ।

ख. रक्षा उत्पादन विभाग

1. आयुध निर्माणी बोर्ड और आयुध निर्माणियां
2. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
3. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
4. माझगांव डाक लिमिटेड
5. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
7. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
8. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
9. गुणता आश्वासन महानिदेशालय और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय सहित रक्षा गुणता आश्वासन संगठन
10. मानकीकरण निदेशालय
11. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
12. रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण, विकास तथा उत्पादन और रक्षा उपस्करों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी
13. रक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक वस्तुओं का देशीकरण, विकास और उत्पादन ।
14. रक्षा उत्पादन में रक्षा निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

ग. रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति का राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले प्रभाव का जायजा लेकर रक्षा मंत्री को उसकी जानकारी और सलाह देना।
2. हथियारों,हथियार-प्लेटफार्मों, सैन्य संक्रियाओं, निगरानी, सहायता संभारिकी आदि से संबंधित सभी वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में और संघर्ष के सभी संभावित क्षेत्रों में रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं और अंतर सेवा संगठनों को सलाह देना।
3. ऐसे प्रौद्योगिकियों, जिनका भारत को निर्यात विदेशी सरकारों के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नियंत्रण का विषय है, के अर्जन के बारे में विदेशी सरकारों के साथ समझौता प्रलेखों से संबंधित सभी मामलों पर रक्षा मंत्रालय की नोडल समन्वय एजेंसी के रूप में विदेश मंत्रालय की सहमति लेकर कार्य करना।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा डिजाइन, विकास परीक्षण और मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना।
5. विभाग की एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, स्थापनाओं, रेंजों, सुविधाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निर्देशन और प्रशासन।
6. वैमानिकी विकास एजेंसी।
7. सैन्य विमानों के डिजाइन, उड़ान योग्यता का प्रमाणन, उनके उपस्करों तथा भंडारों से संबंधित मामले।
8. संसाधन जुटाने के लिए विभाग के कार्यकलापों से तैयार प्रौद्योगिकियों के संरक्षण और हस्तांतरण से संबंधित सभी मामले।
9. रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी शस्त्र प्रणालियों और तत्संबंधी प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण और मूल्यांकन के कार्यों में भाग लेना तथा वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता करना।

10. उत्पादन यूनिटों और उद्यमों द्वारा सशस्त्र सेनाओं के लिए उपस्कर और भंडारों के विनिर्माण या विनिर्माण के प्रस्तावों के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के प्रौद्योगिकीय तथा बौद्धिक संपदा संबंधी सभी पहलुओं पर सलाह देना।

11. पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) की धारा 35 के अंतर्गत प्राप्त मामलों पर कार्रवाई करना।

12. राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी अध्ययन और जनशक्ति को प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन और जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों, संस्थानों तथा कार्पोरेट निकायों को वित्तीय तथा अन्य सामग्री संबंधी सहायता देना।

13. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विदेश मंत्रालय के परामर्श में निम्नलिखित मामलों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबद्ध मामले निम्नलिखित हैं:-

(i) अन्य देशों और अंत: सरकारी एजेंसियों के अनुसंधान संगठनों से संबंधित मामले विशेष रूप से जो अन्य कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय पहलुओं से संबंधित हैं।

(ii) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी-विदों को प्रशिक्षण और विदेशी छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए विदेश स्थित विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और अनुसंधान-उन्मुख संस्थाओं के साथ व्यवस्था करना।

14. विभाग के बजट से निर्माण कार्य करना और भूमि खरीदना जो विभाग के बजट के नाम डाले जाते हैं।

15. विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले।

16. इस विभाग के बजट में डेबिट योग्य सभी प्रकार के भंडारों, उपकरणों और सेवाओं का अर्जन।

17. विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां।

18. राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पहलुओं को प्रभावित करने वाले कार्यकलापों से संबंधित भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय, विभाग एजेंसी के साथ समझौता अथवा व्यवस्था करके इस विभाग को सौंपे गए और इस विभाग द्वारा स्वीकार किए गए काई भी अन्य कार्य।

घ. भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

1. भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मामले, जिनमें पेशनभोगी भी शामिल हैं।

2. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना।

3. पुनर्वास महानिदेशालय तथा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित मामले।

4. निम्नलिखित का प्रशासन

   (क) सेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग । और 2)

   (ख) वायुसेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2)

   (ग) नौसेना पेंशन विनियम, 1964 और

   (घ) सशस्त्र सैन्य कार्मिकों को हताहत पेंशनरी अवार्डों के हकदारी विनियम, 1982

ङ. रक्षा (वित्त) प्रभाग

1. वित्तीय प्रभाव डालने वाले सभी रक्षा मामलों की जांच करना।

2. रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालयों के विभिन्न अधिकारियों को वित्तीय सलाह देना।

3. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के रूप में कार्य करना।

4. व्यय संबंधी सभी योजनाओं/प्रस्तावों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।

5. रक्षा योजनाएं तैयार करके उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।

6. रक्षा बजट और रक्षा सेवाओं के लिए प्राक्कलन तैयार करना और बजट के अनुरूप योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखना।

7. बजट बनाने के बाद यह सुनिश्चित करना कि व्यय न तो बहुत कम हो और न ही अनापेक्षित रूप से अधिक हो ।

8. सशस्त्र सेना मुख्यालयों की शाखाओं के अध्यक्षों को अपने वित्तीय दायित्व का निर्वाह करने के लिए सलाह देना।

9. रक्षा सेवाओं के लिए लेखा प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

10. रक्षा सेवाओं के लिए विनियोजन लेखा तैयार करना।

11. रक्षा लेखा महानियंत्रक के माध्यम से रक्षा व्यय, रक्षा भुगतानों और आंतरिक लेखापरीक्षा के दायित्व का निर्वाह करना।

1 अप्रैल, 2006 से रक्षा मंत्रालय में मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव

रक्षा मंत्री

श्री प्रणव मुखर्जी — 23 मई, 2004 से 24 अक्तूबर, 2006

श्री ए.के.एंटनी — 24 अक्तूबर, 2006 से आगे

रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री

राव इंद्रजीत सिंह — 29 जनवरी, 2006 से आगे

रक्षा राज्य मंत्री

श्री एम.एम.पल्लम राजू — 29 जनवरी, 2006 से आगे

रक्षा सचिव
श्री शेखर दत्त, एसएम
1 अगस्त, 2005 से आगे

सचिव, रक्षा उत्पादन
श्री .के.पी.सिंह
2 नवंबर, 2005 से आगे

सचिव (रक्षा अनुसंधान एवं विकास) तथा
रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार
श्री एम.नटराजन
31 अगस्त, 2004 से आगे

सचिव (रक्षा वित्त)/
वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं)
श्री वी.के.मिश्रा
वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं)
8 नवंबर, 2005 से 7 सितंबर, 2006 तक

श्री वी के मिश्रा
सचिव (रक्षा वित्त)/वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं)
7 सितंबर, 2006 से आगे

सेनाध्यक्ष
जनरल जे.जे. सिंह
पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी
1 फरवरी, 2005 से आगे

नौसेनाध्यक्ष
एडमिरल अरुण प्रकाश,
पीवीएसएम,एवीएसएम,वीआरसी,वीएसएम, एडीसी
1 अगस्त, 2004 से 31 अक्तूबर, 2006 (अपराह्न) तक

एडमिरल सुरीश मेहता
पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी
31 अक्तूबर (अपराह्न), 2006 से आगे

वायुसेनाध्यक्ष
एयर चीफ मार्शल एस.पी.त्यागी
पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी
31 दिसंबर, 2004 (अपराह्न) से आगे

रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट का सारांश

2006 की रिपोर्ट संख्या 4 : संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) थलसेना और आयुध फैक्ट्रियाँ

1. रक्षा मंत्रालय

पैरा 2.1 समय से विकल्प खंड का प्रयोग करने में विफलता के कारण अतिरिक्त व्यय

अप्रैल, 1996 में थलसेना मुख्यालय ने 1988 में अधिप्राप्त रेडियों सैटों के रख-रखाव के लिए मार्च, 1996 के रेडियों सैटों की अधिप्राप्ति के लिए इलैक्ट्रानिक कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ई सी आई एल के साथ की गई एक संविदा की विकल्प खंड का प्रयोग करके इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज की आवश्यकता प्रदर्शित की। जबकि विकल्प खंड मार्च 1997 तक वैध थी किंतु मंत्रालय द्वारा विकल्प खंड का उपयोग करने पर वैध अवधि के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया गया । मंत्रालय ने जुलाई, 1999 में ई.सी.आई.एल को विकल्प खंड का प्रयोग करने के लिए अपने निर्णय की सूचना दी किंतु ई.सी.आई.एल.ने इन्हें स्वीकार नहीं किया । मंत्रालय के अनुरक्षण हेतु आवश्यक अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति का निर्णय लेने में तीन वर्षों से अधिक का समय लिया । उस समय तक विकल्प खंड की वैधता समाप्त हो चुकी थी और सितंबर, 2002 में ई सी आई एल को एक आपूर्ति आदेश द्वारा पुर्जों की अधिप्राप्ति 4.49 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय से अधिक कीमत पर करनी पड़ी । इसके अलावा, 1988 में अधिप्राप्त रेडियो सैट एक दशक से अधिक समय तक बिना रखरखाव सहायता के पड़े रहे।

II थलसेना

पैरा 3.2 आटे के परिवहन में 4.37 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय

मुख्यालय उत्तरी कमान ने 2001-2003 और 2003-2005 की अवधि के लिए श्रीनगर के आपूर्ति डिपों से लगभग 320 कि.मी. दूर जम्मू स्थित एक आटा मिल से गेहूं पिसाई के लिए दो संविदाएं की। वर्ष 2001 से 2005 के दौरान 50533.06 मीट्रिक टन आटा जम्मू के मिल से श्रीनगर आपूर्ति डिपो तक ले जाया गया और फर्म को परिवहन प्रभारों की बाबत 4.37 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। चूंकि फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया से गेहूं की अधिप्राप्ति दर जम्मू एवं श्रीनगर में समान ही थी, यदि श्रीनगर से ही पिसाई की संविदा की जाती तो आटे के जम्मू से श्रीनगर आपूर्ति डिपो तक की ढुलाई को टाला जा सकता था। उसी सैक्टर में तैनात अन्य अर्द्धसैनिक बल श्रीनगर स्थित स्थानीय आटा मिलों से ही सेवाएं प्राप्त कर रहे थे।

पैरा 3.4 घटिया योजना के कारण निष्फल व्यय

अपश्रेणीकरण उपरांत अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकता पर विचार किए बिना मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड को मार्च, 1999 और मार्च, 2001 के दौरान कुल 572.11 करोड़ रुपए की कीमत पर 2500 रेडियो सैटों के लिए तीन मांग पत्र

प्रस्तुत किए । जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभ में अधिप्राप्त 3.01 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पुर्जे अनावश्यक हो गए।

पैरा 3.6 एक टैंक के लिए महंगे तेल की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय

एक टैंक के मौलिक उपस्कर निर्माता ने थलसेना मुख्यालय को सूचना दी (अगस्त, 2002) कि भारत में उनके संचालन के लिए तेल ए का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और केवल तेल बी का ही उपयोग किया जाना चाहिए। फिर भी टैंकों के प्रयोग हेतु सही तेल को समय रहते चिन्हित करने में एम.जी.ओ ब्रांच/थलसेना मुख्यालय की विफलता के परिणामस्वरूप 80.94 लाख रुपए मूल्य के तेल ए की अधिप्राप्ति कर ली गई जिसकी आवश्यकता नहीं थी। इस तेल का उपयोग करने के उद्देश्य से 10,600 लीटर तेल ए अन्य टैंक को पहले से प्रयोग किए जा रहे सस्ते तेल के स्थान पर ले जाया गया जोकि पहले से ही प्रयोग में था जिसमें अतिरिक्त लागत 77.07 लाख रुपए सन्निहित थी।

पैरा 3.7 रेडियो सैट के वहन बक्सों के विशेष विवरणों का प्रावधान न होने के कारण एक विक्रेता को अतिरिक्त भुगतान

थलसेना मुख्यालय के महानिदेशक, आयुध सेवाएं ने नवंबर, 2001 और सितंबर, 2002 में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी ई एल) को वहन बक्सों के विशेष विवरणों का उल्लेख किए बिना ही परिष्कृत रेडियो उपस्करों के 1074 और 500 सैटों की अधिप्राप्ति के दो मांगपत्र प्रस्तुत किए। बी.ई.एल. ने रेडियों सैटों को सस्ते कार्ड बोर्ड के बक्सों में आपूरित किया जिसके परिणामस्वरूप बी.ई.एल को 68.58 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

पैरा 3.1 लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियां

लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर थलसेना की यूनिटों तथा फार्मेशनों ने 8.49 करोड़ रुपए की राशि के अनधिकृत, अतिरिक्त और अधिक भुगतान की वसूली, चेन्नई/कोलकाता से अंडमान निकोबार द्वीप के लिए सी.एस.डी. भंडारों के परिवहन की अनौचित्यपूर्ण बुकिंग, निर्मुक्ति मामलों, रेलवे वारण्ट रेन्ट बिलों, टर्मिनल ग्रेच्युटी, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान इत्यादि पर किए गए अधिक भुगतान, उर्जा प्रभारों पर उच्च वोल्टेज छूट का लाभ न उठाने और सफाई प्रभारों की बाबत की ।

III निर्माण कार्य एवं सैन्य इंजीनियरी सेवाएं

पैरा 4.1 गलत स्थान के चयन से परिहार्य व्यय

थलसेना के साथ-साथ सेंटर फार फायर इनवायरनमैंट सेफ्टी संबंधित विस्फोटक शैडों के निर्माण के बुनियादी सुरक्षा मानदंडों का पालन करने में विफल रहा और 2.13 करोड़ रुपए की लागत से गोलाबारूद भंडारण प्रयोग हेतु निर्मित आवास एक वायु सेना स्टेशन के समीप होने के कारण प्रयोग में नहीं लाया जा सका।

पैरा 4.2 औसत विद्युत शक्ति घटक न बनाए रखने के कारण अधिशुल्क का परिहार्य भुगतान

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की टैरिफ सारणी के अुनसार आवश्यक शंट कैपेसिटरों का संस्थापन करने में विलंब होने के परिणामस्वरूप 1.77 करोड़ रुपए तक के अधिशुल्क का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

पैरा 4.3 एम.ई.एस. निरीक्षण भवनों के उन्नयन तथा अतिरिक्त सूइटों की अविवेकपूर्ण संस्वीकृतियां

विद्यमान निरीक्षण भवनों के अल्प उपयोग की उपेक्षा करते हुए मुख्यालय मध्य कमान लखनऊ ने 1.59

करोड़ रुपए के औचित्यपूर्ण व्यय से फैजाबाद और लखनऊ के निरीक्षण भवनों में उन्नयन तथा अतिरिक्त सूइटों की संस्वीकृति (नवंबर, 2003/मार्च, 2004) प्रदान की ।

पैरा 4.5 निर्माण कार्यों में अनधिकृत विशिष्टताओं पर अतिरिक्त व्यय

दक्षिणी कमान मुख्यालय ने सरकारी अनुमोदन के बिना ही एकल आवास, रसोई, भोजनकक्ष तथा प्रसाधन कक्ष के चालू कार्यों में उन्नत विशिष्टताओं में संशोधन के आदेश दे दिए जिसके परिणामस्वरूप 99.36 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

IV वायुसेना और नौसेना

I संचार स्क्वॉड्रन हेतु एक्जीक्यूटिव जेट्स की अधिप्राप्ति

मंत्रालय ने 712.51 करोड़ रुपए की लागत पर पांच एक्जीक्यूटिव जेट्स की अधिप्राप्ति की । प्रतिस्थापित किए जाने वाले वायुयान का अत्यल्प उपयोग अधिप्राप्ति का औचित्य सिद्ध नहीं करता जिसमें गैर-प्रतियोगी प्रक्रिया के फलस्वरूप आंतरिक सज्जा के आधुनिकीकरण एवं उड़ान के दौरान मनोरंजन के लिए 126.90 करोड़ रुपए की अत्यधिक राशि स्वीकार करनी पड़ी। [(2006 की प्रतिवेदन संख्या 5 का पैरा 2.1) वायुसेना एवं नौसेना]

II मानवरहित हवाई वाहन की अधिप्राप्ति

567 करोड़ रुपए की लागत पर आयातित बारह मानवरहित हवाई वाहनों का उपयोग परिचालन स्थलों के अविवेकपूर्ण चयन तथा नौसेना द्वारा उनके संचालन के लिए अवसंरचना सुविधाओं को समय से पूर्ण कर पाने में असमर्थता के कारण नहीं किया जा सका। [(2006 की प्रतिवेदन संख्या 5 का पैरा 2.2) वायुसेना एवं नौसेना]

III भारतीय वायुसेना द्वारा मिसाइलों की अधिप्राप्ति

वायुसेना के लिए 407.30 करोड़ रुपए की लागत पर मिसाइल के आयात हेतु एक संविदा को अंतिम रूप देने के लिए अपनाई गई निविदा प्रक्रिया में प्रतियोगिता एवं पारदर्शिता का अभाव था। अप्रभावी वार्ताओं के फलस्वरूप संविदागत मिसाइलें, वायुसेना में उपलब्ध उसी मिसाइल के अधिक उन्नत संस्करण की तुलना में 50.60 करोड़ रुपए अधिक मँहगी थी। [(2006 की प्रतिवेदन संख्या 5 का पैरा 2.3) वायुसेना एवं नौसेना]

IV सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में निधियों का निक्षेपण

निधियों के समर्पण से बचने के लिए मंत्रालय ने कोई आपूर्ति आदेश दिए बिना 995.70 करोड़ रुपए की अग्रिम माझगांव डॉक लिमिटेड को दिया। पर्याप्त वित्तीय क्षतिपूर्ति की वसूली में असफलता के परिणामस्वरूप मार्च, 2005 तक 156.12 करोड़ रुपए की वित्तीय हानि हुई । [(2006 की प्रतिवेदन संख्या 5 का पैरा 2.6) वायुसेना एवं नौसेना]

V समुद्री प्रदूषण निगरानी क्षमता की अधिप्राप्ति

तटरक्षक द्वारा समुद्री प्रदूषण निगरानी हेतु 102 करोड़ रुपए की लागत पर प्राप्त तीन डोर्नियर वायुयानों में, सरकार द्वारा अकुशल प्रबंधन के कारण, परिचालन भूमिका उपकरण का प्रावधान नहीं किया जा सका। अत्यधिक विलंब से की गई संविदा का उपकरण उपयुक्त है, इसका कोई आश्वासन नहीं है। [(2006 की प्रतिवेदन संख्या 5 का पैरा 5.1) वायुसेना एवं नौसेना]

VI विमान संचालन प्रणाली के क्रय में अतिरिक्त व्यय

वैधता अवधि के अंदर संविदा के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प उपबंध के मूल्यों का उपयोग करने में मंत्रालय की असफलता तथा अन्य विक्रताओं से दरें आमंत्रित किए बिना उच्च दरों पर, विकल्प उपबंध के विलंबित प्रयोग से, वायुसेना के लिए 95 विमान संचालन प्रणालियों के आयात में 29.90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। [(2006 की प्रतिवेदन संख्या 5 का पैरा 2.4) वायुसेना एवं नौसेना]

VII एक अति तीव्र प्रहारक जलयान की अधिप्राप्ति

नौसेना की तात्कालिक परिचालनात्मक आवश्यकता बताते हुए 33.56 करोड़ रुपए की लागत पर पुराना अति तीव्र प्रहार जलयान ऐसी प्रक्रिया से अधिप्राप्त किया गया, जिसमें स्पर्धा तथा पारदर्शिता का अभाव था। यथोचित ह्रास के मोल-तोल में असफलता के परिणामस्वरूप 4.16 करोड़ रुपए की हानि हुई। [(2006 की प्रतिवेदन संख्या 5 का पैरा 4.1) वायुसेना एवं नौसेना]

VIII रक्षा सुरक्षा कोर के कार्मिकों को भत्तों का अनियमित भुगतान

पूर्वोत्तर में वायुसेना संरचनाओं में पदस्थापित रक्षा सुरक्षा कोर के कार्मिक, विद्रोह प्रतिरोधी भत्ता एवं संबद्ध सुविधाओं के हकदार नहीं थे । आंतरिक नियंत्रणों की असफलता के फलस्वरूप 3.51 करोड़ रुपए के विद्रोह प्रतिरोधी भत्ते का अनियमित भुगतान हुआ। [(2006 की प्रतिवेदन संख्या 5 का पैरा 2.5) वायुसेना एवं नौसेना]

IX अत्यधिक मूल्य पर कलपुर्जों का आयात

नौसेना मुख्यालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर आंतरिक नियंत्रणों से बचने तथा असत्य धारणाओं के आधार पर निर्णय लेने के फलस्वरूप कलपुर्जों के आयात में उच्च दरों को स्वीकार करना पड़ा । प्रतियोगी आधार पर विशिष्ट मदों के लिए आदेश देने के अधिक विवेकपूर्ण निर्णय से 9 करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती थी। [(2006 की प्रतिवेदन संख्या 5 का पैरा 4.3) वायुसेना एवं नौसेना]

X आयातित उपकरण का चालू न होना

त्रुटिपूर्ण आयोजना के फलस्वरूप एस.यू.30 वायुयान के सेवा सहायता केन्द्र के फेज-1 की निर्माण सेवा पूर्ण होने में हुए विलंब से 53.95 करोड़ रुपए मूल्य का उपकरण जून/अक्तूबर, 2004 से चालू नहीं किया जा सका। [(2006 की प्रतिवेदन संख्या 5 का पैरा 3.3) वायुसेना एवं नौसेना]

XI तटरक्षक के लिए पूर्ण निर्मित फ्लैट्स की अधिप्राप्ति

यद्यपि तटरक्षक हेतु पूर्ण निर्मित फ्लैट्स की अधिप्राप्ति नौसेना के साथ-साथ की गई, तथापि मंत्रालय ने नौसेना की ही तरह तटरक्षक के मामले में ब्याज प्रभारों से छूट, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण प्रभारों से मुक्ति की संभावना का प्रयास नहीं किया, जिसके फलस्वरूप 2.63 करोड़ रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। [(2006 की प्रतिवेदन संख्या 5 का पैरा 5.2) वायुसेना एवं नौसेना]

XII आफीसर्स इंस्टिटयूट का अनधिकृत निर्माण

भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान द्वारा 74.24 लाख रुपए की महत्वपूर्ण भूमि का प्रयोग आफीसर्स इंस्टिट्यूट के नाम पर 33.18 लाख रुपए के अनियमित व्यय से, पारगमन आवास के अनधिकृत निर्माण हेतु किया गया। [(2006 की प्रतिवेदन संख्या 5 का पैरा 3.2) वायुसेना एवं नौसेना]

XIII टेस्ट रिग के लिए कलपुर्जों की अधिप्राप्ति

वायुसेना द्वारा उचित समय पर टेस्ट रिग हेतु कलपुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए निर्णय लेने में हुए विलंब के फलस्वरूप लगभग दो करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। [(2006 की प्रतिवेदन संख्या 5 का पैरा 3.1) वायुसेना एवं नौसेना]

XIV विशिष्ट वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत सामग्री का अनावश्यक आयात

ऑपरेशन पराक्रम के अंतर्गत नौसेना मुख्यालय को दिए गए विशेष वित्तीय अधिकारों का उपयोग भारतीय नौसेना पोत विराट के लिए टर्बो अल्टरनेटर्स के एक करोड़ रुपए मूल्य के अतिरिक्त पुर्जों की अनावश्यक खरीद हेतु किया गया जबकि वह पोत न तो अग्रगामी पोत के रूप में चिन्हित था और न ही उनकी अधिप्राप्ति न्यायोचित थी। [(2006 की प्रतिवेदन संख्या 5 का पैरा 4.2) वायुसेना एवं नौसेना]

XV लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियां

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर कुल 4.98 करोड़ रुपए की संकलित राशि वसूल की गई। [(2006 की प्रतिवेदन संख्या 5 का पैरा 3.4, 4.4 और 5.3) वायुसेना एवं नौसेना]

V निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

एक वायुयान का लाइसेंस के अंतर्गत उत्पादन

भारतीय वायुसेना ने 1997 और 2004 के मध्य विदेश से 50 वायुयान 'क' खरीदे थे। सरकार ने 2000 से 140 'क' वायुयानों का लाइसेंस के अंतर्गत उत्पादन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा करने को मंजूरी दी । यह परियोजना 2017-2018 तक पूर्ण होने की संभावना थी। 34 वायुयानों की पहली खेप का आदेश हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिसंबर, 2003 में दिया गया।

लाइसेंस के अंतर्गत उत्पादन की संविदा को अंतिम रूप देने से पूर्व वायुयान 'क' में समाकलित की जाने वाली महत्वपूर्ण विमान वाहित प्रणालियों की विशिष्टियों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। लाइसेंस उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित परिदान अनुसूची को भारतीय वायुसेना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनर्निधारित करने के कार्यक्रम की अपर्याप्त आयोजना का संकेत मिलता है। मूल उपस्कर निर्माता से लाइसेंस के अंतर्गत उत्पादन हेतु की गई संविदा में अनेक कमियां थी। 2017-2018 तक 140 वायुयानों के लाइसेंस के अंतर्गत उत्पादन हेतु संपूर्ण लाइसेंस शुल्क का एकमुश्त अग्रिम भुगतान कर दिया गया, बिना इस बात का प्रावधान किए कि अंततः उत्पादित संख्या में कमी की स्थिति में इसमें भी कमी हो । स्वदेशी उत्पादन की लागत गणना आयातित लागत से अधिक थी, इसके अतिरिक्त लागत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, किन्हीं बाध्यकारी मरम्मत हेतु मूल उपस्कर निर्माता पर निर्भरता बढ़ी है। [(2006 की निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अध्याय-1)]

भारतीय वायुसेना में एक वायुयान बेड़े का रखरखाव

भारतीय वायुसेना में एक वायुयान 'ख' के रखरखाव की निष्पादन लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ है कि मूल उपस्कर निर्माता से उपयुक्त संविदा के बावजूद मरम्मत एवं रखरखाव सुविधाओं की स्थापना वायुयान के सेवा में शामिल होने के बाद भी पिछड़ी हुई है, जिसके फलस्वरूप रखरखाव के लिए मूल उपस्कर निर्माता पर निर्भरता बनी हुई है।

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का निष्पादन इष्टतम नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंजनों के पूर्ण ओवरहाल के वार्षिक लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहा है। सुविधाओं के पूर्ण होने के बाद भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ओवरहाल किए गए इंजनों की विफलता दर तथा मूल उपस्कर निर्माता द्वारा इंजनों के ओवरहाल की तुलना में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ओवरहाल करने में लिया गया टर्न अराउण्ड समय अत्यधिक थे। वायुयानों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रदर्शित/निर्धारित मानक श्रम दिवसों तथा दरों की तुलना में बेस मरम्मत डिपों द्वारा 36.34 प्रतिशत तथा 47.73 प्रतिशत अधिक उपयोग किया गया। बेस मरम्मत डिपों में कोई उचित लागत लेखांकन प्रणाली नहीं थी तथा उनके लागत आकलन अविश्वसनीय थे।

रखरखाव एजेंसियों द्वारा इष्टतम से कम निष्पादन के फलस्वरूप स्क्वाड्रनों में अल्प सेवायोज्यता तथा अल्प वायुयान उड़ान प्रयास दिखे, 1997-98 तथा 2004-05 के मध्य सेवायोज्यता स्तर जहां 43 से 62 प्रतिशत के बीच था वहीं उड़ान लक्ष्यों में कमी 87.48 से 42.52 प्रतिशत के बीच थी।

ओवरहॉल सुविधाओं की स्थापना से विदेशी मुद्रा की बचत तथा टर्न अराउण्ड समय में सभी की आशाएं फलीभूत नहीं हुई। ओवरहॉल की आकलित लागत 4.15 करोड़ रुपए प्रति इंजन की तुलना में वास्तविक लागत 5.21 करोड़ रुपए थी।

मूल उपस्कर निर्माता से खराब उत्पादन समर्थन एक आवर्ती समस्या थी । परिणामस्वरूप कलपुर्जों की अनुपलब्धता के कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1998-00 और 2004-05 के बीच घटकों की 1280 मदें मरम्मत हेतु विदेश भेजी । इसी प्रकार जुलाई, 2005 में 57 क्रयादेशों के प्रति कलपुर्जों की 2223 मदों की आपूर्ति बेस मरम्मत डिपों में प्रतीक्षित थी। इनके फलस्वरूप विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अंगों के उपयोग के कारण उड़ान सुरक्षा दुष्प्रभावित हुई। वायुयान 'ख' के अनुभव से ली गई सीख उपयोग वर्तमान एवं भविष्य के विमान क्रय अधिष्ठानों में किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। [(2006 की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अध्याय-2)]

नौसेना में परियोजना प्रबंधन

1980 के दशक में भारतीय नौसेना ने अपनी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपनी अवसंरचनाओं के आधुनिकीकरण हेतु तीन प्रमुख परियोजनाओं की संकल्पना की । ये परियोजनाएं थी- एजीमला में नौसेना अकादमी, करवार में एक नया नौसैनिक बेस तथा मुंबई में नौ सैनिक अस्पताल अश्विनी का आधुनिकीकरण। इनकी लागत में तीव्र बढ़ोत्तरी देखी गई जो कि अकादमी के लिए 167 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए, बेस के लिए 1295 करोड़ रुपए से 2459 करोड़ रुपए तथा अस्पताल के लिए 93 करोड़ रुपए से 137 करोड़ रुपए थी अभिकल्पन चरण में लागत का गलत आकलन विशिष्टियों एवं कार्य क्षेत्र में बार-बार संशोधन, विचलनों को रोकने में विफलता तथा संविदा में प्रतिकूल प्रावधानों को शामिल करने से लागत में वृद्धि हुई । अकादमी तथा अस्पताल परियोजनाओं में विलंब का कारण परियोजना सलाहकार के रूप में एक वास्तुशिल्पी फर्म का सहयोग लेना था। सलाहकार के चयन हेतु अवमानक कार्यों ने शुरूआती कठिनाइयों को और बढ़ाया।

निर्णय लेने एवं उन्हें क्रियान्वयन में विलंब अत्यंत गंभीर था। परियोजना प्रबंधन निकाय निर्धारित अनुसूचियों/समय सारणी एवं लागत का पालन कराने में निष्प्रभावी थे। समस्याओं के समाधान हेतु सक्रिय प्रयास करने का कोई प्रमाण नहीं था। परियोजना अभी भी निर्माण/पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में है। फलस्वरूप वर्तमान प्रशिक्षण स्थापना आई एन.एस माण्डवी के अपर्याप्त परिसर में संसाधन विकास गतिविधियां समस्याग्रस्त हैं नौसेना गोदीबाड़ा मुंबई की व्यस्तता में कमी भी एक दूरस्थ स्वप्न है और नौसेना तथा अन्य सैन्य सेवाओं के कार्मिकों एवं उनके परिवारों की बड़ी संख्या को अधुनातन चिकित्सीय सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं हैं।

तटीय क्षेत्रों में स्थित ये तीनों परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि परियाजना अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया है कि पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं तथापि नौसेना को चाहिए कि जिन क्षेत्रों में ये परियोजना स्थल स्थित है। उनके सुकुमार तटीय पर्यावरण तंत्र के संरक्षण हेतु निरंतर प्रयास जारी रखें ।

इन तीन प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एवं बड़ी परियोजनाओं के प्रबंधन को सुदृढ करने हेतु कुछ अनुशंसाएं इस प्रतिवेदन में की गई हैं। [(2006 की निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अध्याय-III)]

VI अर्जन स्कंध सचिवालय

2006 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 12

अप्रैल, 2003 की निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के बाद कोल इंडिया लिमिटेड को रोप शोवल्स की आपूर्ति में परिहार्य विलंब के कारण भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को 1.19 करोड़ रुपए का परिसमापन हर्जाना देना पड़ा। (पैरा 8.11)

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा 2000-01 से 2003-04 के दौरान आय के गलत आकलन और परिणामत: अग्रिम आय कर का कम भुगतान किए जाने के

परिणामस्वरूप 3.05 करोड़ रुपए ब्याज के अंतर का परिहार्य व्यय करना पड़ा। (पैरा 8.2.1)

इंडेंट देने, समन्वय करने और कार्य-निष्पादन में अत्याधिक विलंब करने तथा कार्य के मॉनीटर करने में विफलता के कारण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को 2.61 करोड़ रुपए की परिहार्य हानि हुई (पैरा 8.3.1)

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में सामग्री की शॉर्ट बिलिंग का पता लगाने में आंतरिक लेखापरीक्षा/आतंरिक नियंत्रण प्रणाली में विफलता के परिणामस्वरूप 64.62 लाख रुपए की हानि हुई। (पैरा 8.4.1)

इस्पात गढ़न्त की अपसामान्य नामंजूरियों के कारण विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 1.42 करोड़ रुपए की परिहार्य हानि हुई (पैरा 8.5.1)

VII. अनुसंधान तथा विकास संगठन

पैरा 6.1 अग्नि शमन प्रणाली के संवर्धन पर 65.24 लाख रुपए का निष्फल व्यय।

16 वर्ष पुरानी हाइड्रेंट पाइपलाइनों को प्रतिस्थापित करने पर विचार न किए जाने के कारण, प्रूफ और प्रायोगिक स्थापना चांदीपुर में 65.24 लाख रुपए की लागत से संवर्धित अग्नि-शमन प्रणाली अपेक्षित दबाव को नहीं संभाल सकी। इसके अलावा, इस संवेदनशील स्थापना के पिछले सात वर्षों में आग लगने का गंभीर खतरा बना रहा।

VIII. आयुध फैक्ट्री संगठन

पैरा 7.2 माइन क्लियरिंग वाहन के निर्माण में निष्फल व्यय

डिजाइन की कमियों को दूर किए बिना आयुध फैक्ट्री चांदा ने चार्ज लाइन माइन क्लियरिंग वाहन का थोक निर्माण किया जिससे उनके निर्माण पर 3.89 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

पैरा 7.3 1.91 करोड़ रुपए मूल्य के कच्चे माल की अधिक खपत

आयुध वस्त्र फैक्ट्री शाहजहांपुर ने उत्पादन में अक्षमता के कारण 1.91 करोड़ रुपए मूल्य के बनियानों के निर्माण में प्रयोग हेतु सूत के कच्चे माल की अधिक खपत के समायोजन के लिए सामग्री अनुमान को संशोधित करके अधिक कर दिया ।

पैरा 7.5 कारतूसों की परिहार्य खपत

राइफल फैक्ट्री ईशापुर द्वारा प्रूफ पूर्व फायरिंग परीक्षण के दौरान खाली 5.56 मि.मी. बाल कारतूसों की खपत में उचित नियंत्रण रखने में विफलता तथा साथ ही एक शस्त्र की उत्पादन प्रक्रिया का स्थायीकरण करने में अयोग्यता के कारण 3.14 करोड़ रुपए के कारतूसों की परिहार्य खपत हुई।

IX सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली में कंप्यूटरीकृत भंडार सूची नियंत्रण परियोजना

केन्द्रीय आयुध डिपुओं, फील्ड स्तर डिपुओं तथा आयुध इकाईयों के तंत्र के साथ सैन्य आयुध कोर सेना के शस्त्रों, गोलाबारूद वाहनों, उपस्करों तथा भंडारों की भंडार सूची प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। सेना के पास धारित वृहद भंडार सूची के प्रबंधन के कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता एक लंबे समय से अनुभव की जा रही थी। मंत्रालय ने जुलाई 1994 में कंप्यूटरीकृत भंडार सूची नियंत्रण परियोजना (सी आई सी पी) लागू कर जून 1999 तक पूर्ण करने की संस्वीकृति प्रदान की । परियोजना को एक चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की योजना का उद्देश्य बेहतर परिसंपत्ति दृश्यता, भंडारसूची धारण तथा धारण लागत कम करने में सहायता, प्रयोक्ताओं के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली का प्रावधान एवं प्रबंधन हस्तगत कार्य को घटाना तथा मानवशक्ति और संबंधित लागत में कमी करना था।

परियोजना की लेखापरीक्षा जांच से पता लगा कि सी आई सी पी, जोकि अवधारण से एक अच्छी परियोजना है, में बहुत अधिक विलंब हो गया था और केवल एक चरण ही लागू हुआ था। वर्तमान स्थिति के अनुसार संपूर्ण परियोजना की पूर्णता तिथि अनिश्चित थी क्योंकि चरण III अभी भी संस्वीकृत किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप कंप्यूटरीकरण के पूर्ण लाभ नामतः बेहतर परिसंपत्ति दृश्यता, सीमित वेस्टेज, दक्षतापूर्ण प्रबंधन हेतु आन लाइन एम.आई.एस, सामरिक आवश्यकताओं के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया, श्रमशक्ति में कमी और उसका बेहतर उपयोग, प्राप्त नहीं किए जा सके । इसके अतिरिक्त, कुल भंडार सूचीधारण में होने वाली कमी के परिणामस्वरूप होने वाली 500 करोड़ रुपए की अनुमानित एक प्रतिशत बचत प्राप्त नहीं की जा सकी।

इसके अतिरिक्त लागू किए गए चरण-I के सभी माडयूल कार्यशील नहीं हुए थे तथा थलसेना अभी भी प्रावधान पुनरीक्षाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मैन्युअल कार्यशैली पर आश्रित थी। डाटाबेस भी बहुत हद तक अपूर्ण था। साफ्टवेयर में कुछ अंतर्निहित कमियां थी। बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग के अभाव में एप्लीकेशन अपने वर्तमान स्वरूप में सीमित उपयोगिता वाला था। संपूर्ण एप्लीकेशन एक ऐसे सुरक्षा वातावरण में कार्य कर रहा था जो संतुष्टि से बहुत परे था। (2006 की प्रतिवेदन सं. 3 का अध्याय-IV) थलसेना और आयुध फैक्ट्रियां (निष्पादन लेखापरीक्षा)

शस्त्र सज्जित वाहन वर्ग की फैक्ट्रियां

शस्त्र सज्जित वाहन वर्ग की फैक्ट्रियों में आयुध फैक्ट्री बोर्ड द्वारा नियंत्रित पांच आयुध फैक्ट्रियां सम्मिलित हैं जो सेना की शस्त्र सज्जित वाहनों, इंजनों व उनके संघटकों की आवश्कताओं को पूरा करती हैं। अप्रैल, 2000 से मार्च 2005 की अवधि के दौरान शस्त्रसज्जित वाहन वर्ग की फैक्ट्रियों के कार्यकलापों की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा से पता लगा कि टैंक 'एक्स' के उत्पादन एवं निर्गम में पांच वर्षों से अधिक का विलंब हुआ जिससे उसके प्रवेश कार्यक्रम तथा मशीनीकृत बलों के आधुनिकीकरण पर प्रभाव पड़ा , टैंक 'जेड' केदेशज उत्पादन के लिए मंजूरी प्रदान की गयी। यद्यपि टैंक का अभिकल्प निश्चित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप विक्रेताओं से संघटक एवं उपसंयोजन प्राप्त करने में और भारी वाहन फैक्ट्री आवड़ी के निर्माण एवं संयोजन प्रक्रिया में विलंब हुआ , टैंक 'एक्स' की मरम्मत में भारी वाहन फैक्ट्री द्वारा निम्न कोटि का कार्य तथा सेना द्वारा मरम्मत के लिए देरी से टैंक उपलब्ध कराने के कारण टैंकों का मरम्मत हेतु जमाव हो गया जिससे सामरिक तैयारी प्रभावित हुई, भारी वाहन फैक्ट्री द्वारा टैंक 'एक्स' के उत्पादन लक्ष्य में 20 से 100 प्रतिशत वार्षिक गिरावट आई, उपलब्ध श्रम घंटों का पूर्ण उपयोग न होते हुए भी पांच में से तीन फैक्ट्रियों में 58.46 करोड़ रुपए तक समयोपरि भत्ते का भुगतान किया गया , 1521.74 करोड़ रुपए मूल्य के टैंक, ईंजन तथा संघटक, 2001-02 से 2004-05 के दौरान निर्गमित दर्शाए गए जो बाद के वर्षों में निर्गमित किए गए जिसके परिणामस्वरूप निर्मित मदों की उत्पादन लागत में विकास आया और चार वर्षों की अवधि के दौरान 1521.74 करोड़ रुपए की सीमा तक उत्पादन एवं निर्गम मूल्य अधिक दर्शाया गया, भारी वाहन फैक्ट्री द्वारा समय से मरम्मत कार्य न करने के कारण 91 करोड़ रुपए मूल्य के मरम्मत योग्य मदों का जमाव हो गया एवं इनमें से 7 करोड़ रुपए के मद मितव्ययी मरम्मत से परे हो गए जिससे राजकोष को हानि हुई। (2006 की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अध्याय-III) थलसेना और आयुध फैक्ट्रियां (निष्पादन लेखापरीक्षा)